VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अर्थव्यवस्था

Classroom Study Material

(May 2020 to January 2021)

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH GUWAHATI

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

अर्थव्यवस्था

विषय सूची

1. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)....7
1.1. सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र (Status Paper on Government Debt)....7
1.2. सरकारी वित्त के संबंध में अन्य घटनाक्रम (Other Developments with regard to Government Finance)....9
1.2.1. उपकर एवं अधिभार (Cesses and Surcharges)....9
1.2.2. सरकारी उधार (Government Borrowing)....10
1.2.3. राज्यों के लिए उधार पर सीमा (Borrowing Limit for States)....10
1.2.4. सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ {Empowered Group of Secretaries (EGoS) and Project Development Cells (PDCs)}....11
1.3. आर्थिक रिकवरी (Economic Recovery)....12
1.3.1. पी.एम. केयर्स फंड (PM Cares Fund)....13
1.4. प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)....14
1.4.1. प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार हेतु हालिया प्रयास (Recent Efforts to Reform the Direct Taxes Arrangements)....15
1.4.1.1. पारदर्शी कराधान - 'ईमानदार का सम्मान' प्लेटफॉर्म (Transparent Taxation - 'Honouring The Honest' Platform)....15
1.4.1.2. गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों पर समकारी लेवी (डिजिटल सेवा कर) {Equalization Levy (Digital Service Tax) on firms like Google, Facebook}....16
1.5. वस्तु एवं सेवा कर का विकासक्रम (Goods and Services Tax Developments)....16
1.5.1. जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति उपकर और संबद्ध विवाद (GST Compensation Cess Issue)....18
1.6. प्रमुख अवधारणाएं एवं सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News)....19
2. बैंकिंग और मौद्रिक नीति (Banking and Monetary Policy)....21
2.1. बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, 2018-19 (Report on Trend and Progress of Banking 2018-19)....21
2.2. बैंक लाइसेंस देने की रूपरेखा में परिवर्तन (Changes in Bank Licensing Framework)....21
2.2.1. बड़े कारोबारी घरानों को बैंकिंग लाइसेंस (Banking License to Large Corporate Houses)....22
2.2.2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए बैंकिंग लाइसेंस (Banking License for NBFCs)....22
2.3. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 {Banking Regulation (Amendment) Act, 2020}....23
2.4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional rural banks: RRBs)....24
2.5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश {Revised Priority Sector Lending (PSL) Guidelines}....25
2.6. लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks: SFBs)....27
2.7. तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की पुनर्रचना, रिकवरी और प्रबंधन (Restructuring, Recovery and Management of Stressed Assets)....28
2.7.1. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act: SARFAESI Act)....29

VISION IAS

2.7.2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का निलंबन {Suspension of Insolvency And Bankruptcy Code (IBC)} 30
2.7.3. ऋणों की प्रोविजनिंग (Provisioning of Loans) 32
2.8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन (Regulation of NBFCs) 33
2.9. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष तरलता योजना (Special Liquidity Scheme For NBFCs and HFCs) 34
2.10. मुद्रास्फ़ीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) 36
2.11. घाटे का मौद्रीकरण (Monetization of Deficit) 38
2.12. RBI की 'रिस्क प्रोविजनिंग अकाउंट्स' {Risk Provisioning Accounts of RBI} 39
2.13. सुर्ख़ियों में रहे RBI के प्रमुख कदम और निर्णय (Key Steps and Decisions of RBI in News) 40
2.13.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' 2021 जारी {Reserve Bank of India (RBI) Releases the Financial Stability Report (FSR), 2021} 40
2.13.2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य विकास ऋण के लिए प्रथम बार खुले बाज़ार परिचालन का आयोजन {RBI Conducted the First-ever Open Market Operation (OMO) in State Development Loans (SDL)} 41
2.13.3. व्हाइट-लेबल अभिकर्ताओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले ATMs के लिए RBI द्वारा मानदंडों में ढील {RBI Relaxes Norms for Deployment of ATMs by White-label Players} 41
2.13.4. आर.बी.आई. द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक का प्रारंभ (RBI Introduces Digital Payments Index)..... 42
2.14. प्रमुख अवधारणाएं एवं सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News) 42
3. वित्तीय प्रणाली और वित्तीय बाजार (Financial Systems and Financial Markets) 44
3.1. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 {Financial Stability Report (FSR) 2020} 44
3.2. राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति 2020-2025 {National Strategy for Financial Education (NSFE) 2020-2025} 44
3.3. भुगतान प्रणालियां (Payment Systems) 45
3.3.1. भुगतान अवसंरचना विकास कोष (Payments Infrastructure Development Fund: PIDF) 47
3.4. द्विपक्षीय नेटिंग (Bilateral Netting) 49
3.5. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority: IFSCA) 50
3.6. म्युनिसिपल बॉण्ड्स (Municipal Bonds) 51
3.7. सुर्ख़ियों में रहे विभिन्न बॉण्ड्स (Various Bond instruments in News) 52
3.8. प्रमुख अवधारणाएं एवं सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News) 53
4. विदेशी क्षेत्रक (External Sector) 57
4.1. भारत की व्यापार-प्रणाली (India's Trading Regime) 57
4.2. निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index: EPI) 2020 59
4.3. विश्व व्यापार संगठन से जुड़े घटनाक्रम (WTO Related Developments) 60
4.3.1. ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी (TRIPS Flexibilities) 60
4.3.2. उद्गम का नियम (Rules of Origin) 62
4.3.3. विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं का व्यापार (Services Trade at WTO) 63
4.3.4. कृषि सब्सिडी का मुद्दा (Farm Subsidies Issue) 64

VISION IAS

4.4. भारत का निवेश परिदृश्य (India's Investment Regime) 65
4.4.1. द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty: BIT) 66
4.5. प्रमुख अवधारणाएं एवं सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News) 67
5. श्रम, रोजगार, कौशल विकास व उद्यमशीलता (Labour, Employment, Skill Development & Entrepreneurship) ...69
5.1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 {Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2018-19} 69
5.2. श्रम संहिता (Labour Codes) 69
5.2.1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Code on Industrial Relations, 2020) 70
5.2.2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) 71
5.2.3. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020) 72
5.3. मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 का प्रारूप {Draft Code on Wages (Central) Rules, 2020} 73
5.4. नियत कालिक रोजगार (Fixed Term Employment) 74
5.5. कौशल विकास के संबंध में अब तक किए गए प्रयास (Developments with regard to Skill Development) 76
5.6. भारत में स्टार्ट-अप पारितंत्र (Startup Ecosystem in India) 77
5.6.1. स्टार्ट-अप पारितंत्र के लिए समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग (States Start-Up Ecosystem Ranking) 80
5.6.2. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार 2020 (National Startup Awards 2020) 80
5.6.3. नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2020 के द्वितीय संस्करण को जारी किया गया (NITI Aayog Releases Second Edition of India Innovation Index 2020) 81
5.7. प्रमुख अवधारणाएं एवं सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News) 82
6. कृषि (Agriculture) 85
6.1. कृषि सुधार (Agricultural Reforms) 85
6.1.1. कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 {The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020} 85
6.1.2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 {The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020} 86
6.1.3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 {The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020} 87
6.2. न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद (MSP and Procurement) 87
6.3. कृषि विपणन (Agricultural Marketing) 89
6.3.1. ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) {e-NAM (National Agricultural Market)} 89
6.3.2. किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organizations: FPOs) 90
6.3.3. कृषि जिंस का व्यापार (Agricultural Commodity Trading) 90
6.3.3.1. एग्रीडेक्स (AGRIDEX) 90
6.3.3.2. BSE ई-एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड {BSE E-Agricultural Markets Ltd. (BEAM)} 91
6.3.3.3. कपास के लिए ब्रांड और लोगो (Brand and Logo for Cotton) 92
6.4. कृषि निर्यात (Agricultural Exports) 92
6.4.1. चावल निर्यात संवर्धन फोरम (Rice Export Promotion Forum: REPF) 93

VISION IAS

6.5. मत्स्य पालन क्षेत्र (Fisheries Sector) 94
6.5.1. विश्व व्यापार संगठन में मत्स्यन सब्सिडी पर भारत का प्रस्ताव (India's proposal on Fisheries Subsidy at WTO) 94
6.6. पशुपालन (Animal Husbandry) 95
6.6.1. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund: AHIDF) ... 95
6.6.2. डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज में छूट की योजना (Interest subvention on Working Capital Loans for Dairy sector Scheme) 96
6.6.3. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (National Beekeeping and Honey Mission: NBHM) 96
6.7. चीनी उद्योग (Sugar Industry) 97
6.8. प्रमुख अवधारणाएं और सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News) 99
7. उद्योग और संबद्ध मुद्दे (Industry and Associated Issues) 100
7.1. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 {Companies (Amendment) Act, 2020} 100
7.2. व्यवसाय सुधार कार्य योजना - व्यवसाय करने में सुगमता रैंकिंग (Business Reform Action Plan- Ease of Doing Business Ranking) 102
7.3. सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, 2017 में संशोधन (Amendments To Public Procurement Order, 2017) 103
7.4. औद्योगिक गलियारा (Industrial Corridor) 104
7.5. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme} 105
7.6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक (MSME Sector) 106
7.7. वस्त्र उद्योग से संबद्ध पहल (Textile Industry Initiatives) 108
7.7.1. तकनीकी वस्त्र (Technical Textile) 108
7.8. इस्पात उद्योग (Steel Industry) 109
7.9. भारत में सौर विनिर्माण (Solar Manufacturing in India) 111
7.10. प्रमुख अवधारणाएं और सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News) 111
8. अवसंरचना क्षेत्रक (Infrastructure Sector) 114
8.1. हालिया अवसंरचना पहलें (Recent Infrastructure Initiatives) 114
8.1.1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline: NIP) 114
8.1.2. राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप (National Program and Project Management Policy Framework: NPMPF) 115
8.2. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक (Logistics Sector) 115
8.3. सड़क परिवहन (Roadways) 116
8.3.1. निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण मॉडल के लिए मॉडल रियायत समझौता (Model Concession Agreement For BOT Model) 116
8.3.2. मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश (Motor Vehicle Aggregator Guidelines) 118
8.3.3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India: NHAI) 118
8.4. रेलवे (Railways) 119
8.4.1. समर्पित मालभाड़ा गलियारा (Dedicated Freight Corridors) 119

VISION IAS

8.4.2. रेलवे में निजी भागीदारी (Private Participation in Railways)..... 121
8.4.3. रेलवे से संबंधित अन्य विकासक्रम (Other Developments with regard to Railways)..... 122
8.5. पत्तन एवं जहाजरानी (Ports and Shipping)..... 123
8.5.1. भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 का मसौदा (Draft Indian Ports Bill, 2020)..... 123
8.5.2. महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 (Major Port Authorities Bill, 2020)..... 123
8.5.3. पत्तनों के संबंध में अन्य विकासक्रम (Other Developments in Relation to Ports)..... 125
8.5.4. सुर्ख़ियों में रहे पत्तन (Ports in news)..... 126
8.5.5. अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways)..... 127
8.6. प्रमुख अवधारणाएं एवं सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News)..... 128
9. उर्जा क्षेत्रक (Energy Sector)..... 129
9.1. विद्युत: उपभोग एवं विपणन (Electricity: Consumption and Marketing)..... 129
9.1.1. चौबीस घंटे अर्थात् राउंड द क्लॉक विद्युत आपूर्ति हेतु मिश्रित (बंडलिंग) योजना {Bundling Scheme For Round-The-Clock (RTC) Power Supply}..... 129
9.1.2. विद्युत क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट (Real Time Market in Electricity)..... 130
9.1.3. ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (Green Term Ahead Market: GTAM)..... 130
9.1.4. विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 {Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020}..... 132
9.2. डिस्कॉम्स का निजीकरण (Privatising DISCOMs)..... 132
9.3. उर्जा दक्षता (Energy Efficiency)..... 133
9.3.1. ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट (Energy Transition Index Report)..... 133
9.3.2. वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव रिपोर्ट (Impact of Energy Efficiency Measures for the Year 2018-19 Report)..... 134
9.3.3. इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फ़ोरम (India Energy Modelling Forum: IEMF)..... 135
9.4. कोयला क्षेत्रक (Coal Sector)..... 135
9.4.1. वाणिज्यिक कोयला खनन (Commercial Coal Mining)..... 135
9.5. गैस एवं उर्जा क्षेत्रक (Gas and Oil Sector)..... 137
9.5.1. इंडियन गैस एक्सचेंज (Indian Gas Exchange: IGX)..... 137
9.5.2. प्राकृतिक गैस का विपणन (Natural Gas Marketing)..... 137
9.5.3. सिटी गैस वितरण (City Gas Distribution: CGD)..... 138
9.5.4. भारत का आठवां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन (India's 8th Hydrocarbon Producing Basin)..... 139
9.6. प्रमुख अवधारणाएं और सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News)..... 139
10. विविध (Miscellaneous)..... 141
10.1. विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम (International Comparison Program of World Bank)..... 141
10.1.1. भारत वर्ष 2020-2021 के लिए 'निम्न-मध्यम-आय' वाले राष्ट्र की श्रेणी में बरकरार (India stays lower-middle-income nation for 2020-2021)..... 142
10.2. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics)..... 142

VISION IAS

नोट:

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

1. टॉपिक्स के आसान वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को रेखांकित तथा याद करने के लिए इस अध्ययन सामग्री में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
2. अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।
3. विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

1. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

1.1. सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र (Status Paper on Government Debt)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा **सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र** का **नौवां संस्करण** जारी किया गया है।

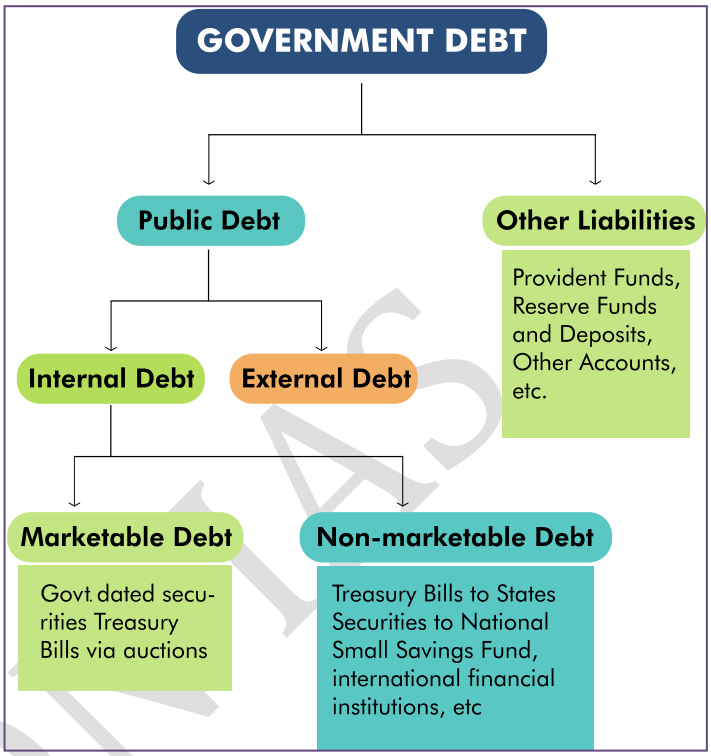

अन्य संबंधित तथ्य

- इस स्थिति-पत्र में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के वित्तीय वर्षों के लिए **केंद्र सरकार की ऋण प्रबंधन रणनीति (Debt Management Strategy: DMS) को शामिल किया गया** है जो सरकार की ऋण प्राप्ति से संबंधित योजनाओं के मार्गदर्शन में मदद करती है।
- DMS का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की वित्त-पोषण आवश्यकताओं और भुगतान दायित्वों को वहनीय जोखिम स्तर के अनुरूप, न्यूनतम संभव लागत पर पूरा किया जा सके।

सरकारी ऋण प्रबंधन का महत्व

- सरकारी ऋण का स्तर (कम या अधिक) निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करता है, सरकार की राजकोषीय क्षमताओं को प्रभावित करता है, निजी क्षेत्र के लिए क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न करता है तथा वाणिज्यिक बैंकों के लिए राजकोषीय दबाव का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अतिरिक्त, यह भविष्य में मुद्रास्फीति जनित दबाव, विनिमय दर संबंधी जोखिम और उच्च करों जैसी स्थितियों को भी उत्पन्न करता है।

महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ	विवरण
ऋण-GDP अनुपात (Debt to GDP ratio)	ऋण-GDP अनुपात देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सार्वजनिक ऋणों के अनुपात को दर्शाता है। यह किसी विशेष राष्ट्र की उस क्षमता को प्रदर्शित करता है कि वह अपने ऋणों का भुगतान करने में कितना सक्षम है।
रोल ओवर जोख़िम (Roll over risk)	यह **ऋणों के पुनर्वित्तीयन** (refinancing of debt) से संबद्ध एक जोख़िम है, अर्थात् विशेष रूप से, नए ऋण पर लगाया जाने वाला ब्याज पुराने ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज से अधिक होगा। सामान्यतः, परिपक्वता अवधि जितनी कम होगी, रोल ओवर जोख़िम उतना ही अधिक होगा।
मुद्रा या विदेशी मुद्रा विनिमय जोख़िम (Currency or foreign exchange risk)	यह ऋण पोर्टफोलियो की सुभेद्यता से संबंधित है। इसके साथ-साथ यह बाह्य ऋणों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में हुए ह्रास तथा सरकार की ऋण सेवा लागत में संबद्ध वृद्धि से संबंधित है।
राजस्व प्राप्तियों से किया गया ब्याज भुगतान (Interest Payment to Revenue Receipts: IP-RR)	यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित ऋण के बदले चुकाए गए कुल ब्याज भुगतान का एक अनुपात है।
फ्लोटिंग रेट बॉण्ड (FRBs)	इन प्रतिभूतियों को परिवर्तनशील कूपन दर (variable coupon rates) पर जारी किया जाता है।
सकल राजकोषीय घाटा (Gross	GFD से आशय राजस्व प्राप्तियों (बाह्य अनुदानों सहित) और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर कुल व्यय (वसूल किए गए कुल ऋण सहित) की अधिकता से है।

© Vision IAS

Fiscal Deficit: GFD)	
अल्पावधि ऋण (Short-term debt)	केंद्र सरकार के **अल्पावधि ऋणों** से आशय अगले 12 महीनों के भीतर परिपक्व होने वाले कुल ऋणों से है। • इसमें 14-दिवसीय मध्यवर्ती ट्रेज़री बिल, नियमित ट्रेज़री बिल, आगामी एक वर्ष में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियां और एक वर्ष से कम परिपक्वता अवधि वाले बाह्य ऋण सम्मिलित हैं।
ट्रेज़री बिल	**ट्रेज़री बिल,** वे रियायती उपकरण हैं जो सरकार को अपने अल्पकालिक नकदी प्रवाह के असंतुलन का प्रबंध करने में सहायता करते हैं। • वर्तमान में, केंद्र सरकार 91, 182 और 364 दिन की अवधि वाले ट्रेज़री बिल जारी करती है।
14-दिवसीय इंटरमीडिएट ट्रेज़री बिल (ITBs)	ITBs से आशय गैर-विपणन योग्य उपकरण से है जो राज्य सरकारों (और चयनित केंद्रीय बैंकों) को जारी किए जाते हैं, ताकि उन्हें एक निश्चित ब्याज दर पर अल्पकालिक अधिशेष नकदी को परिनियोजित करने में सक्षम बनाया जा सके।

संधारणीय ऋण प्रबंधन के प्रति केंद्र सरकार का दृष्टिकोण

- **ऋण प्रबंधन के लिए समर्पित एजेंसी:** संस्थागत रूप से, सरकार ने एक वैधानिक **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (Public Debt Management Agency: PDMA)** की स्थापना करने का निर्णय लिया है ताकि भारत के बाह्य व घरेलू, दोनों ऋणों को एक ही एजेंसी के अंतर्गत लाया जा सके।
  - इस दिशा में उठाया गया पहला कदम था, वर्ष 2016 में वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के भीतर एक सलाहकार निकाय के रूप में एक **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (Public Debt Management Cell: PDMC)** की स्थापना करना।
- **मध्यम अवधि ऋण प्रबंधन के लिए सरकार की रणनीति (2019-2022):** सरकार द्वारा इसके तहत कई कदम उठाए जाएंगे जोकि निम्नलिखित तीन व्यापक स्तंभों पर आधारित होंगे:
  - **ऋण की निम्न लागत-**
    - ऋण पोर्टफोलियो की **परिपक्वता अवधि को बढ़ाना।**
    - अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप **अल्प बचत योजनाओं** तथा PF, विशिष्ट प्रतिभूतियों, आदि जैसे अन्य उपकरणों पर **ब्याज दरों का युक्तिकरण करना।**
    - **आर्थिक मामलों के विभाग** के उन अन्य प्रभागों को सलाह देना जो बाह्य ऋणों के मामलों में संलग्न हैं, जैसे कि इन ऋणों की लागत, अवधि, मुद्रा इत्यादि जैसे विषयों पर, ताकि इन बाह्य ऋणों को सर्वोत्तम शर्तों पर प्राप्त किया जा सके।

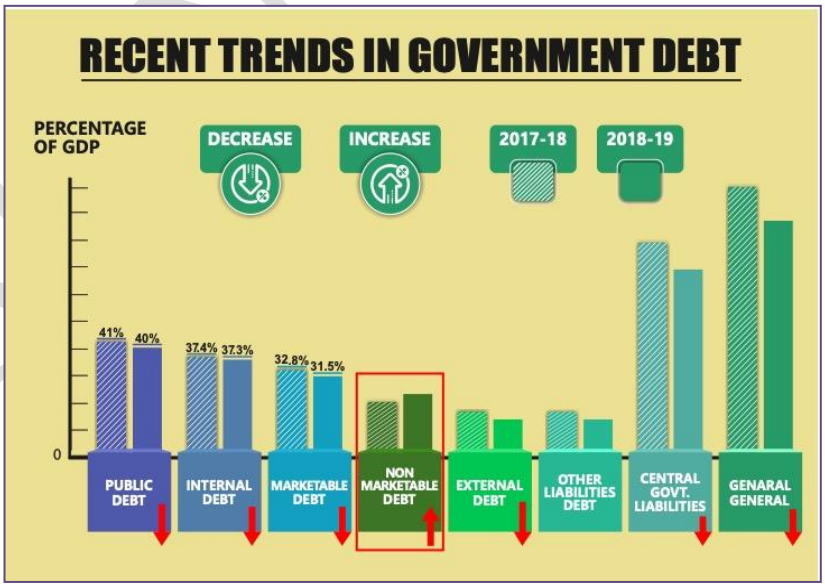

  - **जोख़िम न्यूनीकरण-**
    - **कुछ संकेतकों के लिए मानदंड निर्धारित करना** जैसे कि अल्पावधि ऋण, बाह्य ऋण व फ्लोटिंग रेट डेब्ट इत्यादि का अंश निर्धारित करना ताकि रोल-ओवर जोख़िम के साथ-साथ ब्याज दरों व विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन से जुड़े जोख़िमों के संदर्भ में जोख़िम को कम किया जा सके।
  - **बाज़ार का विकास-**
    - बाज़ार ऋण कार्यक्रम में **पारदर्शिता बनाए** रखना, **नियमित रूप से निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखना** तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करना और **विभिन्न प्रकार के उपकरण जारी करना** ताकि निवेशक अपने पोर्टफोलियो को अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकें।

- **बड़े पैमाने पर वांछित अवधि वाले मानदंडों का निर्माण करना** ताकि निवेशकों की भागीदारी और तरलता को बढ़ाया जा सके।
- घरेलू निवेशक आधार के विकास का समर्थन करना और विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाज़ार को खोलना।

ऋण संधारणीयता के संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन

स्थिति-पत्र या स्टेटस पेपर के अनुसार वर्तमान में सरकार के ऋण पोर्टफोलियो, अनुकूल संधारणीय संकेतकों को दर्शाते हैं:

- GDP के प्रतिशत के रूप में **सकल राजकोषीय घाटे (Gross Fiscal Deficit: GFD)** में वर्ष 2012-13 के बाद से गिरावट दर्ज की गई है।
- **अल्पावधि ऋणों का अंश** सुरक्षित सीमा के भीतर है और वर्ष 2005 से 2012 के दौरान हुई कुछ वृद्धि के बाद से स्थिर बना हुआ है।
- **सरकार ने रोल-ओवर जोखिम को कम करने के लिए एक जागरूक रणनीति (परिपक्वता अवधि को बढ़ाने की) अपनाई है।**
- **अधिकांश सरकारी ऋण स्थायी या निश्चित ब्याज दरों पर जारी किए गए हैं** तथा वर्ष 2019 में अस्थायी आंतरिक ऋणों का अंश GDP में केवल 0.9 प्रतिशत था, जो कि बजट पर ब्याज दर की अस्थिरता के प्रभाव को कम करता है।
- **बाह्य ऋणों का निम्न अंश** यह दर्शाता है कि मुद्रा जोखिम और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार के प्रति ऋण पोर्टफोलियो की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है।

राज्य सरकार के ऋण

- **राज्यों का ऋण-GDP अनुपात** वर्ष 2018 के 25.0 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 24.8 प्रतिशत हो गया।
- राज्य सरकारों के **समग्र ऋण पोर्टफोलियो में सार्वजनिक ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है** और इसका हिस्सा उनके सकल घरेलू उत्पाद का **19.1** प्रतिशत रहा है।
- सार्वजनिक ऋणों में, **बाजार ऋणों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि राष्ट्रीय अल्प बचत कोष (National Small Savings Fund: NSSF) से प्राप्त ऋणों में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई।** यह वर्ष 2012 में 24.4 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर वर्ष 2019 में 9.4 प्रतिशत रह गई।
- विगत कुछ वर्षों में **केंद्र से प्राप्त होने वाले ऋणों में** कमी आई है और यह वर्ष 2019 में कुल देनदारियों का केवल 3.7 प्रतिशत रहा है।

1.2. सरकारी वित्त के संबंध में अन्य घटनाक्रम (Other Developments with regard to Government Finance)

1.2.1. उपकर एवं अधिभार (Cesses and Surcharges)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय करों के विभाज्य पूल (divisible pool) में राज्यों का हिस्सा **वित्त वर्ष 2019 के 36.6%** से तीव्र गति से कम होकर वित्त **वर्ष 2020 में 32.4%** हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **14वें वित्त आयोग** द्वारा अनुशंसित 42% से बहुत कम है।
- **अनुच्छेद 270 केंद्र को 'उपकर' और 'अधिभार' आरोपित करने की अनुमति प्रदान करता है,** जिसे **केंद्र को राज्य सरकारों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं** होती है।
- जहां **'उपकर' किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिरोपित किए जाते हैं, वहीं 'अधिभार' करों पर आरोपित कर (tax on taxes) होते हैं।** हालांकि, इन दोनों की प्रकृति अस्थायी होती है। उदाहरणार्थ-
  - स्वच्छ भारत अभियान संबंधी पहलों के वित्तीयन हेतु **स्वच्छ भारत उपकर।**
  - 50 लाख रुपये से अधिक आय होने पर **10% अधिभार** आरोपित किया जाता है।
- अधिभार के आरोपण के समय उसके **उद्देश्य को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं** होती है। यह संघ सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अधिभार के माध्यम से उगाहे गए धन का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए करे।
- **राज्यों की चिंता:**
  - **राज्यों द्वारा इन करों की स्थायी प्रकृति का विरोध किया जा रहा है** तथा उनके द्वारा यह मांग कि गई है कि या तो इन्हें समाप्त कर दिया जाए अथवा एक निर्दिष्ट अवधि से आगे जारी रखे जाने की स्थिति में इन्हें विभाज्य पूल का हिस्सा बनाया जाए।

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

- **केंद्र द्वारा उपकरों का उपयोग राज्यों के प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु एक साधन के रूप में किया जा रहा है,** जैसे कि- कृषि (कृषि कल्याण उपकर) और स्वच्छता (स्वच्छ भारत उपकर) पर उपकर।

1.2.2. सरकारी उधार (Government Borrowing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने **सकल बाजार ऋण लक्ष्य** (gross market borrowing target) को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार अपने राजस्व (या आय) तथा व्यय के मध्य असंतुलन को समाप्त करने के लिए **सरकारी प्रतिभूतियां (G-sec) और ट्रेजरी बिल जारी करके उधार लेती** है।
- उधार सरकार द्वारा लिया गया ऋण है, जो बजट संबंधी दस्तावेजों में **पूंजीगत प्राप्तियों** के अंतर्गत शामिल होता है।
- **उधारी में वृद्धि के कारण:**
  - निवल कर राजस्व में अपेक्षित कमी।
  - **शेयर बाजारों में रिकॉर्ड मंदी** ने विनिवेश के माध्यम से धन जुटाना कठिन बना दिया है।
  - व्यय में बढ़ोतरी, जैसे- हाल ही में राहत, आय हस्तांतरण और समर्थन उपाय आदि के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- बढ़ती उधारी से बॉण्ड बाजार पर दबाव पड़ सकता है तथा निजी क्षेत्र के लिए **क्राउडिंग आउट (या पूँजी का बहिर्गमन)** की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
  - राजकोषीय घाटे के तेजी से बढ़ने की संभावना है, जो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए सरकार के पास **बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रोत्साहन के लिए सीमित विकल्प** हैं।

1.2.3. राज्यों के लिए उधार पर सीमा (Borrowing Limit for States)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए राज्यों की उधार सीमा को उनके **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत** तक कर दिया है। हालांकि, यह उनके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट सुधारों के अधीन है।

अन्य संबंधित तथ्य

- ज्ञातव्य है कि राज्यों द्वारा **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management: FRBM) अधिनियम** के तहत निर्धारित उधार सीमा (वर्तमान में 3 प्रतिशत) में बढ़ोतरी हेतु आग्रह किया जा रहा था।
- **200 आधार अंकों की इस वृद्धि** में से, 50 आधार अंक तक के उधार शर्तरहित होंगे, जबकि 150 आधार अंकों के उधार सशर्त होंगे। जिसमें शामिल हैं:
  - **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का सार्वभौमिकरण, इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (कारोबार में सुगमता), विद्युत वितरण** और **शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व** से संबंधित सुधारों के लिए **100 आधार अंक** निर्धारित किए गए हैं।
    - इनमें से प्रत्येक सुधार की भारिता 25 आधार अंक है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003

- FRBM अधिनियम के अंतर्गत राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु वित्तीय अनुशासन की एक संरचना स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को 31 मार्च 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- सरकार द्वारा सामान्यतया अपने घाटे की पूर्ति **RBI से ऋण लेकर** या ट्रेजरी बिल और बॉण्ड जैसे विभिन्न प्रपत्रों को जारी करके पूंजी बाजार के माध्यम से धन जुटाकर की जाती है।
- **राज्यों के अपने FRBM अधिनियम हैं,** जो उनके वार्षिक बजट घाटे को **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product) के 3 प्रतिशत** तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, यदि उपर्युक्त चार सुधार क्षेत्रों में से कम से कम तीन में उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर ली जाती है, तो **अतिरिक्त उधारी के लिए 50 आधार अंक** प्रदान किए जाएंगे।

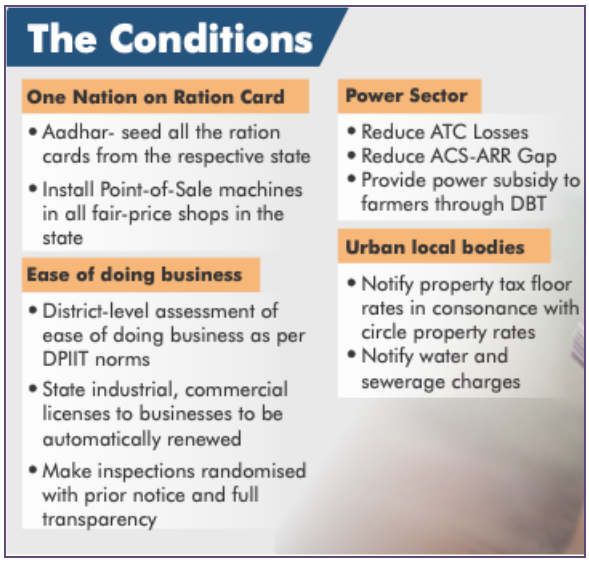

- संबंधित केंद्रीय विद्युत, आवासन और शहरी कार्य, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इन सुधारों के संदर्भ में **राज्यों के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन** करेंगे।

1.2.4. सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ {Empowered Group of Secretaries (EGoS) and Project Development Cells (PDCs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों / विभागों में सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) और परियोजना विकास प्रकोष्ठों (PDCs) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है।

सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries: EGoS)

- **संरचना:** कैबिनेट सचिव द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी तथा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके सदस्यों में शामिल होंगे।
  - **अन्य सदस्य:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य, राजस्व व आर्थिक मामलों के विभाग सहित विभिन्न विभागों के सचिव।
- **EGoS के उद्देश्य हैं:**
  - निवेश से संबंधित नीतियों के विषय में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना तथा समयबद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित करना।
  - फास्ट ट्रैक निवेश मंजूरी के माध्यम से निवेश आकर्षित करना और वैश्विक निवेशकों को निवेश समर्थन तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

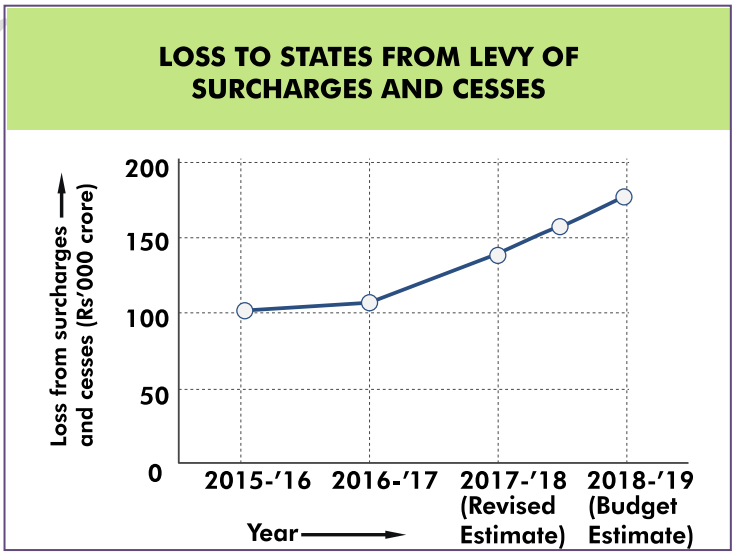

  - लक्षित तरीके से शीर्ष निवेशकों की ओर से आने वाले निवेश को सुविधाजनक बनाना और निवेश परिदृश्य में नीतिगत स्थायित्व तथा सामंजस्य स्थापित करना।
  - विभागों द्वारा रखे गए निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करना। इसके अतिरिक्त, विभागों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा विभिन्न चरणों के समापन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

© Vision IAS

परियोजना विकास प्रकोष्ठ (Project Development Cells: PDCs)

- केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास के लिए एक 'PDC' की स्थापना को स्वीकृति दी गई है।
- सभी स्वीकृतियों, आवंटन के लिए भूमि की उपलब्धता और निवेशकों द्वारा स्वीकार्यता/निवेश के लिए पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ परियोजनाएं तैयार करना।
- निवेश आकर्षित करने और उसे अंतिम रूप प्रदान करने के क्रम में ऐसे मुद्दों की पहचान करना, जिनका समाधान करने की आवश्यकता है तथा उन्हें अधिकार प्राप्त समूह के समक्ष रखा जाना।
- PDC, निवेश करने योग्य परियोजना की अवधारणा को विकसित करने, रणनीति तैयार करने, उसे कार्यान्वित और प्रसारित करने में मदद करेगा।

1.3. आर्थिक रिकवरी (Economic Recovery)

वैश्विक अर्थव्यवस्था: वर्ष 2020 में लगभग 6% तक की गिरावट देखी गई है। {आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा जारी किए गए इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार}

भारतीय अर्थव्यवस्था: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय {National Statistical Office (NSO)} द्वारा जारी GDP आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान GDP की वृद्धि दर 4.2% रही थी, जो विगत 11 वर्षों की तुलना में अपने सर्वाधिक निचले स्तर (वर्ष 2018-19 में 6.1% की वृद्धि दर) पर रही है।

वास्तविक आधार (रियल टर्म) पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि	वर्ष 2019-20 में 3.1% (वर्ष 2018-19 में 4.8%)
राजकोषीय घाटा	यह वर्ष 2019-20 में **GDP के 4.59%** तक पहुँच गया।
सार्वजनिक ऋण - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात (Public Debt to GDP ratio)	वर्ष 2020 में सार्वजनिक ऋण-GDP अनुपात उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 89.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस उल्लेखनीय वृद्धि के कारणों में शामिल हैं: • कोविड-19 के प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, तथा • कर राजस्व एवं आर्थिक गतिविधियों में गिरावट।

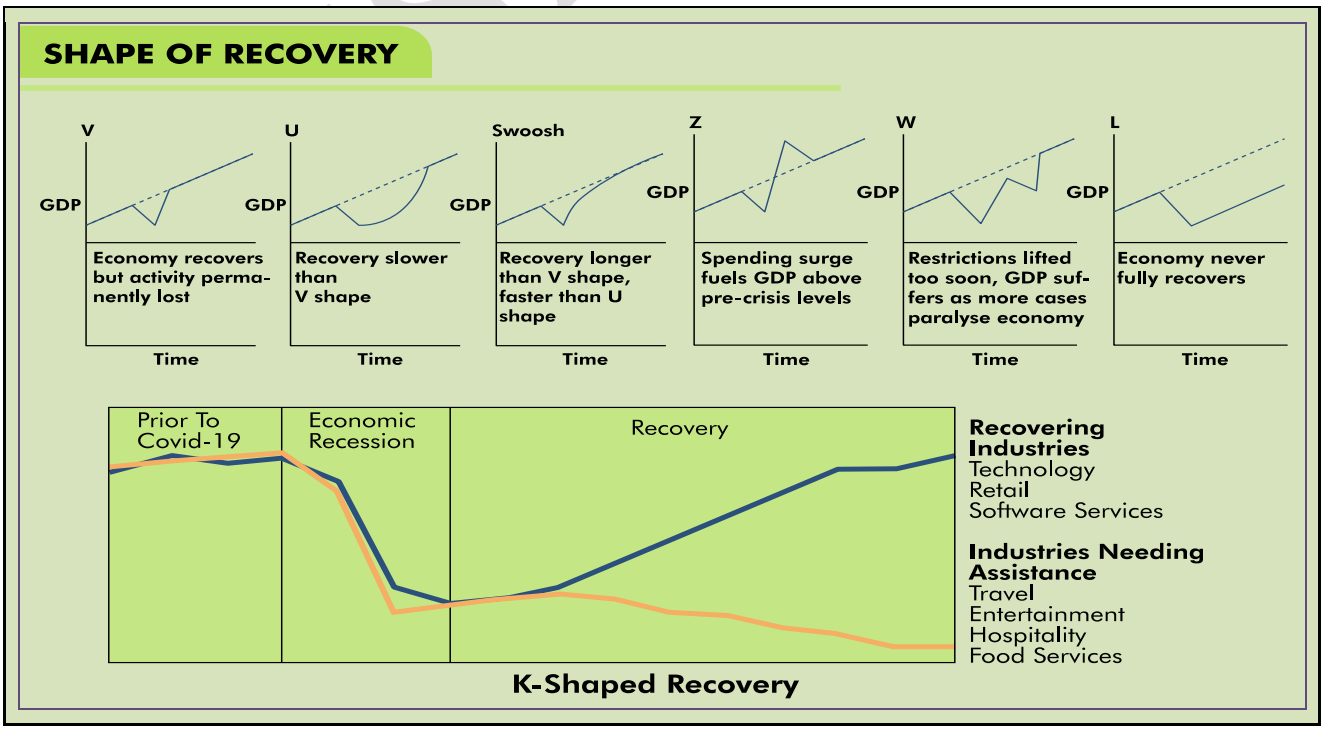

रिकवरी के विभिन्न आकार (Different shapes of recovery)

- **Z-आकार की रिकवरी (Z-shaped recovery):** यह रिकवरी सबसे आशावादी परिदृश्य है, जिसमें अर्थव्यवस्था शीघ्रता से संवृद्धि पथ प्राप्त कर लेती है।
- **V-आकार की रिकवरी:** यह अगला-सर्वोत्तम परिदृश्य है, जिसमें अर्थव्यवस्था शीघ्रता से नुकसान की भरपाई करके पूर्व स्थिति को पुन: प्राप्त कर लेती है तथा सामान्य रूप से जारी संवृद्धि के रुझान पर पुन: लौट आती है।
- **U-आकार की रिकवरी:** यह एक ऐसा परिदृश्य है, जिसमें अर्थव्यवस्था में पहले गिरावट आती है, फिर यह कुछ समय तक संघर्षरत एवं अस्तव्यस्त रहते हुए "निम्न संवृद्धि दर" प्रदर्शित करने के पश्चात्, धीरे-धीरे सामान्य स्तर तक बढ़कर पूर्ववर्ती स्तर पर पहुँच जाती है।
- **W-आकार की रिकवरी:** इसमें पहले संवृद्धि दर में गिरावट आती है और फिर सुधार दिखता है, लेकिन यहाँ पुनः गिरावट आती है और उसके पश्चात् अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आती है। इस प्रकार यह स्थिति W आकार जैसा चार्ट प्रदर्शित करती है। कोविड-19 के द्वितीय लहर की स्थिति में इस प्रकार के प्रारूप की भविष्यवाणी की गयी है।
- **L-आकार की रिकवरी:** यह सबसे खराब स्थिति है, जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के पश्चात् संवृद्धि दर निम्न स्तर पर ही स्थिर हो जाती है तथा दीर्घकाल तक ठीक नहीं हो पाती है।
- **J-आकार की रिकवरी:** यह कुछ हद तक एक अवास्तविक परिदृश्य है, जिसमें संवृद्धि दर निम्न स्तर से शीघ्र ही ऊपर उठकर अत्यधिक उच्च हो जाती है और वहां बनी रहती है।
- **K-आकार की रिकवरी:** K आकार रिकवरी एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों या खण्डों का प्रदर्शन "K" अक्षर की भुजाओं की तरह होता है।

1.3.1. पी.एम. केयर्स फंड (PM Cares Fund)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने "पी.एम. केयर्स फंड" के धन को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (National Disaster Relief Fund: NDRF) में अंतरित करने से संबंधित एक याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- उच्चतम न्यायालय ने "पी.एम. केयर्स फंड" **(आपात स्थितियों में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष)** के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, यथा-
  - यह कहते हुए कि ये दो भिन्न-भिन्न संस्थाएं हैं, न्यायालय ने **पी.एम. केयर्स फंड से NDRF में धनराशि के अंतरण हेतु निर्देश देने से अस्वीकार कर दिया है।**
  - NDRF **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 {Disaster Management Act, 2005 (DM Act)}** के तहत स्थापित एक सांविधिक कोष है।
  - चूंकि पी.एम.केयर्स फंड को कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा इसके लेखापरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।**
  - पी.एम.केयर्स फंड में **योगदान करने के लिए किसी भी संस्था और व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है,** क्योंकि यह स्वैच्छिक है।
  - कोविड-19 से व्युत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए एक **नई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया** गया है कि यह बोधगम्य (conceivable) नहीं है कि आपदा आने के पश्चात् एक योजना निर्मित की जाएगी।

पी.एम. केयर्स फंड बनाम NDRF

	पी.एम. केयर्स	NDRF
गठन	कोविड-19 के प्रकोप के दौरान वर्ष 2020 में गठित	NDMA, 2005 के अधिनियमित होने के बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (National Calamity Contingency Fund: NCCF) का नाम परिवर्तित

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

		कर NDRF कर दिया गया।
उद्देश्य	• किसी भी प्रकार की राहत या सहायता हेतु समर्थन प्रदान करना। • स्वास्थ्य देखभाल या दवा विनिर्माण सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन करना। • वित्तीय सहायता पहुँचाना तथा भुगतान के लिए अनुदान समर्थन।	• किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास हेतु खर्चों को पूरा करना। • गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में SDRF को सहायता प्रदान करना।
प्रशासनिक तंत्र	• प्रधान मंत्री पी.एम. केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री (भारत सरकार) इस निधि के पदेन न्यासी हैं। • न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान मंत्री) के पास न्यासी बोर्ड में तीन ट्रस्टी को नामित करने की शक्ति होगी। ये ट्रस्टी अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होने चाहिए। • ट्रस्टी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी स्वतंत्र क्षमता के साथ कार्य करेगा।	• निधि का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत **कृषि और सहकारिता विभाग** चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, मेघ प्रस्फुटन (cloudburst), कीटों का हमला, पाला और शीत लहर (cold waves) आदि से जुड़ी आपदाओं के लिए राहत गतिविधियों की निगरानी करता है, जबकि शेष प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी **गृह मंत्रालय (MHA)** द्वारा की जाती है।
निधि का स्रोत	• पूर्णतः स्वैच्छिक अंशदान से निर्मित। • इसे FCRA के तहत छूट प्रदान की गई है, अतः यह विदेशों में स्थित व्यक्तियों और संगठनों से दान तथा आर्थिक सहयोग को स्वीकार कर सकता है।	• इसे कुछ वस्तुओं पर उपकर (उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से संबंधित) आरोपित कर संग्रहित किया जाता है और वित्त विधेयक के माध्यम से वार्षिक स्तर पर अनुमोदित किया जाता है।
लेखा परीक्षा/अंकेक्षण	निधि का लेखा परीक्षण स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त किया जाएगा।	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा NDRF के खातों का लेखा-परीक्षा किया जाता है।

1.4. प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)

परिचय

- यह वह कर है जिसमें **कराघात (impact) एवं करापात (incidence)** उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है।
    - सरल शब्दों में, प्रत्यक्ष कर वह कर है, जहाँ कोई व्यक्ति (या कोई कंपनी) कर आरोपित करने वाले प्राधिकरण को प्रत्यक्षतः कर का भुगतान करता है।
- इसे **प्रगतिशील कर (progressive tax)** कहा जाता है, क्योंकि कर देयता का अनुपात व्यक्ति या कंपनी की आय में वृद्धि के साथ में बढ़ता जाता है।
- **इसके विभिन्न प्रकार हैं** जैसे कि आयकर, निगम कर (कॉर्पोरेट टैक्स), लाभांश वितरण कर, प्रतिभूति लेनदेन कर, अनुषंगी लाभ कर (fringe benefit tax) एवं संपत्ति कर।

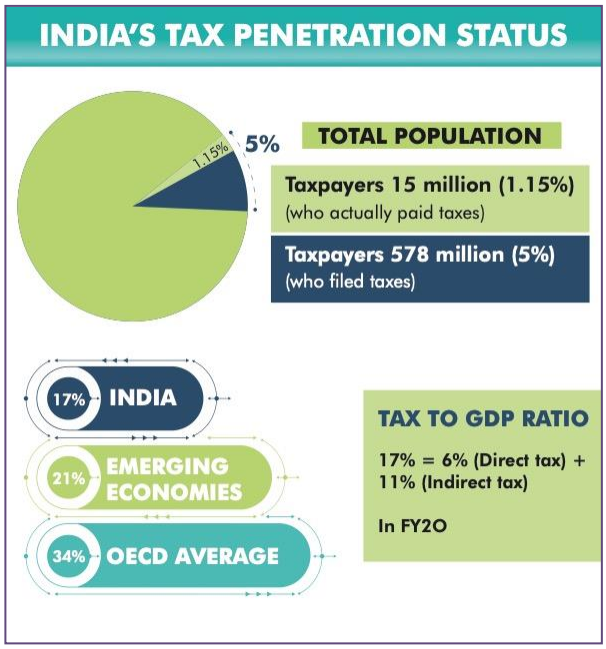

प्रत्यक्ष कर संबंधी सुधारों की आवश्यकता

- **आयकर संरचना का युक्तिकरण एवं सरलीकरण:** कर प्रणाली में **दरों की संरचना (rate structure)** विगत 20 वर्षों से व्यापक तौर पर समान रही है। इसलिए, टैक्स स्लैब्स को सही करना आवश्यक है।

- **निगम कर की संरचना का सरलीकरण एवं छूटों की चरणबद्ध समाप्ति:** उर्ध्वाधर छूट न्यायसंगत नहीं है (लघु कंपनियां को अधिक करों का भुगतान करना पड़ता है) तथा साथ ही, बड़ी संख्या में छूट प्रदान किए जाने के कारण राजस्व का अत्यधिक नुकसान होता है।
- **कराधार का विस्तार:** यह निम्न कर दरों एवं सरलीकृत कर ढांचे के कारण संभावित राजस्व हानि की समस्या से निपटने में सहायता प्रदान करेगा।
- **कर याचिकाओं को कम करना:** आवश्यक औचित्य या मूल्यांकन के बिना कार्रवाई प्रारंभ करने की कर अधिकारियों की प्रवृत्ति **अपील की कम सफलता दर (लगभग 30 प्रतिशत)** से परिलक्षित होती है। अत: विवाद समाधानों के वैकल्पिक उपाय प्रदान करने की आवश्यकता है।
- कर संग्रह की दक्षता में सुधार करने के साथ-साथ करदाता की सहायता के लिए कर प्रशासन में **प्रौद्योगिकी के समावेश की भी आवश्यकता है।**
- **वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर तालमेल:** चूंकि भारत **व्यापारिक संबंधों और पूंजी खाता परिवर्तनीयता** के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक एकीकृत है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर **विदेशी व घरेलू कंपनियों के साथ व्यवहार** में अंतर को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।

प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार के लिए विगत कुछ वर्षों में उठाए गए कदम

- **व्यक्तिगत आयकर:** वित्त अधिनियम, 2020 के जरिए व्यक्तियों और सहकारी समितियों को रियायती दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया गया है, बशर्ते कि वे निर्दिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ न उठाएं।
- **लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax: DDT) का उन्मूलन:** भारतीय इक्विटी बाजार के आकर्षण को बढ़ाने व निवेशकों के एक बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए, कंपनियों को 01.04.2020 से DDT का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- **'विवाद से विश्वास' योजना:** इसका उद्देश्य लंबित कर विवादों का समाधान प्रदान करना है, जिससे न केवल समय पर राजस्व सृजन होने से सरकार बल्कि मुकदमेबाजी की बढ़ती लागत के कम होने से करदाता भी लाभान्वित होंगे।
- **स्टार्ट-अप्स के लिए अनुपालन मानदंडों का सरलीकरण:** स्टार्ट-अप्स को समस्याओं से छुटकारा दिलाने की कोशिश गई है, जिसमें मूल्यांकन प्रक्रिया का सरलीकरण, एंजेल-टैक्स से मुक्ति, समर्पित **स्टार्ट-अप प्रकोष्ठ (start-up cell)** का गठन आदि सम्मिलित हैं।
- **अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा में वृद्धि:** करदाता की शिकायतों/मुकदमों को प्रभावी रूप से कम करने के लिए अपील दायर करने की मौद्रिक सीमाओं में वृद्धि की गई है। नवीन व्यवस्था के अनुसार-
  - **आयकर अपील अधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal)** के समक्ष अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गयी गयी है।
  - **उच्च न्यायालय के समक्ष** अपील दायर करने के लिए यह सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गयी गयी है, तथा
  - **उच्चतम न्यायालय के समक्ष** अपील करने के लिए इसे 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

1.4.1. प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार हेतु हालिया प्रयास (Recent Efforts to Reform the Direct Taxes Arrangements)

1.4.1.1. पारदर्शी कराधान - 'ईमानदार का सम्मान' प्लेटफॉर्म (Transparent Taxation - 'Honouring The Honest' Platform)

- इसका उद्देश्य **कर अनुपालन को सरल बनाना तथा ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करना** है।
- इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं **फेसलेस मूल्यांकन (Faceless Assessment)**, **फेसलेस अपील (Faceless Appeal)** एवं **करदाता चार्टर (Taxpayers Charter)** हैं।
  - **फेसलेस मूल्यांकन:** इसे करदाता और आयकर अधिकारियों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त करने हेतु आरंभ किया गया है।
    - इस प्रणाली के अंतर्गत, किसी करदाता का चयन केवल डेटा एनालिटिक्स एवं आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने वाले कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाएगा।
    - उल्लेखनीय है कि, इसी तर्ज पर, **केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड** ने **'तुरंत कस्टम्स'** नामक एक पहल के तहत कंसाइनमेंट्स (माल प्रेषण) के फेसलेस मूल्यांकन का कार्य आरंभ किया है।

- **फेसलेस अपील:** इसके तहत अपील यादृच्छिक रूप से देश में किसी भी कर अधिकारी को आवंटित की जाएंगी तथा अपील पर निर्णय लेने वाले अधिकारी की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।
- **करदाता चार्टर:** यह आयकर अधिकारियों एवं करदाताओं, दोनों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को रेखांकित करता है। आयकर विभाग द्वारा समय पर सेवाएं सुनिश्चित करने से नागरिकों के सशक्तीकरण की संभावनाओं में वृद्धि होगी।

- यह आयकर दाताओं की निजता एवं गोपनीयता के संरक्षण में सहायता प्रदान करेगा।
- यह आयकर कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयत्न करता है।

1.4.1.2. गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों पर समकारी लेवी (डिजिटल सेवा कर) {Equalization Levy (Digital Service Tax) on firms like Google, Facebook}

- भारत ने वर्ष 2020 में 2% की दर से डिजिटल सेवा कर (DST) आरोपित करने का निर्णय लिया।
- यह कर केवल भारत में स्थायी प्रतिष्ठान (permanent establishment) के बिना सेवा प्रदान करने वाली अनिवासी ई-कॉमर्स कंपनियों पर लागू है। इसमें भारत में सभी गैर-निवासी ई-कॉमर्स संचालकों या उनके द्वारा की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री शामिल है।
- ज्ञातव्य है कि भारत में वर्ष 2016 में 6 प्रतिशत की दर से समकारी लेवी (Equalization Levy: EL) की शुरुआत की गई थी। इसे भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं रखने वाली गैर-निवासी कंपनियों पर अधिरोपित किया गया था। इस लेवी को उनके द्वारा डिजिटल विज्ञापन सेवाओं से प्राप्त भुगतानों पर लागू किया गया है। हालाँकि, इसमें शर्त यह है कि प्राप्त भुगतान की राशि एक वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए।
- आगे चलकर (अर्थात् वर्ष 2020-21 में), ई-कॉमर्स कंपनियों को भी इसमें शामिल कर इस लेवी के दायरे को विस्तृत किया गया। हालांकि, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए इस लेवी की दर 2 प्रतिशत है तथा इसमें सरचार्ज या अधिभार भी अलग से देय होगा।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि के कारण इस बात को लेकर भी नीतिगत बहस जारी है कि डिजिटल कंपनियों को कहां और कैसे भुगतान करना है।
- अनेक डिजिटल व्यवसाय मॉडलों को उन देशों में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है जहां उनके द्वारा बिक्री की जाती है, क्योंकि ये दूरस्थ बिक्री और सेवा प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के **आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS)** फ्रेमवर्क के तहत इस संदर्भ में देशों द्वारा वार्ताएं की जा रही हैं कि डिजिटल फर्मों को उनकी भौतिक उपस्थिति या लाभ को ध्यान में रखे बिना करों का भुगतान करना होगा।
- OECD ने इस मुद्दे के संबंध में निम्नलिखित दो स्तंभों के आधार पर एक ब्लू प्रिंट (खाका) जारी किया है:
  - **स्तंभ-1** डिजिटल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले लाभ निर्धारण और किस देश को उन पर पहले कर लगाने का अधिकार है, से संबंधित है।
  - **स्तंभ-2** एक तंत्र का प्रस्ताव करता है जो कुल प्रॉफिट पूल (समग्र लाभ) से एक देश (अधिकार क्षेत्र वाले) द्वारा वसूले जाने वाले कर की गणना से संबंधित है।

अन्य संबंधित तथ्य

यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने भारत द्वारा आरोपित डिजिटल कर के संबंध में एक जांच शुरू की है:

- USTR कार्यालय ने घोषणा की है कि वह डिजिटल सेवा करों को लागू करने या इन्हें बढ़ावा देने को लेकर भारत और नौ अन्य देशों के विरुद्ध धारा 301 के तहत जांच शुरू करेगा, क्योंकि ये कर अमेरिकी कंपनियों के व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं।
  - उल्लेखनीय है कि **यू.एस. ट्रेड एक्ट, 1974 की धारा 301** अमेरिका को एकपक्षीय तौर पर प्रशुल्क या अन्य देशों पर व्यापार प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है।

1.5. वस्तु एवं सेवा कर का विकासक्रम (Goods and Services Tax Developments)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax: GST) व्यवस्था के 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं।

GST के बारे में

- GST को **1 जुलाई 2017** (101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा) को उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या वैल्यू एडेड टैक्स (VAT), सेवा कर, विलासिता कर या लक्ज़री टैक्स आदि जैसे **लगभग 17 अप्रत्यक्ष करों** को सम्मिलित करके **सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार** के रूप में प्रारंभ किया गया था।
  - **GST के अंतर्गत निम्नलिखित अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया गया है:** बेसिक सीमा शुल्क, एंटी-डंपिंग ड्यूटी, पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मानव उपभोग वाले अल्कोहल पर वैट (VAT) आदि।
  - वर्तमान में सभी उत्पादों (पेट्रोलियम उत्पाद, अल्कोहल, रियल एस्टेट और विद्युत को छोड़कर) पर GST लागू है। इन्हें **5, 12, 18 और 28 प्रतिशत** के चार अलग-अलग स्लैब्स (अर्थात् खण्डों) में वर्गीकृत किया गया है।
- GST परिषद संविधान के **अनुच्छेद 279A** के तहत स्थापित एक **संवैधानिक निकाय** है, जो GST से संबंधित मुद्दों पर संघ और राज्य सरकारों को अनुशंसाएं प्रदान करती है।
  - परिषद की **अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री** द्वारा की जाती है और इसके अन्य सदस्यों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं।
  - इसकी **अनुशंसाएं बाध्यकारी होती हैं** तथा सभी निर्णय सदस्यों के 75% बहुमत से लिए जाते हैं।

महत्वपूर्ण संबद्ध शब्दावली और अवधारणा	
शब्दावली	**व्याख्या**
मुनाफाखोरी-रोधी (Anti-profiteering)	GST लागू होने से कर की दर में आयी कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट में वृद्धि के कारण होने वाले किसी भी लाभ को कीमतों में आनुपातिक कमी के माध्यम से ग्राहकों को प्रदान किया जाएगा। इस उपाय को मुनाफाखोरी-रोधी के रूप में जाना जाता है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट	इसका तात्पर्य यह है कि आउटपुट (बिक्री) पर टैक्स का भुगतान करते समय, उस टैक्स को घटाया जा सकता है, जो पहले ही इनपुट (खरीद) पर चुकाया गया है।
ई-वे बिल	यह GST व्यवस्था के अंतर्गत **10 कि.मी.** से अधिक दूरी तक बिक्री के लिए **50,000 रुपये से अधिक** मूल्य के माल की किसी भी खेप को ले जाने वाले कन्साइनमेंट के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ रखा जाने वाला आवश्यक दस्तावेज़ है।

विगत कुछ माह में GST से संबंधित प्रमुख विकासक्रम

- 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं को **वर्ष 2021 से हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (HSN) कोड** प्रदान करना चाहिए।
  - **HSN कोड,** जिसे **विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization)** द्वारा विकसित किया गया है, सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय नामकरण कोड है।
- वित्त मंत्रालय ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि फर्जी GST इनवॉइस के जारीकर्ता एवं लाभार्थियों को **विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act: COFEPOSA)** के तहत हिरासत में लिया जा सकता है।
  - वर्तमान में, **GST अधिनियम, आयकर अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।**
  - **COFEPOSA अधिनियम, 1974** विदेशी मुद्रा के संरक्षण एवं संवर्धन और तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम तथा इससे जुड़े कुछ मामलों में निवारक निरोध (प्रिवेंटिव डिटेंशन) का प्रावधान करता है।
- **उच्चतम न्यायालय ने लॉटरी, दांव (betting) और द्यूत (Gambling) पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) की वसूली को उचित ठहराया है।**
  - उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया कि संविधान के **अनुच्छेद 366(12)** के तहत वस्तुओं की परिभाषा समावेशी है और वस्तु के लिए कोई प्रतिबंधात्मक अर्थ देने का कोई अभिप्राय परिलक्षित नहीं होता है।

© Vision IAS

1.5.1. जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति उपकर और संबद्ध विवाद (GST Compensation Cess Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, GST क्षतिपूर्ति उपकर में अनुमानित रूप से 30,000 करोड़ रुपये की कमी को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच एक विवाद शुरू हो गया।

GST क्षतिपूर्ति उपकर और इससे जुड़ा विवाद क्या है?

ज्ञातव्य है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक एकल कर है, जो कई अन्य अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करता है। इससे उत्पाद कर जैसे कर आरोपित करने की केंद्र की शक्ति समाप्त हो गई, वहीं राज्य अब एंट्री टैक्स (प्रवेश कर), वैट आदि नहीं लगा सकते। राजस्व के नुकसान से जुड़ी राज्यों की आशंकाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:

- **GST (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 {GST (Compensation to States) Act, 2017}** को अधिनियमित किया गया था:
  - इस अधिनियम के तहत, **यह अनुमान लगाया गया है एक राज्य की वार्षिक राजस्व वृद्धि 14 प्रतिशत है।** यदि किसी राज्य की वार्षिक राजस्व वृद्धि 14% से कम है, तो वह राज्य इस कानून के तहत प्रतिकर अर्थात् क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।
  - **राज्य को देय क्षतिपूर्ति** की अनंतिम रूप से गणना की जाएगी और **प्रत्येक दो महीने की अवधि के अंत में इसे जारी किया जाएगा।**
- इस अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति राजस्व का सृजन **GST क्षतिपूर्ति उपकर** के माध्यम से किया जाएगा:
  - इसके तहत **नुकसानदायक एवं विलासिता (sin and luxury) की वस्तुओं पर पांच वर्ष के लिए उपकर** आरोपित किया गया है।
  - वर्ष के दौरान एकत्र किए गए पूरे उपकर को **GST क्षतिपूर्ति उपकर कोष** नामक एक **गैर-व्यपगत निधि (non-lapsable) में जमा करना आवश्यक** है।
  - एकत्रित क्षतिपूर्ति उपकर **भारत की संचित निधि** में जमा होता है और फिर इसे **भारत की लोक लेखा में स्थानांतरित कर दिया जाता है**, जहां एक **GST क्षतिपूर्ति उपकर कोष** बनाया गया है।

अगस्त-सितंबर 2019 के लिए भुगतान में देरी होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। तब से, बाद के सभी भुगतानों में देरी हुई है।

इस मुद्दे पर राज्यों का रुख क्या है?

- राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के संबंध में केंद्र अपने नैतिक और कानूनी दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है।
- **GST परिषद की प्रभावशून्यता:** ज्ञातव्य है कि GST परिषद में कुल डाले गए मतों में केंद्र का वेटेज **एक-तिहाई (अर्थात् केंद्र के पास एक-तिहाई मतों का अधिकार)** है, जिसके कारण केंद्र के पास परिषद में निर्णय लेने के संबंध में एक आभासी वीटो पावर है (हालांकि, एक निर्णय पारित करने के लिए **तीन-चौथाई बहुमत** की आवश्यकता होती है)। इसने राज्यों को परिषद की कार्य संरचना पर ही सवाल खड़ा करने का अवसर दिया है।

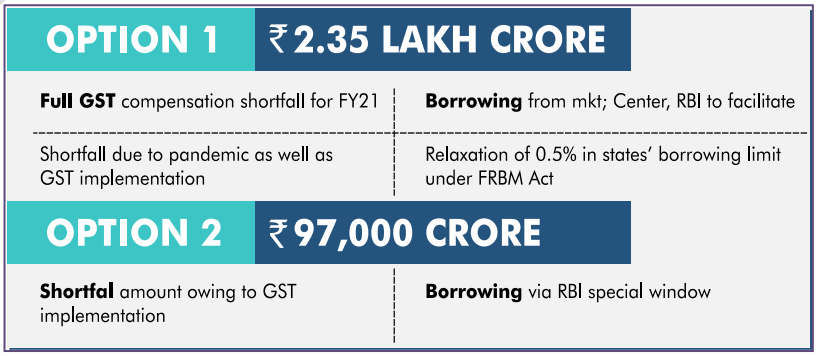

इस मुद्दे पर केंद्र का रुख क्या है?

- केंद्र ने राज्यों को तुरंत क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया है, लेकिन **राज्यों को दो विकल्प** प्रदान किए हैं (कुल मिलाकर होने वाली राजस्व कमी की क्षतिपूर्ति या GST के कार्यान्वयन से होने वाली कमी की भरपाई के लिए)।
- यह भी तर्क दिया गया है कि GST क्षतिपूर्ति कोष में धन का प्रवाह GST क्षतिपूर्ति उपकर से होना है और यदि यह अपर्याप्त है, तो केंद्र अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व से इसे पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है।

- **समाधान:** सभी 28 राज्यों और 3 विधान सभाओं वाले संघ राज्यक्षेत्रों ने जब केंद्र द्वारा प्रदान किए गए विकल्प 1 का चयन करना ठीक समझा तो यह गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया।

1.6. प्रमुख अवधारणाएं एवं सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News)

विवेकाधीन राजकोषीय प्रोत्साहन (Discretionary fiscal stimulus)	• यह सरकार की नीति के कारण राजकोषीय घाटे में होने वाले वृद्धि को दर्शाता है। यह धीमी वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटे में होने वाली वृद्धि से भिन्न है, जिसे एक स्वचालित स्थिरीकारक (automatic stabilizer) के रूप में संदर्भित किया जाता है।
हस्तांतरण पश्चात् राजस्व घाटा (Post Devolution Revenue Deficit: PDRD)	• PDRD अनुदान वस्तुतः वित्त आयोग (Finance Commission: FC) द्वारा प्रदत्त एक तंत्र है, जहाँ राज्यों की किसी भी हानि की केंद्र द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है। • यह स्थानीय ग्रामीण निकायों को सहायता के पश्चात् वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित अनुदान का दूसरा सबसे बड़ा खंड है। • FC द्वारा अनुसंशित अन्य अनुदान हैं: ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के लिए सहायता आदि।
ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (TSA)	• TSA सरकारी बैंक खातों की एक एकीकृत संरचना है, जो सरकारी नकदी संसाधनों का समेकित दृष्टिकोण प्रदान करती है। • TSA एक बैंक खाता या लिंक किए गए खातों का समुच्चय है, जिसके माध्यम से सरकार अपनी सभी प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेन-देन करती है। • यह सरकारी नकदी संतुलन पर प्रभावी व समग्र नियंत्रण सुनिश्चित करता है तथा उधार लेने की लागत को कम करता है।
ऋण-जी.डी.पी. अनुपात (Credit to GDP ratio)	• भारत का ऋण-जी.डी.पी. अनुपात 56% है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात 150-200% के बीच है। • ऋण-जी.डी.पी. अनुपात **आर्थिक उछाल (economic boom) की अवधि के दौरान बढ़ता है और आर्थिक मंदी (economic downturn) के दौरान इसमें कमी आती है।** ○ **ऋण-जी.डी.पी. अंतराल (Credit-to-GDP gap)** (ऋण-जी.डी.पी. अनुपात और इसकी दीर्घकालिक प्रवृत्तियों के मध्य का अंतर) **एक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक ऋण वृद्धि** एवं संकट के पूर्व लक्षण के रूप में विस्तृत प्रणालीगत जोखिम को इंगित करता है। • बेसल-III के अंतर्गत, ऋण-जी.डी.पी. अनुपात और इसकी दीर्घकालिक प्रवृत्तियों के मध्य के अंतर का उपयोग **काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफ़र्स (CCCB)** के निर्माण के लिए एक पथ-प्रदर्शक (गाइड) के रूप में किया जाता है। ○ CCCB का उद्देश्य **प्रणालीगत जोखिमों की शुरुआत में ही बैंकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना** है।
प्रतिकूल शुल्क संरचना (Inverted duty structure)	• यह विनिर्मित उत्पादों की बजाए आगतों (inputs) पर उच्च कर की व्यवस्था को संदर्भित करता है।
घरेलू वित्तीय बचत (Household Financial Savings: HFS)	• RBI के अनुसार निवल HFS वर्ष 2018-19 में GDP का 7.2% था, जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में 7.7% हो गया। ○ निवल घरेलू वित्तीय बचत (Net HFS) = सकल HFS - वित्तीय देयताएं। ○ सकल घरेलू वित्तीय बचत (Gross HFS) मुद्रा, बैंक जमा, ऋण प्रतिभूतियों (debt securities), म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा और छोटी बचत योजनाओं में निवेश को संदर्भित करते हैं। ○ वित्तीय देयताओं के अंतर्गत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

	Financial Companies: NBFCs) और आवास वित्त कंपनियों के ऋण शामिल होते हैं। • **कारण:** वर्ष 2019 में अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन (गिरावट) के कारण बैंकों की ऋण वृद्धि में कमी आई। इसका एक कारण उपभोग में कमी भी है। • देश के बचत परिदृश्य में भारतीय परिवारों का योगदान लगभग 60% है।
पारस्परिक समझौता प्रक्रिया (Mutual Agreement Procedure: MAP)	• MAP कर संधियों के अंतर्गत संचालित एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसके तहत कर-संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए दो देशों के सक्षम अधिकारियों के मध्य वार्ताएं की जाती हैं। • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियमों में संशोधन किया है, जिसके अनुसार MAP के तहत विवादों को 24 महीने की समयावधि के भीतर सुलझा लिया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (National Institute of Public Finance and Policy: NIPFP)	• यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है, जिसे वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। • इसके अधिदेश में विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करके सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और सुधार में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों की सहायता करना शामिल है।

2. बैंकिंग और मौद्रिक नीति (Banking and Monetary Policy)

2.1. बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, 2018-19 (Report on Trend and Progress of Banking 2018-19)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट, 2018-19" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ज्ञातव्य है कि यह एक सांविधिक प्रकाशन है, जिसे RBI द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुपालन में जारी किया जाता है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- RBI ने **कोविड-19 के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय** किए हैं:
  - इसके विनियामक दायरे को **वैधानिक संशोधनों** द्वारा सुदृढ़ किया गया है। इन संशोधनों के माध्यम से RBI को सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और आवास वित्त कंपनियों (Housing Finance Companies: HFCs) पर अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
  - इसने अपने **पर्यवेक्षी ढांचे को और मजबूत** करने के लिए कई पहलें आरंभ की हैं।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात मार्च 2019 के 9.1% से घटकर सितंबर 2020 के अंत तक 7.5% हो गया।**
- लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता दोनों मामले में **राज्य सहकारी बैंकों के कार्यनिष्पादन** में सुधार हुआ है।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC) तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI) के चलते बैंकों की वसूली प्रक्रिया में सुधार आया है।
- **अधिकांश भुगतान बैंक अभी भी लाभदायक नहीं बन पाए हैं।** इसके अतिरिक्त, बढ़ती बेरोजगारी और उल्टा प्रवासन (reverse migration) के कारण उनकी आय के स्रोत दबाव में आ सकते हैं।
- **NBFC क्षेत्र मजबूत पूंजीगत बफ़रों के साथ लचीला बना हुआ है।**
- आवासीय परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब, लागत में वृद्धि और आवासीय संपत्ति के खरीदारों द्वारा निवेश में देरी जैसे कारणों से **आवास वित्तप्रदाताओं को अपनी ऋणगत परिसंपत्तियों पर काफी नुकसान वहन करना पड़ सकता है।**

2.2. बैंक लाइसेंस देने की रूपरेखा में परिवर्तन (Changes in Bank Licensing Framework)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Group: IWG) ने बैंकिंग उद्योग के लिए लाइसेंस देने के नियमों को संशोधित करने की अनुशंसा की है।

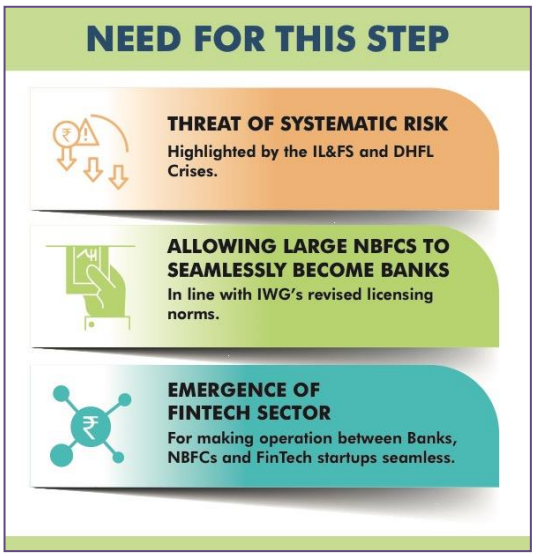

बैंकिंग लाइसेंस क्या है?

- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के अनुसार, भारत में कोई भी कंपनी तब तक बैंकिंग का कारोबार नहीं कर सकती है, जब तक कि उसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से जारी किया गया लाइसेंस न हो। इस तरह का कोई भी लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद मिलता है।

RBI के आंतरिक कार्य समूह (IWG) द्वारा अनुशंसित परिवर्तन क्या हैं?

- **बड़े कॉर्पोरेट और कारोबारी घरानों** को बैंकों का प्रवर्तक (promoter) बनने की अनुमति दी जा सकती है।

© Vision IAS

- **अच्छी तरह से चल रही बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Finance Companies: NBFCs),** जिनके परिसंपत्ति का आकार 50,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, जिनमें कॉर्पोरेट घराने के स्वामित्व वाले कारोबार भी सम्मिलित हैं, को बैंकों में रूपांतरण के लिए विचार किया जा सकता है।
- **आंतरिक कार्य समूह (IWG) की अन्य अनुशंसाएं:**
  - **लघु वित्त बैंक (SFBs) एवं भुगतान बैंक (Payment Banks):** IWG ने यह भी सुझाव दिया कि तीन वर्षों तक संचालन करने के बाद भुगतान बैंकों को SFBs में रूपांतरित किया जा सकता है। इससे, पेटीएम (Paytm), जियो एवं एयरटेल भुगतान बैंकों को संभवतः लाभ मिल सकता है।
  - **किसी नई या वर्तमान इकाई में बैंकों द्वारा निवेश की सीमा 20% तक की जाए।**

2.2.1. बड़े कारोबारी घरानों को बैंकिंग लाइसेंस (Banking License to Large Corporate Houses)

संभावित लाभ	संभावित चुनौतियां
• पूंजीकरण में सहायता • बैंकिंग क्षेत्रक में भारतीय उद्योग का पुनर्प्रवेश • अधिक प्रतिस्पर्धा • जमाकर्ताओं के लिए बैंकिंग के विकल्प का विविधीकरण	• कनेक्टेड लेंडिंग और सर्कुलर बैंकिंग की समस्याएं (इन्फोग्रफिक्स देखें) • कॉर्पोरेट अभिशासन एवं वित्तीय स्थिरता से जुड़ी समस्याएं

2.2.2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए बैंकिंग लाइसेंस (Banking License for NBFCs)

संभावित लाभ	संभावित चुनौतियां
• इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) संकट के कारण रेखांकित परिसंपत्ति देयता बेमेल संबंधी समस्यायों को निपटाने में सहायता • जमा (deposits) तक NBFCs की पहुंच में वृद्धि • बेहतर निरीक्षण के अवसर	• एक बैंक बनने में संबद्ध लागतें • NBFCs की अनिच्छा की संभावना • विगत समय में NBFCs का निम्नस्तरीय प्रदर्शन

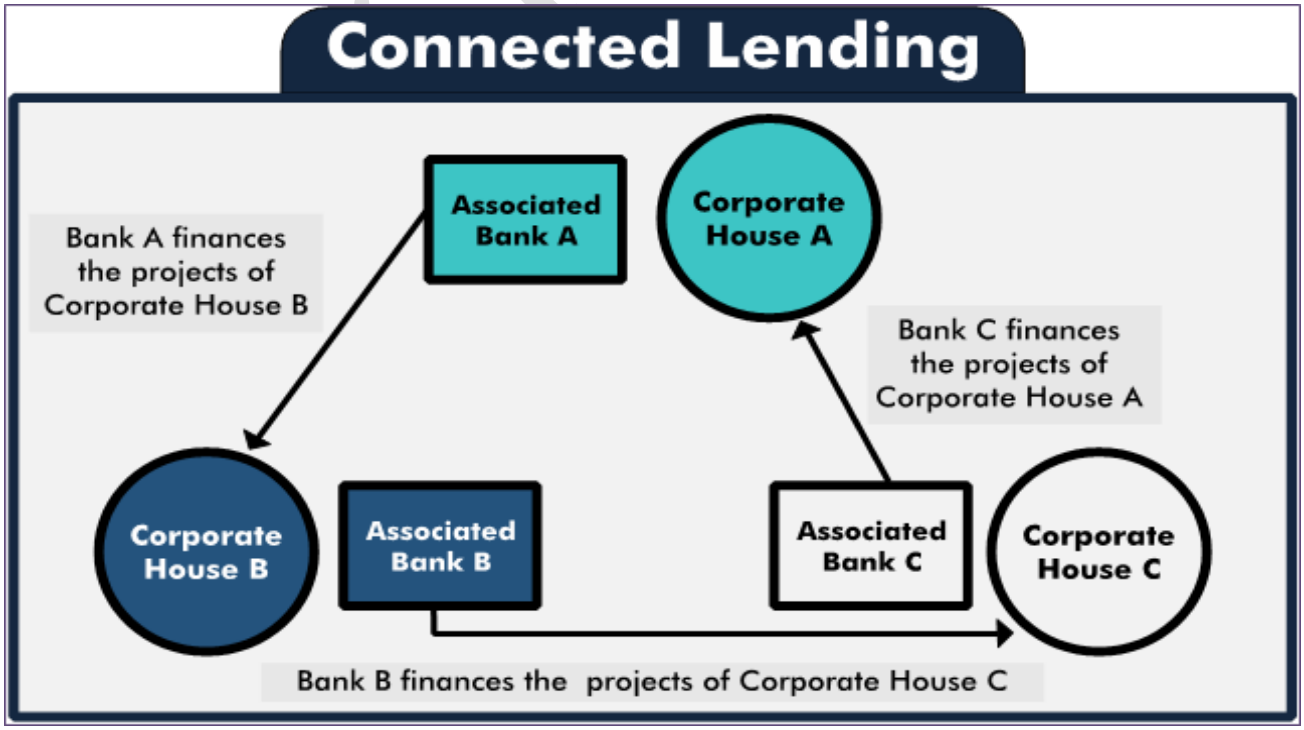

अन्य संबंधित तथ्य

डोरस्टेप बैंकिंग सेवा

- **डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं** की परिकल्पना मुख्यतः **EASE (एन्हैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस/संवर्धित पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता)** सुधारों के एक भाग के रूप में की गई है। इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं को ग्राहकों के घर पर ही उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था की गई है।
  - बैंकिंग सेवाओं को कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के संपर्क बिंदुओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) हेतु **"EASE"** सुधार एजेंडे को वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य **सुगम और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत** बनाना है।
  - **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में पूंजी निवेश,** उपर्युक्त सुधारों के संदर्भ में PSBs के प्रदर्शन पर आधारित था।
- EASE सुधार सूचकांक, छह विषयों में 120 से अधिक उद्देश्य मापदंडों के आधार पर प्रत्येक **PSBs के प्रदर्शन का मापन करता** है। यह सभी PSBs को एक तुलनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है और यह दर्शाता है कि संबंधित बैंक सुधार के एजेंडे पर अन्य बैंकों के सापेक्ष कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

2.3. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 {Banking Regulation (Amendment) Act, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया है। इसका उद्देश्य सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं की रक्षा करना और सहकारी समितियों की बैंकिंग गतिविधियों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को सशक्त बनाना है।

सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) के बारे में

- सहकारी बैंक **सहकारिता के आधार पर स्थापित वित्तीय संस्थाएं** हैं। ये अपने सदस्यों से संबद्ध होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सहकारी बैंक के ग्राहक भी इसके स्वामित्व में भागीदार होते हैं।
- व्यापक रूप से भारत में सहकारी बैंकों को **दो श्रेणियों, यथा - शहरी और ग्रामीण -** में विभाजित किया गया है।
- UCBs को **संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002** के प्रावधानों के अंतर्गत **सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया जाता है।**
- **UCBs का विनियमन RBI और केंद्र/राज्य-सरकारों** के बीच विभाजित है, जबकि लघु सहकारी बैंकों का विनियमन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) तथा राज्य सरकारों के बीच विभाजित है।
- एक ही राज्य में संचालित UCBs के **पंजीयन और प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों** का विनियमन **रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज (RCS)** द्वारा किया जाता है। एक से अधिक राज्यों में संचालित UCBs के **पंजीयन और प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों** का विनियमन केंद्रीय RCS द्वारा किया जाता है।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- यह **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020** को प्रतिस्थापित करेगा।
- **सहकारी बैंकों द्वारा शेयरों और प्रतिभूतियों का निर्गमन:** सहकारी बैंक अपने सदस्यों या अपने परिचालन क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को अंकित मूल्य पर या प्रीमियम पर इक्विटी शेयर, अधिमानित शेयर या विशेष शेयर जारी कर सकते हैं। यह निर्गमन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व अनुमोदन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों के अधीन होगा।

- **इस अधिनियम के उपबंधों से कुछ सहकारी बैंकों को छूट प्रदान करने की शक्ति:** RBI एक अधिसूचना के माध्यम से किसी सहकारी बैंक या सहकारी बैंकों के समूह को इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकता है।
- **निदेशक मंडल का हटाया जाना (Supersession of Board of Directors):** भारतीय रिज़र्व बैंक कुछ शर्तों के अंतर्गत पांच वर्ष तक के लिए बहु-राज्यीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल का स्थान ले सकता है।
  - किसी राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज (RCS) के पास पंजीकृत सहकारी बैंक की स्थिति में, RBI संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद, और एक निश्चित अवधि के भीतर निदेशक मंडल को हटा सकेगा। इस अवधि का निर्धारण RBI द्वारा किया जाएगा।
- **यह विधेयक बैंकों को ऋण स्थगन (moratorium) की स्थिति में डाले बिना** RBI को बैंकिंग समस्या को हल करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - यदि केंद्रीय बैंक किसी बैंक पर ऋण स्थगन का आरोपण करता है, तो उस अवधि के दौरान संबंधित बैंक कोई ऋण नहीं दे सकता है या किसी भी ऋण लिखत (credit instrument) में निवेश नहीं कर सकता है।
- **अपवर्जन (Exclusions):** यह अधिनियम कुछ सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है। ये हैं:
  - प्राथमिक कृषि साख समितियां (Primary Agricultural Credit Societies: PACS),
  - सहकारी भूमि बंधक बैंक (cooperative land mortgage banks), और
  - इस अधिनियम में निर्दिष्ट सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य सहकारी समितियां।

अन्य संबंधित तथ्य

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए "साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन 2020-2023 जारी किया है {RBI releases cybersecurity vision framework 2020-2023 for Urban Cooperative Banks (UCBs)}

- इसका उद्देश्य लगातार बढ़ रहे सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर खतरे के विरुद्ध **USBs क्षेत्र की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करना है।**
- इसने **पांच-स्तंभों पर आधारित रणनीतिक दृष्टिकोण GUARD (गार्ड),** अर्थात् -
  - शासन प्रणाली की निगरानी (Governance Oversight),
  - उपयोगी तकनीकी निवेश (Utile Technology Investment),
  - उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण (Appropriate Regulation and Supervision),
  - मजबूत सहयोग (Robust Collaboration), एवं
  - आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा कौशल सेट का विकास (Developing necessary IT and cybersecurity skills set)।

RBI ने शहरी सहकारी बैंकों से 'प्रणाली-आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण' को लागू करने का निर्देश दिया है {RBI asks Urban Co-operative Banks (UCBs) to implement System-Based Asset Classification (SBAC)}

- **SBAC** का आशय बैंकों की स्वचालित तरीके से संचालित कंप्यूट्रीकृत प्रणाली के माध्यम से निरंतर आधार पर **परिसंपत्तियों के वर्गीकरण (परिसंपत्तियों के मूल्यों में गिरावट और वृद्धि दोनों के संदर्भ में)** से है।
  - इसका उद्देश्य परिसंपत्ति वर्गीकरण की प्रक्रिया में **दक्षता व पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अखंडता में सुधार करना** है।
- वैसे UCBs जिनकी कुल परिसंपत्तियां 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक हैं तथा जो निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें **वर्ष 2021 से SBAC को क्रियान्वित करना है।**

2.4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional rural banks: RRBs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को चलनिधि या तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility: LAF), सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility: MSF) और कॉल या नोटिस मनी मार्केट तक पहुँच प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि इससे पहले, RRBs को RBI की तरलता सुविधाओं के साथ-साथ कॉल या नोटिस मार्केट तक पहुँच की अनुमति नहीं थी।

RRBs के बारे में

- RRBs को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (Regional Rural Banks Act, 1976) के तहत राज्य-प्रायोजित, क्षेत्र आधारित और ग्रामीण क्षेत्र उन्मुख संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित** किया जाता है और इनकी निगरानी **नाबार्ड** (NABARD) द्वारा की जाती है।
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का **स्वामित्व संयुक्त रूप से केंद्र, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के पास होता है,** जिसमें इनके द्वारा जारी की गई पूंजी क्रमश: 50%, 15% और 35% के अनुपात में साझा की जाती है।
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदत्त अधिदेश:**
  - कृषि, व्यापार, वाणिज्य और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास के लिए लघु और सीमांत किसानों, खेतिहर श्रमिकों तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
  - क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देना।
  - ऐसे उपाय विकसित करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के धन को शहरी क्षेत्रों की ओर बहिर्वाह से रोका जा सके।
  - इन्हें **नरसिम्हन कार्य समूह (वर्ष 1975) की अनुशंसाओं के आधार पर** और **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (Regional Rural Banks Act, 1976)** के अधिनियमन के उपरांत स्थापित किया गया था।
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे:** अपर्याप्त वित्त, उच्च अतिदेय और दोषपूर्ण ऋण वसूली, तकनीकों का अभाव, प्रक्रियात्मक जटिलता आदि।

चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility: LAF)	**सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility: MSF)**	**कॉल / नोटिस मनी मार्केट (Call/notice money market)**
LAF का **उपयोग मौद्रिक नीति में किया जाता है।** यह राज्य या केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को गिरवी (या संपार्श्विक) रख **पुनर्खरीद समझौते (रेपो) {Repurchase agreements (repo)} के के आधार पर** बैंकों को RBI से धन उधार लेने या रिवर्स रेपो का उपयोग कर RBI को ऋण देने में सक्षम बनाता है।	MSF अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक **अत्यधिक अल्पकालिक उधार योजना है।** • **RBI द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा की शुरुआत** इंटर-बैंक मार्केट में **एक दिवसीय (overnight) उधार दरों में अस्थिरता को कम करने** और वित्तीय प्रणाली में सहज मौद्रिक संचरण को सक्षम करने के लिए की गई थी। • **सामान्यतः MSF दर रेपो दर से अधिक होती है।**	**कॉल / नोटिस मनी मार्केट** भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण घटक है। • **कॉल मनी मार्केट (मांग मुद्रा बाजार)** के तहत एक दिवसीय आधार पर धन का लेन-देन किया जाता है जबकि नोटिस मनी मार्केट के तहत, 2 से 14 दिनों के बीच की अवधि के लिए धन का लेन-देन किया जाता है।

2.5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश {Revised Priority Sector Lending (PSL) Guidelines}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उद्यमिता (entrepreneurship) और नवीकरणीय संसाधनों (renewable resources) को सम्मिलित करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (PSL) से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

PSL क्या है और यह कैसे कार्य करता है?

PSL की अवधारणा **अर्थव्यवस्था में कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रकों और गतिविधियों के लिए बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ाने के विचार** पर केंद्रित है। इसके माध्यम से बैंकों के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान कर ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करें।

PSL कार्यपद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- इसके तहत बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों पर **ब्याज की दर** समय-समय पर RBI के **बैंकिंग विनियमन विभाग** द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

- हालांकि, **PSL दिशा-निर्देश** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को दिए जाने वाले ऋणों के लिए **ब्याज की कोई अधिमानित दर** (preferential rate) निर्धारित नहीं करते हैं।

- PSL के प्रावधान **सभी वाणिज्यिक बैंकों {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank: RRB), लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank: SFB), लोकल एरिया बैंक} और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों** पर लागू होते हैं। ये प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में परिचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वेतन अर्जक बैंक पर लागू नहीं होते हैं।
  - **सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और विदेशी बैंकों** (भारत में पर्याप्त विस्तार या पर्याप्त कवरेज वाले) के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी **समायोजित निवल बैंक ऋण (Adjusted Net Bank Credit: ANDC)** का **40% हिस्सा** इन क्षेत्रकों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रयोग करेंगे।
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों को अपनी ANDC का **75 प्रतिशत हिस्सा** PSL को ऋण देने में प्रयोग करना पड़ता है।
    - वर्तमान में शहरी सहकारी बैंकों के लिए कुल PSL लक्ष्य उनके ANDC के 40 प्रतिशत के बराबर है। हालांकि, 31 मार्च 2024 तक इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, **बैंकों के अनुपालन की तिमाही आधार पर निगरानी की जाती है।**
- **PSL लक्ष्यों की प्राप्ति में चूक की स्थिति में:**
  - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के लिए लक्षित ऋण से कम ऋण प्रदान करने वाले बैंकों को नाबार्ड (NABARD) के तहत **ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund: RIDF)** और नाबार्ड / NHB / सिडबी (SIDBI) / मुद्रा (MUDRA) लिमिटेड की अन्य निधियों में, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, शेष राशि जमा करनी पड़ती है।
  - विभिन्न प्रयोजनों के लिए **विनियामकीय स्वीकृतियां/अनुमोदन** प्रदान करते समय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों की प्राप्ति या विफलताओं को ध्यान में रखा जाता है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (Priority Sector Lending Certificates: PSLCs)

- बैंकों को PSL के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने के एवज में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। PSL के लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी आने पर अधिशेष वाले बैंकों से इन लिखतों (प्रमाण-पत्र) को खरीदा जा सकता है। इस प्रकार, यह अन्य बैंकों के लिए PSL लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों की प्राप्ति को संभव बनाता है।
- **PSL तंत्र** के अंतर्गत, जोखिम या ऋण परिसंपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं होता है।
- यह निर्धारित लक्ष्यों से अतिरिक्त उपलब्धि प्राप्त करने वाले बैंकों को प्रोत्साहित करता है, जिससे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के लिए ऋण में वृद्धि होती है।

संशोधित PSL दिशा-निर्देशों में किए गए परिवर्तन

इसके लिए, RBI ने सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर **यू. के. सिन्हा** की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति तथा कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए **एम. के. जैन** की अध्यक्षता में गठित आंतरिक कार्य समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं को भी इसमें शामिल किया है। संशोधित PSL दिशा-निर्देशों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- PSL श्रेणी में **सम्मिलित नई श्रेणियां:**
  - **स्टार्ट-अप्स को 50 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण।**
  - **ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण।**
  - **कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण।**
- क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए 'चिन्हित जिलों' में वृद्धिशील PSL को **उच्च भारांश** दिया गया है। उल्लेखनीय है कि देश के ऐसे जिलों में **PSL या ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है।**
- **लघु और सीमांत किसानों तथा कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को चरणबद्ध तरीके** से बढ़ाया जा रहा है।
- पूर्व निर्धारित कीमत पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ कृषि कार्य करने वाले **किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisations: FPOs) / किसान उत्पादक कंपनियों (Farmers Producers Companies: FPC) के लिए उच्च ऋण सीमा** निर्दिष्ट की गई है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा दोगुनी** कर दी गई है।
- स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में सुधार लाने के लिए, **स्वास्थ्य अवसंरचना** (आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना सहित) के लिए **ऋण सीमा दोगुनी** कर दी गई है।

2.6. लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks: SFBs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कई **लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks: SFBs)** अपना **प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (Initial Public Offering: IPO)** जारी करने की तैयारी कर रहे हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- SFBs अपने **सूचीकरण** (listing) की समय सीमा बढ़ाए जाने की अपेक्षा कर रहे हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जब SFBs 500 करोड़ रुपये के निवल मूल्य का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो उसके 3 वर्षों के भीतर उन्हें स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है।

लघु वित्त बैंकों (SFBs) के बारे में

- ये वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के लिए संचालित **निजी वित्तीय संस्थान** हैं, जिन पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या स्थानीय ग्रामीण बैंकों के समान **परिचालन के क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं** हैं।
- वे लघु कृषकों, सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं की **जमा स्वीकार करने और उन्हें ऋण देने** जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
- भारत में संचालित कुछ लघु वित्त बैंकों में **उज्जीवन SFB, जनलक्ष्मी SFB** आदि शामिल हैं।
- RBI द्वारा गठित **नचिकेत मोर समिति** ने ऋणों की पहुँच में विस्तार के लिए विभेदित बैंकिंग प्रणाली में से एक के रूप में इन्हें प्रस्तावित किया था तथा वर्ष 2014 के वार्षिक बजट में इनकी घोषणा की गई थी।

	भुगतान बैंक (Payment Banks)	लघु वित्त बैंक (SFBs)
कौन प्रवर्तन कर सकता है या पात्र प्रवर्तक	प्रीपेड कार्ड जारीकर्ता, दूरसंचार कंपनियां, NBFCs, बिज़नेस कॉरेसपॉडेंट्स, सुपरमार्केट श्रृंखलाएं, कॉर्पोरेट्स, रियल एस्टेट सहकारिताएं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	वित्त, NBFCs, सूक्ष्म वित्त कंपनियों, लोकल एरिया बैंकों में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले निवासी व्यक्ति/व्यवसायी
उन्हें क्या अवश्य करना चाहिए	• 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी आवश्यक है। • कुल जमा राशि का 75% सरकारी बॉण्ड (बंध-पत्र) के	• 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी आवश्यक है।

	रूप में बनाए रखना। • जमा राशि का 25% अन्य बैंकों में बनाए रखना। • कम से कम 26% निवेश भारतीयों द्वारा किया गया हो। • यदि निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये से अधिक है, तो सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। • 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में होनी चाहिए। • पूरी तरह से नेटवर्क से जुड़ा और प्रौद्योगिकी से प्रेरित हो। • एक खाते में जमा राशि अधिकतम 1 लाख रुपये होनी चाहिए।	• 75% ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तक विस्तारित होना चाहिए। • 25% शाखाएँ बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में होनी चाहिए। • आरक्षित निधि संबंधी अर्हताओं (reserve requirements) को बनाए रखना। • व्यक्तियों और समूहों को प्रदत ऋण की अधिकतम सीमा निवल मूल्य (नेट वर्थ) की क्रमशः 10% और 15% होनी चाहिए। • बिज़नेस कॉरेसपॉडेंट्स का एक नेटवर्क होना चाहिए।
वे क्या कर सकते हैं	• इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान कर सकते हैं। • म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन आदि उत्पादों का विक्रय कर सकते हैं। • ग्राहकों के लिए बिल भुगतान सेवा प्रदान करना। • ए.टी.एम. और बिज़नेस कॉरेसपॉडेंट्स उपलब्ध कराना। • दूसरे बैंक के बिज़नेस कॉरेसपॉडेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं।	• ग्राहकों को विदेशी मुद्रा का विक्रय कर सकते हैं। • म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन आदि उत्पादों का विक्रय कर सकते हैं। • **पूर्ण बैंक में परिवर्तित** हो सकते है। • संपूर्ण देश में विस्तार। • RBI के अनुमोदन के बाद एक पूर्ण बैंक में रूपांतरण।
वे क्या नहीं कर सकते हैं	• क्रेडिट कार्ड प्रदान करना • ऋण प्रदान करना • सीमा-पार प्रेषण (cross-border remittances) का संचालन • अनिवासी भारतीयों की जमा स्वीकार करना	• बड़े ऋण प्रदान करना • अनुषंगी इकाईयां आरंभ करना • ये परिष्कृत वित्तीय उत्पादों का व्यवसाय नहीं कर सकते हैं।

2.7. तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की पुनर्रचना, रिकवरी और प्रबंधन (Restructuring, Recovery and Management of Stressed Assets)

परिचय

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों और संबद्ध संकटों के वृद्धि के परिणामस्वरूप विभिन्न रूपरेखाओं के सृजन को बढ़ावा मिला है:

- **"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002" {Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI Act), 2002};**
- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता {Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)};**
- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (Asset Reconstruction Companies: ARCs);**
- **कंपनी अधिनियम की धारा 230-232 के अंतर्गत कॉर्पोरेट पुनर्गठन योजना:** कंपनी अधिनियम की ये धाराएँ लेनदारों के पक्ष में हैं तथा 'ऋण धारक' व्यक्ति, कंपनी और उसके सभी लेनदारों व शेयरधारकों के लिए बाध्यकारी हैं।

इनके अतिरिक्त, बैड बैंक्स {ऐसे संस्थान जो कर्जदाताओं के डूबे हुए ऋण को अधिग्रहित कर तथा समाधान की प्रक्रिया के माध्यम से इन ऋणों को निस्तारित करते हैं}, ऋणों की प्रोविजनिंग से जुड़े प्रयास तथा कोविड-19 के मद्देनजर विशेष समाधान योजनाएं जैसे अनेक प्रयास किए गए हैं।

2.7.1. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act: SARFAESI Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया है कि **सहकारी बैंक (cooperative banks)** अपने चूककर्ताओं (defaulters) से ऋण की वसूली के लिए **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम)** का उपयोग कर सकते हैं और बकाया राशि वसूलने के लिए उनकी संपत्ति जब्त कर उसको बेच सकते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **संविधान पीठ ने माना कि:**
  - संसद को सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत सभी सहकारी बैंकों की ऋण वसूली प्रक्रिया के संबंध में नियामक प्रावधान बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त है।
    - ऋणों की वसूली को किसी भी बैंकिंग संस्थान के लिए अनिवार्य कार्य माना गया है।
  - राज्य कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी बैंक (बहुराज्यीय सहकारी बैंकों सहित), संघ **सूची की प्रविष्टि 45 की परिधि में आते हैं।**
  - बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रयोजनों के लिए 'बैंकिंग कंपनी' और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत बैंकों पर लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत कवर किया जाता है।
- यह निर्णय सहकारी बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें **सरफेसी अधिनियम** के प्रावधानों का उपयोग करके अपने अशोध्य ऋणों की वसूली में तेजी लाने में सहायता मिलेगी।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के बारे में

- विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बैंकों/वित्तीय संस्थानों की **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets: NPAs) या अशोध्य परिसंपत्तियों** की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लागू किया गया था।
- यह **केवल सुरक्षित देनदारों** (ऐसे उधारदाता जिनके ऋण बंधक जैसी संपार्श्विक द्वारा समर्थित होते हैं) को, लेनदार द्वारा पुनर्भुगतान में चूक करने पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति (collateral security) पर अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनता है।
- यह अधिनियम **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (Asset Reconstruction Company: ARC)** के पंजीकरण और नियमन सम्बन्धी प्रक्रिया उपलब्ध कराने के साथ उन्हें निम्नलिखित व्यवसाय परिचालन की अनुमति प्रदान करता है-

अन्य तथ्य

- **नरसिम्हम समिति - प्रथम (वर्ष 1991)** ने बैंकों को अपने तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में सुधार लाने के लिए उन्हें (बैंकों को) सुविधा प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कोष (Asset Reconstruction Fund) की स्थापना की परिकल्पना की थी।
- **नरसिम्हम समिति - द्वितीय (वर्ष 1998)** ने ARC के गठन का प्रस्ताव रखा था।
- RBI गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में इनका (ARCs) विनियमन करता है।
  - **ARCs कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित** होते हैं। **ये सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत होते हैं।**
- **आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ARCIL)**: यह ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IDBI द्वारा स्थापित की जाने वाली पहली आस्ति पुनर्गठन कंपनी (ARC) थी।

प्रमुख शब्दावलियां

प्रतिभूति हित (Security Interest)

- ऋण के मामले में प्रतिभूति हित का आशय ऋण लेने वाले व्यक्ति या कंपनी द्वारा रखे गए गिरवी या जमानत या सम्पार्श्विक (collateral) पर ऋणदाता के कानूनी अधिकार से है। यदि ऋणी अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो (अर्थात् यदि ऋण बैड लोन में परिवर्तित हो) जाए तो ऋणदाता उक्त सम्पार्श्विक पर विधिक दावा कर सकता है और उसे बेच भी सकता है।
- इस प्रकार, प्रतिभूति हित ऋणदाता के लिए जोखिम को कम करता है, जिससे उसके लिए ऋण पर कम ब्याज प्रभारित करना संभव होता है।

प्रतिभूति प्राप्ति (Security receipt)

- इससे आशय किसी ऐसे रसीद या अन्य प्रतिभूति से है, जिसे पात्र संस्थागत खरीदार को प्रतिभूतिकरण में सम्मिलित वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद या अधिग्रहण के प्रमाण के रूप में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी की जाती है।

© Vision IAS

- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण (Asset reconstruction):** यह गैर-निष्पादनकारी या अशोध्य परिसंपत्तियों को निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी** बैंकों से वित्तीय परिसंपत्तियों (गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों) का अधिग्रहण कर सकती हैं और निम्नलिखित उपायों के माध्यम से बकाया वसूलने का प्रयास कर सकती हैं जैसे:
  - प्रबंधन को परिवर्तित कर या अधिग्रहित करके उधारकर्ता के व्यवसाय का उचित प्रबंधन,
  - व्यवसाय के किसी भाग या संपूर्ण व्यवसाय की बिक्री करके या पट्टे पर देकर।
  - देय ऋणों के भुगतान आदि का पुनर्निर्धारण करके।
- **प्रतिभूतिकरण (Securitization):** यह प्रतिभूति प्राप्तियों के निर्गम के माध्यम से **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (Asset Reconstruction Company: ARCs)** द्वारा मौजूदा ऋणों को विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है।

- **न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना उधारदाताओं द्वारा प्रतिभूति हितों को लागू किया जाना**: चूककर्ता उधारकर्ता को 60 दिनों की सूचना देने के बाद बैंक/वित्तीय संस्थान निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं -
  - उधारकर्ता की गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में लेना,
  - ऐसी परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर अधिकार स्थापित कर सकते हैं,
  - उनका प्रबंधन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं या
  - उधारकर्ताओं के देनदारों से, परिसंपत्ति के संबंध में अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कह सकते हैं।
- **केंद्रीय रजिस्ट्री का निर्माण:** केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूतिकरण के लेनदेन के पंजीकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के निर्माण के प्रयोजनों हेतु इसका निर्माण किया जा सकता है।
- **सुरक्षित ऋण (Secured Loans) की वसूली के उपायों के विरुद्ध आवेदन:** उधारकर्ताओं/उधारदाताओं द्वारा (ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील के साथ), बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित **ऋण वसूली न्यायाधिकरण** में दायर किए जा सकते हैं।
- **इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होते हैं:**
  - **कृषि भूमि** पर निर्मित किया गया कोई भी प्रतिभूति हित;
  - कोई भी मामला जिसमें बकाया राशि मूलधन और ब्याज के 20 प्रतिशत से कम होती है।
  - **एक लाख रुपये से कम** की किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति के पुनर्भुगतान संबंधी प्रतिभूति हित।

2.7.2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का निलंबन {Suspension of Insolvency And Bankruptcy Code (IBC)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने उद्योग जगत को राहत पहुँचाने के लिए **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020** पारित किया है, क्योंकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बहुत अधिक प्रभावित हुई हैं।

IBC और सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम के मध्य अंतर:

- सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 केवल सुरक्षित (secured) वित्तीय लेनदारों को सम्मिलित करता है, जबकि IBC सुरक्षित और असुरक्षित (unsecured) दोनों प्रकार के लेनदारों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है।
- IBC की धारा 14 (1)(c) यह प्रावधान करती है कि संहिता में परिभाषित दिवालिया समाधान प्रक्रिया के दौरान, इस संहिता को सरफेसी अधिनियम पर वरीयता प्राप्त होगी।
- IBC में कंपनियों और सीमित देयता साझेदारियों (Limited Liability Partnerships: LLP) तथा व्यक्तियों और असीमित साझेदारी फर्मों के लिए पृथक-पृथक न्यायनिर्णयन अधिकरणों का प्रावधान है।

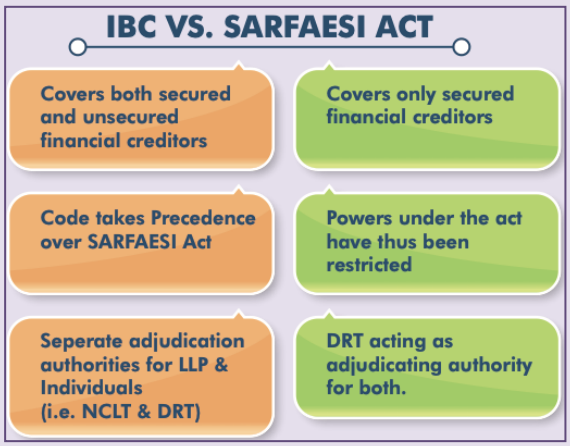

VISION IAS

○ जबकि **सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम** संबंधित मामलों के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के रूप में नियत करता है।

IBC की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं:

- **इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:** सभी व्यक्ति, कंपनियां, सीमित दायित्व भागीदारी (Limited Liability Partnership: LLP) और साझेदारी फर्में।
- **न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (Adjudicating authority):** कंपनियों और LLP के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT); तथा व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए ऋण वसूली अधिकरण (Debt Recovery Tribunal: DRT)।
- फर्म के किसी भी हितधारक, यथा- फर्म/देनदार/लेनदार/कर्मचारी द्वारा ऋणशोधन अक्षमता समाधान **प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है।**
- जब न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इसे स्वीकार करता है, तो एक ऋणशोधन अक्षमता समाधान पेशेवर (Insolvency resolution Professional: IP) की नियुक्ति की जाती है।
  - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India: IBBI) द्वारा दिवाला पेशेवर एजेंसियों (IPA) के शासी बोर्ड के सदस्यों के लिए **न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का प्रस्ताव** प्रस्तुत किया गया है।
  - IBBI एक **सांविधिक निकाय** है, जिसे दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों, सूचना प्रतिष्ठानों इत्यादि के संबंध में विनियामक निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है।
- फर्म के प्रबंधन और बोर्ड की शक्तियों को **लेनदारों की समिति (Committee of Creditors: CoC)** को हस्तांतरित कर दिया जाता है। CoC में कॉर्पोरेट ऋणी के सभी वित्तीय लेनदार सम्मिलित होते हैं।
- IP को यह निर्णय लेना होता है कि **कंपनी को पुनर्जीवित करना (ऋणशोधन अक्षमता समाधान) है या उसका परिसमापन (liquidate) करना है।** यदि IP द्वारा कंपनी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया जाता है, तो उन्हें फर्म खरीदने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति को तलाशना होता है।
- जिस पक्ष के पास सर्वश्रेष्ठ समाधान योजना होती है, और जो लेनदारों के बहुमत को स्वीकार्य होता है (यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय के लिए 66 प्रतिशत और नियमित निर्णय के लिए 51 प्रतिशत मत की आवश्यकता होती है) उसे IP द्वारा फर्म का प्रबंधन सौंप दिया जाता है।
- इस संहिता के अंतर्गत ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए **180 दिनों** का समय निर्धारित है। मामला जटिल होने पर यह अवधि **90 दिनों** तक बढ़ायी जा सकती है। यदि समय सीमा के भीतर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जाता है, तो फर्म का परिसमापन कर दिया जाता है।
- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत वाटरफॉल मैकेनिज्म {Waterfall mechanism under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)}**
  - IBC के अंतर्गत यह तंत्र (अर्थात् वाटरफॉल मैकेनिज्म) असुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं (unsecured financial creditors) की तुलना में **सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं (secured financial creditors) को अधिक प्राथमिकता** प्रदान करता है।
  - इसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी कंपनी का **परिसमापन (liquidation)** किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में **सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं** द्वारा किए सभी दावों (claims) का सबसे पहले भुगतान किया जाएगा। ऐसा अन्य सभी असुरक्षित ऋणदाताओं को किए जाने वाले भुगतान (जिन्हें कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचकर चुकाया जाता है) के पूर्व किया जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत प्री-पैक {Pre-packs under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)}

- हाल ही में प्रकाशित कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार IBC में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि एक समाधान (रिज़ॉल्यूशन) तंत्र के रूप में प्री-पैक की अनुमति दी जा सके।

© Vision IAS

- **प्री-पैक वस्तुतः ऋण के समाधान के लिए किया जाने वाला एक समझौता है।** इसके तहत किसी संकटग्रस्त कंपनी के ऋण के निपटान अथवा समाधान के लिए सार्वजनिक बोली प्रक्रिया (public bidding process) का अनुपालन नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर ऋण के निपटान के लिए उस कंपनी के सुरक्षित ऋणदाताओं (secured creditors) और निवेशकों के मध्य एक प्री-पैक (पूर्व-निर्धारित) समझौता किया जाता है।
- **प्री-पैक व्यवस्था में,** वर्तमान प्रबंधन कंपनी पर तब तक नियंत्रण बनाए रखता है जब तक कि अंतिम समझौता नहीं हो जाता।
- **IBC के तहत,** कंपनी पर वर्तमान प्रबंधन का नियंत्रण नहीं रह जाता है और कंपनी का नियंत्रण एक इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल को सौंप दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि इसके चलते कंपनी के व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न होता है।

2.7.3. ऋणों की प्रोविजनिंग (Provisioning of Loans)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अधिस्थगन (moratorium) के अंतर्गत **ऋणों की 'विशेष प्रोविजनिंग'** पर स्पष्टीकरण दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- RBI द्वारा अप्रैल 2020 में यह निर्धारित किया गया था कि जिन ऋणों के लिए अधिस्थगन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और जो अब तक NPA नहीं हैं, वैसे ऋणों के मामले में ऋण देने वाले संस्थान **10% की प्रोविजनिंग** (दो तिमाहियों में चरणबद्ध तरीके से 5 प्रतिशत) करेंगे।
- **ऋणों की प्रोविजनिंग के तहत,** बैंकों को अपनी खराब परिसंपत्तियों के निर्धारित प्रतिशत के लिए पृथक रूप से धन आवंटन करना होगा या धन उपलब्ध कराना होगा।
    - परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर RBI द्वारा प्रोविजनिंग मानदंड निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए- NPA के संदर्भ में सामान्य प्रोविजनिंग सुरक्षित ऋण के लिए 15% और असुरक्षित ऋण के लिए 25% है।
        - इसका अर्थ है कि यदि 100 करोड़ रुपये का ऋण NPA या अवमानक (सब-स्टैण्डर्ड) बन जाता है, तो कम से कम 15 करोड़ रुपये को प्रोविजनिंग के रूप में बैंक को अपनी आय से पृथक रखना होगा।
- RBI द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केवल अधिस्थगन अवधि की शुरुआत में विशेष उल्लेख खाते या स्पेशल मेंशन अकाउंट्स-2 (SMA-2) के रूप में वर्गीकृत ऋणों की प्रोविजनिंग की जाएगी।
    - स्पेशल मेंशन अकाउंट (SMA) एक ऐसा खाता है जो आरंभिक तनावग्रस्तता (अपने ऋण दायित्वों को समय पर चुकाने में उधारकर्ता की डिफ़ॉल्ट पूर्ण स्थिति) को रेखांकित/प्रदर्शित करता है, हालांकि खाते को अभी तक NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया होता है।

RBI के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण

- **विशेष उल्लेख खाता (Special Mention Account: SMA):** पुनर्भुगतान में विलंब (मूलधन या ब्याज की बकाया अवधि) के आधार पर बैंक अपने कर्जदारों के खातों को SMAs के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

SPECIAL MENTION ACCOUNT	PRINCIPAL/INTEREST PAYMENT & PARTLY/WHOLLY DUE
SMA-0	1-30 Days
SMA-1	31-60Days
SMA-2	61-90 Days

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets: NPAs):** ऐसे ऋण या अग्रिम जिनके मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 या उससे अधिक दिनों से बकाया हो (या ब्याज का भुगतान अल्प अवधि की फसल के लिए 2 फसल मौसम और लंबी अवधि की फसलों के लिए एक फसल मौसम तक नहीं किया गया हो)।
- **अवमानक परिसंपत्तियां (Substandard Assets):** ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 माह या उससे कम अवधि के लिए NPA बनी रहती है।
- **संदिग्ध परिसंपत्तियां (Doubtful Assets):** ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 माह की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती है।
- **हानि परिसंपत्तियां (Loss Assets):** इसे वसूल न किए जाने वाला (uncollectible) और इतने निम्न मूल्य का समझा जाता है कि इन्हें बैंक ग्राह्य परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि इसका कुछ निस्तारण या पुनर्प्राप्ति योग्य मूल्य हो सकता है।

2.8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन (Regulation of NBFCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies: NBFCs) के प्रति अपने नियामकीय दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखा है।

DIFFERENCE BETWEEN BANKS & NBFCs??

Point of difference	NBFCs	Banks
Demand Deposits	Cannot accept.	Can accept.
Drawing a Cheque	Cannot issue or draw a cheque on its own.	Can issue cheque freely.
Deposit Insurance facility	Not available for NBFC depositors	Is available for bankers.
Act for regulation	They are covered under Indian Companies Act, 1956.	They are covered under The Banking Regulation Act, 1949

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) क्या हैं?

- भारत में कुछ ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंक नहीं हैं किंतु वे दूसरे माध्यम से जमाराशि स्वीकार करती हैं तथा बैंक की तरह ऋण सुविधा प्रदान करती हैं। भारत में इन्हें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) कहा जाता है।
- एक NBFC वस्तुतः **कंपनी अधिनियम, 1956** के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी होती है। इसका मुख्य कारोबार किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत एकमुश्त रूप से अथवा किस्तों में जमाराशियां प्राप्त करना है। ये कंपनियाँ (अर्थात् NBFCs) अग्रलिखित व्यवसाय या कारोबार में संलग्न होती हैं- ऋण या अग्रिम संबंधी व्यवसाय (उधार देना), सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी शेयर / स्टॉक / बॉण्ड / डिबेंचर / प्रतिभूति या इसी प्रकार की बाजार-आधारित अन्य प्रतिभूतियों की खरीद, पट्टा, किराया-खरीद (hire-purchase), बीमा व्यवसाय, चिट कारोबार इत्यादि।

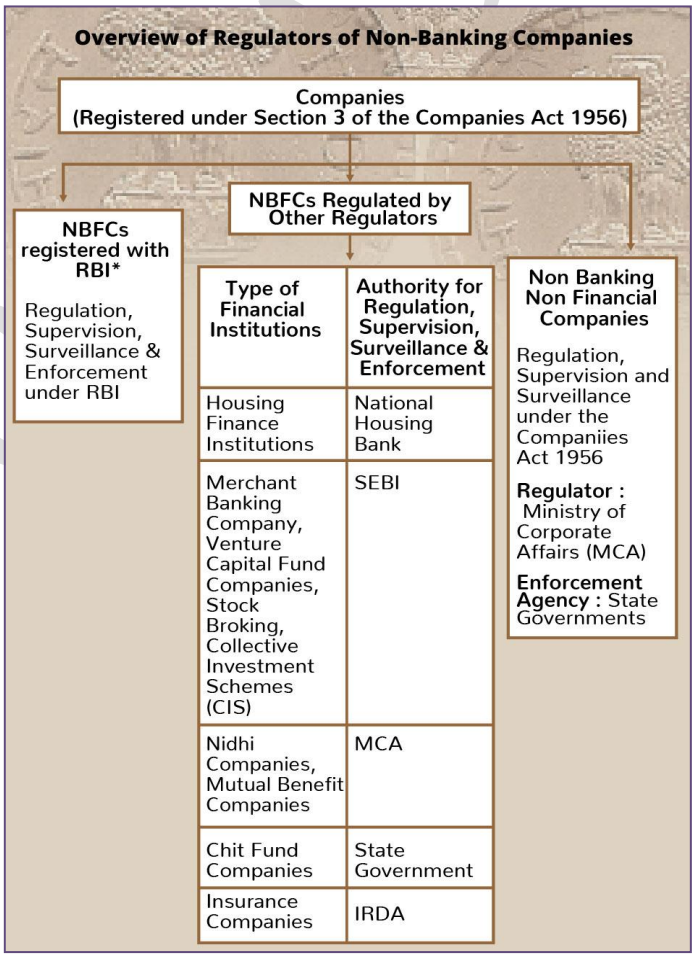

NBFCs की प्रमुख विशेषताओं के रूप में निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है:

- NBFCs में ऐसी कोई भी संस्था **सम्मिलित नहीं होती** है, जिसका प्रमुख कारोबार **कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी वस्तु (प्रतिभूतियों/शेयरों को छोड़कर) की खरीद या बिक्री** या कोई भी सेवाएं प्रदान करना तथा अचल संपत्ति की बिक्री / खरीद / निर्माण है।
- NBFCs का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है:
  - इन्हें देयताओं (liabilities) के प्रकार के संदर्भ में **जमा (Deposit)** और **गैर-जमा (Non-Deposit) स्वीकार करने वाले NBFCs** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है,
  - आकार के आधार पर गैर-जमा स्वीकार करने वाली NBFCs को **प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFCs** {अर्थात् NBFC-NDSI (Non-Deposit taking Systemically Important)} तथा **नॉन-डिपॉजिट होल्डिंग कंपनी** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है,
  - इसके अतिरिक्त उन्हें उनके द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों के प्रकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है।

- **NBFCs की अन्य प्रमुख श्रेणियों (categories)** में अग्रलिखित सम्मिलित हैं- एसेट फाइनेंस कंपनियां, इनवेस्ट कंपनियां, लोन कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनियां (IFCs), प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर इनवेस्टमेंट कंपनियां (CIC-ND-SI), इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स (IDFs), NBFC-नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी (NOFHC)।
- ये कंपनियां **भारतीय रिज़र्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करती हैं।** लेकिन वे अलग-अलग एजेंसियों द्वारा विनियमित की जाती हैं, जो उनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर आधारित होता है। *(और अधिक जानकारी के लिए इंफोग्राफिक्स देखें)*

NBFCs के विनियमन में बदलाव की आवश्यकता क्यों है?

प्रणालीगत जोखिम का खतरा	बड़े NBFCs को पूरी तरह बैंक में रूपांतरित होने हेतु	फिनटेक (FinTech) सेक्टर का उद्भव
IL&FS तथा DHFL संकट जैसी स्थितियां दुबारा उत्पन्न न हों	यह RBI के आंतरिक कार्य समूह की अनुसंशाओं के अनुरूप है	बैंक, NBFCs और उभरते फिनटेक के बीच बाधारहित संपर्क की स्थापना हेतु

RBI ने कौन-से बदलाव प्रस्तावित किए हैं?

व्यापक रूप से, RBI ने हल्के विनियमन वाले सामान्य दृष्टिकोण से आगे बढ़कर बड़े NBFCs पर लगभग बैंकों की तरह निगरानी रखने का प्रस्ताव रखा है। इस विचार को संभव करने के लिए निम्नलिखित बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं:

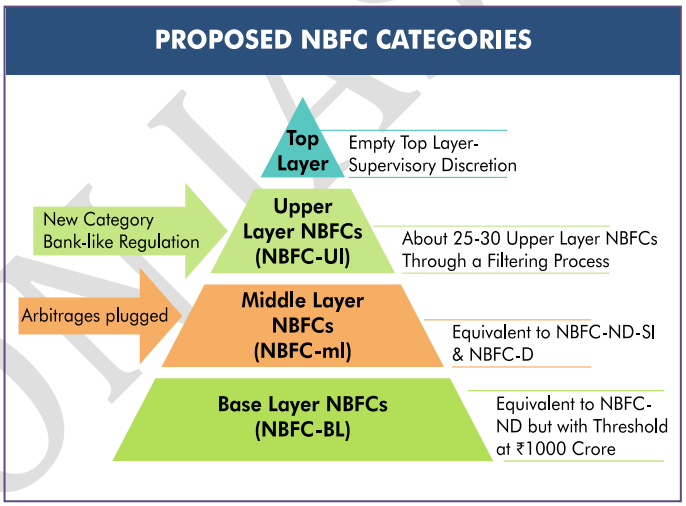

- **चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे का निर्माण किया गया है,** जिसमें आधार स्तर (Base Layer), मध्य स्तर (Middle Layer), उच्च स्तर (Upper Layer) और शीर्ष स्तर (Top Layer) सम्मिलित हैं। प्रत्येक स्तर के विनियमन की मात्रा उस सेक्टर में दिखने वाले जोखिम के अनुपात में है।
- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets: NPA) के वर्गीकण में बदलाव:** RBI ने आधार स्तर (बेस लेयर) वाले NBFCs के NPA संबंधी मानदंडों में बदलाव का भी प्रस्ताव रखा है। इनके NPAs की गणना 180 दिन के बकाया के बजाय 90 दिनों के आधार पर की जाएगी।

2.9. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष तरलता योजना (Special Liquidity Scheme For NBFCs and HFCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में, **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies: NBFCs)** एवं **आवास वित्त कंपनियों (Housing Finance Companies: HFCs)** के लिए **विशेष तरलता योजना** को प्रारंभ करने के प्रस्ताव को पिछले महीने स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अब इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु ऋणदाताओं (lenders) के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं।

आवास वित्त कंपनी (Housing Finance Company: HFC)

- HFC **कंपनी अधिनियम, 1956** के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी होती है, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवास के लिए वित्त प्रदान करने के व्यवसाय का संचालन (लेन-देन) किया जाता है।
- HFC को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के अंतर्गत **एक NBFC माना जाता है।**

- पिछले वर्ष, HFCs के विनियमन को RBI को सौंप दिया गया था। इससे पहले यह कार्य नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) द्वारा किया जाता था।
- हाल ही में, RBI द्वारा आवास वित्त कंपनियों के लिए नए नियमों को प्रस्तावित किया गया है। ये नियम उनकी परिभाषा, वित्तीय स्तर के विनियमन (जैसे- निवल धारित परिसंपत्तियां) आदि में परिवर्तन से संबंधित हैं।

इस योजना के बारे में

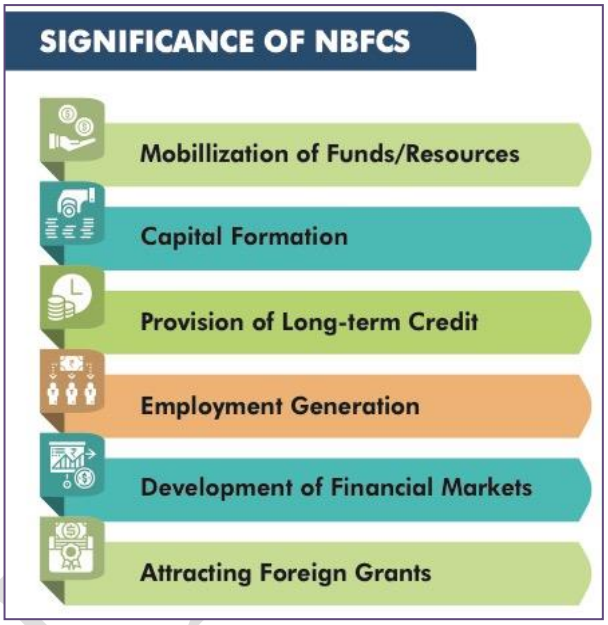

- RBI ने एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPV) के माध्यम से NBFCs/HFCs के लिए एक **विशेष तरलता योजना** की घोषणा की है।
- इस योजना का उद्देश्य **NBFCs एवं HFCs को उनकी तरलता की स्थिति में सुधार करने तथा वित्तीय क्षेत्रक में किसी भी संभावित व्यवस्थागत जोखिम से बचने के लिए सहायता** प्रदान करना है।
- इस स्पेशल पर्पज़ व्हीकल द्वारा **अर्ह NBFCs और HFCs से 30,000 करोड़ रुपए तक के अल्पकालिक ऋणों का क्रय किया जाएगा।** उसके पश्चात्, ये NBFCs और HFCs इस राशि का उपयोग अपनी मौजूदा देयताओं अर्थात् ऋण को चुकाने में करेंगी।
- **पात्रता:** NBFCs और HFCs के पास निवल **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets: NPAs)** 6 प्रतिशत से कम होनी चाहिए; पिछले दो वित्तीय वर्षों में से कम से कम एक में निवल लाभ दर्ज होना चाहिए; तथा जिन्हें 1 अगस्त 2018 से पहले के अंतिम एक वर्ष के दौरान **विशेष उल्लेख खातों-1 (Special Mention Accounts: SMA-1)** या **SMA-2** श्रेणी के अंतर्गत दर्ज नहीं किया गया हो।

NBFC क्षेत्रक की सहायता के लिए अन्य उपाय

- **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme: ECLGS):**
  - यह योजना, **गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (GECL)** सुविधा के रूप में MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और मुद्रा (MUDRA) उधारकर्ताओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग प्रदान करेगी।
  - इस योजना के तहत यह प्रावधान है कि, यदि उधारकर्ताओं द्वारा GECL फंडिंग का पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है तो किसी भी प्रकार की हानि की स्थिति में **राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)** द्वारा बैंकों, वित्तीय संस्थानों और NBFCs को 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- **आंशिक ऋण गारंटी योजना (Partial Credit Guarantee Scheme: PCGS) में संशोधन को स्वीकृति:**
  - PCGS को वर्ष 2019 में आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से सुदृढ़ NBFCs/सूक्ष्म ऋण कंपनियों से BBB+ रेटिंग अथवा एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली परिसम्पत्तियों की खरीद हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को हुई प्रथम क्षति के 10% तक की **राष्ट्रिक अथवा सरकारी गारंटी** (चूक के मामले में देयता उन्मोचन हेतु सरकार द्वारा प्रतिज्ञाबद्धता) की सुविधा प्रस्तुत की गई थी।
  - अब, इसे तकनीकी कारणों से **SMA-1 श्रेणी** के तहत NBFCs / HFCs तक विस्तारित किया गया है (पूर्व में यह केवल SMA-0 श्रेणी पर ही लागू होती थी)।

© Vision IAS

2.10. मुद्रास्फ़ीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मार्च 2021 में, भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग या मुद्रास्फ़ीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था के 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अब इसके वर्तमान प्रारूप या फ्रेमवर्क के निष्पादन की समीक्षा की आवश्यकता है।

भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग (मुद्रास्फ़ीति लक्ष्यीकरण) का ढांचा कैसे काम करता है?

भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का आरम्भ वर्ष 2015 के **इन्फ्लेशन टारगेटिंग समझौते** के माध्यम से किया गया था, जो आगे वर्ष 2016 में RBI अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अपनी पूर्णता पर पहुंच गया। यह अधिनियम निम्नलिखित ढांचा अथवा फ्रेमवर्क को प्रदान करता है-

- इसने **संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए** मौद्रिक नीति को निर्देशित किया है।
- इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन कर एक **मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee: MPC)** का गठन किया गया था।
    - **MPC में 6 सदस्य होते हैं- तीन आंतरिक और 3 बाह्य:**
        - **आंतरिक सदस्यों में RBI गवर्नर** (अध्यक्ष), मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर और RBI के सेंट्रल बोर्ड द्वारा नामित एक आर.बी.आई. अधिकारी शामिल होते हैं।
        - तीन बाह्य सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। बाह्य सदस्यों को अर्थशास्त्र या बैंकिंग अथवा वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।
    - MPC को मुद्रास्फ़ीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक **नीतिगत दरों के निर्धारण का कार्य** सौंपा गया है।
- इस अधिनियम के माध्यम से मुद्रास्फ़ीति लक्ष्य के उपाय के रूप में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों को अपनाया गया है। **मुद्रास्फ़ीति लक्ष्य की उच्चतम सीमा 4% और निम्नतम सीमा 2% के टॉलरेंस बैंड के अंतर्गत निश्चित की गई है।**
    - इस लक्ष्य की प्रत्येक **पांच वर्षों में समीक्षा** की जानी है। (ध्यान देने की बात यह है कि यह अधिनियम मुद्रास्फ़ीति लक्ष्य की समीक्षा की आवश्यकता को इंगित करता है, न कि समग्र रूप से पूरे फ्रेमवर्क की)
- यह अधिनियम MPC के लिए निम्नलिखित कार्य पद्धति अधिदेशित करता है:
    - नीतिगत दर (मुद्रास्फ़ीति लक्ष्य से भिन्न) का निर्धारण **MPC के सदस्यों के बहुमत** द्वारा होता है। मतों के बराबर होने पर RBI गवर्नर निर्णायक मत डाल सकते हैं।
    - **मौद्रिक नीति समिति (MPC) को वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करना आवश्यक** है।
    - आर.बी.आई. को **MPC** की प्रत्येक बैठक के बाद **उस बैठक का लिखित ब्यौरा (minutes) अवश्य प्रकाशित करना चाहिए।**
    - **RBI को वर्ष में दो बार मौद्रिक नीति पर एक रिपोर्ट अवश्य प्रकाशित करनी चाहिए।** उक्त रिपोर्ट में मुद्रास्फ़ीति के स्रोत और मुद्रास्फ़ीति के अल्पावधि एवं मध्यम अवधि के पूर्वानुमानों को रेखांकित किया जाना चाहिए।
    - अधिनियम इस बात का भी प्रावधान करता है कि **मुद्रास्फ़ीति लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहने पर** RBI, निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत केंद्र सरकार को सूचित करेगा -
        - मुद्रास्फ़ीति लक्ष्य प्राप्त करने में **विफल रहने के कारण;**
        - **उपचारात्मक कार्रवाई,** जिसे करने का **समिति ने प्रस्ताव किया** है; तथा

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index: CPI) को मुद्रास्फ़ीति के मापक के रूप में क्यों चुना गया?

CPI उपभोक्ता व्यय के स्तर पर मुद्रास्फ़ीति के स्तर को मापता है। इसकी संरचना के आधार पर इसके निम्नलिखित लाभ हैं:

- CPI अन्य मापकों जैसे WPI की तुलना में **उपभोक्ता बास्केट को बेहतर तरीके से दर्शाता है।**
- CPI **सेवा क्षेत्र की मूल्य संबंधी गतिविधियों पर भी जानकारी** उपलब्ध करवाता है।
- CPI **खाद्य मुद्रास्फ़ीति को भी गणना में सम्मिलित करता है,** जो भारत जैसे उभरते बाजारों में मूल्य स्थिरता लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण भाग है।

VISION

- उपचारात्मक कार्रवाई को लागू करने के बाद उस **समय का अनुमान, जिसके अंदर मुद्रास्फ़ीति लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।**

अन्य संबंधित तथ्य

श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित किया है {Ministry of Labour Revises Base Year of the Consumer Price Index (CPI)-Industrial Workers (IW)}

- आधार वर्ष को **वर्ष 2001 से संशोधित करके वर्ष 2016** कर दिया गया है तथा इसके आधार पर की जाने वाली **मुद्रास्फ़ीति सूचकांक गणना में गैर-खाद्य पदार्थों (यथा- आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय) को अधिक भारांश** प्रदान किया गया है।
- **CPI (IW)** कारख़ानों, खानों, बागानों, रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन उपक्रमों, विद्युत **उत्पादन एवं वितरण** प्रतिष्ठानों तथा **बंदरगाहों और गोदियों (docks)** जैसे **सात क्षेत्रों में से किसी एक में कार्यरत औद्योगिक श्रमिकों को शामिल करता** है।
- आधार वर्ष में किए गए संशोधन वस्तुतः वर्षों से श्रमिक वर्ग की आबादी के **परिवर्तित हुए उपभोग प्रतिरूप को प्रदर्शित करेंगे** और अब इसे प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् संशोधित किया जाएगा।
  - CPI (IW) का उपयोग **मुद्रास्फ़ीति की निगरानी करने** और **सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (dearness allowance), पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (dearness relief) तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक की गणना** हेतु एक मानक के रूप में किया जाता है।
- **राष्ट्रीय स्तर पर, चार CPI श्रृंखलाओं का उपयोग किया जाता है, यथा-** CPI (IW), कृषि श्रमिकों (Agricultural Labourers: AL) के लिए CPI {CPI (AL)}, ग्रामीण श्रमिकों (Rural Labourers: RL) के लिए CPI {CPI (RL)} और शहरी नॉन-मैन्युअल कर्मचारियों (Urban Non-Manual Employee: UNME) के लिए CPI
  - इनमें से प्रथम तीन को **श्रम ब्यूरो (श्रम मंत्रालय) द्वारा प्रबंधित** किया जाता है तथा चौथा **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)** द्वारा जारी किया जाता है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा लिए गए अन्य प्रमुख निर्णय

ऋणों को NPA के रूप में वर्गीकृत किए बिना एकबारगी पुनर्रचना करना (One-time restructuring of loans without classifying them as NPA)	• पुनर्रचना/पुनर्संरचना (restructuring) वस्तुतः एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें बैंक, किसी उधारकर्ता द्वारा वित्तीय दबाव का सामना किए जाने पर **ऋण की शर्तों को संशोधित करता है।**
	• किसी **उधारकर्ता (borrower) को डिफॉल्टर (चूककर्ता) घोषित करने** और **ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non Performing Assets: NPAs) के रूप में वर्गीकृत करने** से बचने के लिए बैंकों द्वारा यह कदम उठाया जाता है।
	• **पात्रता:** इसके लिए केवल वे ही उधारकर्ता पात्र हैं जिन्हें "स्टैंडर्ड" के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, 1 मार्च 2020 तक (किसी भी बैंक में) अधिकतम 30 दिनों तक के 'डिफ़ॉल्टर' (चूककर्ता) को भी यह सुविधा मिलेगी।
	  ○ इसमें पर्सनल लोन (ऑटो, क्रेडिट कार्ड, आवास, शिक्षा आदि) और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को शामिल किया गया है।
	• इस योजना का विवरण **के. वी. कामथ की अध्यक्षता वाली समिति** द्वारा तैयार किया जाएगा।
	• इससे पहले भी, RBI दबावग्रस्त परिसंपत्तियों (stressed assets) की समस्या से निपटने के लिए कई **ऋण पुनर्रचना योजनाओं** (debt restructuring schemes) का उपयोग कर चुका है, जैसे-
	  ○ वर्ष 2008-09 की रीस्ट्रक्चरिंग विंडो,
	  ○ कॉर्पोरेट ऋण पुनर्रचना योजना (Corporate Debt Restructuring Scheme),
	  ○ 5:25 योजना के तहत फ्लेक्सिबल रीस्ट्रक्चरिंग (लोचशील पुनर्रचना),
	  ○ कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना (Strategic Debt Restructuring Scheme), और
	  ○ दबावग्रस्त परिसंपत्ति की संधारणीय पुनर्रचना योजना (Scheme for

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

	Sustainable Structuring of Stressed Assets: S4A)।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा (To boost digital payments)	• कार्ड एवं मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके **ऑफलाइन खुदरा भुगतान (Offline Retail Payments)** के लिए योजना आरम्भ की जाएगी: ○ RBI ने **इंटरनेट कनेक्टिविटी** और **इंटरनेट की कम गति की समस्या का समाधान करने के लिए** मोबाइल उपकरणों और कार्ड्स का उपयोग करके ऑफ़लाइन भुगतान हेतु एक प्रायोगिक योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। • उच्च मूल्य वाले चेकों के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए **सकारात्मक भुगतान तंत्र (Positive Pay mechanism)** स्थापित किया जाएगा। यह तंत्र 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए होगा।

2.11. घाटे का मौद्रीकरण (Monetization of Deficit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन सहित कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि सरकार को घाटे का मौद्रीकरण करना चाहिए।

घाटे के मौद्रीकरण से क्या तात्पर्य है?

यदि सरकार का व्यय उसकी आय की तुलना में अधिक हो जाता है तो सरकार के समक्ष **राजकोषीय घाटे (fiscal deficit)** की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस घाटे का वित्तीयन (deficit financing) या तो **बाजार से उधार लेकर** या RBI के माध्यम से **घाटे का मौद्रीकरण** करके किया जाता है।

- सरल शब्दों में, **घाटे अथवा राजकोषीय घाटे के मौद्रीकरण** का तात्पर्य भविष्य की किसी तिथि पर चुकाए जाने वाले **ऋण के बजाए मुद्रा की छपाई** के माध्यम से अतिरिक्त व्ययों का वित्तपोषण करने से है। इसलिए, यह **"गैर-ऋण वित्तपोषण"** (non-debt financing) का एक रूप है। फलस्वरूप, मौद्रीकरण के कारण, **निवल (न कि सकल) सार्वजनिक ऋण** में कोई वृद्धि नहीं होती है।
- ऐसा केवल निम्नलिखित दो विधियों के माध्यम से किया जा सकता है:
  - **प्रत्यक्ष मौद्रीकरण (Direct Monetization: DM):** इस विधि के अंतर्गत, RBI नई मुद्रा की छपाई करता है। इस मुद्रा का उपयोग कर RBI, **सरकार के व्ययों को वित्त पोषित करने के लिए** प्राथमिक बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों या बॉण्ड्स का प्रत्यक्ष क्रय करता है। इस प्रकार, RBI के इस कदम से सरकार की व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
  - **अप्रत्यक्ष मौद्रीकरण (Indirect monetization: IM):** इस विधि के अंतर्गत, **सरकार प्राथमिक बाजार में बॉण्ड्स जारी करती है** और RBI अपने **ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO)** (खुला बाजार परिचालन अर्थात् खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय) के माध्यम से **द्वितीयक बाजार से सरकारी बॉण्ड्स का क्रय** करता है।

घाटे के मौद्रीकरण से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य

- भारत में घाटे का मौद्रीकरण **वर्ष 1997** तक प्रचलन में था। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक **एड-हॉक ट्रेजरी बिल** जारी करके सरकारी घाटे का स्वचालित रूप से मौद्रीकरण करता था।
- वर्ष 1994 और वर्ष 1997 में **एड-हॉक ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से वित्तीयन (अर्थात् सरकार के घाटे के मौद्रीकरण) को चरणबद्ध रूप से पूरी तरह से समाप्त करने के लिए** सरकार और RBI के मध्य दो समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था। आगे चलकर, **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management: FRBM) अधिनियम, 2003** के अधिनियमन के उपरांत, RBI को सरकार का प्राथमिक निर्गमन खरीदने से पूरी तरह से रोक दिया गया।
- **वर्ष 2017 में FRBM अधिनियम** में संशोधन कर एक **"बचाव खंड" (escape clause)** का समावेश किया गया। यह विशेष परिस्थितियों में सरकार को अपने **घाटे के मौद्रीकरण** की अनुमति देता है।

VISION IAS

मुद्रा आपूर्ति के मापक (Measures of Money Supply)

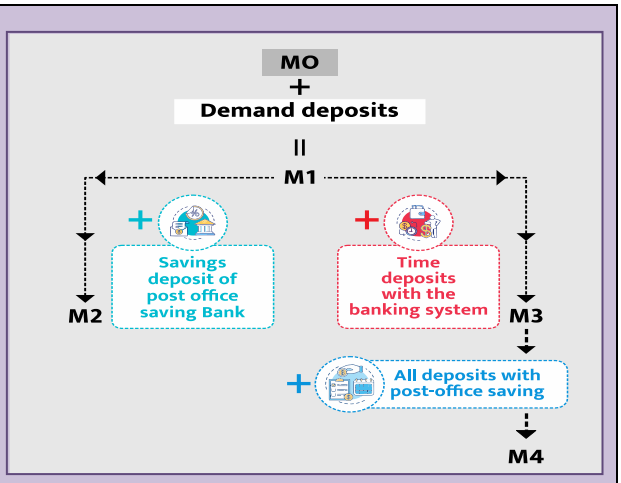

- **प्रारक्षित मुद्रा (Reserve Money) (M0):** इसे आधारभूत धन (High Powered money), मौद्रिक आधार (monetary base), आधार मुद्रा (base money) आदि के नाम से भी जाना जाता है। **M0 =** चलन में मुद्रा + RBI के पास बैंकों की जमाएं + RBI के पास अन्य जमाएं (M0= Currency in Circulation+ Bankers' Deposits with RBI + Other Deposits with RBI)।
- **संकीर्ण मुद्रा (Narrow Money) (M1)** = जनता के पास मुद्रा + बैंकों के पास मांग जमाएं (चालू खाता, बचत खाता) + RBI के पास अन्य जमाएं।
- **M2 =** M1 + डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाएं।
- **व्यापक मुद्रा (Broad Money) (M3)** = M1 + बैंकों के पास सावधि जमाएं (Time deposits)।
- **M4 =** M3 + डाकघर बचत बैंकों में सभी जमाएं।

2.12. RBI की 'रिस्क प्रोविजनिंग अकाउंट्स' {Risk Provisioning Accounts of RBI}

सुर्ख़ियों में क्यों?

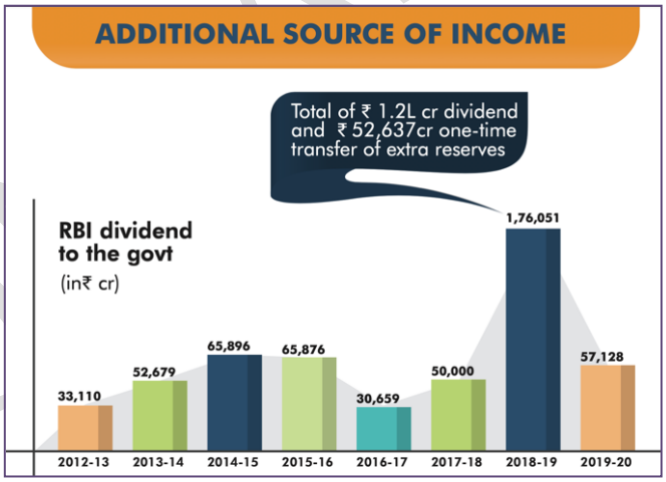

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अपनी 'आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund) में 73,000 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं।

RBI की प्रमुख रिस्क प्रोविजन अकाउंट्स:

- **आकस्मिकता निधि (Contingency Fund: CF):** यह विशिष्ट प्रावधान अप्रत्याशित (unexpected) और अनपेक्षित (unforeseen) आकस्मिकताओं को पूर्ण करने से संबंधित है। इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यह्रास व विनिमय दर नीति परिचालनों से उत्पन्न जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिम और रिज़र्व बैंक पर लागू विशेष उत्तरदायित्वों के कारण उत्पन्न जोखिम शामिल हैं।
- **मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा (Currency and Gold Revaluation Account: CGRA):** मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में अस्थिरता से उत्पन्न जोखिम से निपटने के लिए इसका अनुरक्षण (maintain) किया जाता है।
- **निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा-विदेशी प्रतिभूतियां (Investment Revaluation Account-Foreign Securities: IRA-FS):** यह विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन से अप्राप्त (unrealised) लाभ या हानि से संबंधित है।
- **निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा-रुपया प्रतिभूतियां (Investment Revaluation Account-Rupee Securities: IRA-RS):** यह रुपये मूल्य वर्ग की प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन से अप्राप्त लाभ या हानि से संबंधित है।

सरकार के लिए निहितार्थ

- इस अंतरण के कारण, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार को **RBI द्वारा अधिशेष (लाभांश) अंतरण में 67.5 प्रतिशत की कमी** आई है।
- **RBI अधिनियम की धारा 47 के अनुसार,** RBI के लाभ या अधिशेष को विभिन्न आकस्मिक प्रावधानों के निर्माण, RBI के सार्वजनिक नीति अधिदेश (जिसमें वित्तीय स्थिरता अनुमान शामिल हैं) आदि के पश्चात् सरकार को अंतरित किया जाता है।
  - यह अंतरण **RBI के लेखा वर्ष (जुलाई-जून) के समाप्त होने के पश्चात्** प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के आरंभ में संपन्न किया जाता है।
- RBI ने **आकस्मिक जोखिम बफर (Contingency Risk Buffer: CRB)** को 5.5% पर बनाए रखने का भी निर्णय किया है।

© Vision IAS

- **CRB,** भारतीय रिज़र्व बैंक की आर्थिक पूंजी का एक घटक है, जो इसकी मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता, साख (credit) तथा परिचालनात्मक जोखिमों को कवर करने के लिए आवश्यक है।

अन्य संबंधित तथ्य

हाल ही में, RBI ने **CSF से निकासी के नियमों को शिथिल करने** का निर्णय लिया है।

- **समेकित ऋण-शोधन निधि (Consolidated Sinking Fund: CSF) के बारे में**
  - इसे RBI द्वारा वर्ष 1999-2000 में राज्यों की **बाजार उधारियों के मोचन (redemption) हेतु** स्थापित किया गया था।
  - इस निधि को **राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा (पब्लिक अकाउंट) से बाहर बनाए** रखा जाता है तथा इसका उपयोग ऋण मोचन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है।
    - राज्य सरकारें प्रत्येक वर्ष CSF में उनके बकाया बाजार ऋण का **1-3 प्रतिशत तक** योगदान करती हैं।
  - वर्तमान में, राज्य सरकारें CSF में निधियों के संपार्श्विक के लिए RBI से **विशेष आहरण सुविधा** का लाभ उठा सकती हैं।

2.13. सुर्ख़ियों में रहे RBI के प्रमुख कदम और निर्णय (Key Steps and Decisions of RBI in News)

2.13.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' 2021 जारी {Reserve Bank of India (RBI) Releases the Financial Stability Report (FSR), 2021}

- यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की जाने वाली एक अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट है। FSR, वित्तीय क्षेत्र के विकास तथा विनियमन से संबंधित समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में **वित्तीय स्थिरता के समक्ष जोखिम और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन** को दर्शाती है।

PERFORMANCE PARAMETERS	Findings (for SCBs)	Trend
Capital to risk-weighted assets ratio (CRAR): Also known as Capital Adequacy Ratio (CAR), it is the ratio of a bank's capital in relation to its risk weighted assets and current liabilities. **Basel III norms stipulated CRAR 8%.**	• March 2020: 14.7% • September 2020: 15.8%.	▲ IMPROVED
The gross non-performing asset (GNPA) ratio: A non performing asset (NPA) is a loan or advance for which the principal **or interest payment remained overdue for a period of 90 days.**	• March 2020: 8.4% • September 2020: 7.5%	IMPROVED ▼
Provision coverage ratio (PCR): Banks are required to set aside a portion of their profits as a provision against bad loans. This is called PCR. **A high PCR** ratio (ideally above 70%) means most asset quality issues have been taken care of and **the bank is not**	• March 2020: 66.2% • September 2020: 72.4%.	▲ IMPROVED

प्रदर्शन मापदंड	निष्कर्ष
• **जोखिम-भारित आस्तियों से पूंजीगत अनुपात (Capital to Risk-Weighted Assets Ratio: CRAR):** इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio: CAR) के रूप में भी जाना जाता है। यह बैंकों की **जोखिम भारित आस्ति और वर्तमान देनदारियों के संबंध में उसकी पूंजी का अनुपात** है। बेसल III मानदंडों ने 8% CRAR निर्धारित किया है।	• **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का CRAR** मार्च 2020 के 14.7% से बढ़कर सितंबर 2020 में 15.8% हो गया।
• **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Gross Non-Performing Asset: GNPA) अनुपात:** एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) एक ऋण या अग्रिम है, जिसके लिए मूल या ब्याज	• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का GNPA अनुपात 8.4% से घटकर 7.5% हो गया। **बेसलाइन परिदृश्य के तहत** सभी SCBs का GNPA अनुपात सितंबर 2021 तक **बढ़कर**

भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए बकाया (अतिदेय) होता है।	**13.5%** हो सकता है और **गंभीर तनाव परिदृश्य के तहत 14.8%** तक बढ़ सकता है।
• **प्रावधान कवरेज अनुपात (Provision Coverage Ratio: PCR):** बैंकों को अपने लाभ के एक हिस्से को अशोध्य ऋणों के विरुद्ध प्रावधान के रूप में निर्धारित करना आवश्यक होता है। इसे PCR कहा जाता है। एक उच्च PCR अनुपात (आदर्श रूप से 70% से ऊपर) का आशय है कि अधिकांश **परिसंपत्ति गुणवत्ता के मुद्दों का ध्यान रखा गया है और बैंक सुभेद्य नहीं** है।	• **PCR** 66.2% से **बढ़कर 72.4%** हो गया है।

2.13.2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य विकास ऋण के लिए प्रथम बार खुले बाज़ार परिचालन का आयोजन {RBI Conducted the First-ever Open Market Operation (OMO) in State Development Loans (SDL)}

- भारत में, **केंद्र सरकार द्वारा, ट्रेजरी बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों ही जारी किए जाते हैं,** जबकि राज्य सरकारें **केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां** जारी करती हैं, जिन्हें **राज्य विकास ऋण (SDL)** कहा जाता है।
  - **SDLs, राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए बॉण्ड हैं,** जिन पर **ब्याज दरें सामान्यतया केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (G-secs) से अधिक** प्रदान की जाती हैं।
  - राज्य विकास ऋण, **G-sec के समान सुरक्षित होते हैं, क्योंकि राज्यों को उप-संप्रभु (sub-sovereign) माना जाता है।**
  - SDLs को **सांविधिक चलनिधि अनुपात (Statutory Liquidity Ratio)** हेतु उपयोग किया जा सकता है तथा मार्केट रेपो के माध्यम से उधार लेने और साथ ही साथ **चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility)** के तहत RBI के अधीन पात्र संस्थाओं से उधार प्राप्त करने के लिए भी संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
- **RBI द्वारा OMOs का संचालन** बाजार में रुपए की **तरलता की स्थिति को समायोजित** करने के उद्देश्य से **बाजार से/को सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री के माध्यम से** किया जाता है।

2.13.3. व्हाइट-लेबल अभिकर्ताओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले ATMs के लिए RBI द्वारा मानदंडों में ढील {RBI Relaxes Norms for Deployment of ATMs by White-label Players}

- अब, व्हाइट लेबल ATMs (WLATM) अभिकर्ताओं को वर्ष 2012 के लाइसेंस शर्तों के तहत निर्धारित कठोर रन-रेट्स (जिसके तहत उन्हें प्रत्येक वर्ष हजारों यूनिट्स की स्थापना करनी पड़ती थी) के बजाए **प्रबंधनीय वार्षिक लक्ष्यों (manageable annual targets)** का अनुपालन करना होगा।
  - उदाहरण के लिए- पूर्व में विभिन्न योजनाओं के तहत WLATM अभिकर्ताओं को लाइसेंस प्राप्त करते वक़्त ATMs स्थापित करने के संबंध में अनुपात आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता था (अर्थात् टियर-III से VI सेंटर्स में स्थापित ATMs की संख्या का टियर-I से II सेंटर्स में स्थापित ATMs की संख्या से अनुपात निर्धारित किया गया था)
- **WLATM** की स्थापना, स्वामित्व और संचालन गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा किया जाता है।
  - **ATMs हेतु नकदी को प्रायोजित बैंक (sponsored bank) द्वारा प्रदान किया जाता है** जबकि ATM मशीन द्वारा प्रायोजक बैंक की कोई ब्रांडिंग नहीं की जाती है।
  - यह ATMs के **भौगोलिक प्रसार को बढ़ाने में सहायता करेगा** (विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में)।
  - कंपनियों को व्यवसाय संचालन हेतु **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment & Settlement Systems Act, 2007)** के अंतर्गत RBI से लाइसेंस प्राप्त करना होता है।
  - **टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (इंडिकैश)** देश में व्हाइट लेबल ATMs की स्थापना हेतु RBI द्वारा अधिकृत **प्रथम कंपनी** है।

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India: NPCI) भारत के सभी ATMs को लिंक करता है।

- **ये ब्राउन-लेबल ATMs से भिन्न होते हैं,** जिनका स्वामित्व और ब्राण्ड बैंकों के पास होता है, लेकिन इनका संचालन व रखरखाव तृतीय पक्ष के ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है।

2.13.4. आर.बी.आई. द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक का प्रारंभ (RBI Introduces Digital Payments Index)

- **RBI-DPI में 5 व्यापक मापदंड शामिल हैं,** जो विभिन्न समयावधि में देश में डिजिटल भुगतान की व्यापकता और पैठ का मापन करने में सक्षम हैं।
  - **ये मापदंड हैं:** भुगतान सक्षमकर्ता (भारांश 25%), भुगतान अवसंरचना- मांग-पक्ष कारक (10%), भुगतान अवसंरचना-आपूर्ति-पक्ष कारक (15%), भुगतान निष्पादन (45%) और उपभोक्ता केंद्रितता (5%)।
- RBI-DPI का निर्माण **मार्च 2018 को आधार अवधि मानकर** किया गया था, अर्थात् मार्च 2018 के लिए DPI स्कोर 100 निर्धारित किया गया है।
  - मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए DPI क्रमशः 153.47 और 207.84 पर हैं। ये **वर्ष 2018-20 में डिजिटल भुगतान के विस्तार में सराहनीय वृद्धि की ओर संकेत करते हैं।**
  - DPI स्कोर **मार्च 2021 से 4 माह के अंतराल के साथ RBI की वेबसाइट पर अर्ध-वार्षिक आधार पर** प्रकाशित किया जाएगा।

2.14. प्रमुख अवधारणाएं एवं सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News)

सूक्ष्म वित्त संस्थान (Micro Finance Institutions: MFIs)	• **MFIs** वस्तुतः अल्प आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले संगठन हैं। ये अपने ग्राहकों को सूक्ष्म ऋण; बचत संग्रह; फंड प्रेषण; पेंशन या बीमा आदि सुविधाएं प्रदान करते हैं। • सूक्ष्म वित्त संस्थान NBFCs, सोसायटी, ट्रस्ट या सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। ○ वर्ष 1974 में अहमदाबाद में स्थापित भारत का प्रथम पंजीकृत MFI **'सेल्फ एम्पलॉयड विमेंस एसोसिएशन (SEWA)** है।
स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग {Voluntary Retention Route (VRR)}	• VRR वस्तुतः एक निवेश सुविधा है, जो RBI द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को प्रदान की जाती है। इसके तहत उच्च निवेश करने की प्रतिबद्धता के एवज में नियमों को सरल कर दिया जाता है।
तरलता पाश (लिक्विडिटी ट्रैप)	• तरलता पाश एक ऐसी विरोधाभासी आर्थिक स्थिति है जिसमें ब्याज दरें बहुत निम्न होती हैं और बचत की दर बहुत उच्च होती है, फलस्वरूप मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। इसके कारण एक ऐसे आर्थिक परिवेश का सृजन होता है, जहाँ अर्थव्यवस्था में सृजित अतिरिक्त मुद्रा या मुद्रा आपूर्ति से निवेश को बल नहीं मिलता है। इसके स्थान पर उक्त मुद्रा या मुद्रा आपूर्ति को बचत (सेविंग्स) के रूप में प्रयोग किया जाता है। फलतः अर्थव्यवस्था पहले की भांति समान तरलता स्तर पर बनी रहती है। दूसरे शब्दों में, तरलता पाश के कारण नए निवेश को बल नहीं मिलता है। 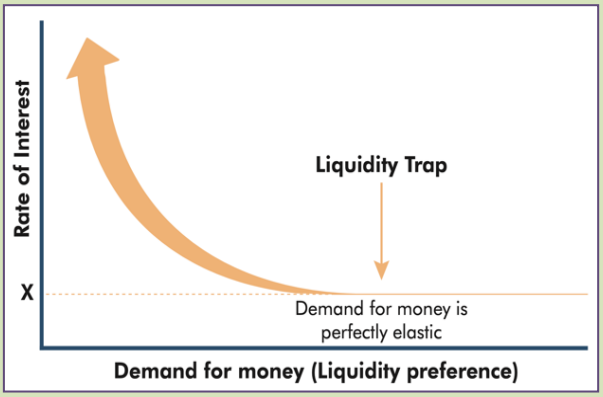

कोर निवेश कंपनियाँ (Core Investment Companies: CICs)	• हाल ही में, **RBI ने CICs हेतु कुछ संशोधित मानदंड जारी** किए हैं। • CIC एक प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Finance Company: NBFC) होती है। यह **मुख्यतः शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण (acquisition) संबंधी कारोबार में संलग्न होती** है। ○ CICs अपनी कुल परिसंपत्तियों का **कम-से-कम 90 प्रतिशत हिस्सा** ग्रुप कंपनियों के इक्विटी शेयर, प्रिफरेंश शेयर (अधिमानी शेयर), बॉण्ड्स, डिबेंचर, कर्ज या ऋण में किए गए निवेश के रूप में धारण करती हैं।
बैंक निवेश कंपनी (Bank Investment Company: BIC)	• सरकार **सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए एक होल्डिंग कंपनी (BIC) स्थापित करने की योजना बना रही है।** ○ वर्ष 2014 में **पी. जे. नायक समिति** द्वारा BIC को स्थापित करने की सिफारिश की गयी थी। ज्ञातव्य है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकों के बोर्डों के अभिशासन की समीक्षा के लिए इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। • BIC द्वारा स्वतंत्र रूप से सरकार के हस्तक्षेप के बिना सभी बैंकों को नियंत्रित किया जाएगा। इसके द्वारा यह सुनिश्चित करने में भी सहायता प्रदान की जाएगी कि **इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को रणनीतिक रूप से कम करके 51% तक किया जाए।**
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH)	• **RBIH निम्नलिखित कृत्यों हेतु अधिदेशित है:** ○ यह वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और वित्तीय समावेशन व कुशल बैंकिंग सेवाओं को और अधिक गहन करके, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करके आदि द्वारा **वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा।** ○ यह **फिनटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने** तथा नवाचारों (innovators) और स्टार्ट-अप्स के साथ संलग्नता को सुविधाजनक बनाने के लिए **आंतरिक अवसंरचना का विकास करेगा।** ○ यह हब वित्तीय नवाचार के लिए **वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों**, प्रौद्योगिकी उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के **साथ सहयोग स्थापित करेगा।** • RBIH को **9 सदस्यों की एक शासी परिषद तथा एक अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा।** • साथ ही, विगत नवंबर में, RBI ने इसी उद्देश्य के साथ **विनियामक सैंडबॉक्स संरचना (Regulatory sandbox structure)** शुरू की थी।

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

3. वित्तीय प्रणाली और वित्तीय बाजार (Financial Systems and Financial Markets)

3.1. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 {Financial Stability Report (FSR) 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India: RBI) द्वारा जुलाई 2020 की 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' (Financial Stability Report: FSR) जारी की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- FSR एक छमाही रिपोर्ट है। यह **वित्तीय स्थिरता के समक्ष जोखिम और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को दर्शाती है।**
- यह रिपोर्ट अलग-अलग संकेतकों पर **कोविड-19 महामारी के प्रभाव के** विभिन्न परिदृश्य को प्रस्तुत करती है।
- **इस रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष:**
  - सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Gross Non-Performing Assets: GNPA) अनुपात** आधार-रेखा (baseline) परिदृश्य के तहत मार्च 2020 के 8.5% से बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5% हो सकता है।
  - **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (Non-Banking Financial Companies: NBFCs):** NBFCs के लिए **बाजार वित्त-पोषण की घटती हिस्सेदारी एक चिंता का विषय है,** क्योंकि इससे NBFCs के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के समक्ष तरलता जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
  - **वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के समक्ष जोखिम:** ऋणग्रस्त गैर-वित्तीय क्षेत्र, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि और कोरोना महामारी जनित आर्थिक गिरावट के कारण वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के समक्ष जोखिम उत्पन्न हुआ है।

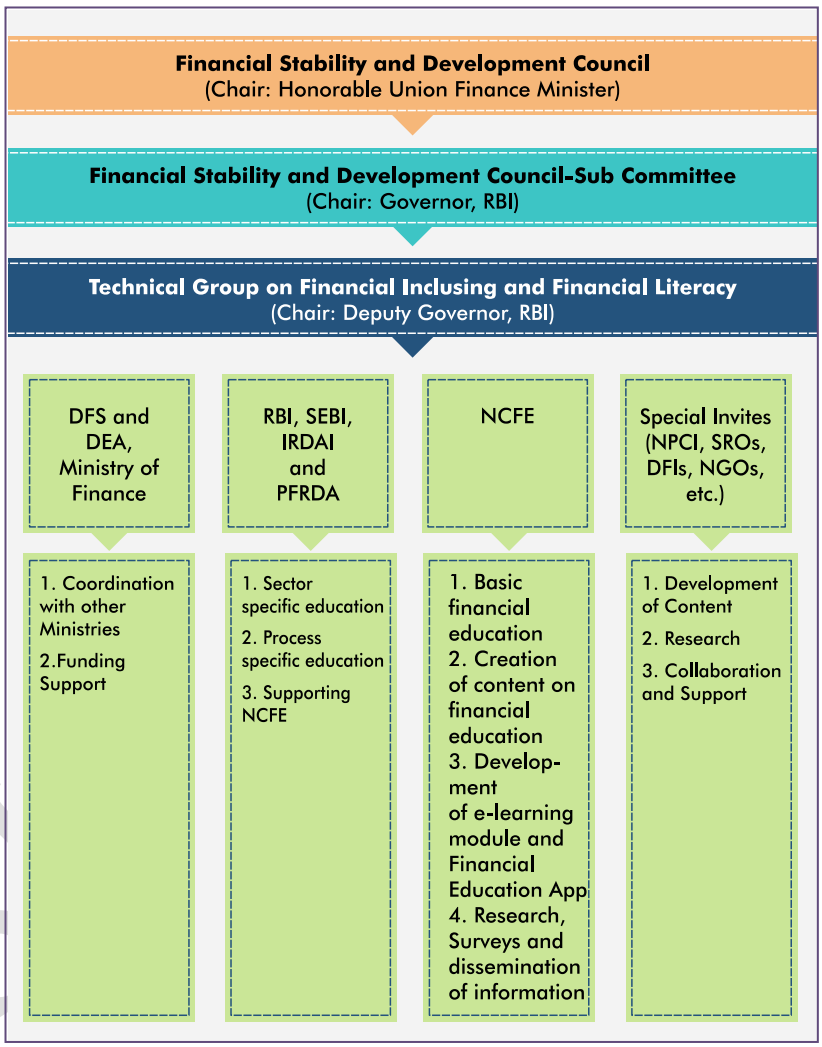

3.2. राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति 2020-2025 {National Strategy for Financial Education (NSFE) 2020-2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति (NSFE): 2020-2025 जारी की।

NSFE के संबंध में

- पहला NSFE 2013-2018 की अवधि के लिए 2013 में जारी किया गया था।
- NSFE का उद्देश्य जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को **अपने धन का बेहतर प्रबंधन करने** और अपने भविष्य की योजना बनाने हेतु **आवश्यक ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति और व्यवहार विकसित करने के लिए** सशक्त बनाना है।

- NSFE आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने के लिए बहु-हितधारक-संचालित दृष्टिकोण की अनुशंसा करता है।
- NSFE को **राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (National Centre for Financial Education: NCFE)** द्वारा वित्तीय क्षेत्रक के सभी नियामकों (RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA), वित्तीय सेवा विभाग (DFS) और अन्य मंत्रालयों और अन्य हितधारकों (DFI, SRO, IBA, NPCI) से परामर्श करके **तैयार किया गया है**।
    - राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (NCFE) की स्थापना वर्ष 2013 में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए सभी वित्तीय विनियामकों अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की सहायता से की गई। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप-समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह के तत्वाधान में कार्य करता है। NCFE अब धारा 8 (गैर-लाभकारी) कंपनी है जो 5 सितंबर 2018 को निगमित हुई।
- **वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह** NSFE की **आवधिक निगरानी और कार्यान्वयन** के लिए उत्तरदायी होगा।

भारत में वित्तीय साक्षरता की स्थिति

- NCFE ने भारत में वित्तीय साक्षरता की स्थिति का पता लगाने के लिए वर्ष **2019 में अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षण** किया था।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
    - **27.18% उत्तरदाताओं ने** वित्तीय साक्षरता के प्रत्येक घटक (वित्तीय ज्ञान, वित्तीय दृष्टिकोण, वित्तीय व्यवहार) में आर्थिक समन्वय एवं विकास संगठन (OECD) द्वारा निर्धारित **न्यूनतम लक्षित प्राप्तांक/न्यूनतम सीमा प्राप्तांक प्राप्त किया**।
    - पूर्व, मध्य और उत्तर क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
    - **ग्रामीण भारत, कम शिक्षित लोगों और** 50 **और उससे अधिक आयु वर्ग के समूहों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।**

3.3. भुगतान प्रणालियां (Payment Systems)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भुगतान प्रणालियों के प्रबंधन हेतु 'छत्र-इकाई' (Umbrella Entity: UE) के लिए रूपरेखा जारी की है।

छत्र-इकाई (Umbrella Entity: UE) के बारे में

- यह छत्र-इकाई (अंब्रेला एंटिटी) खुदरा बाजार के अंतर्गत **नई भुगतान प्रणाली/प्रणालियों की स्थापना, प्रबंधन और परिचालन** करेगी, जिसमें ए.टी.एम., व्हाइट लेबल पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS), आधार-आधारित भुगतान और विप्रेषण सेवाएं आदि शामिल होंगी।
- पिछले वर्ष, RBI ने एकाधिकार और सकेंद्रण संबंधी जोखिम की रोकथाम हेतु खुदरा भुगतान के लिए एक **वैकल्पिक छत्र संगठन**

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India: NPCI) के बारे में

- **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम** वस्तुतः RBI और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक संयुक्त पहल है, जो भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अंब्रेला एंटिटी है।
- **NPCI के दस प्रमुख प्रवर्तक बैंक हैं-** स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, सिटी बैंक, HSBC और ICICI बैंक।
- यह संगठन भारत के लिए एक **सुदृढ़ भुगतान और निपटान प्रणाली का बुनियादी ढांचा** तैयार करने के लिए **भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के प्रावधानों के तहत कार्य करता है।
- यह **कंपनी अधिनियम, 1956** (अब, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) की धारा 25 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक **गैर-लाभकारी संगठन (non-profit organisation)** है।
- NPCI का उद्देश्य **भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं निपटान प्रणाली दोनों के लिए संपूर्ण बैंकिंग उद्योग को बुनियादी ढाँचा प्रदान** करना है।
- यह नेशनल फाइनेंशियल स्विच, तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service: IMPS), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS), चेक ट्रंकेशन सिस्टम, RuPay, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) जैसे विभिन्न उत्पाद प्रदान करता है।

© Vision IAS

(alternative umbrella organisation) के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

- RBI का यह मानना था कि 60% से अधिक खुदरा भुगतानों को नियंत्रित करने वाला **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India: NPCI)** अब "टू बिग टू फेल" की श्रेणी में शामिल हो गया है।
- वर्तमान में, NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए **एकमात्र छत्र संगठन** है।

प्रमुख दिशा-निर्देश:

- यह इकाई **संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007)** के तहत अधिकृत होगी और **कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013)** के अधीन भारत में निगमित एक कंपनी होगी।
- वे इकाइयाँ जो **भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन हैं,** आवेदन करने हेतु पात्र होंगी। इस इकाई की न्यूनतम चुकता पूंजी (paid-up capital) 500 करोड़ रुपये होगी।
- यह भागीदार बैंकों और गैर-बैंकों के लिए **समाशोधन एवं निपटान प्रणाली (operate clearing and settlement systems) के परिचालन के साथ-साथ** संबद्ध जोखिमों की पहचान और प्रबंधन करेगी तथा देश में एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास और संबंधित मुद्दों की निगरानी करेगी।

अन्य संबंधित तथ्य

हाल ही में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली की 24 घंटे उपलब्धता शुरू की गई है।

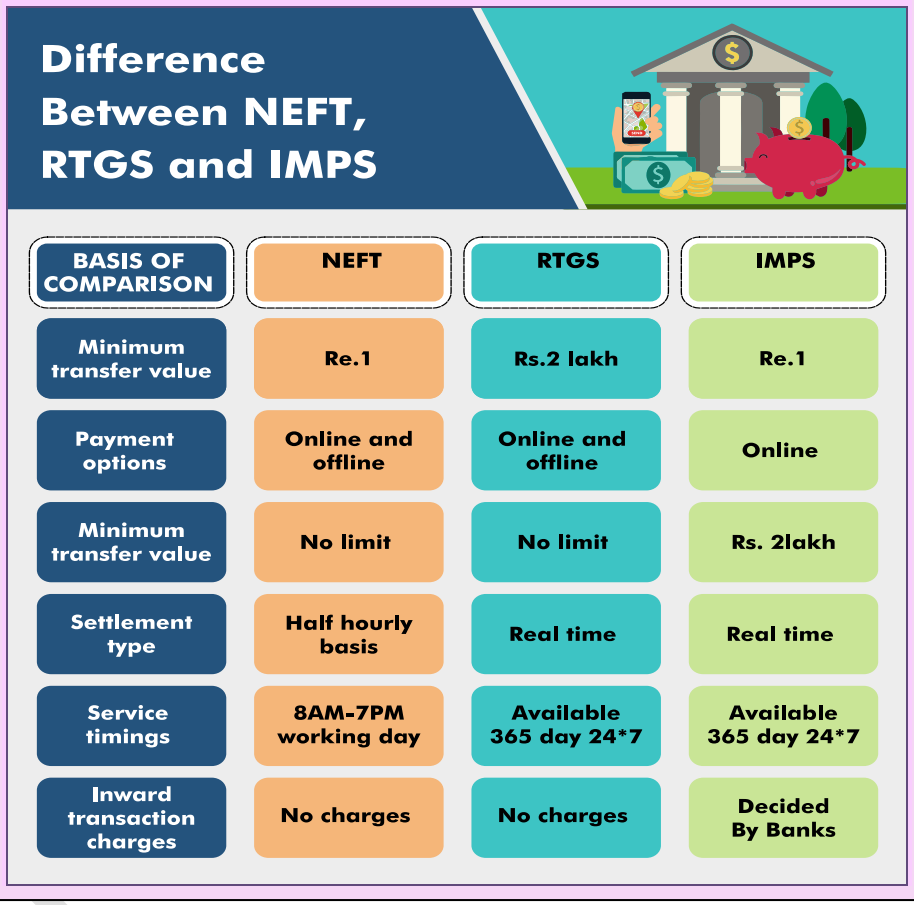

भुगतान प्रणाली से संबंधित हालिया घटनाक्रम

- **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा PAi का शुभारंभ**
  - PAi वस्तुतः वास्तविक समय आधार पर NPCI के उत्पादों, जैसे- **FASTag, RuPay, UPI, AePS** के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित चैटबॉट है।
    - इसे बेंगलुरु स्थित एक स्टार्ट-अप **कोरोवर (CoRover) प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा विकसित किया गया है।
  - NPCI भारत में **खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली** के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है।
    - यह संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत RBI और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है।
- **डाकपे (DakPay):**
  - यह **भारतीय डाक भुगतान बैंक (India Post Payments Bank: IPPB)** द्वारा आरंभ किया गया **एक डिजिटल भुगतान ऐप** है।

- इस ऐप का उपयोग **डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं** जैसे घरेलू मुद्रा अंतरण, क्यूआर कोड स्कैनिंग आदि के लिए किया जा सकता है।

- IPPB **डाक विभाग, संचार मंत्रालय** के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसमें **भारत सरकार की 100% इक्विटी** है।
- यह **भारतीय रिज़र्व बैंक** द्वारा अभिशासित है। यह संपूर्ण देश में विस्तारित **भारतीय डाक विभाग के डाक नेटवर्क** द्वारा भुगतान सेवाएं प्रदान करता है।

भूटान में रुपे (RuPay) कार्ड के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया

रुपे (RuPay) कार्ड का द्वितीय चरण भूटानी कार्ड धारकों को भारत में RuPay नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगा।

रुपे (RuPay) कार्ड के बारे में

- यह वर्ष 2012 में आरंभ किया गया था, जो कि स्वदेशी डेबिट, क्रेडिट, इंटरनेशनल, प्रीपेड और संपर्क रहित कार्ड है। इसका उपयोग **ए.टी.एम., पॉइंट ऑफ सेल (PoS) उपकरणों और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स** आदि में किया जा सकता है।
- इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा आरंभ किया गया था।
- वर्तमान में, रुपे कार्ड 1,100 से अधिक बैंक शाखाओं द्वारा जारी किए जाते हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंक शामिल हैं।
- भारत ने **यू.ए.ई., बहरीन, सिंगापुर, सऊदी अरब और भूटान में रुपे (RuPay) कार्ड आरंभ किया** है।
- यह **अल्प-नकदी अर्थव्यवस्था (less cash economy)** की दिशा में भारत को प्रेरित करने के लिए आवश्यक बैंकिंग अवसंरचना के निर्माण हेतु की गई पहल थी।

3.3.1. भुगतान अवसंरचना विकास कोष (Payments Infrastructure Development Fund: PIDF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा भुगतान अवसंरचना विकास कोष (Payments Infrastructure Development Fund: PIDF) के गठन की घोषणा की गई है।

PIDF के बारे में

- 500 करोड़ रुपये के PIDF का उद्देश्य भौतिक एवं डिजिटल दोनों तरीकों से **प्वाइंट्स ऑफ सेल (PoS)** से संबंधित बुनियादी ढांचे के परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय कंपनियों (acquirers) को प्रोत्साहित करना है।
- PIDF में आरंभिक निधि (कॉर्पस) **500 करोड़ रुपये** की होगी, जिसमें से **आधे (250 करोड़ रूपये) का योगदान RBI** द्वारा किया जाएगा।
- शेष राशि **कार्ड जारी करने वाले बैंकों** और **कार्ड नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों** से जुटायी जाएगी।
- इसके द्वारा परिचालन व्यय हेतु कार्ड जारी करने वाले बैंकों एवं कार्ड नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों से आवर्ती योगदान (recurring contributions) भी संग्रहित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो वार्षिक कमी को पूरा करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा भी योगदान किया जाएगा।
- PIDF को एक **सलाहकार परिषद (Advisory Council) के माध्यम से शासित** किया जाएगा तथा RBI द्वारा इसे प्रबंधित एवं प्रशासित किया जाएगा।

पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनें

- PoS टर्मिनलों पर कार्डधारक **बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्ड एवं ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड** का उपयोग करके नकदी निकाल सकते हैं।
- हालांकि, इस सुविधा के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) खातों के साथ प्रदान किए गए ओवरड्राफ्ट सुविधा से युक्त **इलेक्ट्रॉनिक कार्ड** के उपयोग के साथ-साथ, **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface: UPI)** का भी प्रयोग कर इन PoS टर्मिनलों से नकद राशि आहरित की जा सकती हैं।

VISION IAS

- इस कोष की स्थापना **नंदन नीलेकणी** की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की अनुशंशाओं के अनुरूप की गयी है।
- विगत वर्ष RBI ने ग्रामीण भारत में डिजिटल रूप से लेन-देन को बढ़ावा देने तथा भुगतान नेटवर्क के अंतिम चरण (last-mile payments network) में सुधार के लिए **स्वीकृति विकास कोष (Acceptance Development Fund)** की स्थापना की घोषणा की थी।

भुगतान अवसंरचना विकास कोष (Payments Infrastructure Development Fund: PIDF) योजना

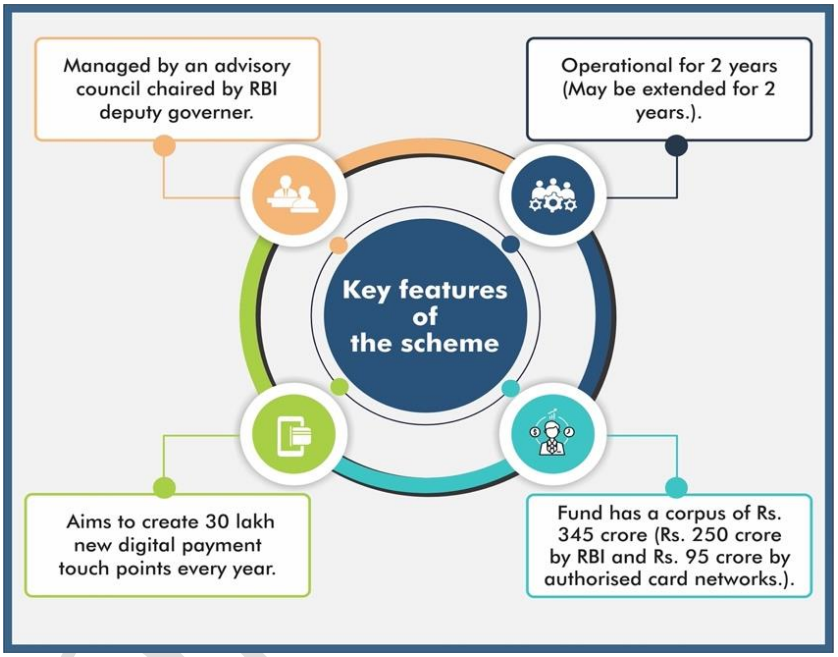

- यह मुख्यतया टियर 1 एवं टियर 2 शहरों में संकेंद्रित PoS टर्मिनलों को टियर-3 से लेकर टियर-6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित या स्थानांतरित करने में सहायता करेगा। उच्च लागत के कारण ये शहर/केंद्र या क्षेत्र उपयुक्त PoS की सुविधा से वंचित रह गए हैं।
- PIDF का उद्देश्य **टियर-3 से लेकर टियर-6 केंद्रों तक अधिकाधिक डिजिटल भुगतान अवसंरचना के विकास** को प्रोत्साहित करना है। ज्ञातव्य है कि इस योजना में पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  - इस योजना में **आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यापारियों को लक्षित किया जाएगा** जैसे कि परिवहन और आतिथ्य, सरकारी भुगतान, स्वास्थ्य सुविधाएं, किराना दुकान आदि।
- PIDF विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के आधार पर भुगतान अवसंरचना के विकास के लिए बैंकों और गैर-बैंकों को सब्सिडी प्रदान करेगा।
  - इस योजना के तहत **भुगतान स्वीकृति उपकरण और कार्ड से भुगतान का समर्थन करने वाली सुविधाएं** सम्मिलित होंगी। इसके अंतर्गत, **भौतिक PoS (पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल), जनरल पैकेट रेडियो सेवा (GPRS), QR कोड-आधारित भुगतान** आदि शामिल हैं।

"डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए" नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में गठित समिति की अन्य संस्तुतियां:

- पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) उपकरणों के **आयात पर लगने वाले शुल्क को हटाना** तथा तत्काल भुगतान सेवा (5000 रुपये तक के लेन-देन के लिए) पर **GST (वस्तु एवं सेवा कर) से छूट।**
- **सरकारी भुगतान डिजिटल साधनों के माध्यम से किया जाना चाहिए**, जिसमें खरीदी गई वस्तुओं व सेवाओं के लिए भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), वेतन एवं पेंशन सम्मिलित हैं।
- खाता/आधार के गलत विवरण के कारण लेन-देन में विफलता की घटनाओं को कम करने के लिए **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System)** तथा **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India) जैसी मानक सेवाओं का उपयोग करना।**
- DBT में कनेक्टिविटी तथा प्रमाणीकरण त्रुटियों को दूर करने के लिए **समर्पित शिकायत निवारण तंत्र** (विशेषकर स्थानीय भाषा में) उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- RBI को विभिन्न क्षेत्रकों की तुलना करने के लिए एक **वित्तीय समावेशन सूचकांक** विकसित करना चाहिए।

3.4. द्विपक्षीय नेटिंग (Bilateral Netting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय बाजारों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020)** को अधिनियमित किया गया।

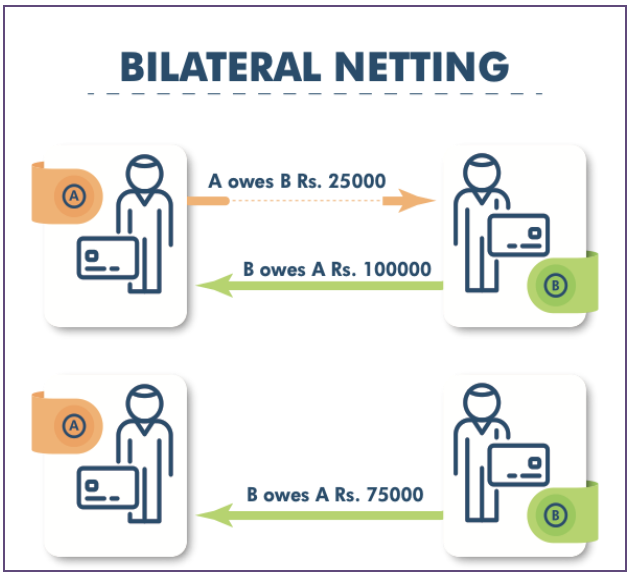

द्विपक्षीय नेटिंग के बारे में

- द्विपक्षीय नेटिंग समझौते के माध्यम से किसी वित्तीय संविदा में शामिल **दो पक्षकार एक-दूसरे की देनदारियों का निपटान करते हैं।** इसके तहत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की बकाया राशि का एक बार में ही भुगतान किया जाता है।
  - **नेटिंग** से तात्पर्य दो पक्षों के मध्य होने वाले सौदे से उत्पन्न सभी दावों के निपटारे से है, जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देय या प्राप्य शुद्ध राशि का निर्धारण करता है। (इन्फोग्राफिक देखें)
- इसी प्रकार, **बहुपक्षीय नेटिंग समझौते (multilateral netting agreement)** के अंतर्गत एक केंद्रीय प्रतिपक्ष (Central Counterparty: CCP) के माध्यम से विभिन्न पक्षकार एक-दूसरे की देनदारियों का निपटारा करते हैं। भारत में भुगतान तथा निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2015 {Payment and Settlement Systems (Amendment) Act, 2015} के अंतर्गत इसकी सुविधा प्रदान की गयी है।
- ज्ञातव्य है कि पहले, **भारतीय वित्तीय संविदा कानून के अंतर्गत द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी गयी थी।** हालांकि, बहुपक्षीय नेटिंग की अनुमति प्रदान की गई थी।
- भारत में, कुल वित्तीय संविदा में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संविदाओं (कॉन्ट्रैक्ट्स) का हिस्सा क्रमशः **40 प्रतिशत** और **60 प्रतिशत** है।
- **विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नेटिंग बहुत सामान्य है,** जहां द्विपक्षीय या बहुपक्षीय नेटिंग के मामले में नेट पोजीशन (न कि ग्रॉस पोजीशन) के आधार पर दावों का निपटान किया जाता है।
  - वर्तमान में, **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर और मलेशिया** जैसे देशों में नेटिंग समझौतों के लिए कानूनी प्रावधान विद्यमान हैं।
  - **वित्तीय स्थिरता बोर्ड (Financial Stability Board: FSB)** और **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (Basel Committee on Banking Supervision)** जैसे वैश्विक नियामकों ने ऐसी नेटिंग के उपयोग का समर्थन किया है।

महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ:

- **डेरिवेटिव (Derivatives):** यह एक ऐसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) होती है, जिसमें प्रतिभूति का मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य पर निर्भर करता है/उससे प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रकार के डेरिवेटिव में **ऑप्शन्स, वायदा (Futures), अग्रिम (Forwards), वॉरंट,**

© Vision IAS

स्वैप आदि सम्मिलित हैं।

- **ओवर द काउंटर (OTC) डेरिवेटिव:** जब दो पक्षकार बिना किसी एक्सचेंज या मध्यवर्ती संस्थाओं की सहायता से द्विपक्षीय समझौते के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट्स (संविदाओं) का व्यापार करते हैं तो उसे OTC डेरिवेटिव्स कहते हैं।
- **अर्हक वित्तीय संविदा (Qualified Financial Contracts: QFC):** QFC का अभिप्राय वित्तीय बाजार के दो अर्ह सहभागियों के मध्य द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट्स (संविदा) से है, जहां QFC के रूप में अधिसूचित द्विपक्षीय संविदा का कम से कम एक पक्षकार उपयुक्त प्राधिकारी के अधीन विनियमित इकाई होता है।

"अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधनियम, 2020" के बारे में

- यह अधिनियम **अर्हक वित्तीय संविदाओं (QFCs)** की द्विपक्षीय नेटिंग के लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान करता है। उल्लेखनीय है कि QFC ओवर द काउंटर डेरिवेटिव (OTC) संविदा होते हैं।

- **यह अधिनियम निम्नलिखित के बारे प्रावधान करता है:**
  - केंद्र सरकार या कुछ विनियामक प्राधिकरणों को किसी **द्विपक्षीय समझौते** या संविदा या लेन-देन, या अन्य प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को QFC के रूप में घोषित करने का अधिकार दिया गया है। ये प्राधिकरण हैं- सेबी, RBI आदि (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - इसमें नेटिंग समझौते की शर्तों से बाहर निकलने के लिए **कुल देय राशि का निर्धारण करने के बारे में उपबंध** शामिल हैं।
  - इस क्षेत्र से जुड़े प्रशासकों की शक्तियों पर **कुछ सीमाएं आरोपित की गयी हैं।**

3.5. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority: IFSCA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, IFSCA ने नवीन वित्तीय प्रौद्योगिकीय (फिन टेक/FinTech) समाधानों का लाभ उठाने हेतु रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की है

अन्य संबंधित तथ्य

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority: IFSCA) को एक **विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित करने के उद्देश्य से** स्थापित किया गया है। इसे गांधीनगर में **गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (गिफ्ट/GIFT) सिटी** में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में स्थापित किया गया है।
  - यह बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों और फंड प्रबंधन की विस्तृत श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय उत्पादों तथा वित्तीय सेवाओं में **फिनटेक पहलों को बढ़ावा देने का प्रयास** करता है।

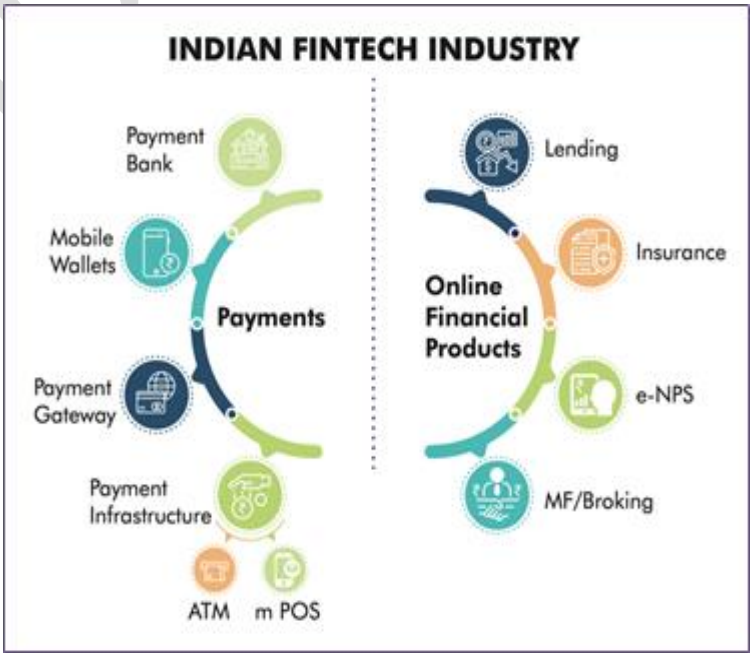

- इस दिशा में, IFSCA ने **"रेगुलेटरी सैंडबॉक्स" हेतु एक रूपरेखा** निर्मित की है।
  - इस सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवा क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों को **नवीन फिनटेक समाधानों के साथ प्रयोग करने के लिए कुछ सुविधाएँ और नम्यता प्रदान की जाएंगी।**

- **रेगुलेटरी सैंडबॉक्स** वस्तुतः एक नियंत्रित विनियामकीय परिवेश में नए उत्पादों या सेवाओं के प्रत्यक्ष परीक्षण (live testing) को संदर्भित करता है। इसके तहत विनियामक, परीक्षण के सीमित उद्देश्य हेतु कुछ विनियामकीय छूट प्रदान कर सकते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority: IFSCA) ने IFSC में REITs और InvITs के लिए विनियामक ढांचा निर्धारित किया है

- IFSC में पंजीकृत **REITs और InvITs** को IFSC, भारत एवं अन्य विदेशी अधिकार क्षेत्रों में क्रमशः **रियल एस्टेट परिसंपत्तियों तथा अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति** प्रदान की गई है।
- **वैश्विक प्रतिभागियों को अनुमति:** अर्थात्, **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF)** के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने वाले देशों में निगमित REITs और InvITs को GIFT-IFSC में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने की अनुमति प्रदान की गई है।
- **InvITs वस्तुतः म्युचुअल फंडों के समान निवेश योजनाएं** हैं, जो प्रतिफल के रूप में आय का एक हिस्सा अर्जित करने के लिए व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को **अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश की अनुमति** प्रदान करती हैं।
- REITs, **सूचीबद्ध संस्थाएं** होती हैं, जो आय सृजित करने के लिए **इमारतों/संपत्तियों का स्वामित्व ग्रहण करती हैं या उनका संचालन और प्रबंधन करती हैं।**
- REITs/InvITs को **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India: SEBI) द्वारा विनियमित** किया जाता है।

3.6. म्युनिसिपल बॉण्ड्स (Municipal Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **लखनऊ नगर निगम** द्वारा जारी किए गए म्युनिसिपल बॉण्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध किया गया।

म्युनिसिपल बॉण्ड्स क्या हैं?

- ये उन सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थानों द्वारा जारी की गई **ऋण प्रतिभूतियां** हैं, जिन्हें सिविल परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है।
- आम तौर पर, ये धनराशि जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं और आहरित किए जाते हैं, जिन पर एक निश्चित ब्याज दर देय होती है।
- **म्युनिसिपल बॉण्ड्स दो प्रकार के होते हैं:**
  - **सामान्य दायित्व बॉण्ड्स (General obligation bonds)** वस्तुतः नागरिक दायित्व जैसे कि जलापूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान इत्यादि में सुधार के लिए जारी किए जाते हैं। वे आम तौर पर किसी विशिष्ट परियोजना से प्राप्त राजस्व द्वारा समर्थित नहीं होते हैं।
  - **राजस्व बॉण्ड्स (Revenue bonds),** किसी विशेष उद्देश्य के लिए जारी किए जाते हैं, जैसे कि टोल रोड या टोल ब्रिज का निर्माण।
- **बेंगलुरु नगर निगम** वर्ष 1997 में भारत में म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने वाला **प्रथम शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)** था।

म्युनिसिपल बॉण्ड्स पर सेबी (SEBI) के दिशा-निर्देश

सेबी विनियम, 2015 के अनुसार, नगरपालिका या कॉर्पोरेट म्युनिसिपल एंटिटी (CME) को म्युनिसिपल बॉण्ड्स जारी करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना चाहिए:

- ULB की पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में से किसी में भी नकारात्मक निवल मूल्य (नेट वर्थ) नहीं होना चाहिए।
- **गैर-चूक (Non-default):** नगरपालिका को पिछले 365 दिनों के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण प्रतिभूतियों या ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिए।
- नगरपालिकाओं को परियोजना लागत का कम से कम 20% योगदान करने की आवश्यकता है।

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

- **इरादतन/जानबूझकर चूक नहीं (No wilful defaulter):** CME, उसके प्रवर्तक (promoter), समूह कंपनी या निदेशक/निदेशकों को RBI द्वारा प्रकाशित विलफुल डिफॉल्टरों की सूची में नामित नहीं होना चाहिए या सार्वजनिक ऋण साधनों के संबंध में ब्याज के भुगतान या मूलधन के भुगतान पर चूक नहीं करनी चाहिए।
- म्युनिसिपल बॉण्ड्स में सार्वजनिक निर्गमन (Public Issue) के लिए निवेश ग्रेड से ऊपर अनिवार्य रेटिंग होनी चाहिए।

3.7. सुर्ख़ियों में रहे विभिन्न बॉण्ड्स (Various Bond instruments in News)

प्रतिभू बॉण्ड्स (Surety Bonds)	• प्रतिभू बॉण्ड वस्तुतः एक **त्रिपक्षीय समझौता** है, जो सभी पक्षकारों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होता है। इसके पक्षकारों में शामिल हैं: ○ **प्रिंसिपल अर्थात् मुख्य देनदार:** वह भविष्य में किए जाने वाले किसी कार्य की गुणवत्ता की गारंटी हेतु बॉण्ड का क्रय करता है। ○ **बाध्यताधारी (obligee):** इसे संभावित वित्तीय नुकसान से बचने हेतु बॉण्ड की खरीद के लिए प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है। ○ **प्रतिभू कंपनी (surety company):** यह बॉण्ड जारी करती है और एक विशिष्ट कार्य के निष्पादन हेतु प्रिंसिपल की क्षमता की वित्तीय रूप से गारंटी प्रदान करती है। • प्रतिभू बॉण्ड्स इस बात की **वित्तीय गारंटी प्रदान करते हैं** कि अनुबंध पूर्व-परिभाषित और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार पूर्ण हो जाएगा।
बेमीयादी बॉण्ड (Consol Bonds)	• एक **बेमीयादी बॉण्ड** को **'परपेचुअल बॉण्ड'** (perpetual bond) या **"प्रेप"** (prep) के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे बॉण्ड्स की कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है तथा ये निश्चित आय प्रदान करते हैं। • इस प्रकार के बॉण्ड्स को अक्सर **ऋण के बजाय इक्विटी** का एक प्रकार माना जाता है। • इन प्रकार के बॉण्ड्स में एक बड़ी कमी यह है कि वे मोचनीय (Redeem) नहीं हैं। हालांकि, उनका प्रमुख लाभ यह है कि वे हमेशा के लिए ब्याज की एक स्थायी राशि का भुगतान करते हैं।
नकारात्मक यील्ड बॉण्ड (Negative Yield Bond)	• हाल ही में, चीन ने पहली बार **नकारात्मक-प्रतिफल बॉण्ड** की बिक्री की है तथा इसकी संपूर्ण यूरोप के निवेशकों में उच्च मांग दृष्टिगोचर हुई है। • ये **ऋण प्रपत्र (debt instruments)** हैं, जो निवेशक को **बॉण्ड के क्रय मूल्य से कम परिपक्वता राशि का भुगतान** करने की पेशकश करते हैं। • ये सामान्यतः केंद्रीय बैंकों या सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं तथा **निवेशक अपने धन को उधारकर्ताओं के पास रखने के लिए उन्हें ब्याज का भुगतान करते** हैं। • नकारात्मक यील्ड बॉण्ड **तनाव और अनिश्चितता के समय** निवेश को आकर्षित करते हैं, क्योंकि निवेशक अपनी पूंजी को महत्वपूर्ण क्षरण से बचाने का प्रयास करते हैं।
शून्य कूपन बंधपत्र (Zero coupon bonds: ZCB)	• केंद्र ने **पंजाब और सिंध बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए** शून्य कूपन बंधपत्र (ZCB) के माध्यम से 5,500 करोड़ रुपये जारी किए हैं। • **एक कूपन वस्तुतः एक आवधिक ब्याज होता है।** इसे बंधपत्र धारक द्वारा बंधपत्र जारी करने के समय से परिपक्वता अवधि तक प्राप्त किया जाता है। • **शून्य कूपन बंधपत्र** एक डिस्काउंट (छूट/ रियायत) पर जारी किए जाते हैं और अवधि पूर्ण होने पर सम मूल्य या अंकित मूल्य पर भुनाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे बंधपत्रों पर परिपक्वता अवधि से पूर्व आवधिक अंतराल पर **कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है।**
सामाजिक प्रभाव बॉण्ड {Social impact bond (SIB)}	• हाल ही में पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (PCMC) ने देश के प्रथम **सामाजिक प्रभाव बॉण्ड (SIB) का सह-सृजन करने के लिए** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-भारत (UNDP India) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। • SIB **सार्वजनिक क्षेत्र या शासी प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है। इसके तहत यह निश्चित परियोजनाओं में बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए पूँजी** उपलब्ध करवाता है। SIB निवेशकों को परियोजना द्वारा सृजित बचतों से प्रतिलाभ प्रदान करता है।

	○ SIB, अनुबंध की शुरुआत में ही प्राप्त किए जाने वाले **परिणाम आधारित लक्ष्यों को निर्धारित करता है।**
भारत बॉण्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड {Bharat bond exchange traded fund (ETF)}	• भारत बॉण्ड ETF, वह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जिसके माध्यम से **सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के AAA रेटेड और निश्चित परिपक्वता अवधि वाले बॉण्ड में निवेश** किया जाता है। • ETF एक प्रतिभूति है जो इंडेक्स फंड की भांति एक सूचकांक, कमोडिटी या परिसंपत्तियों के समूह की निगरानी करता है। किंतु इन प्रतिभूतियों को **किसी एक्सचेंज पर एक स्टॉक की तरह क्रय एवं विक्रय** किया जा सकता है। ○ ETF के माध्यम से एकत्रित की गई धनराशि, भागीदार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) या सार्वजनिक क्षेत्र के **बैंकों की ऋण योजनाओं को सुचारु बनाने में मदद करती है।** **भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF)** • **भारत 22 ETF,** उन 22 कंपनियों में निवेश करता है, जो **S&P BSE भारत 22 सूचकांक** का गठन करती हैं। इनमें 19 कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्रक की हैं और तीन निजी क्षेत्र से हैं। • पांच सबसे बड़ी कंपनियां L&T (16.7%), आई.टी.सी. (14.3%), एस.बी.आई. (9.4%), एक्सिस बैंक (8.4%) और एन.टी.पी.सी. (7.70%) हैं। • इस सूचकांक में 20 प्रतिशत की क्षेत्र आधारित सीमा और 15 प्रतिशत की एकल स्टॉक सीमा निर्धारित है।

3.8. प्रमुख अवधारणाएं एवं सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News)

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIPs)	• QIP वस्तुतः पूंजी जुटाने का एक उपकरण है, जिसमें **एक सूचीबद्ध कंपनी इक्विटी शेयर** (पूर्ण और आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय वारंट के अतिरिक्त कोई भी प्रतिभूति) **जारी कर सकती है।** • इनिशल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र (FPO) के विपरीत, केवल **संस्थाएं (institutions) या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB)** ही QIP में भाग ले सकते हैं।
पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स)	• पी-नोट्स वस्तुतः **विदेशी डेरीवेटिव लिखत (इंस्ट्रूमेंट्स)** होते हैं। इसके माध्यम से विदेशी निवेशक सेबी अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India: SEBI) के साथ पंजीकृत हुए बिना भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। • ये पंजीकृत **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfolio Investors: FPI)** द्वारा जारी किए जाते हैं। • पंजीकरण की औपचारिकता से राहत और पहचान गोपनीय होने के कारण पी-नोट्स ने लोकप्रियता अर्जित की है।
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता (Domestic Systemically Important Insurers: D-SIIs)	• **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC) और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को **वर्ष 2020-21 के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता (D-SIIs)** के रूप में अभिनिर्धारित किया है। • D-SIIs ऐसे **आकार, बाजार महत्व और घरेलू एवं वैश्विक रूप से परस्पर संबंध बीमाकर्ताओं** को संदर्भित करता है, जिनका **संकटग्रस्त या विफल होना घरेलू वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अव्यवस्था का कारण** हो सकता है। इस प्रकार उन्हें ऐसे बीमाकर्ता के रूप में माना जाता है, जिनका बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण विफल होना अर्थव्यवस्था के लिए अति हानिकारक हो सकता है। ○ बीमा प्रीमियम सहित कुल राजस्व के संदर्भ में आकार और प्रबंधन के अंतर्गत शामिल परिसंपत्तियों का मूल्य उन मापदंडों में से है, जिन पर बीमाकर्ता को अभिनिर्धारित किया

© Vision IAS

	जाता है। • **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण D-SIIs को वार्षिक आधार** पर सूचीबद्ध करेगा। • **D-SIIs पर लागू शर्तें:** अपने कॉर्पोरेट अभिशासन के स्तर को ऊपर उठाना, सभी प्रासंगिक जोखिमों की पहचान करना और जोखिम प्रबंधन की एक बेहतर संस्कृति को बढ़ावा देना। ○ IRDAI द्वारा इन्हें **विनियामक पर्यवेक्षण** के अधीन लाया जाएगा। • D-SIIs के समान ही, **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (D-SIBs)** की घोषणा करता है। ○ भारतीय स्टेट बैंक (SBI), आई.सी.आई.सी.आई. (ICICI) बैंक और HDFC बैंक को D-SIBs के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
लंदन इन्टरबैंक ऑफर्ड रेट (लिबोर) (LIBOR)	• यह अंतरबैंक बाजार में **असुरक्षित अल्पावधि उधार (unsecured short term borrowing)** के लिए **वैश्विक संदर्भ दर (global reference rate)** है। • यह ब्याज दर स्वैप और मुद्रा दर स्वैप के साथ-साथ मॉर्गेज के मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली अल्पकालिक ब्याज दरों हेतु एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है। • यह **वित्तीय प्रणाली के ठीक-ठाक होने का एक संकेतक** है। साथ ही, यह केंद्रीय बैंकों की आगामी नीतिगत दरों के बारे में एक विचार भी प्रदान करती है। • इसकी भारतीय समकक्ष को **मुंबई इंटर-बैंक ऑफ़र रेट (MIBOR)** के रूप में जाना जाता है।
सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE)	• यह **इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन एकत्रित करने वाला एक प्लेटफॉर्म** है, जो निवेशकों को किसी सामाजिक उद्यम में शेयरों को खरीदने की अनुमति प्रदान करता है, जिन्हें एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। • सामाजिक उद्यम वस्तुतः राजस्व सृजित करने वाला एक व्यवसाय है जिसका प्राथमिक उद्देश्य **किसी सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति करना** होता है, उदाहरण के लिए- स्वास्थ्य देखभाल या स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। • शेयरों व ऋणों के माध्यम से अथवा म्यूचुअल फंड्स की भांति पूंजी जुटाने के उद्देश्य से **सामाजिक उद्यमों व स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने** हेतु सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना का विचार **केंद्रीय बजट 2019-20 में प्रस्तुत किया गया** था। • **इसके पश्चात्, SEBI द्वारा** SSEs हेतु मानदंड संबंधी सुझाव प्रदान करने के लिए **एक पैनल का गठन किया गया था।** • विश्व के सबसे प्रमुख SSEs, **यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर तथा मॉरीशस** में स्थित हैं।
शेल कंपनी	• ये कंपनियां **सक्रिय व्यवसाय संचालन या महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों से रहित** होती हैं तथा कुछ मामलों में अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं, जैसे **कर अपवंचन, धनशोधन, अस्पष्ट स्वामित्व, बेनामी संपत्ति** आदि। ○ हालांकि,भारत में **शेल कंपनियों** को **किसी भी कानून या अधिनियम में परिभाषित नहीं** किया गया है। • हाल ही में, सरकार ने निरंतर दो या अधिक वर्षों से वित्तीय विवरणों की गैर-फाइलिंग के आधार पर शेल कंपनियों की पहचान और उन्हें प्रतिबंधित करने हेतु **एक विशेष अभियान** आरंभ किया है। ○ **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248** के तहत कंपनियों के रजिस्टर से इस प्रकार की कंपनियों के नामों को हटाने का प्रावधान किया गया है।
मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)	• **हाल ही में, डिजिटल भुगतान फ़र्मों** द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और रुपे (RuPay) नेटवर्क पर होने वाले लेनदेनों पर **MDR की प्रतिपूर्ति की मांग की जा रही है।** • MDR वस्तुतः **लेनदेन के दौरान व्यापारियों द्वारा बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को चुकाने वाली लागत होती है,** जो पीयर टू मर्चेंट भुगतानों पर लागू होती है।

	• 1 जनवरी, 2020 से, **50 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कुल कारोबार करने वाले व्यवसायों को ग्राहकों या व्यापारियों पर कोई MDR लगाए बिना,** ग्राहकों को कम लागत वाले डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान किए गए थे।
आधार-सक्षम भुगतान सेवा {Aadhaar-enabled payment service (AePS)}	• **AePS** का अर्थ है- आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यह एक भुगतान सेवा है जो बैंक ग्राहक को अपने आधार कार्ड संबंधी पहचान से जुड़े आधार सक्रिय बैंक खाते तक पहुंच बनाने एवं सामान्य बैंकिंग लेन-देन की सुविधा प्रदान करती है। यह बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट (BC) की सहायता से PoS अर्थात् पॉइंट ऑफ़ सेल (माइक्रो ATM) पर बैंक-से-बैंक लेन-देन की अनुमति देती है। • **इसके माध्यम से छह प्रकार के लेन-देन की सुविधा उपलब्ध है-** नकदी आहरण, नकदी जमा, जमा पूछताछ, आधार से आधार फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन।
एम.सी.ए.-21 (MCA21)	• **MCA21 परियोजना** कॉर्पोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और आम जनता के लिए सहायक तरीके से MCA सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुँच सक्षम करती है। • MCA21 एप्लिकेशन को **कंपनी अधिनियम, 1956;** नए **कंपनी अधिनियम, 2013** और **सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008** के तहत सक्रिय प्रवर्तन और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह व्यवसाय समुदाय को उनके वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में सहायता करेगा।
उदारीकृत विप्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme: LRS)	• **उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS)** के तहत, नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को यह अनुमति दी गयी है कि वे चालू या पूंजी खाता (या दोनों) लेन-देन के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में अधिकतम 2,50,000 अमेरिकी डॉलर विदेशों में भेज सकते हैं। • यह योजना कॉर्पोरेट्स, साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवारों , ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। • ज्ञातव्य है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2004 में 25,000 अमेरिकी डॉलर की सीमा के साथ यह योजना शुरू की गई थी।
इन्वेस्ट इंडिया	• इन्वेस्ट इंडिया **राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी** है, जो निवेशकों को भारत में निवेश के अवसरों और विकल्पों की तलाश में सहायता करती है। • इसे वर्ष 2009 में **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** के तहत एक गैर-लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। • हाल ही में, अंकटाड (UNCTAD) ने **इन्वेस्ट इंडिया- नेशनल इंवेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ़ इंडिया** को वर्ष 2020 के **संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार** के विजेता के रूप में घोषित किया है।
मौसम-संवेदनशील सूचकांक (Weather Sensitive Indices)	• **नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (NCDEX)** दो मौसम-संवेदनशील सूचकांक प्रकाशित करेगा। • ये दो सूचकांक हैं- **भारतीय मानसून सूचकांक (संचयी मानसून सूचकांक)** और **भारतीय वर्षा सूचकांक (मासिक संचयी वर्षा सूचकांक)।** ○ ये दो सूचकांक, वर्षा डेटा संग्रह केंद्रों का उपयोग करके देश में व्यवस्थित वर्षा गतिविधि को ट्रैक करेंगे। ○ NCDEX विभिन्न पूर्वानुमानों पर भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषाओं, जैसे- सामान्य, सामान्य से अधिक और न्यूनता का उपयोग करेगा तथा सूचकांक के मान पर पहुंचने हेतु दैनिक आधार पर वास्तविक वर्षा के साथ उनकी तुलना करेगा।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office: SFIO)	• SFIO कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एक अनुशासनात्मक संगठन है। यह सफ़ेदपोश (White-collar) अपराधों/धोखाधड़ियों में संलिप्त व्यक्तियों के अभियोजन हेतु जांच करने और अभियोग चलाने अथवा अनुशंसाएं करने के लिए उत्तरदायी है। ○ **वित्तीय लाभ के लिए व्यावसायिक और राजनीतिक पेशेवरों द्वारा किए गए अहिंसक अपराध**

© Vision IAS

	को सफ़ेदपोश अपराध कहा जाता है। • इसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गठित **नरेश चंद्र समिति** की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। • यह **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत एक **सांविधिक निकाय** है।
ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN)	• यह **नई क्रेडिट प्रोटोकॉल अवसंरचना** है, जो ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाएगी। इससे छोटे उधारकर्ता सुगमता से धन प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। • यह एक सामान्य भाषा के रूप में कार्य करेगा। साथ ही, यह व्यापक पैमाने पर नवोन्मेषी व वित्तीय ऋण उत्पादों का उपयोग करने एवं उन्हें सृजित करने हेतु **उधारदाताओं और बाज़ार को भी आपस में जोड़ेगा।** • इसे **आईस्पिरिट (iSPIRT: Indian Software Products Industry Round Table)** नामक एक टेक्नोलॉजी थिंक टैंक द्वारा विकसित किया गया है।

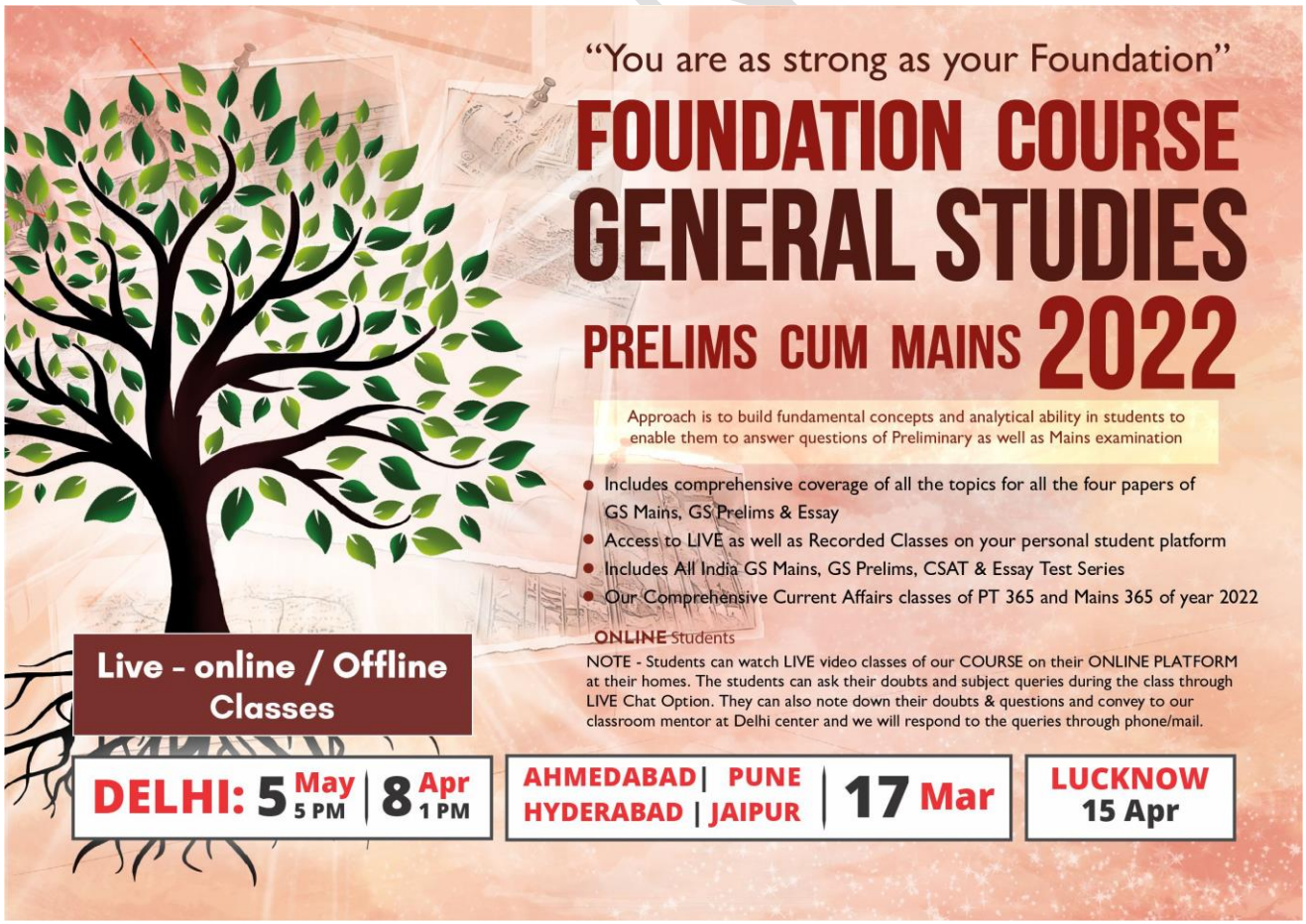

4. विदेशी क्षेत्रक (External Sector)

4.1. भारत की व्यापार-प्रणाली (India's Trading Regime)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि भारत का अपने शीर्ष 10 वाणिज्यिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा (trade deficit) है।

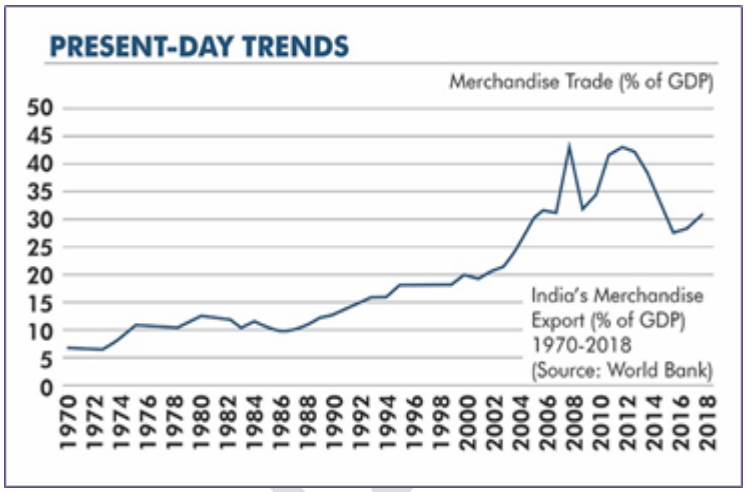

वैश्विक बाज़ार में भारत की स्थिति

- भारत का पण्य निर्यात (merchandise exports) **वर्ष 2018-19 में बढ़कर 331.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया था।
- वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी **2% (वर्ष 2018 में 1.7%) से भी कम** है।
- वर्तमान में, भारत के **70% निर्यात** में पांच राज्यों, यथा- **महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु** और **तेलंगाना** का वर्चस्व है।
- लगभग सभी प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ निर्यात की तुलना में भारत का आयात अधिक है।
- हालांकि, भारत ने अपने सबसे बड़े व्यापार-भागीदार अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार-अधिशेष (Trade-surplus) बनाए रखा है।
  - **अमेरिका वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे वर्ष भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है।**
  - वर्ष 2018-19 में, **चीन** को पछाड़ते हुए अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार-भागीदार बन गया था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक चीन भारत का शीर्ष व्यापार-भागीदार था।
- **विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 के बाद से सरकार द्वारा अपनाए गए प्रमुख उपाय:**
  - वर्ष 2017 में विदेश व्यापार नीति (2015-20) की मध्यावधि समीक्षा आयोजित की गई थी।
  - वर्ष 2017 में वाणिज्य विभाग में एक नए **लॉजिस्टिक्स डिवीजन (संभारतंत्र प्रभाग)** की स्थापना की गयी।
  - वर्ष 2017 में **निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (Trade Infrastructure for Export Scheme: TIES)** आरंभ की गई।
  - परिवहन की उच्च लागत से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए **निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए परिवहन और विपणन सहायता योजना** भी शुरू की गई है।

भारत का हालिया चालू-खाता अधिशेष (India's recent CA Surplus)

- भारत ने अप्रैल-जून 2020 में दूसरी तिमाही के लिए GDP के 3.9% के बराबर चालू खाता अधिशेष दर्ज किया।
  - इससे पहले भारत का चालू खाता वर्ष 2006-07 की मार्च तिमाही में धनात्मक रहा था।
  - वर्ष 2001-02 से वर्ष 2003-04 तक लगातार तीन वर्षों तक संपूर्ण वर्ष के दौरान भारत का चालू खाता धनात्मक था।
- यह अधिशेष, व्यापार घाटे में 10.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संकुचन के कारण है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के बीच पण्य आयात में गिरावट आई है।
- आयात में गिरावट **कच्चे तेल की कम कीमतों, घरेलू मांग में कमी और**

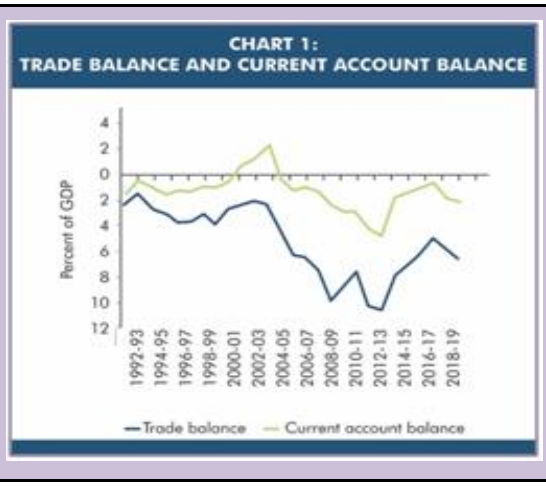

© Vision IAS

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण है।

- यह स्थिति अपने विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने में RBI की सहायता करेगी, जो वित्तीय और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही, इससे आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि देश के पास घरेलू उत्पादन के लिए भुगतान करने हेतु पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है।
  - देश का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex reserves) प्रथम बार 500 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है।
  - विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां या विदेशी मुद्राएं, स्वर्ण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विशेष आहरण अधिकार (SDR) और IMF में आरक्षित निधि शामिल हैं।

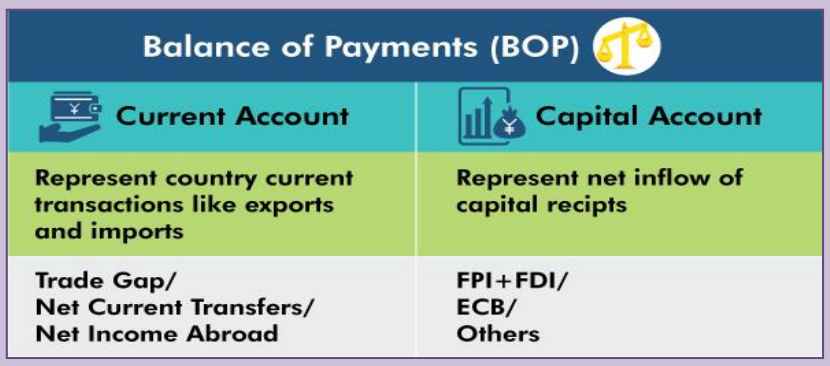

भारत का प्रशुल्क ढांचा {विश्व व्यापार संगठन (WTO), व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र द्वारा विश्व प्रशुल्क ढांचे के भाग के रूप में जारी}

- वर्ष 2018 में भारत में **प्रशुल्क-मुक्त मार्ग (Duty-free route)** के माध्यम से प्रवेश करने वाली विभिन्न प्रकार की विनिर्मित वस्तुओं की हिस्सेदारी लगभग 18% के स्तर पर पहुँच गयी थी। ऐसा अन्य प्रमुख देशों की तुलना में भारत में बहुत अधिक औसत प्रशुल्क के विद्यमान होने बावजूद हुआ है।
- **बाइंडिंग कवरेज (Binding Coverage)** में भारत की हिस्सेदारी 74% है, जो चीन के 100% से पीछे है।
  - बाइंडिंग कवरेज वस्तुतः आयात के लिए बाध्य दरों को स्थापित करने और प्रशुल्क (टैरिफ) को धीरे-धीरे कम करने के लिए **एक देश की प्रतिबद्धता का एक व्यापक संकेतक** है।

अन्य संबंधित तथ्य

विश्व व्यापार संगठन में भारत ने प्रशुल्क पर पुनः वार्ता की मांग की है

- भारत ने विश्व व्यापार संगठन में कुछ वस्तुओं पर बाध्य दरों या कथित तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर ऊपरी प्रशुल्क सीमा को पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है।
  - यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब केंद्र, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना** के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित कर रहा है।
- विश्व व्यापार संगठन के नियम देशों को निर्यात में पर्याप्त रुचि वाले उत्पादों के लिए बाध्य दरों को पुनः निर्धारित करने की अनुमति देते हैं, यदि देश में लागू या वर्तमान प्रशुल्क दर, बाध्य दर का उल्लंघन करती है।
- वार्ता के माध्यम से देश को अपनी बाध्य दरों को बढ़ाने के लिए निर्यातक देश को क्षतिपूर्ति करनी होगी।

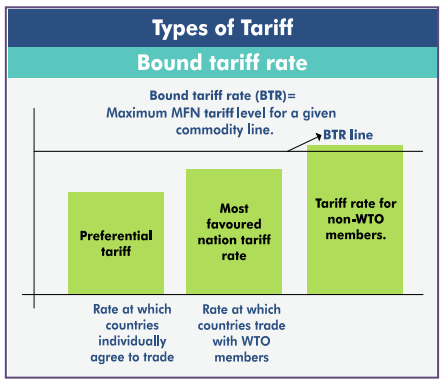

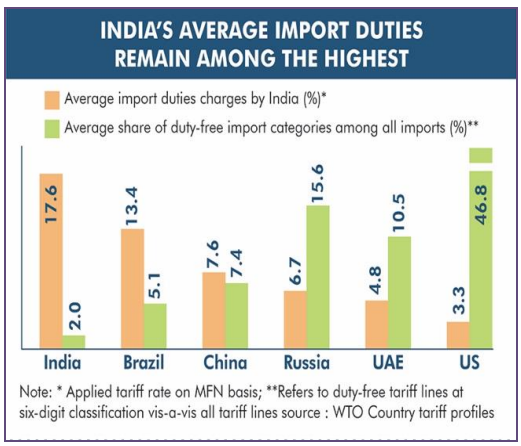

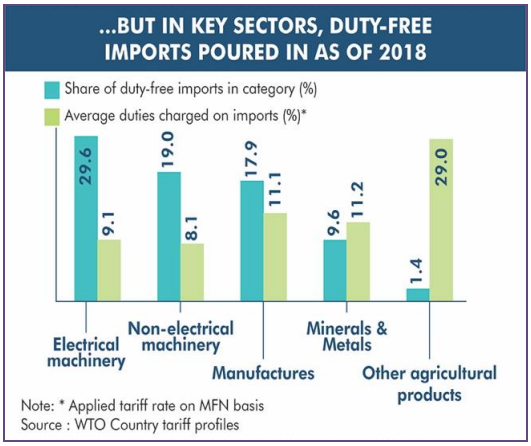

4.2. निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index: EPI) 2020

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस के सहयोग से **निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index: EPI) रिपोर्ट 2020** को जारी किया है।

EPI 2020 के बारे में

- यह उप-राष्ट्रीय स्तर पर **निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मुख्य क्षेत्रों की पहचान** करने हेतु एक **डेटा-संचालित प्रयास (data-driven effort)** है।
- **इस सूचकांक का प्राथमिक लक्ष्य** भारत के सभी राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, ताकि:
  - **निर्यात प्रोत्साहन के अनुकूल नीतियों का निर्माण किया जा सके।**
  - उप-राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए **विनियामक ढांचे को सुगम** बनाया जा सके।
  - निर्यात के लिए **आवश्यक अवसंरचना का निर्माण** किया जा सके।
  - निर्यात प्रतिस्पर्धा की समुन्नति के लिए **रणनीतिक अनुशंसाओं की पहचान** करने में सहायता प्राप्त हो सके।
- यह भारतीय **राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की निर्यात तत्परता के निरंतर मूल्यांकन के लिए एक व्यापक ढांचा** प्रदान करने का प्रयास करता है तथा निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायक है:
  - **राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों को** उनके सूचकांक में प्राप्त अंकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करना।
  - भारतीय राज्यों की **निर्यात तैयारी एवं निष्पादन** की जांच करना।
  - चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करना।
  - सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को बेहतर बनाना।
- EPI की संरचना में **4 स्तंभ एवं 11 उप-स्तंभ** सम्मिलित हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- समग्र रूप से, भारत का इस सूचकांक पर औसत प्राप्तांक 39 है। **नीति एवं व्यवसाय पारितंत्र, दोनों उच्चतम अंक वाले स्तंभ** हैं, जबकि निर्यात पारितंत्र सबसे कम **अंक** वाला स्तंभ है।
- अधिकांश **तटीय राज्यों का निष्पादन सर्वश्रेष्ठ** रहा है। {राज्यों को भौगोलिक रूप से वर्गीकृत किया गया है अर्थात्- **तटीय, स्थलरुद्ध, हिमालयी तथा संघ राज्यक्षेत्र/ शहर राज्य (city states)}**
  - **समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य:** गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु।
  - **शीर्ष 3 स्थलरुद्ध राज्य:** राजस्थान, तेलंगाना एवं हरियाणा।
  - **शीर्ष 3 हिमालयी राज्य:** उत्तराखंड, त्रिपुरा एवं हिमाचल प्रदेश।
  - **शीर्ष 3 संघ राज्यक्षेत्र/ शहर राज्य (city states):** दिल्ली, गोवा एवं चंडीगढ़।

सूचकांक में रेखांकित किया गया है कि **भारत में निर्यात संवर्द्धन को मुख्यतया तीन आधारभूत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यथा-**

- निर्यात अवसंरचनाओं में **क्षेत्रों में एवं क्षेत्रों के मध्य व्याप्त विषमताएं,**
- राज्यों के मध्य **निम्न व्यापार सहयोग तथा संवृद्धि नीति की निम्न स्थिति, तथा**
- जटिल एवं विशिष्ट निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए **निम्नस्तरीय अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना।**

© Vision IAS

WEIGHTAGE STRUCTURES OF THE PILLARS AND SUB-PILLARS

Index	Logistics perfotmance Index (LPI)	Trading Across Borders Doing Business	Trade Facilitation Index	Enabling Trade Index
Publishing Agency	World Bank	World Bank	OECD	World Economic Forum
What it measures?	Logistics Frendliness of countries	Time and cost of the logistical process of countries	Assessment of trade facilitation policies, areas for action impact of reforms	Factors, policies and services that facilitate trade across borders and to destination
India's Rank	44/160 (2018)	68/190 (2019)	1.52/2 (2018)	102/136 (As per 2016)
Best Performing States/ Countries	Top5 : Germany, Sweden, Belgium, Austria, Japan	Austria, Belgium, Denmark, Fronce, Hungary, Italy, Netherlands, Spain all tied for Rank 1	1.86/2- Netherlands	Top 5 : Singapore, Netherlands, Hong Kong, Luxembourg, Sweden

4.3. विश्व व्यापार संगठन से जुड़े घटनाक्रम (WTO Related Developments)

4.3.1. ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी (TRIPS Flexibilities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने जी-20 के सदस्य देशों से कहा है कि वे एक ऐसे समझौते पर कार्य करें जो देशों को ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात् ट्रिप्स संबंधी प्रावधानों या लोचशीलता का उपयोग करने में सक्षम बना सके।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने **वहनीय कीमतों पर आवश्यक दवाओं, उपचारों और टीकों** की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (Trade Related Intellectual Property Rights: TRIPS)** के प्रावधानों के उपयोग को बढ़ावा/लागू करने के लिए एक समझौते का आह्वान किया है।
  - भारत द्वारा **पेटेंट अधिनियम, 1970** के अंतर्गत इन प्रावधानों का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपातकालीन उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- भारत जिस कारण से इस तरह के समझौते की मांग कर रहा है, वह राष्ट्रों के लिए अनिवार्य पेटेंट वाली दवाओं की **जेनेरिक संस्करण के विनिर्माण हेतु** अनिवार्य लाइसेंस जारी करना संभव बनाएगा।

ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी (TRIPS Flexibilities) के बारे में

- ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी वस्तुतः **देशों के लिए पेटेंट के प्रभाव** (अर्थात्, प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण पेटेंटकृत दवाओं की अत्यधिक उच्च कीमत) **को कम करने हेतु एक 'नीतिगत व्यवस्था'** है।
- **ट्रिप्स समझौता** तथा **ट्रिप्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर वर्ष 2001 की दोहा घोषणा-पत्र** इस संबंध में कुछ प्रावधान प्रदान करते हैं।
- इन प्रावधानों का उद्देश्य **विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए ट्रिप्स-संगत मानदंडों** का अनुपालन करने में सक्षम बनाना है, ताकि-
  - वे अपनी सार्वजनिक नीतियों का निर्माण या तो दवा उत्पादों की उपलब्धता या उनकी जैव विविधता की सुरक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कर सकें,

- आर्थिक विकास का समर्थन करने वाली वृहद आर्थिक, संस्थागत स्थितियों की स्थापना कर सकें।

- **ट्रिप्स के अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रावधान:**
  - **अनिवार्य लाइसेंसिंग (Compulsory Licensing):** अनिवार्य लाइसेंसिंग, सक्षम सरकारी प्राधिकरण को पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष या सरकारी एजेंसी को पेटेंट आविष्कार के उपयोग हेतु लाइसेंस प्रदान करने में सक्षम बनाती है।
  - **समानांतर आयात (Parallel importation):** यह पेटेंट धारक या स्वामी की सहमति के बिना किसी अन्य देश में विपणन किए जाने वाले पेटेंट उत्पाद या उसके आयात को संदर्भित करता है।
  - **पेटेंट से छूट (Exemptions from patentability):** इस समझौते के तहत फार्मास्यूटिकल्स सहित ज्ञात उत्पादों के नए उपयोग हेतु पेटेंट की आवश्यकता नहीं होती है और देशों को नवीनता, आविष्कारी कदम या औद्योगिक प्रयोज्यता के अभाव वाले ऐसे प्रयोगों को संरक्षण न प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - **डेटा संरक्षण पर सीमाएँ:** किसी दवा उत्पाद की बिक्री या विपणन की अनुमति के लिए शर्त के रूप में, दवा नियामक प्राधिकरणों की ओर से दवा कंपनियों द्वारा उत्पाद की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता का प्रदर्शन करने वाले डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नियत की जाती है।
  - **अल्प विकसित देशों (Least-Developed Countries: LDCs) के लिए संक्रमण अवधि का विस्तार:** दोहा घोषणापत्र में संशोधन ने ट्रिप्स दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु अल्प विकसित देशों (LDCs) के लिए संक्रमण अवधि को वर्ष 2021 तक बढ़ा दिया है।

ट्रिप्स समझौते के बारे में

- **वर्ष 1995** में लागू ट्रिप्स समझौता, बौद्धिक संपदा पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है।
- इस पर वर्ष 1986 और 1994 के बीच **गैट अर्थात् प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT)** के **उरुग्वे दौर** के दौरान वार्ता हुई थी, जिसके कारण विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization: WTO) की स्थापना की गई थी।
- यह प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले संरक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।
  - यह समझौता **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)** के मुख्य कन्वेंशनों, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन **(या पेरिस कन्वेंशन)** और साहित्य और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन **(या बर्न कन्वेंशन)** के अनुरूप है।
- इसमें सिविल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं और उपचारों, अनंतिम उपायों (provisional measures), सीमा उपायों और आपराधिक प्रक्रियाओं से संबंधित विशेष आवश्यकताओं संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं।
- यह समझौता, ट्रिप्स दायित्वों के अनुपालन किए जाने के विषय में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवादों को WTO की विवाद निपटान प्रक्रियाओं के अधीन करता है।
- इसके द्वारा कवर किए जाने वाले बौद्धिक संपदा के क्षेत्र हैं:
  - **कॉपीराइट और संबंधित अधिकार,**
  - **ट्रेडमार्क,**
  - **भौगोलिक संकेतक,**
  - **औद्योगिक डिजाइन,**
  - **पौधों की नई प्रजातियाँ;**
  - **इंटीग्रेटेड सर्किट का लेआउट-डिजाइन, और**
  - **व्यापार रहस्य और टेस्ट डेटा (trade secrets and test data)।**
  - WTO की सदस्यता में ट्रिप्स समझौते का अनुपालन करने की बाध्यता सम्मिलित है।

पेटेंट पूलिंग (Patent Pooling)

- **पेटेंट पूलिंग** वस्तुतः **दो या दो से अधिक पेटेंट मालिकों** के मध्य एक-दूसरे को या किसी तृतीय पक्ष को अपने पेटेंट का लाइसेंस प्रदान करने हेतु किया जाने वाला एक समझौता है।
  - **यह अधिक से अधिक नवाचार, सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास का समर्थन करता है,** पेटेंट व्यवस्था में विद्यमान बाधाओं को दूर करता है तथा उत्पाद के विकास को तीव्र करता है।

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

- कोविड-19 के वर्तमान प्रकोप एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के संबंध में पेटेंट पूलिंग एक अभिनव प्रकार की साझेदारी हो सकती है, जिसका उपयोग **सार्वजनिक हित में निजी क्षेत्र द्वारा धारित बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights: IPRs) के प्रबंधन हेतु** किया जा सकता है।
  - यह एक पूल (समूहन) का सृजन कर और तत्काल लाइसेंसिंग की व्यवस्था के माध्यम से **दवाओं तथा टीकों को खोजने के प्रयास को और तीव्र कर सकता है।**

4.3.2. उद्गम का नियम (Rules of Origin)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में राजस्व विभाग ने **'सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के अंतर्गत उद्गम के नियमों का प्रशासन) नियम, 2020' {Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020 (CAROTAR, 2020)}** अधिसूचित किया है। यह **21 सितंबर 2020** से लागू हो गया है।

उद्गम प्रमाण-पत्र (Certificate of Origin: CO) के बारे में

- उद्गम प्रमाण-पत्र वह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि एक विशेष निर्यात की शिपमेंट की वस्तु किस देश से (या कहाँ) प्राप्त, उत्पादित, विनिर्मित या संसाधित है।
  - इनके द्वारा **उत्पाद की 'राष्ट्रीयता'** की घोषणा की जाती है। साथ ही, यह **सीमा शुल्क या व्यापार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातक द्वारा की गई घोषणा** के रूप में भी कार्य करता है।
- निर्यातक द्वारा उद्गम प्रमाण-पत्र को आयातक देश के लैंडिंग पत्तन पर प्रस्तुत करना पड़ता है।

रूल्स ऑफ ओरिजिन या उद्गम का नियम क्या है?

- यह देश में **आयातित उत्पाद के उद्गम देश को निर्धारित करने का एक तंत्र** है।
- इनका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है:
  - **वाणिज्यिक नीति** के डंपिंग रोधी शुल्क और सुरक्षोपाय जैसे **उपायों और साधनों** को कार्यान्वित करने के लिए;
  - यह निर्धारित करने के लिए कि आयातित उत्पादों को एम.एफ.एन. या परम अनुग्रहीत राष्ट्र (Most Favoured Nation: MFN) व्यवहार या अधिमान्य व्यवहार प्राप्त होगा या नहीं;
  - व्यापार सांख्यिकी के उद्देश्य से;
  - लेबलिंग और चिह्नांकन संबंधी आवश्यकताओं के अनुप्रयोग के लिए; और
  - सरकारी खरीद के लिए।
- **रूल्स ऑफ ओरिजिन या उद्गम के नियम के दो प्रमुख प्रकार हैं:**
  - **गैर-अधिमान्य रूल्स ऑफ ओरिजिन (Non-preferential rules of origin):** ये नियम किसी व्यापार अधिमान्यता या तरजीही की अनुपस्थिति में लागू होते हैं। ऐसे में कोटा, एंटी-डंपिंग या "मेड इन" लेबल जैसे कुछ नीतिगत व्यापारिक उपायों के माध्यम से उद्गम स्रोत का निर्धारण किया जाता है।
  - **अधिमान्य रूल्स ऑफ ओरिजिन (Preferential rules or origin):** ये नियम पारस्परिक व्यापार अधिमान्यताओं (अर्थात् क्षेत्रीय व्यापार समझौतों या सीमा शुल्क संघों) में या गैर-पारस्परिक व्यापार अधिमान्यताओं (अर्थात् विकासशील देशों या अल्प विकसित देशों के पक्ष में अधिमान्यता) में लागू होते हैं।
    - **प्रत्येक व्यापार समझौते** में शामिल राष्ट्र अपने हिसाब से **उद्गम के नियम** का निर्धारण करते हैं। इसमें एक वैध उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करने का दिशा-निर्देश शामिल होता है।
    - अधिमान्य रूल्स ऑफ ओरिजिन गैर-अधिमान्य नियमों की तुलना में अधिक प्रतिबंधात्मक होते हैं।
- **सामान्यत: वस्तु के उद्गम देश को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंड:**
  - **पूर्णतः प्राप्त मापदंड (Wholly obtained criterion):** इनमें अन्य देश से किसी आदान (इनपुट) सामग्री का समावेश किए बिना किसी निर्दिष्ट देश में उत्पादित या प्राप्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं।
  - **संतोषजनक/पर्याप्त रूपांतरण मापदंड (Substantial/sufficient transformation criterion):** इसके अंतर्गत वस्तु को उद्गम वाली (originating) वस्तु के रूप में योग्य होने के लिए किसी देश में पर्याप्त रूपांतरण से गुजरना पड़ता है। इस मापदंड को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से या एकल रूप से उपयोग की जाने वाली कुछ विधियां हैं-
    - **मूल्य सामग्री विधि (Value Content Method):** जब किसी देश में वस्तु का वर्धित मूल्य एक निर्दिष्ट स्तर तक बढ़ जाता है तो वस्तु को संतोषजनक रूपांतरित माना जाता है।

- **प्रशुल्क वर्गीकरण विधि में परिवर्तन (Change in Tariff Classification Method)**: जब वस्तु को प्रयुक्त गैर-उद्गम वाली सभी सामग्रियों से भिन्न शीर्षक या उपशीर्षक में वर्गीकृत किया जाता है तो वस्तु को संतोषजनक रूपांतरित माना जाता है।
- **प्रक्रिया नियम विधि (Process Rule Method):** जब वस्तु निर्दिष्ट विनिर्माण या प्रसंस्करण परिचालनों से गुजर चुकी होती है तो वस्तु को संतोषजनक रूपांतरित माना जाता है।

○ **अत्यल्पता या सहनशीलता का नियम (De minimis or tolerance rule):** यह अंतिम उत्पाद के मूल्य या मात्रा के एक विशिष्ट भाग को अंतिम उत्पाद द्वारा उद्गम वाली वस्तु का दर्जा खोए बिना गैर-उद्गम वाली वस्तु के रूप में दर्ज होने की अनुमति प्रदान करता है।

सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के अंतर्गत उद्गम नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 के बारे में

- ये नियम **भारत में वस्तुओं के आयात** पर लागू होंगे जहां आयातक व्यापार समझौते (Trade Agreement: TA) के संदर्भ में **अधिमान्य शुल्क दर** का दावा करता है।
- CAROTAR, 2020 का उद्देश्य {जो भारत के संबंधित व्यापार समझौतों अर्थात् मुक्त व्यापार समझौता (FTA), अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA), व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA), व्यापक आर्थिक सहभागिता समझौता (CEPA) आदि के अंतर्गत निर्धारित किया गया है} रूल्स ऑफ ओरिजिन के कार्यान्वयन से संबंधित प्रमाणन प्रक्रियाओं को सहज बनाना है।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **व्यापार समझौते के अंतर्गत शुल्क की अधिमान्य दर का दावा करने के लिए**, आयात पत्र (बिल ऑफ एंट्री) दाखिल करते समय आयातक को-
    - बिल में घोषणा करनी होगी कि **आयातित उत्पाद उक्त समझौते के अंतर्गत शुल्क की अधिमान्य दर के लिए उद्गम वाली वस्तुओं के रूप में पात्र हैं।**
    - **उद्गम प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत करना होगा।
  - **शुल्क की अधिमान्य दर का दावा** उचित अधिकारी द्वारा बिना **जांच के अस्वीकृत किया जा सकता है,** यदि CO-
    - अधूरा है, या
    - में कोई परिवर्तन किया गया है जिसे जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया हो, या
    - की तिथि समाप्त (expired) हो गयी है।
  - आयातक को **क्षेत्रीय मूल्य सामग्री** सहित **रूल्स ऑफ ओरिजिन** से संबंधित मानदंडों से जुड़ी सभी प्रासंगिक सूचनाएं भी प्रस्तुत करनी होती है।
  - अधिकारी प्रमाण-पत्र की वास्तविकता या प्रामाणिकता के संबंध में संदेह की स्थिति में सीमा शुल्क स्वीकृति के दौरान या उसके पश्चात्, सत्यापन करने वाले प्राधिकरण से **CO के सत्यापन का अनुरोध** कर सकता है।

उद्गम के नियमों पर विश्व व्यापार संगठन समझौता (World Trade Organization's Agreement on Rules of Origin)

- इस समझौते का उद्देश्य **गैर-अधिमान्य रूल्स ऑफ ओरिजिन का दीर्घकालिक सुसंगतीकरण (harmonization) करना** और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे नियम अपने आप में व्यापार के लिए अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न न करें।
- यह उद्गम के नियमों, वर्तमान में जारी वार्ताओं के **सामंजस्य के लिए एक कार्य योजना** निर्धारित करता है। इस प्रक्रिया के लिए दो संस्थाओं की स्थापना की गई है:
  - WTO के ढांचे के अंतर्गत गठित **उद्गम के नियमों पर समिति।** यह WTO के सभी सदस्यों के प्रवेश हेतु खुली है।
  - विश्व सीमा शुल्क संगठन के तत्वावधान में **उद्गम के नियमों पर तकनीकी समिति।**
- यह समझौता उद्गम के नियमों को निर्धारित करने के सामान्य सिद्धांत भी प्रदान करता है, जैसे कि पारदर्शिता, सकारात्मक मानक, प्रशासनिक आकलन, न्यायिक समीक्षा आदि, जो उद्गम के अधिमान्य नियमों पर भी लागू होंगे।

4.3.3. विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं का व्यापार (Services Trade at WTO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में मुक्त सेवा व्यापार (open services trade) पर बाध्यकारी समझौते का विरोध किया है।

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- **जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों** और **कोविड-19 के वैश्विक प्रभाव** को संबोधित करने के प्रयास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको आदि जैसे देश, WTO के सदस्यों द्वारा अपने बाजारों को और उदार बनाते हुए **पर्यावरण संबंधी सेवाओं के व्यापार** को और अधिक किफायती बनाने की मांग कर रहे हैं।

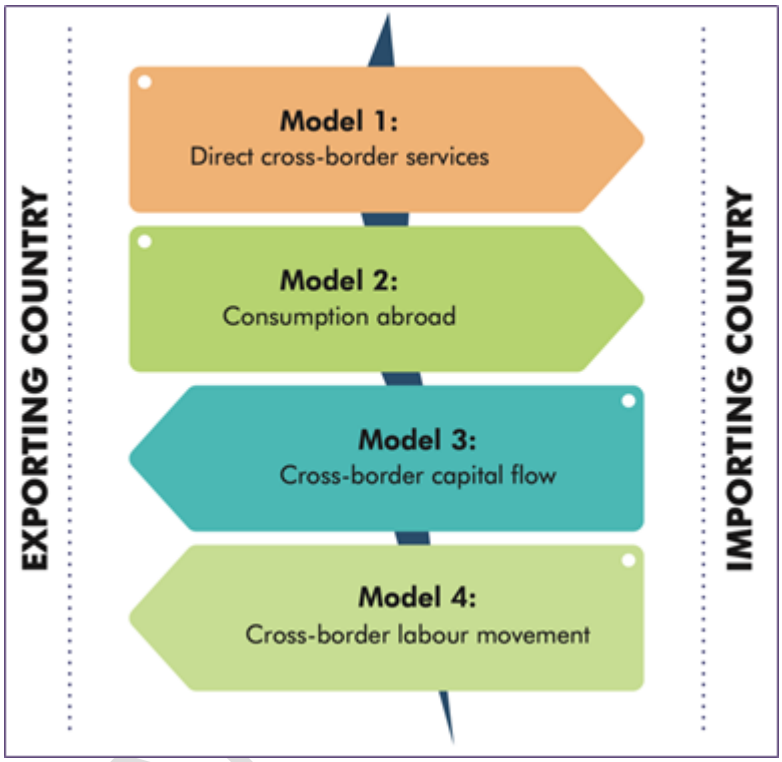

- हालांकि, भारत ने **जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस (GATS)** के तहत विकासशील देशों को प्रदत्त अंतर्निहित लोचशीलता के महत्व का संदर्भ देते हुए इसका विरोध किया है।
  - इसके अंतर्गत, विकासशील देशों को **अपने सीमित क्षेत्रों को खोलने, कुछ विशेष प्रकार के लेन-देन को उदार बनाने** और **अपनी विकास स्थिति के अनुरूप बाजार पहुंच का उत्तरोत्तर विस्तार करने हेतु लचीलापन** प्रदान किया गया है।
- भारत ने इस तथ्य पर भी बल दिया है कि **पेशेवरों की सुगम आवाजाही से संबंधित सेवा वार्ताओं के मोड 4** पर **विस्तृत चर्चा** प्रारंभ की जानी चाहिए।
- GATS, **जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ़्स एंड ट्रेड (GATT)** के उद्देश्यों के समान **सेवाओं में व्यापार को शामिल करने वाला प्रथम बहुपक्षीय समझौता** है।
  - यह **सेवाओं के व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों की एक रूपरेखा** प्रदान करता है। यह सेवाओं में व्यापार को उदार बनाने हेतु देशों के लिए **प्रतिबद्धताओं का एक तंत्र स्थापित** करता है तथा साथ ही, देशों के मध्य विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है।
  - इस पर **उरुग्वे दौर के दौरान वार्ता** की गई थी और यह **वर्ष 1995** में लागू हुआ था।

4.3.4. कृषि सब्सिडी का मुद्दा (Farm Subsidies Issue)

- अनेक विकसित देशों, यथा- संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ ने भारत से अपने कृषकों को प्रदत्त समर्थन (अर्थात् कृषि सब्सिडी) में कटौती करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कृषि पर समझौते (Agreement on Agriculture: AoA) के तहत निर्धारित **डी मिनिमस** सीमा (पात्रता) से अधिक है।
  - **डी मिनिमस** वस्तुतः घरेलू समर्थन की वह न्यूनतम मात्रा है जिसकी अनुमति WTO के AoA के अंतर्गत प्रदान की गयी है, भले ही उससे व्यापार में विकृति आए। विकसित देशों के लिए यह सीमा उत्पादन के मूल्य के 5% तक, विकासशील देशों के लिए 10% तक निर्धारित है।

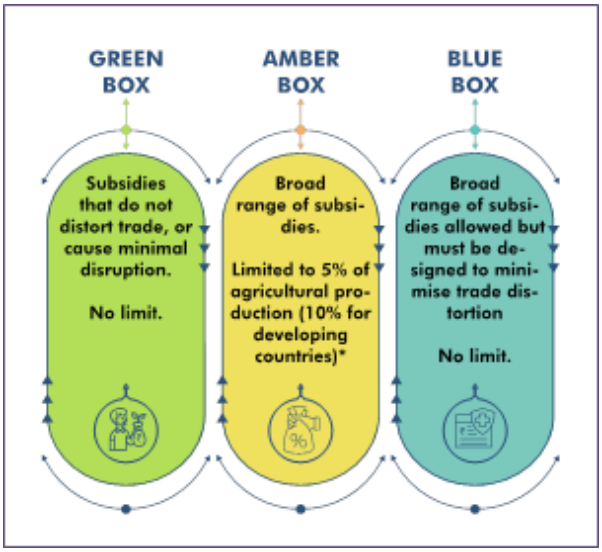

- हालांकि, सेंटर फॉर WTO स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार

भारत के लिए प्रति किसान एम्बर बॉक्स पात्रता, विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत कम है।

- इस रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि अधिकांश विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में संलग्न लोगों की संख्या काफी अधिक है और अधिकांश किसान कम आय वाले या संसाधनों से वंचित हैं।

- **AoA** के तहत, सब्सिडी को तीन बॉक्स में वर्गीकृत किया गया है (चित्र देखें)।

4.4. भारत का निवेश परिदृश्य (India's Investment Regime)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade: DPIIT) ने वर्ष 2019-20 के लिए FDI अंतर्वाह पर डेटा जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया गया है:

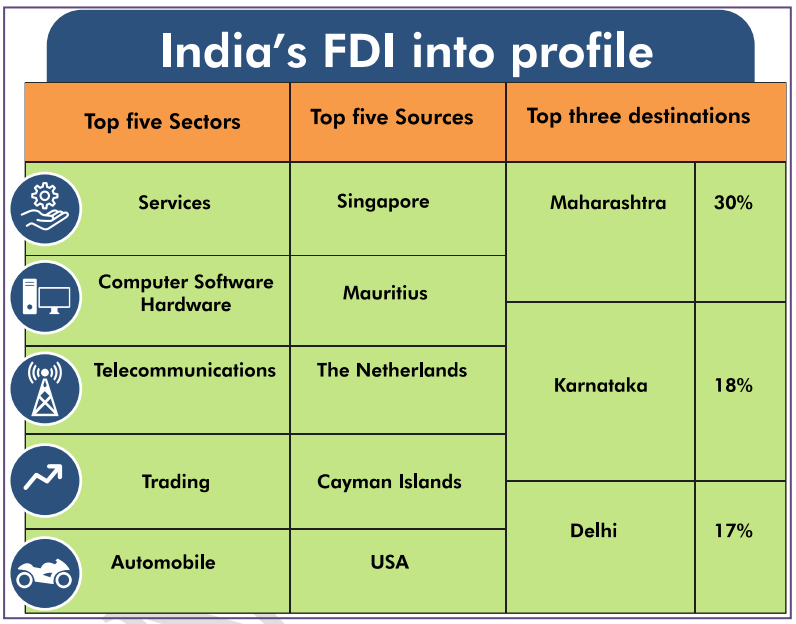

- वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में **18% की वृद्धि** दर्ज की गयी।
- भारत वर्ष 2019 में FDI के लिए शीर्ष 10 गंतव्यों में शामिल था और विश्व बैंक की "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020" में **63वें स्थान** पर है। इसके बावजूद विदेशी निवेश, GDP के 2 प्रतिशत पर बना हुआ है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में FDI इक्विटी प्रवाह 49.9 बिलियन डॉलर का था, जो इसी अवधि के दौरान 83 बिलियन डॉलर के प्रेषण के वार्षिक प्रवाह की तुलना में काफी कम था।

FDI के संबंध में हालिया घटनाक्रम

रक्षा	• मौजूदा नीति के तहत, रक्षा उद्योग में स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक और सरकारी मार्ग के तहत 75% (आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच हेतु) तक FDI की अनुमति है। • ज्ञातव्य है कि नई नीति में रक्षा क्षेत्र में स्वत:अनुमोदन के माध्यम से FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। हालांकि, यहाँ एक शर्त के रूप में **राष्ट्रीय सुरक्षा खंड (National Security clause)** भी जोड़ा गया है। • रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने की क्षमता वाले किसी भी विदेशी निवेश की समीक्षा करने का अधिकार अब सरकार के पास सुरक्षित है।
डायरेक्ट टू होम (DTH) सेवाएं	• 100% FDI और 20 वर्षों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
डिजिटल न्यूज़	• भारत के घरेलू मामलों में विदेशी प्रभाव और हस्तक्षेप पर निगरानी हेतु इसे मात्र 26% पर सीमित किया गया है।
एयर इंडिया	• अनिवासी भारतीयों के लिए स्वचालित मार्ग से एयर इंडिया में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है। • सरकार ने इसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों (Foreign Exchange Management rules) में संशोधन किया है।

© Vision IAS

4.4.1. द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty: BIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। इसी परिदृश्य को देखते हुए, भारत की मॉडल "द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT), 2016" की समीक्षा की मांग की जा रही है।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के बारे में

- द्विपक्षीय निवेश संधियां **दो देशों के मध्य संपन्न संधियां हैं। इनका उद्देश्य दोनों देशों के निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को संरक्षण प्रदान करना है।**
- ये संधियाँ मेजबान देश के नियामक व्यवहार पर शर्तें आरोपित करती हैं तथा विदेशी निवेशकों के अधिकारों को कम करने वाली प्रथाओं पर अंकुश लगाती हैं।
- इनमें से कुछ शर्तें निम्नलिखित हैं:
  - इसके तहत मेजबान देश पर यह प्रतिबंध आरोपित होता है कि वह **निवेश की गयी पूँजी को जब्त** (मालिक से संपत्ति लेना) नहीं कर सकता है। इसमें पर्याप्त मुआवजे के साथ सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति अधिग्रहित करने पर भी रोक लगाई जाती है।
  - इसमें मेजबान देश पर यह बाध्यता होती है कि वह विदेशी निवेश के साथ **उचित एवं न्यायसंगत व्यवहार (Fair and Equitable Treatment: FET)** संबंधी समझौते का पालन करे।
  - इसके अंतर्गत संधि में निहित शर्तों के अधीन **निधियों के हस्तांतरण** की अनुमति दी जाती है।
  - यदि मेजबान देश के संप्रभु नियामक निकायों के नियम/उठाए गए कदम BIT के अनुरूप नहीं हैं, तो निवेशकों को यह अनुमति होती है कि वे मेजबान देश के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्रों के समक्ष शिकायत दर्ज कर समाधान प्राप्त करें।
- अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और मेजबान देशों के मध्य उत्पन्न विवादों के निपटान हेतु निवेशक-राज्य विवाद समाधान (Investor-State Dispute Settlement: ISDS) तंत्र के अंतर्गत निवेशकों को यह अधिकार होता है कि वे मामले को **निवेश संबंधी विवादों के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes: ICSID)** के समक्ष ले जाएं। यहाँ विवादों का निपटारा किया जाता है।

भारत के मॉडल BIT (वर्ष 2016) की प्रमुख विशेषताएं

- इस नए मॉडल BIT में **निवेश की परिभाषा 'एक व्यापक परिसंपत्ति-आधारित परिभाषा से हटकर उद्यम-आधारित'** हो गई है जहां किसी भी उद्यम को उसकी परिसंपत्ति के साथ जोड़कर देखा जाता है।
- **परम अनुग्रहीत राष्ट्र (Most Favoured Nation: MFN):** BIT में MFN प्रावधानों का उद्देश्य विभिन्न देशों के निवेशकों के साथ मेजबान राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करना तथा सभी विदेशी निवेशकों को एक समान अवसर प्रदान करना है।
  - विदेशी निवेशकों को 'MFN खंड' के माध्यम से BITs के अन्य प्रावधानों का लाभ उठाने से रोकने के लिए **भारत का मॉडल BIT पूरी तरह से MFN खंड का त्याग करता है।**
- **उचित एवं न्यायसंगत व्यवहार (Fair and Equitable Treatment: FET):** इसका अर्थ है कि विदेशी निवेशक मेजबान राष्ट्र के अस्वीकार्य/मनमाने उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून (जो मेजबान राष्ट्र के नियम-कानूनों के अधीन नहीं हैं) का संरक्षण प्राप्त कर सकता है।
  - वर्ष 2016 के मॉडल BIT के तहत **FET प्रावधानों को सम्मिलित नहीं** किया गया है, क्योंकि ISDS ट्रिब्यूनल प्राय: इस प्रावधान की व्यापक रीति से व्याख्या करते हैं। इसके बजाए, इसमें 'ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स' का प्रावधान किया गया है।

निवेश संबंधी विवादों के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes: ICSID)

- ICSID वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय निवेश से संबंधित विवादों के निपटान हेतु विश्व की एक अग्रणी संस्था है।
- **कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट ऑफ़ इंटरनेशनल डिस्प्यूट** द्वारा वर्ष 1966 में विधिक विवादों के समाधान एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के मध्य सुलह के लिए ICSID की स्थापना की गयी थी।
- **155 देशों** ने ICSID अभिसमय की अभिपुष्टि (ratification) की है। **हालांकि, भारत ICSID अभिसमय का पक्षकार देश नहीं** है।

VISION IAS

- **ISDS तंत्र:** वर्ष 2016 के मॉडल BIT में भारत ने ISDS हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दी है। हालांकि, इस संबंध में एक शर्त यह है कि किसी विदेशी निवेशक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की सुविधा का लाभ उठाने के पहले कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक सभी स्थानीय उपायों के तहत अपनी चिंताओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

4.5. प्रमुख अवधारणाएं एवं सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News)

एंटी-डंपिंग शुल्क (Antidumping duty)	• भारत द्वारा चीन से आयातित **एंटी-बैक्टीरियल दवा सिप्रोफ्लोक्सासिन** (Ciprofloxacin) पर **एंटी-डंपिंग शुल्क** आरोपित किया गया है। • एंटी-डंपिंग शुल्क तब अधिरोपित किया जाता है, जब कोई देश या फर्म वस्तुओं का **अपने घरेलू बाजार मूल्यों से कम मूल्य पर** किसी अन्य देश में **निर्यात** करता है। ○ इससे आयात करने वाले देश में **उत्पाद की कीमत,** तथा विनिर्माण फर्मों का लाभ व मुनाफ़ा प्रभावित होता है। • वाणिज्य विभाग द्वारा एंटी-डंपिंग शुल्क के संबंध में अनुशंसा की जाती है, जबकि इस शुल्क के आरोपण का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
केयर्न्स समूह (Cairns Group)	• यह कृषि व्यापार के क्षेत्र में उदारीकरण का समर्थन करने वाले **19 कृषि निर्यातक देशों का एक गठबंधन** है। ○ विश्व के कृषि निर्यात में इनकी 25 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। • वर्ष 1986 में केयर्न्स (ऑस्ट्रेलिया) में इसकी स्थापना की गयी थी। • भारत इसका सदस्य नहीं है।
ऋण सेवा निलंबन पहल (Debt Service Suspension Initiative: DSSI)	• इस पहल का उद्देश्य **सर्वाधिक निर्धन देशों को** कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव से निपटने में सहायता करने के लिए **ऋण-सेवा निलंबन प्रदान करना** है। • यह निर्धन देशों को **अपने संसाधनों को महामारी से संघर्ष करने और जीवन की सुरक्षा पर केंद्रित करने** की अनुमति प्रदान करता है। • इसे **विश्व बैंक की विकास समिति (World Bank's Development Committee), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और G20 के वित्त मंत्रियों** ने अप्रैल 2020 में समर्थन प्रदान किया था।
धन-शोधन पर एशिया-प्रशांत समूह {Asia-Pacific group (APG) on money laundering}	• **यह एक अंतर-सरकारी संगठन है,** जो यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि इसके सदस्य **धन-शोधन,** आतंकवाद के वित्त-पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार से संबंधित वित्तीयन के विरुद्ध **अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग** से लागू करें। • **भारत भी इसका सदस्य है।**
'करेंसी मैनिपुलेटर्स' अर्थात् मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची ('Currency Manipulators' Monitoring List)	• संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार पुन: भारत को **"संदिग्ध विदेशी विनिमय नीतियों"** को अपनाने वाले और **"मुद्रा में हेरफेर"** करने वाले देश के रूप में अपनी **निगरानी सूची** में शामिल किया है। • **अमेरिकी सरकार द्वारा** 'करेंसी मैनिपुलेटर' के रूप में उन देशों को चिन्हित किया जाता है, जो **डॉलर की तुलना में अपनी मुद्रा का जानबूझकर अवमूल्यन (Devaluation) करके "अनुचित मौद्रिक प्रथाओं" में शामिल होते हैं।** ○ किसी देश को करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में नामित करना तुरंत किसी कार्रवाई को आकर्षित नहीं करता है, **परन्तु वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक देश के प्रति विश्वास को क्षीण अवश्य करता है।**
हस्तशिल्प और भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त खिलौने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से मुक्त हैं (Handicraft and GI Toys exempted	• यह **भारत को खिलौनों के विक्रय और निर्यात के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र** बनाने तथा देश भर में **स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन एवं विक्रय को बढ़ावा देने** की दृष्टि से किया गया एक उपाय है। • उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा **भारतीय मानक ब्यूरो**

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

from Quality Control Order)	**से लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त मानक चिन्ह के उपयोग से संबंधित** खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2020 (Toys (Quality Control) Second Amendment Order, 2020) जारी किया गया है।
ईरान की नई करेंसी (Iran's New Currency)	• ईरान की संसद ने अपनी वर्तमान मौद्रिक इकाई **'रियाल'** को लोकप्रिय **'तोमान'** में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। • नई प्रणाली के तहत प्रत्येक तोमान का मूल्य 10,000 रियाल के समतुल्य होगा।

5. श्रम, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमशीलता (Labour, Employment, Skill Development And Entrepreneurship)

5.1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 {Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2018-19}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2018-19 जारी किया गया है।

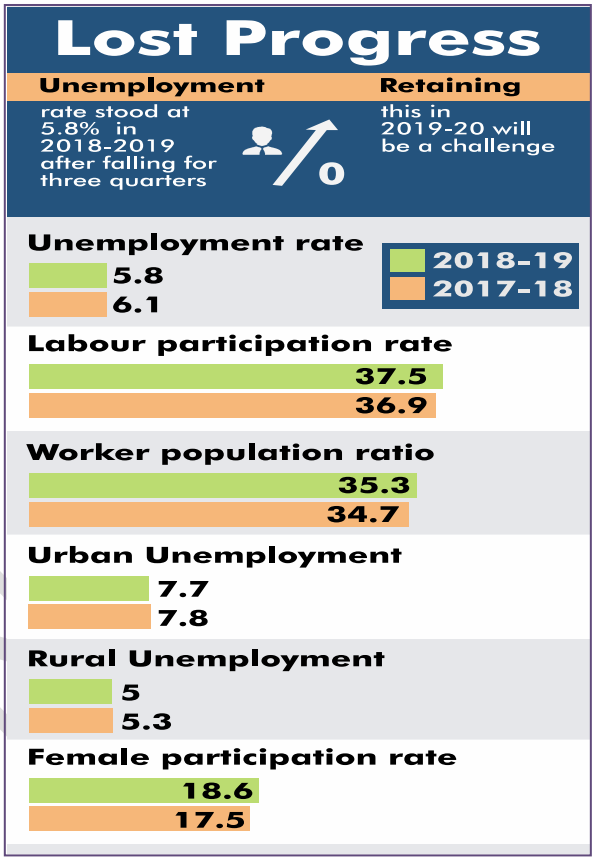

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2017 में, NSSO ने रोजगार एवं बेरोजगारी के संकेतकों, मुख्य रूप से श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio: WPR), श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rates: LFPR), बेरोजगारी दर (Unemployment Rate: UR) आदि का अनुमान लगाने के लिए PLFS का शुभारंभ किया था।
  - **LFPR:** इसे जनसंख्या में श्रम बल (अर्थात् कार्यरत या कार्य करने की आकांक्षा रखने वाले या कार्य के लिए उपलब्ध व्यक्ति) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  - **WPR:** इसे जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  - **बेरोजगारी दर (UR):** इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

अन्य तथ्य

NSSO द्वारा "समय उपयोग सर्वेक्षण" (Time Use Survey: TUS)

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक विंग) ने जनवरी से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए भारत का पहला **टाइम यूज़ सर्वे** जारी किया है।
- TUS का उद्देश्य वैतनिक तथा अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों, महिलाओं और अन्य व्यक्तियों की भागीदारी का तुलनात्मक मापन करना है।

5.2. श्रम संहिता (Labour Codes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्रम सुधारों को बढ़ावा देने के लिए **संसद ने श्रम संहिता से संबंधित तीन विधेयक पारित किए हैं।** ये हैं- उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020); औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020); और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)।

© Vision IAS

5.2.1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Code on Industrial Relations, 2020)

- यह तीन पूर्ववर्ती कानूनों की अधिकांश विशेषताओं को समामेलित करती है। ये कानून हैं:
  - व्यापार संघ अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926);
  - औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 {Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946}; तथा
  - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947)

इस संहिता के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान:

- **श्रमिक (worker) की परिभाषा:** यह 'श्रमिक' को ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो पारिश्रमिक या प्रतिफल (रिवॉर्ड) के लिए काम करता है। यह संहिता **18,000 रुपये** से अधिक मजदूरी/वेतन पाने वाले उन लोगों को अपने दायरे से बाहर करती है जो प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता या पर्यवेक्षी क्षमता (supervisory capacity) की दृष्टि से नियोजित हैं।
- **स्थायी आदेश (Standing Orders):** 300 या उससे अधिक श्रमिकों वाले सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों (industrial establishments) को निम्नांकित मामलों के संबंध में स्थायी आदेश तैयार करना होगा:
  - श्रमिकों का वर्गीकरण,
  - श्रमिकों को काम के घंटे, छुट्टियां, वेतन दिवस (paydays) और मजदूरी दरों के संबंध में सूचित करने की रीति,
  - रोजगार की समाप्ति, और
  - श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र।
- **बंदी (closure), कामबंदी और छंटनी के लिए सरकार की पूर्व अनुमति:** कम से कम 300 श्रमिक रखने वाले किसी प्रतिष्ठान के लिए बंदी, कामबंदी और छंटनी से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। केवल केंद्र सरकार को **अधिसूचना के माध्यम से इस सीमा में वृद्धि की अनुमति देने का अधिकार है।**
- **वार्ताकारी संघ और परिषद (Negotiating Union and Council):**
  - **एकमात्र वार्ताकारी संघ (Sole Negotiating Union):** यदि किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों के एक से अधिक पंजीकृत व्यवसाय संघ (trade union) हैं, तो सदस्य के रूप में 51% से अधिक श्रमिकों वाले व्यवसाय संघ को एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता दी जाएगी।
  - **वार्ता परिषद (Negotiation Council):** यदि कोई व्यवसाय संघ एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में पात्र नहीं है, तो वार्ताकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जो सदस्य के रूप में कम से 20% श्रमिकों वाले व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित होगी।
- **विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण:** इसमें औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक औद्योगिक अधिकरण एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनेगा।
  - यह संहिता कार्य-मुक्ति, बर्खास्तगी, छंटनी, या किसी श्रमिक की सेवाओं की अन्यथा समाप्ति के संबंध में **किसी भी विवाद** को औद्योगिक विवाद के रूप में **वर्गीकृत** करती है।
  - **एक श्रमिक अपनी सेवा समाप्ति से संबंधित विवाद की स्थिति में,** श्रमिक विवाद के सुलह के लिए आवेदन किए जाने के 45 दिन पश्चात्, उक्त विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए औद्योगिक अधिकरण में आवेदन कर सकता है।
- **पुनर्कौशल फंड (Re-skilling fund):** नौकरी से निकाल दिए गए श्रमिकों का पुनर्कौशल करने के लिए इस फंड की स्थापना की जाएगी। इस फंड में अंशदान औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, जो ऐसे अन्य स्रोतों से अंशदान के साथ-साथ छंटनी से तत्काल पहले श्रमिक द्वारा अंतिम रूप से आहरित पंद्रह दिनों की मजदूरी के बराबर होगा।

अन्य संबंधित तथ्य

IRC (औद्योगिक संबंध संहिता) नियमों के प्रारूप का उद्देश्य कंपनियों हेतु **छंटनी (retrenchment), कामबंदी (lay-off) या व्यवसायों को पूर्णतः**

बंद (closure) करने के लिए समयबद्ध अनुमति सुनिश्चित करना है।

- **प्रारूप में शामिल नियम:**
  - कम से कम 300 श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों के लिए, **कामबंदी के लिए कम से कम 15 दिन पूर्व, छंटनी के लिए 60 दिन पूर्व और व्यवसाय को पूर्णतः बंद करने के लिए 90 दिन पहले** केंद्र से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
    - सरकार ने छंटनी या कामबंदी के समय **नियोक्ताओं से मांगी जाने वाली सूचना को भी कम** कर दिया है।
  - **छंटनी किए गए कर्मकारों के लिए एक पुन:कौशल प्राप्त करने संबंधी निधि** स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। जहां श्रमिकों को छंटनी होने के दो महीने के भीतर उनके पुन: कौशल वर्धन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन प्राप्त होगा।
  - अधिकरण को आवेदन सहित हड़ताल, तालाबंदी, छंटनी हेतु अनुमति, कामबंदी या इकाई को बंद करने, सुलह से संबंधित सभी आवेदनों को **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।**
  - राजनीतिक योगदान, निधियों के उपयोग या ट्रेड यूनियनों के लिए वार्ता परिषद **से संबंधित नियमों को राज्य सरकारों द्वारा अंतिम रूप** प्रदान किया जाएगा।

5.2.2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)

यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। इनमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 आदि सम्मिलित हैं।

इस संहिता के प्रमुख प्रावधान

- **प्रयोज्यता (Applicability):** यह संहिता **सभी प्रतिष्ठानों पर लागू** होती है तथा प्रतिष्ठान के आकार-प्रकार का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी।
- **सामाजिक सुरक्षा कोष (Social security fund):** इस संहिता में यह उल्लेख है कि केंद्र सरकार **असंगठित श्रमिकों, गिग (अनुबंध आधारित) श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए** इस प्रकार के कोष की स्थापना करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें असंगठित श्रमिकों के लिए अलग से सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना और प्रशासन करेंगी।
- इसमें केंद्र सरकार के पोर्टल पर सभी तीनों श्रेणियों के श्रमिकों, यथा- असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों द्वारा स्व-पंजीकरण के साथ-साथ आधार आधारित पंजीकरण का प्रावधान है।
- **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड:** उपर्युक्त तीन श्रेणियों के श्रमिकों के कल्याण हेतु और उनके लिए योजनाओं की अनुशंसा व निगरानी करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे: (i) केंद्र सरकार द्वारा नामांकित समूहकों (aggregators) के पांच प्रतिनिधि, (ii) केंद्र सरकार द्वारा नामांकित गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के पांच प्रतिनिधि, (iii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के महानिदेशक और (iv) राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधि।
- **योजनाओं के लिए अंशदान:** गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए योजनाओं का वित्त-पोषण केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और समूहकों के संयुक्त अंशदान के माध्यम से किया जा सकता है।
- **परिभाषाओं में परिवर्तन:** इनमें (i) ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए 'कर्मचारियों', (ii) किसी अन्य राज्य से स्व-नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए "अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों", (iii) सेवाओं या गतिविधियों की अतिरिक्त श्रेणियों के लिए "प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों" (जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है), (iv) फिल्मों, वेब-आधारित धारावाहिकों, टॉक शो, रियलिटी शो और स्पोर्ट्स शो को सम्मिलित करने के लिए ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शंस की परिभाषाओं का विस्तार करना सम्मिलित है।
- **पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी हेतु पात्रता की अवधि:** यह संहिता कार्यशील पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी की अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करती है।
- **अपराध और अर्थदंड:** यह संहिता कुछ अपराधों के लिए दंड में परिवर्तन करती है। उदाहरण के लिए, किसी निरीक्षक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए अधिकतम कारावास एक वर्ष से घटाकर छह महीने कर दिया गया है।
- **महामारी के दौरान अतिरिक्त शक्तियां:** इस संहिता के तहत कुछ नई धाराओं को शामिल किया गया है जिन्हें महामारी की स्थितियों में लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार सर्वव्यापी महामारी तथा स्थानिक या राष्ट्रीय आपदा की

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

स्थिति में तीन महीने की अवधि तक नियोक्ता या कर्मचारी का अंशदान (PF और ESI के अंतर्गत) स्थगित या कम कर सकती है।

5.2.3. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020)

यह संहिता स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य दशाओं को विनियमित करने वाले 13 वर्तमान अधिनियमों का समेकन करती है। इनमें कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948); खान अधिनियम, 1952 (Mines Act, 1952); ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम,1970 {Contract Labour (Regulation and Abolition) Act,1970} आदि सम्मिलित हैं।

इस संहिता के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान:

- **प्रतिष्ठानों के अच्छादन के लिए सीमा (Threshold for coverage of establishments):**
  - **कारखाना (Factory):** यह कारखाने को ऐसे किसी भी परिसर के रूप में परिभाषित करती है, जहां विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है और वह: (i) 20 श्रमिकों, यदि विद्युत का उपयोग करके विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है, या (ii) 40 श्रमिकों, यदि विद्युत का उपयोग किए बिना विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है, से अधिक श्रमिकों को नियोजित करता है।
  - **खतरनाक गतिविधि में संलग्न प्रतिष्ठान (Establishments engaged in hazardous activity):** इसमें श्रमिकों की संख्या से निरपेक्ष ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को सम्मिलित किया गया है जहां कोई खतरनाक गतिविधि की जाती है।
  - **संविदा या ठेका श्रमिक (Contract workers):** यह संहिता 50 या अधिक श्रमिकों को नियोजित (विगत एक वर्ष में किसी भी दिन) करने वाले प्रतिष्ठानों या ठेकेदारों (केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यालयों सहित) पर लागू होगी। साथ ही, यह प्रमुख (कोर) गतिविधियों (इसे उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा) में संविदा या ठेका श्रम पर प्रतिबंध आरोपित करती है। यह 11 कार्यों सहित गैर-प्रमुख गतिविधियों की सूची भी परिभाषित करती है, जिनमें सम्मिलित हैं: (i) स्वच्छता कर्मी (sanitation workers), (ii) सुरक्षा सेवाएं, और (iii) अनियमित (intermittent) प्रकृति की कोई भी गतिविधि।
- **काम के घंटे और रोजगार की स्थितियां:**
  - **दैनिक काम के घंटों की सीमा:** यह संहिता काम के लिए प्रति दिन आठ घंटे की अधिकतम सीमा निश्चित करती है।
  - **महिलाओं का नियोजन:** महिलाएं **सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित किए जाने हेतु अर्ह होंगी।** यदि उन्हें खतरनाक या जोखिम भरे कार्यों में काम करने की आवश्यकता होती है, तो **सरकार नियोक्ता के लिए उनके नियोजन से पहले पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक बना सकती है।**
- **छूट:** यह संहिता **राज्य सरकार** को अधिक आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजित करने के लिए इस संहिता के प्रावधानों से **किसी भी नए कारखाने को छूट देने का अधिकार देती** है।
- **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक:**
  - **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक की परिभाषा:** कोई भी व्यक्ति जो अपने आप दूसरे राज्य में जाता है और वहां रोजगार प्राप्त करता है तथा अधिकतम 18,000 रुपये प्रति माह, या ऐसी उच्चतर राशि अर्जित कर रहा है, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है।
  - **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए लाभ:** इसमें सम्मिलित हैं: (i) या तो मूल राज्य में या रोजगार देने वाले राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प, (ii) रोजगार देने वाले राज्य में भवन और अन्य निर्माण उपकर निधि के अंतर्गत लाभों की उपलब्धता, तथा (iii) एक ही प्रतिष्ठान में अन्य श्रमिकों को उपलब्ध बीमा और भविष्य निधि लाभ।
  - इस संहिता में विस्थापन भत्ते (Displacement allowance) के प्रावधान को हटा दिया गया है। ज्ञातव्य है कि 2019 के विधेयक में विस्थापन भत्ते का प्रावधान किया गया था। इसमें अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की भर्ती के समय उन्हें विस्थापन भत्ता देने का प्रावधान था, जो उनकी मासिक मजदूरी के 50% के बराबर था।
  - **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस:** केंद्र और राज्य सरकारों को एक पोर्टल में अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का विवरण बनाए रखना या अभिलेखित करना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रवासी श्रमिक स्व-घोषणा और आधार कार्ड के माध्यम से पोर्टल पर अपने आपको पंजीकृत करा सकते हैं।

- **असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि:** इस संहिता के अंतर्गत कुछ अर्थदंड के आरोपण से एकत्रित राशि इस निधि में जमा की जाएगी। सरकार इस निधि में धन हस्तांतरित करने के लिए अन्य स्रोत भी निर्धारित कर सकती है।

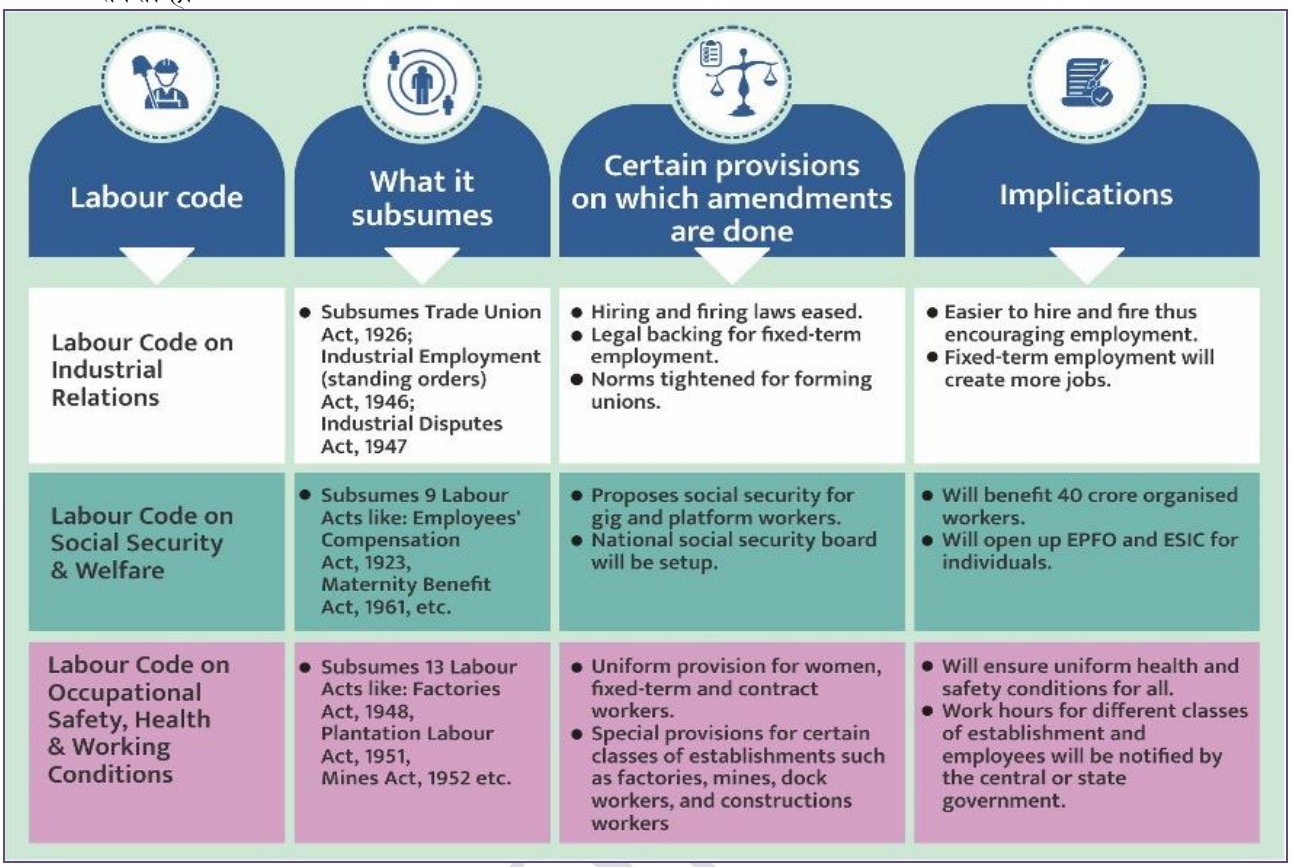

5.3. मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 का प्रारूप {Draft Code on Wages (Central) Rules, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा **मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020** का प्रारूप जारी किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- ये नियम, **मजदूरी संहिता, 2019** के तहत जारी किए गए हैं। मजदूरी संहिता, 2019 को पिछले वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।
- नए प्रारूप नियमों में, **दैनिक सामान्य कार्य के घंटों को पूर्ववर्ती संस्करण** (नवंबर 2019 में जारी किया गया) **में प्रस्तावित नौ घंटे से कम करके आठ घंटे किया गया है** (अन्य विवरण के लिए इन्फोग्राफिक देखें)।
- **मजदूरी संहिता, 2019 के बारे में:**
  - **यह संहिता निम्नलिखित चार अधिनियमों को प्रतिस्थापित करती है:**
    - मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936);
    - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948);
    - बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (Payment of Bonus Act, 1965); तथा
    - समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (Equal Remuneration Act, 1976)।
  - इस संहिता में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों और मजदूरी सीमा (wage ceiling) को ध्यान में रखे बिना, **सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी और समय पर वेतन भुगतान के प्रावधानों को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास** किया गया है।
- न्यूनतम मजदूरी का लक्ष्य संपूर्ण देश में एक **समान जीवन स्तर** सुनिश्चित करना है।

© Vision IAS

- वर्तमान में, राज्यों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में न्यूनतम मजदूरी में भिन्नता विद्यमान है, क्योंकि केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही न्यूनतम मजदूरी निर्धारित, संशोधित एवं लागू करती हैं।

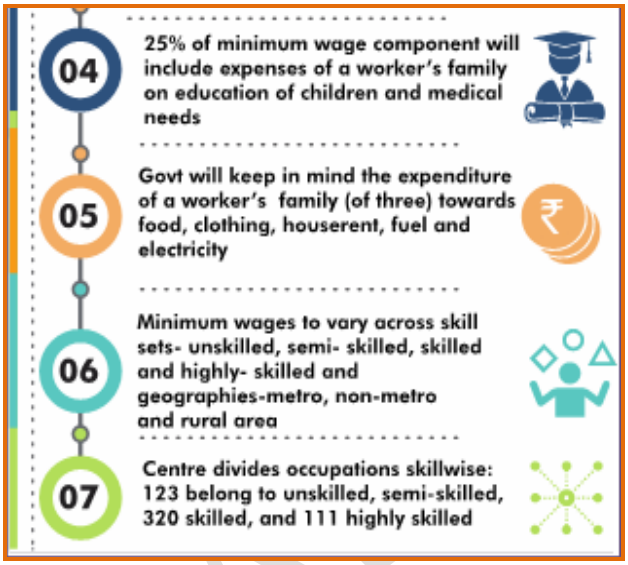

5.4. नियत कालिक रोजगार (Fixed Term Employment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विनिर्माण, खनन और सेवा क्षेत्र, सभी के लिए **आदर्श स्थायी आदेश, 2020 (Model Standing Orders, 2020)** के प्रारूप को अधिसूचित किया है। इस प्रारूप दस्तावेज में **कामगारों के वर्गीकरण में से एक के रूप में नियत कालिक रोजगार** का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रारूप आदेश में नियत कालिक रोजगार (फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट) को रोजगार की एक श्रेणी में शामिल किया गया है, किंतु सूची से "आकस्मिक कार्य" (casual work) को हटा दिया गया है। प्रदत्त सूची में श्रमिकों को **स्थायी (Permanent), अस्थायी (Temporary), प्रशिक्षु (Apprentices), परिवीक्षाधीन (Probationers), बदली (Badlis) और नियत कालिक रोज़गार (Fixed Term Employment)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - बदली का अभिप्राय ऐसे कामगार से है, जिसे किसी स्थायी कामगार या प्रोबेशनर के अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उस पद पर नियुक्त किया जाता है।
- प्रारूप आदेश **300 या अधिक कामगारों वाले सभी विनिर्माण और खनन प्रतिष्ठानों पर लागू** होगा।
- हालांकि, इस आदेश को विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के पश्चात् अंतिम रूप दिया जाएगा और **औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम, 2020 (Industrial Relations Code Act 2020) के साथ एकीकृत** किया जाएगा।

नियत कालिक रोजगार की वैधानिक स्थिति की पृष्ठभूमि

- **औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Order) Act 1946)** के अनुसार, नियत कालिक रोजगार आरंभ में (वर्ष 2016 में), केवल परिधान निर्माण क्षेत्रक और उसके बाद वर्ष 2017 में संशोधनों के माध्यम से **फुटवियर निर्माण क्षेत्रक** के लिए उपलब्ध कराया गया था।
- **औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2018** ने सभी उद्योगों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए अनुबंध पर श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति दी।
- इसी की तर्ज पर, **केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने (वर्ष 2018 में)** सभी राज्यों से सभी उद्योगों में नियत कालिक रोजगार (FTE) की अनुमति के लिए **अलग-अलग आदेश जारी करने का आग्रह किया था।**

नियत-कालिक रोजगार क्या है?

- मोटे तौर पर, नियत कालिक रोजगार एक अनुबंध है, जिसमें एक कंपनी (या एक उद्यम) किसी कामगार को एक विशिष्ट अवधि के लिए काम पर रखती है। ज्यादातर मामलों में, यह एक वर्ष के लिए होता है, लेकिन आवश्यकता के आधार पर अवधि समाप्त होने के बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

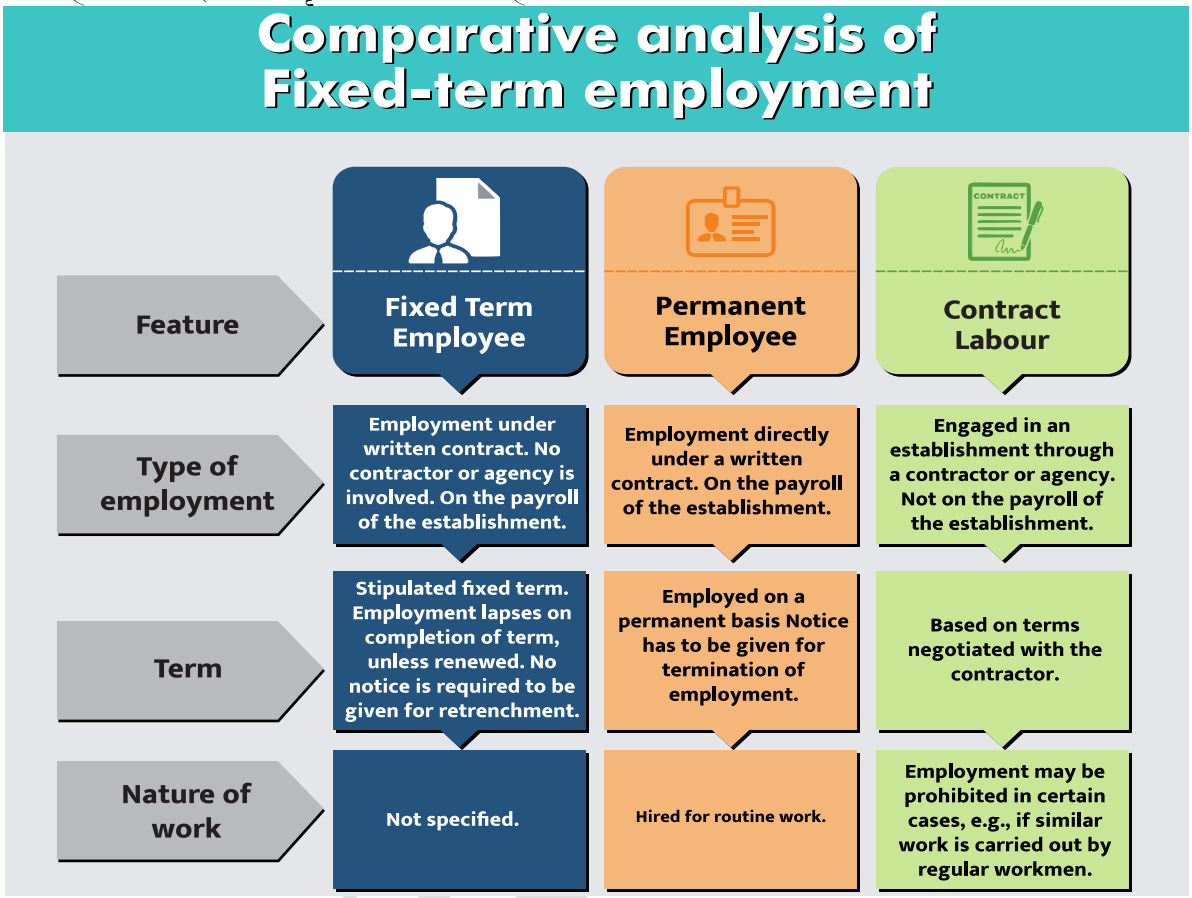

- **इस आदर्श स्थायी आदेश में नियत कालिक रोजगार के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं को रेखांकित किया गया है:**
- नियत कालिक रोजगार से अभिप्राय किसी निर्धारित अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा लिखित अनुबंध के आधार पर किसी कामगार को प्रदत्त रोजगार से है, किंतु यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है-
  - उसके **कार्य के घंटे, वेतन, भत्ते और अन्य लाभ समान काम करने वाले या समान प्रकृति के कार्य करने वाले किसी स्थायी कर्मचारी से कम नहीं** होंगे।
  - वह किसी **स्थायी कामगार को उपलब्ध** उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के समान अनुपात में **सभी सांविधिक लाभों का पात्र होगा,** भले ही उसके नियोजन की अवधि, विधि में अपेक्षित पात्रता नियोजन अवधि के बराबर न हो।
  - यदि वह एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के तहत सेवा प्रदान करता है, तो **वह उपदान (ग्रेच्युटी) के लिए पात्र होगा।** (ग्रेच्युटी एक कर्मचारी को रोजगार की अवधि के अंत में भुगतान की गई राशि का उल्लेख करती है।)
  - सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह महीने से अधिक के प्रत्येक भाग के लिए, **नियोक्ता 15 दिनों के वेतन की दर से कामगार को ग्रेच्युटी का भुगतान करेगा।**
- आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप किसी **कार्यकर्ता की सेवा को समाप्त करना छंटनी (retrenchment) नहीं माना जाएगा।**
- प्रारूप यह प्रस्तावित करता है कि वेतन भुगतान अधिक पारदर्शी होगा और **एक कामगार की कार्य अवधि पूर्ण होने के बाद अधिकतम सात दिनों के भीतर सभी पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जाएगा।**
- इसमें यह भी कहा गया है कि **वेतन दरों (wage rates) को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या नोटिस बोर्ड और औद्योगिक प्रतिष्ठान की वेबसाइट या मानव संसाधन (HR) पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।** यह जानकारी उस भाषा (हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा) में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे अधिकांश श्रमिक परिचित हैं।

© Vision IAS

- अधिकांश देशों के विपरीत, **भारत में निजी कंपनियों द्वारा नियत कालिक अनुबंधों के नवीनीकरण की कोई अधिकतम संख्या तय नहीं की गई है।**

5.5. कौशल विकास के संबंध में अब तक किए गए प्रयास (Developments with regard to Skill Development)

स्किल्स बिल्ड रिगनाइट और स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप {Skills Build Reignite (SBR) And Skills Build Innovation Camp (SBIC)	• यह **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)** तथा **IBM** के मध्य एक साझेदारी है। • **SBR:** इसके अंतर्गत **नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाइन कोर्सवर्क की सुविधा** और **उद्यमियों को परामर्श** प्रदान किया जाता है, ताकि वे क्रमशः अपने करियर एवं व्यवसायों में परिवर्तन कर नवाचार को अपनाने में सक्षम हो सकें। • **SBIC 10 सप्ताह का एक कार्यक्रम** है, जो उन सभी शिक्षार्थियों को **100 घंटे का औपचारिक प्रशिक्षण** प्रदान करता है, जो ज्ञान प्राप्त करने और नेटवर्क तैयार करने तथा अपनी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए परियोजना के माध्यम से अनुभव प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं।
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद {National Council of Vocational Education and Training (NCVET)}	• हाल ही में, **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)** और **NCVET** ने कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को और सुदृढ़ करने हेतु **प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदाता निकाय और मूल्यांकन एजेंसियों** के लिए नए दिशा-निर्देश तथा **प्रचालन विवरणिका (operation manuals)** का अनावरण किया। • **NCVET के बारे में:** ○ इसे **वर्ष 2018 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित** किया गया था। ○ इसे मौजूदा कौशल नियामक निकायों, यथा- **राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी** तथा **राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद** को एकीकृत कर गठित किया गया था तथा यह एक **अति महत्वपूर्ण कौशल नियामक** के रूप में कार्य करेगा। ○ यह व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में लगे हुए **संस्थाओं के कामकाज को नियंत्रित** करता है (दोनों दीर्घकालिक और अल्पकालिक), और ऐसी संस्थाओं के **कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित** करता है।
'गोईंग ऑनलाइन ऐज लीडर्स' (गोल) परियोजना {Going Online As Leaders (GOAL) Project}	• GOAL वस्तुतः एक **डिजिटल कौशल निर्माण एवं परामर्श (mentorship) पहल** है। इस पहल के माध्यम से देश भर के अनुसूचित जनजाति के युवकों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श (mentor) प्रदान करने के लिए व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, कला एवं उद्यमशीलता के क्षेत्र से जुड़े अग्रणी व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों से जोड़ा जाएगा। • इसके अंतर्गत डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल तथा उद्यमशीलता के संबंध में परामर्श प्रदान किया जाएगा। • GOAL परियोजना को **फेसबुक** के साथ साझेदारी में **जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा प्रारंभ किया गया है।
द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम (TULIP)	• ट्यूलिप वस्तुतः देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और स्मार्ट शहरों में **नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का एक कार्यक्रम है।** ○ **आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए** जिन्होंने विगत 18 महीनों के भीतर कॉलेज का अंतिम वर्ष पूरा कर लिया हो। ○ इस कार्यक्रम का **अपना कोई बजट नहीं है।** ○ इसे पहले केंद्रीय बजट 2020-21 की घोषणा में प्रस्तावित किया गया था। • इसमें एक **एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म** होगा जो प्रशिक्षुओं (interns) और सभी ULBs/ स्मार्ट शहरों को एक छत के नीचे अंत:क्रिया करने और एकजुट होने की अनुमति प्रदान करता है। ○ **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** ट्यूलिप के अंतर्गत ULBs और स्मार्ट शहरों की भागीदारी को सक्षम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में क्षमता निर्माण संबंधी पहल भी आरंभ करेगा।

आंतरिक और बाह्य प्रवासियों के लिए कौशल विकास पहल (Skill Development Initiatives for Internal and external migrants)

स्वदेश (स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट) {Swades (Skilled Workers Arrival Database For Employment Support)} • यह **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय** तथा **विदेश मंत्रालय** की एक संयुक्त पहल है। • यह वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के **कौशल मानचित्रण** हेतु एक पहल है। • इसका उद्देश्य **भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने एवं उसे पूरा करने के लिए** उनके कौशल और अनुभव के आधार पर उपलब्ध अर्ह नागरिकों के एक डेटाबेस का सृजन करना है।	**आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण' (असीम) पोर्टल {Aatamanirbhar Skilled Employee-Employer Mapping (ASEEM) Portal}** • यह **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक प्लेटफॉर्म** है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध श्रमिकों और स्थानीय उद्योगों की मांगों के अनुरुप डेटा एकत्र करेगा। इस प्रकार, यह विभिन्न क्षेत्रकों में कुशल कर्मचारियों की **मांग और आपूर्ति के मध्य के अंतराल को समाप्त करने में सहायता** करेगा। • इस पोर्टल को बेंगलुरु स्थित **बेटरप्लेस** नामक एक कंपनी के सहयोग से **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम** (National Skill Development Corporation: NSDC) द्वारा विकसित किया गया है।	**वापस लौटने वाले प्रवासियों के त्वरित कौशल हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा एक प्लेटफॉर्म का सृजन {National Skill Development Corporation (NSDC) platform for speedy skilling of migrant returnees}** • यह **सर्वाधिक प्रभावित 116 जिलों** पर ध्यान केंद्रित करेगा, जहां राज्य आजीविका की पुनर्बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। • इन जिलों की सूची **UP, बिहार, MP, झारखंड, ओडिशा, और राजस्थान** में केंद्र द्वारा योजनाबद्ध **आत्मनिर्भर जिलों** के अनुरूप है।

5.6. भारत में स्टार्ट-अप पारितंत्र (Startup Ecosystem in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **'प्रारंभ: स्टार्ट-अप इंडिया इंटरनेशनल समिट'** का उद्घाटन किया।

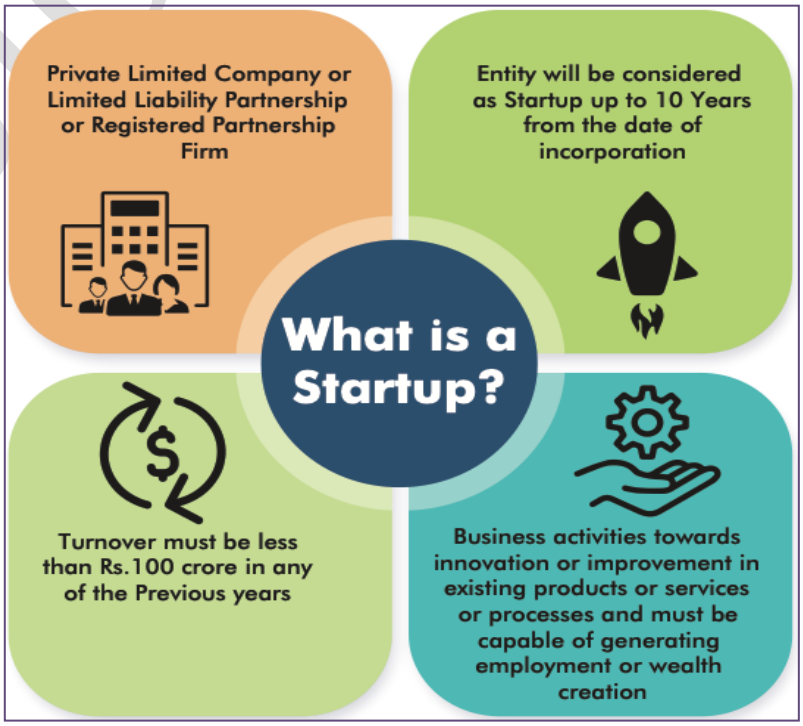

अन्य संबंधित तथ्य

- **वर्ष 2016 में स्टार्ट-अप इंडिया पहल के शुरू होने के बाद,** यह भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन है।
- ऐसी अपेक्षा है कि **'प्रारंभ'** विश्व भर के **शीर्ष नीति निर्माताओं, उद्योगों, शिक्षाविदों, निवेशकों, स्टार्ट-अप्स और सभी हितधारकों को एक साथ** लाएगा।
- इसका आयोजन **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के अंतर्गत **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade: DPIIT)** द्वारा किया गया है।

© Vision IAS

- उद्घाटन समारोह में **बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) देशों समेत 25 से अधिक देश और 200 से अधिक वैश्विक वक्ता** सम्मिलित हुए।

स्टार्ट-अप क्या है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT ने स्टार्ट-अप को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया है, जिसे भारत में एक **प्राइवेट लिमिटेड कंपनी** (जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित है) या पंजीकृत **पार्टनरशिप फर्म** (भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत) या **लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप** (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में निगमित किया जाता है।

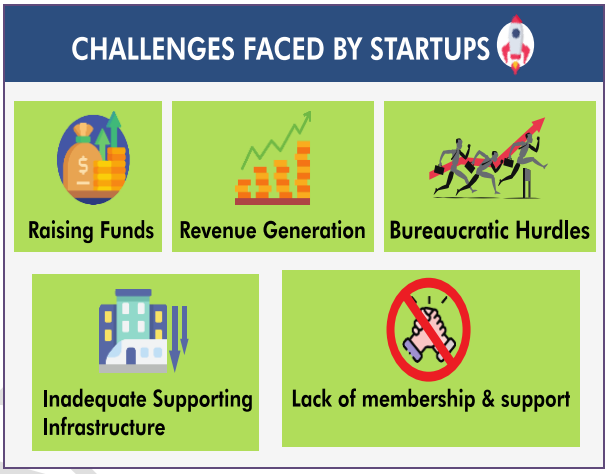

भारत में स्टार्ट-अप पारितंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

किस प्रकार स्टार्ट-अप इंडिया पहल इन चुनौतियों का समाधान करती है और स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करती है?

वर्ष 2016 में आरंभ की गई, स्टार्ट-अप इंडिया पहल भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य स्टार्ट-अप संस्कृति को उत्प्रेरित करना तथा भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी पारितंत्र का निर्माण करना है। स्टार्ट-अप इंडिया का लक्ष्य **त्रि-स्तरीय रणनीति** के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना है। ***(इन्फोग्राफिक्स देखें)***

स्टार्ट-अप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने पर स्टार्ट-अप पारितंत्र में इसके योगदान को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है:

- सरकार द्वारा 47 वेंचर कैपिटल फर्म के लिए **3,000 करोड़ रुपये से अधिक** की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इस राशि को इनवेस्ट इंडिया के माध्यम से स्टार्ट-अप इंडिया द्वारा प्रबंधित फंड ऑफ फंड कॉर्पस से निकालकर 323 स्टार्ट-अप्स में पहले ही निवेश किया जा चुका है।
- **स्टार्ट-अप इंडिया** ने रूस, दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल, जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फ़िनलैंड, इज़रायल और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय सरकारी सहयोग के माध्यम से **भारतीय स्टार्ट-अप्स के लिए वैश्विक बाजार उपलब्धता तथा ज्ञान को सक्षम बनाया है।**
    - **ये पारस्परिक सहयोग स्टार्ट-अप ब्रिज के रूप में भी ज्ञात हैं।** ये दोनों देशों के स्टार्ट-अप्स, निवेशक, इन्क्यूबेटर्स, उत्प्रेरकों और इच्छुक उद्यमियों को विस्तार प्रदान करने के लिए संसाधन उपलब्ध करवाकर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं, ताकि वे वैश्विक संस्था बन सकें।
- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM portal) पर 8,000 से अधिक स्टार्ट-अप्स पंजीकृत किए गए हैं,** जिनके साथ सरकार ने **2,300 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।**

अन्य तथ्य

राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद (National Startup Advisory Council: NSAC)

- सरकार ने NSAC के लिए गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामित किया है।
- NSAC का गठन **सरकार को देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक अनुकूल बेहतर पारितंत्र विकसित करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों पर परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से** किया गया था। NSAC का लक्ष्य यह था कि देश में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और व्यापक स्तर पर रोज़गार के अवसर सृजित किए जा सके।
- **NSAC की संरचना**
  - **अध्यक्ष:** केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री।
  - **पदेन सदस्य:** संबंधित मंत्रालयों / विभागों / संगठनों द्वारा नामित व्यक्ति, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव से नीचे का पद धारण न करता हो।
  - **गैर-आधिकारिक सदस्य:** विभिन्न श्रेणियों से (जैसे सफल स्टार्ट-अप के संस्थापक) केंद्र सरकार द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए मनोनीत।

© Vision IAS

5.6.1. स्टार्ट-अप पारितंत्र के लिए समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग (States Start-Up Ecosystem Ranking)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department of Industrial Promotion and Internal Trade: DPIIT)** ने **राज्य के स्टार्ट-अप्स की रैंकिंग प्रक्रिया** के दूसरे संस्करण का संचालन किया।

राज्य स्टार्ट-अप रैंकिंग ढांचा-2019 (State's Startup Ranking Framework-2019) के बारे में

- इस प्रक्रिया में कुल **22 राज्यों एवं 3 संघ राज्यक्षेत्रों** ने भाग लिया था।
- इस रैंकिंग फ्रेमवर्क (2019) में **30 कार्य बिंदुओं (Action points)** वाले **7 व्यापक सुधार योग्य क्षेत्रों** को शामिल किया गया है। इसमें संस्थागत समर्थन, सरल अनुपालन, इनक्यूबेशन समर्थन, सरकारी खरीद मानदंडों में रियायत आदि सम्मिलित हैं।
- इस रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करने तथा एकल मानक सुनिश्चित करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
  - **श्रेणी 'Y'-** दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्यक्षेत्र तथा असम को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य।
  - **श्रेणी 'X' -** अन्य सभी राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली।
- **राज्यों को प्रत्येक श्रेणी में 5 शीर्षकों के अंतर्गत रैंकिंग प्रदान की गई है।** ये हैं: सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता (Best Performers), उच्च प्रदर्शनकर्ता (Top Performers), अग्रणी (Leaders), आकांक्षी अग्रणी (Aspiring Leaders) तथा उभरता हुआ स्टार्ट-अप पारितंत्र (Emerging Startup Ecosystems)।

रैंकिंग

- **श्रेणी X: सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता -** गुजरात; एवं **उच्च प्रदर्शनकर्ता -** कर्नाटक व केरल।
- **श्रेणी Y: सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता-** अंडमान व निकोबार द्वीप समूह; एवं **अग्रणी-** चंडीगढ़।
- **सभी 7 सुधार क्षेत्रों के मामले में अग्रणी (Leaders) हैं-**
  - **कर्नाटक-** संस्थागत, विनियामकीय, एवं सरकारी खरीद के क्षेत्रों में सुधार के लिए।
  - **गुजरात-** इनक्यूबेशन हब, जागरूकता और पहुंच (आउटरीच) एवं नवाचारी अन्वेषकों को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में सुधार के लिए।
  - **बिहार-** नवाचार की शुरुआत के क्षेत्र में सुधार के लिए।

5.6.2. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार 2020 (National Startup Awards 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade: DPIIT) ने प्रथम **राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार** के परिणामों की घोषणा की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार** का आयोजन **स्टार्ट-अप इंडिया** द्वारा किया गया था। सरकार द्वारा शुरू की गई इस प्रमुख पहल का उद्देश्य देश में **नवाचार और स्टार्ट-अप** को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र का निर्माण करना है।
- इन पुरस्कारों का उद्देश्य ना केवल निवेशकों द्वारा केवल वित्तीय लाभ के रूप में सफलता के आकलन करने की प्रवृत्ति को रोकना है, बल्कि इसके आकलन के लिए सामाजिक कल्याण में योगदान को आधार बनाने हेतु संगठनों का मार्गदर्शन भी करना है।
  - 12 क्षेत्रों, यथा- कृषि, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष आदि में आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
  - इसके अंतर्गत छह मापदंडों का मूल्यांकन किया गया था: नवाचार, मापनीयता, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव और समावेशिता और विविधता।
- **इस प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित पहल भी शुरू की गई:**
  - **स्टार्ट-अप इंडिया शोकेस (Startup India Showcase):** यह स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश के सबसे प्रगतिशील स्टार्ट-अप्स के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराना है। यह उद्योग, निवेशकों और सार्वजनिक

VISION IAS

प्राधिकरणों को क्रमशः संभावित साझेदारी, निवेश और सार्वजनिक खरीद के लिए स्टार्ट-अप के चयन और उनके साथ जुड़ने में मदद करेगा।

- **ब्लॉकचैन आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन प्रणाली (Blockchain-based Certificate Verification System):** यह तत्काल सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराएगा और DPIIT द्वारा जारी मान्यता प्रमाण-पत्र तक आसान पहुँच सुनिश्चित करेगा।

5.6.3. नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2020 के द्वितीय संस्करण को जारी किया गया (NITI Aayog Releases Second Edition of India Innovation Index 2020)

- इस सूचकांक का उद्देश्य **भारतीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की नवाचार क्षमता और प्रदर्शन की समीक्षा करना है।**
  - इसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के **मजबूत तथा कमजोर पक्षों को रेखांकित करके** उन्हें उनकी नवाचार नीतियों में सुधार करने के लिए सशक्त बनाना है।

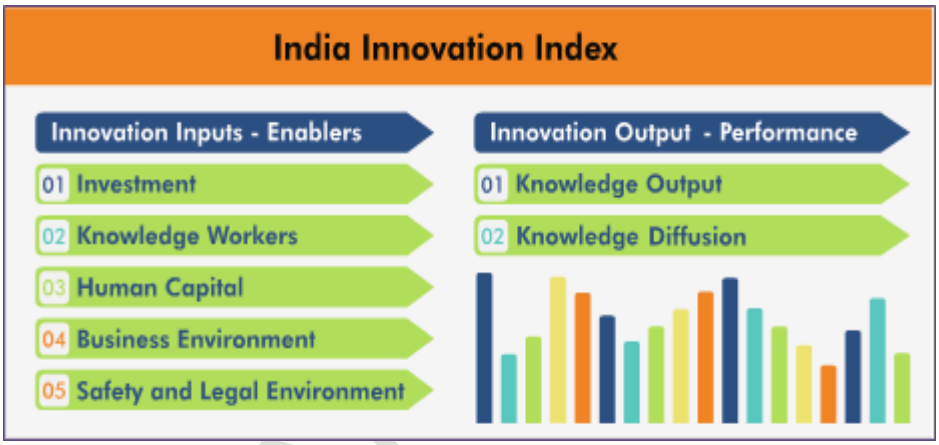

- **नवाचार से तात्पर्य** दक्षता, प्रभावशीलता या प्रतिस्पर्धी लाभ में सुधार के उद्देश्य से एक नवीन उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा का सृजन, विकास और कार्यान्वयन करना है।
- **रेखांकित किए गए मुद्दे:**
  - **राष्ट्रीय स्तर:** अनुसंधान संस्थानों की उपस्थिति, इनक्यूबेटर केंद्रों की कमी और ज़मीनी स्तर पर सीमित नवाचारों के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन।
  - **राज्य स्तर:** राज्य विशिष्ट नवाचार प्रकोष्ठ की अनुपस्थिति, सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रदर्शन के लिए राज्य-स्तरीय रुचि का अभाव आदि।
- **सुझाव:**
  - **सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन:** सहकारी संघवाद के तहत, राज्यों के भीतर व्याप्त सर्वोत्तम प्रथाओं को प्राय: **पियर टू पियर अधिगम को प्रोत्साहित करने** के लिए प्रलेखित और प्रसारित किया जाना चाहिए।
  - **राज्य-विशिष्ट नीतियों पर ध्यान देना चाहिए।**

Best Perfomers

Four of the five highest scoring major State in the India Innovation Index are From the south

Rank	Major States	Score
1	Karnataka	42.5
2	Maharashtra	38.03
3	Tamil Nadu	37.91
4	Telengana	33.23
5	Kerala	30.58
6	Haryana	25.81
7	Andhra Pradesh	24.19
8	Gujarat	23.63
9	Uttar Pradesh	22.85
10	Punjab	22.54

- इसी प्रकार,**विश्व बौद्धिक संपदा संगठन** (WIPO) द्वारा **वैश्विक नवाचार सूचकांक** (Global Innovation Index: GII) भी प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, जिसमें **वर्ष 2020 में भारत को 48वां** स्थान प्राप्त हुआ है।

अन्य संबंधित तथ्य

वर्ष 2020 के वैश्विक नवाचार सूचकांक या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) में भारत को 48वाँ स्थान प्राप्त हुआ है (वर्ष 2019 में इसे 52वाँ स्थान प्राप्त हुआ था)।

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) के बारे में

- इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इनसीड (INSEAD) आदि जैसे शीर्ष व्यावसायिक विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर विकसित किया है।

© Vision IAS

- इसके तहत 131 अर्थव्यवस्थाओं की अभिनव क्षमता और आउटपुट (अभिनव सृजन) का मापन किया जाता है। इसमें 80 संकेतकों का उपयोग किया जाता है, यथा- अनुसंधान और विकास, निवेश और पेटेंट एवं ट्रेडमार्क फाइलिंग, मोबाइल फोन ऐप का सृजन, उच्च तकनीक वाले निवल निर्यात आदि।

यूनाइटेड किंगडम सरकार ने जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया है

- इस कोष का उद्देश्य **कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने** के लिए **शैक्षणिक एवं उद्योग क्षेत्र के वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करना है।**
- इस कोष के तहत दिए गए अनुदान, तकनीकी साझेदारी के लिए की गई पहल के भाग हैं। इस साझेदारी को **टेक क्लस्टर्स (Tech Clusters)** के नाम से जाना जाता है।
- ये टेक क्लस्टर्स विकासात्मक अवरोधों को समाप्त कर **भारतीय टेक क्लस्टर्स के विकास में सहायता प्रदान करेंगे।**

5.7. प्रमुख अवधारणाएं एवं सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News)

असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database of Unorganised Workers: NDUW)	• NDUW **प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रथम राष्ट्रीय डेटाबेस** होगा। ○ इसका उद्देश्य **ऐसे श्रमिकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू करने हेतु श्रमिकों और नियोक्ताओं व साथ ही सरकार के लिए भी एक मंच प्रदान करना है।** ○ श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) द्वारा "आधार" के साथ संबद्ध NDUW के विकास की परिकल्पना की गई है। • **असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008** (Unorganised Workers Social Security Act, 2008) के तहत पहली बार प्रत्येक श्रमिक को पंजीकृत करने और उनका स्मार्ट आईडी कार्ड जारी करना अनिवार्य किया गया था।
सहकार मित्र (Sahakar Mitra)	• यह युवाओं को **सवैतनिक इंटर्नशिप (paid internship)** प्रदान करने हेतु एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है। यह युवा सहकारी कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित परियोजना ऋण (assured project loans) की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ○ इस योजना के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और IT जैसे विषयों के **पेशेवर स्नातक** भी 'इंटर्नशिप' के लिए अर्ह होंगे। • यह **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** की एक पहल है, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। ○ **NCDC के कार्य:** कृषि उपज के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा उनका संवर्धन और वित्तपोषण करना आदि।
युवा (YuWaah)	• यह एक बहु-हितधारक मंच है। इसका उद्देश्य **युवाओं को शिक्षा और अधिगम (लर्निंग) प्रक्रिया से उत्पादक कार्य एवं सक्रिय नागरिकता की ओर संक्रमण के लिए तैयार करना** है।

	• हाल ही में, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा **YuWaah (जेनरेशन अनलिमिटेड इंडिया)** ने मिलकर **युवाओं को सशक्त करने के लिए** एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। ○ भारत में **संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों** (जैसे- UNICEF, UNDP, UNFPA, UNODC, UNEP, UNHCR और ILO) के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सार्थक संलग्नता और सामाजिक, नागरिक एवं सामुदायिक पहल में भागीदारी के माध्यम से युवाओं की क्षमता का विकास करना है।
भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (Entrepreneurship Development Institute of India: EDII)	• **EDII एक स्वायत्त और गैर-लाभकारी संस्थान है, जिसे वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था**, यह शीर्ष वित्तीय संस्थानों अर्थात् - IDBI बैंक लिमिटेड, IFCI लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित है। • इसका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों के समूह का विस्तार करना, क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करना और उद्यमिता में प्रशिक्षण देना आदि है। • EDII एक नोडल संस्था के रूप में गुजरात सरकार की स्टार्ट-अप नीति को क्रियान्वित करता है। • **शिक्षा मंत्रालय द्वारा** EDII को नवाचार संस्कृति को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से **इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल** की स्थापना हेतु चयनित किया गया है।
विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम के द्वितीय संस्करण का शुभारंभ {2nd edition of student entrepreneurship programme (SEP) launched	• इसे **नीति आयोग** के **अटल नवाचार मिशन (Atal Innovation Mission)** द्वारा अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) के युवा अन्वेषकों (innovators) के लिए डेल टेक्नोलॉजी के सहयोग से आरंभ किया गया है। ○ इससे युवा अन्वेषकों को डेल के स्वयंसेवकों से परामर्श समर्थन (mentor support); प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण समर्थन; बौद्धिक संपदा पंजीकरण एवं विचारों को पेटेंट करवाने आदि में सहायता प्राप्त होगी। • SEP **भावी प्रौद्योगिकी के विकासकर्ताओं और उद्यमियों के लिए** एक समग्र विकास कार्यक्रम है। ○ यह **छात्रों की नवाचार भावना को प्रोत्साहित करने** और उनके नेतृत्व एवं उद्यमशीलता कौशल को विकसित करने के प्रति **समर्पित** है।
चैलेंज हंट अंडर NGIS फ़ॉर एडवांस्ड अनिन्हिबिटिड टेक्नोलॉजीज इंटर्नशिप (चुनौती) {Challenge Hunt Under NGIS for Advanced Uninhibited Technology Intervention (CHUNAUTI)}	• यह **भारत के टियर-2 शहरों पर विशेष ध्यान देने** के साथ कोरोना महामारी के दौरान और उसके उपरांत उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए उत्पादों एवं समाधानों को खोजने हेतु **नेक्स्ट जेनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम (NGIS)** के तहत **नेक्स्टजेन स्टार्ट-अप चैलेंज प्रतियोगिता** है।

 © Vision IAS

	○ NGIS वस्तुत: **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया (STPI)** की व्यापक इंक्यूबेशन योजना है। इसका विज़न भारत को एक सॉफ्टवेयर उत्पादक राष्ट्र के रूप में परिणत करना है। • इसका उद्देश्य **नियत क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 300 स्टार्ट-अप्स की पहचान करना** और उन्हें 25 लाख रुपये तक का सीड फंड (प्रारंभिक वित्त पोषण) और अन्य सुविधाएं (इंक्यूबेशन सुविधाएं, परामर्श, सुरक्षा परीक्षण सुविधाएं आदि) उपलब्ध कराना है।

6. कृषि (Agriculture)

6.1. कृषि सुधार (Agricultural Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से तीन अधिनियम पारित किए। ये हैं- कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 {The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020}; मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 {The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020}; तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 {The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020}।

इन सुधारों की आवश्यकता क्यों थी?

- **कृषि की अलाभकारिता:** दिए गए इन्फोग्राफिक में बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता, व्यापार की निष्क्रियता और प्रवासन की अभिवृत्तियों को उजागर किया गया है।
- **'कृषि उपज विपणन समिति' (Agricultural Produce Market Committees: APMCs) से संबंधित समस्याएं:** कृषि संबंधी स्थायी समिति (वर्ष 2018-19) ने निम्नलिखित समस्याओं की पहचान की है:
  - अधिकांश 'APMCs' में व्यापारियों की सीमित संख्या होती है, जिससे **व्यवसायी आपस में मिलकर समूह बना लेते हैं और प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।** व्यापारी, कमीशन एजेंट और अन्य लोग स्वयं को संघों में व्यवस्थित कर लेते हैं तथा नए लोगों को बाजार में सरलता से प्रवेश नहीं करने देते।
  - कृषकों को **कमीशन शुल्क और बाजार शुल्क** के रूप में अनुचित भुगतान करना पड़ता है, जिससे उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ कम हो जाते हैं।
  - APMC अधिनियम **विपणन गतिविधि से और अधिक लोगों/संस्थाओं** (जैसे- अधिक खरीदारों, निजी बाजारों, व्यवसायों, खुदरा उपभोक्ताओं को तथा ऑनलाइन लेन-देन) को जोड़ने में सहायक नहीं रहा है। साथ ही, यह अधिनियम **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में भी बाधक** बना हुआ है।

6.1.1. कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 {The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020}

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **किसानों की उपज का व्यापार:** यह अधिनियम **किसानों को उनकी उपज के लिए निम्नांकित बाजारों/स्थलों से बाहर अंतरा-राज्य (intra-state)** और **अंतर-राज्यीय (inter-state) व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है:** (i) 'राज्य APMC

© Vision IAS

अधिनियमों' के अंतर्गत गठित बाजार समितियों द्वारा संचालित मंडियों के भौतिक परिसर, और (ii) 'राज्य APMC अधिनियमों' के अंतर्गत अधिसूचित अन्य बाजार।

- **इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग:** यह अधिनियम निर्धारित व्यापार क्षेत्र में **किसानों की अधिसूचित उपज (राज्य APMC अधिनियम के अंतर्गत विनियमित कृषि उपज)** के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा इंटरनेट के माध्यम से ऐसी **उपज की प्रत्यक्ष और ऑनलाइन खरीद एवं बिक्री की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और लेन-देन प्लेटफॉर्म** स्थापित किया जा सकता है।
    - अग्रलिखित इकाइयाँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स स्थापित और संचालित कर सकती हैं: (i) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज रखने वाली कंपनियां, साझेदारी फर्म या पंजीकृत सोसायटी, एवं (ii) **किसान उत्पादक संगठन** या **कृषि सहकारी समिति।**
- **बाजार शुल्क की समाप्ति:** यदि किसान अपनी उपज को APMC के बाहर बेचते या उसका व्यापार करते हैं, तो राज्य सरकारें **किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स** पर किसी भी प्रकार का बाजार शुल्क, उपकर या लेवी आरोपित नहीं कर सकती हैं।

6.1.2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 {The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020}

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **कृषि समझौता:** यह अधिनियम किसी भी कृषि उपज के उत्पादन या पशुपालन या मत्स्य पालन से पूर्व **किसान और खरीदार के बीच कृषि समझौते** का प्रावधान करता है।
    - समझौते की न्यूनतम अवधि एक फसल सत्र, या पशुधन का एक उत्पादन चक्र होगा। इसके लिए अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, जब तक कि उत्पादन चक्र 5 वर्ष से अधिक का न हो।
- **कृषि उपज का मूल्य निर्धारण:** समझौते में कृषि उपज की कीमत का उल्लेख किया जाना चाहिए। जिन उपजों के मूल्यों में भिन्नता आने की संभावना होती है, उनकी उपज के लिए **गारंटीकृत मूल्य (guaranteed price)** और **गारंटीकृत मूल्य के ऊपर किसी भी अतिरिक्त राशि** के लिए स्पष्ट संदर्भ को समझौते में अवश्य निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
    - इसके अतिरिक्त, समझौते में मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
- **विवाद निपटान:** कृषि समझौते में विवादों के निपटारे के लिए **सुलह बोर्ड (conciliation board)** के साथ-साथ सुलह प्रक्रिया प्रदान की जानी चाहिए। बोर्ड में दोनों पक्षों का निष्पक्ष और संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि किसी समझौते पर पहुंचा जा सके।
    - सबसे पहले, सभी विवादों के **समाधान (resolution) के लिए** उन्हें बोर्ड के पास भेजा जाना चाहिए। यदि तीस दिनों के बाद भी बोर्ड द्वारा उक्त विवाद का समाधान नहीं हो पाता है, तो पक्षकार विवाद के समाधान के लिए **सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (अनुमंडलाधिकारी)** से संपर्क कर सकते हैं। पक्षकारों को अनुमंडलाधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण (कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर द्वारा अध्यक्षता) में अपील करने का अधिकार होगा।
    - अनुमंडलाधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण दोनों को **आवेदन की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर विवाद का निपटारा करना अनिवार्य होगा।** अनुमंडलाधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण समझौते का उल्लंघन करने वाले पक्षकार पर कुछ अर्थदंड अधिरोपित कर सकते हैं। हालांकि, **किसी भी बकाया की वसूली के लिए किसान की कृषि भूमि के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।**

VISION IAS

6.1.3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 {The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020}

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **खाद्य पदार्थों का विनियमन (Regulation of food items):** यह अधिनियम प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल सहित **कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विनियमित** कर सकती है। इनमें सम्मिलित हैं- (i) युद्ध, (ii) अकाल, (iii) असाधारण कीमत वृद्धि और (iv) गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा।
  - **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** ने केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं (जैसे- खाद्य पदार्थ, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पाद) को आवश्यक वस्तु घोषित करने का अधिकार दिया है। केंद्र सरकार ऐसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है।
- **भण्डारण या स्टॉक सीमा:** यह अधिनियम निर्धारित करता है कि कृषि उपज पर किसी भी **स्टॉक सीमा का आरोपण महंगाई पर आधारित** होना चाहिए। स्टॉक सीमा केवल तभी आरोपित की जा सकती है, यदि: (i) बागवानी उपज की खुदरा कीमत में 100%; और (ii) गैर-नष्टप्राय कृषि खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमत में 50% की वृद्धि होती है।
  - कीमत में वृद्धि की गणना तत्काल पूर्ववर्ती 12 महीनों में प्रचलित कीमत, या विगत पांच वर्षों की औसत खुदरा कीमत, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।

6.2. न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद (MSP and Procurement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में पारित कृषि सुधार अधिनियमों ने किसानों में यह आशंका उत्पन्न कर दी है कि ये विधान अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP) व्यवस्था को समाप्त कर देंगे।

भारत में सरकारी खरीद व्यवस्था

- भारत में सरकारी खरीद की व्यवस्था किसानों के लिए एक सुनिश्चित बाजार के रूप में कार्य करती है और फसल प्रतिरूप का मार्गदर्शन करने तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाती है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी खरीद के मूल्य के रूप में कार्य करता है और इसे बाजार मूल्य बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। सरकार 23 जिंसों (commodities), जिसमें खरीफ सत्र की 14, रबी सत्र की 7 और कैलेंडर वर्ष (अर्थात् एक वर्ष) के सत्र वाली 2 फसलें सम्मिलित हैं, के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित करती है।
- सरकार इन 23 फसलों के अतिरिक्त, **गन्ना और जूट** के लिए **उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Prices: FRP)** को भी अधिसूचित करती है।
- सरकार द्वारा **कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices: CACP)** नामक एक स्वतंत्र निकाय की अनुशंसाओं के आधार पर MSP को अधिसूचित किया जाता है।

Crops Under MSP

KHARIF CROPS					RABI CROPS			OTHERS
Paddy	Jowar	Bajra	Maize	Ragi	Wheat	Barley	Gram	Jute
Arhar	Moong	Urad	Soyabean	Sunflower	Masur (lentil)		Rapeseed	Copra
Sesamum	Nigerseed	Cotton	Groundnut		Mustard seed		Safflower	

 © Vision IAS

A-2 बनाम C-2 बहस

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP), किसान द्वारा किए गए व्यय के आधार पर MSP निर्धारित करता है। यह निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाता है:

A2	A2+FL	C2
Actual paid out cost	Actual paid out cost plus imputed value of family labour	Comprehensive cost including imputed rent and interest on owned land & capital

- **किए गए व्यय (A2)** को उत्पादन की लागत, आदान (इनपुट) मूल्य में परिवर्तन, बाजार मूल्यों में रुझान, मांग और आपूर्ति की स्थिति, अंतर-फसल मूल्य समता, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, रहन-सहन की लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति आदि पर विचार करके अनुमानित किया जाता है।
- अंतिम MSP को **किए गए व्यय (A-2) तथा पारिवारिक श्रम के अनुमानित मूल्य के फलन के** रूप में निर्धारित किया जाता है।

एक भिन्न लागत विधि **(C-2)** पर विचार करने की मांग की गई है। C-2 को अपनाने हेतु निम्नलिखित परिवर्तन आवश्यक होंगे:

- इसमें A2 संबंधी लागत के साथ-साथ पट्टे पर ली गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया, स्वामित्व वाली भूमि के लिए अनुमानित किराया, **स्वामित्व वाली अचल पूंजी पर ब्याज, और पारिवारिक श्रम (स्वयं द्वारा किया गया श्रम) हेतु मजदूरी के अनुमानित मूल्य** को भी सम्मिलित करना होगा।
- यह भी तर्क दिया गया है कि, MSP के निर्धारण के लिए **C2 के लागत के 50 प्रतिशत को लाभ घटक के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।**

MSP संबंधी उपर्युक्त ढांचे के साथ-साथ सरकार द्वारा वर्तमान सरकारी खरीद प्रणालियाँ, निम्नलिखित के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती हैं:

- **मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS):** यह MSP के तहत अधिसूचित फसलों के मामले में लागू होती है।
- **बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme: MIS):** इसके तहत ऐसी जिंसों (commodities), जैसे- फल/सब्जियाँ/ अन्य बागवानी उत्पाद आदि का समर्थन किया जाता है जिनके लिए MSP की घोषणा नहीं की जाती है।
- **मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund: PSF):** यह उपभोक्ताओं को बढ़ते मूल्यों से संरक्षण प्रदान करने वाली योजना है।
- **केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद:** इसके तहत गेहूं और धान की खरीद बफर मानदंडों को पूरा करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए की जाती है।

पीएम-आशा (PM-AASHA) के माध्यम से आरंभ किए गए सुधार

किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक योजना आरंभ की गई है, जिसका नाम प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) है। इस योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

- **मूल्य समर्थन योजना (PSS):** इस योजना के अंतर्गत, केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ, दालों, तिलहन और कोपरा की भौतिक सरकारी खरीद की जाएगी।
- **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme: PDPS):** इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और विक्रय/आदर्श मूल्य के मध्य के अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा। इसके तहत पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार क्षेत्र में पहले से ही पंजीकृत किसान अपनी उपज बेचने हेतु पात्र होंगे । ये भुगतान सीधे किसान के पंजीकृत बैंक खाते में किए जाएंगे। इस योजना में फसलों की कोई भौतिक सरकारी खरीद शामिल नहीं है।
- **निजी खरीद एवं भंडारणकर्ता योजना (Pilot of Private Procurement & Stockist Scheme: PPPS) की प्रायोगिक परियोजना:** PDPS के अतिरिक्त, यह निर्णय लिया गया है कि तिलहन के लिए, राज्यों को चयनित जिला/कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs) में प्रायोगिक आधार पर PPSS आरंभ करने का विकल्प उपलब्ध है, जिसमें निजी भंडारणकर्ता (stockist) की भागीदारी होगी।

अन्य संबंधित तथ्य

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या लघु वनोपज (MFP) के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से "MFP के

विपणन के लिए तंत्र" नामक योजना

इस योजना के बारे में

- इस योजना को वर्ष 2013 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था।
- **इस योजना के उद्देश्य:**
  - लघु वनोपज (MFP) एकत्रित करने वालों को उचित मूल्य प्रदान करना।
  - लघु वनोपजों की संधारणीय हार्वेस्टिंग (कटाई) सुनिश्चित करना।
  - इससे लघु वनोपज एकत्रित करने वालों को एक विशाल सामाजिक लाभांश प्राप्त होगा, जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं।
- **MSP का निर्धारण** प्रत्येक राज्य के लिए संग्रह की लागत, सफाई की लागत और प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा परिवहन लागत के आधार पर किया जाएगा।
- इसमें MFP की खरीद, भंडारण, परिवहन, विपणन आदि के लिए जमीनी स्तर की आधारभूत संरचना को मजबूत करके आदिवासियों और बाज़ारों के मध्य अंतिम बिंदु तक विद्यमान कनेक्टिविटी के अंतराल की समाप्ति के प्रावधान हैं।
  - इन उत्पादों के विपणन के लिए **'वन धन विकास कार्यक्रम'** वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए **ट्राईफेड (TRIFED)** नोडल एजेंसी है।

6.3. कृषि विपणन (Agricultural Marketing)

6.3.1. ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) {e-NAM (National Agricultural Market)}

- **ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) प्लेटफॉर्म से जुड़ी मंडियों** की संख्या में लॉकडाउन के बाद 65% की बढ़ोतरी देखी गई है।
- ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 177 और मंडियों के जुड़ने से देश भर में कुल ई-नाम मंडियों की संख्या 962 हो गई है।
- **ई-नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल** है, जो कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण हेतु कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) द्वारा संचालित मौजूदा मंडियों को एक ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है।
  - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत **लघु कृषक कृषि व्यापार संघ** (Small Farmers Agribusiness Consortium: SFAC) ई-नाम को लागू करने के लिए प्रमुख एजेंसी है।
- इसे अप्रैल 2016 में प्रारंभ किया गया था लेकिन इसकी प्रगति धीमी रही है, क्योंकि
  - अधिकांश राज्यों ने अपने APMC अधिनियमों में संशोधन नहीं किया है;
  - अधिकांश किसान, सहकारी समितियों का हिस्सा नहीं थे जो कि ऑनलाइन खरीदारों की अभिरुचि के अनुरूप आवश्यक थोक मात्रा में उत्पादों के संग्रह में मदद करते हैं;
  - अधिकतर मंडियां आधारभूत संरचना के अभाव के कारण इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने में असफल रही हैं।
- हाल ही में, केंद्र सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर विभिन्न नई सुविधाएँ प्रारंभ की हैं:
  - किसान उत्पादक संगठनों को अपने उत्पाद को मंडियों में लाए बिना अपने संग्रह केंद्रों से प्रत्यक्ष रूप से व्यापार करने की अनुमति देने वाला एक **व्यापारिक मॉड्यूल।**
  - **गोदाम-आधारित व्यापारिक मॉड्यूल।**
  - **एक लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल** जो उपयोगकर्ताओं को एग्रीगेटर के माध्यम से ट्रैक करने योग्य परिवहन सुविधाओं की पेशकश करता है।

ई-किसान मंडी (e-Kisan Mandis)

- **प्रथम ई-किसान मंडी** का परिचालन पुणे में प्रारंभ किया गया है। यह **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)** की एक पहल है।
  - इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) (जो APMC पर केंद्रित है) के विपरीत ई-किसान मंडियां कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए किसानों, कृषि-उत्पादकों, व्यापारियों और छोटे खरीदारों को एक साझा मंच प्रदान करती हैं।
- ये एक **हब-एंड-स्पोक मॉडल** के तहत कार्य करेंगी, जिसमें NAFED के स्वामित्व वाली भूमि संबंधित क्षेत्र में कृषि उत्पादक कंपनियों (Farmer Producer Company: FPC) हेतु हब के रूप में कार्य करेगी।

© Vision IAS

6.3.2. किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organizations: FPOs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और उन्हें बढ़ावा देने हेतु परिचालनात्मक (Operational) दिशा-निर्देश जारी किए गए।

FPOs के बारे में

उत्पादक संगठन (Producer Organisation: PO) वस्तुतः **प्राथमिक उत्पादकों,** जैसे- कृषक, दुग्ध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार आदि द्वारा गठित एक विधिक इकाई है। **किसान उत्पादक संगठन** भी एक प्रकार का PO है, जिसके सदस्य किसान होते हैं। वर्तमान समय में देश में लगभग **5,000 FPOs परिचालन में हैं।**

- **परिचालन-संबंधी दिशा-निर्देश:**
  - **पात्रता:** मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 300 किसानों की सदस्यता वाले FPOs, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में (संघ राज्यक्षेत्रों सहित) 100 सदस्यों वाले FPOs इसके लिए पात्र होंगे।
  - FPO का गठन और संवर्धन, **उत्पाद क्लस्टर क्षेत्र (Produce Cluster Area: PCA)** पर आधारित होता है। PCA एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है, जहां लगभग समान प्रकृति की फसलें उपजाई जाती हैं।
  - परियोजना के समग्र मार्गदर्शन, निगरानी आदि के लिए एक **राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (National Project Management Agency)** की स्थापना की जाएगी।
  - **कार्यान्वयन एजेंसियां:** लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Small Farmers Agri-business Consortium), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation: NCDC) तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD/नाबार्ड) आदि। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की अपनी कार्यान्वयन एजेंसियां हो सकती हैं।
  - FPOs के गठन एवं उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य/क्लस्टर स्तर पर **क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों की स्थापना की जाएगी।**
  - FPOs के वित्तीय आधार को सुदृढ़ करने के लिए **सरकार की ओर से इक्विटी अनुदान की व्यवस्था** की गयी है।

अन्य संबंधित तथ्य

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Small Farmers Agri-Business Consortium: SFAC) द्वारा वर्ष 2019-2020 से शुरुआत करके 5 वर्षों के दौरान 10,000 FPOs के गठन हेतु सहायता की जाएगी

- हाल ही में, कृषि मंत्री ने SFAC को सरकार द्वारा लक्षित 10,000 किसान-उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन में मदद करने को कहा है।
- हाल ही में अनुमोदित **'फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ FPOs'** योजना के तहत इन 10,000 FPOs का गठन किया जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा राज्य / क्लस्टर स्तर पर संलग्न **क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठनों (Cluster Based Business Organizations: CBBOs)** के माध्यम से इन FPOs का गठन और संवर्धन किया जाएगा।
- आकांक्षी जिलों (aspirational districts) में FPOs के गठन को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी। आकांक्षी जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक FPO का गठन किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां:** SFAC, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और नाबार्ड।

6.3.3. कृषि जिंस का व्यापार (Agricultural Commodity Trading)

6.3.3.1. एग्रीडेक्स (AGRIDEX)

- **नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX)** ने **एग्रीडेक्स (AGRIDEX)** नामक देश के पहले कृषि वायदा सूचकांक में ट्रेडिंग प्रारंभ करने की घोषणा की है।

- "NCDEX एग्रीडेक्स" **भारत का पहला रिटर्न आधारित कृषि वायदा सूचकांक** है, जो NCDEX प्लेटफॉर्म पर कारोबार की जाने वाली **10 लिक्विड कमोडिटीज** (दोनों **खरीफ और रबी की फ़सलों**) के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।
  - **इन 10 लिक्विड कमोडिटीज (जिंस या अनाज) के अंतर्गत** अरंडी का बीज (Castor seed), चना, धनिया, कॉटन सीड ऑयल केक, ग्वार गम, ग्वार सीड, जीरा, सरसों का बीज, रिफाइन सोया ऑयल और सोयाबीन सम्मिलित हैं।
  - **विविधता सुनिश्चित करने के लिए** इन जिंसों के किसी भी समूह का सूचकांक भार 40% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- यह उत्पादों के मूल्य प्रत्याशा के आधार पर **प्रतिभागियों को जिंस जोखिम (commodity risk) से सुरक्षा प्रदान** करेगा।
- यह **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India: SEBI) द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों** पर आधारित है, जिसके तहत जिंस सूचकांकों (commodity indices) में वायदा कारोबार करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- रियल-टाइम NCDEX एग्रीडेक्स मूल्यों को बनाए रखने और प्रसारित करने के लिए NCDEX द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक के साथ एक साझेदारी प्रारंभ की गई है।

फ्यूचर्स या वायदा कारोबार (Futures)

- फ्यूचर्स वस्तुतः **व्युत्पन्न उपकरण (Derivative Instrument) के एक प्रकार** हैं।
  - व्युत्पन्न या डेरिवेटिव एक ऐसा उपकरण होता है, जिसका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य से प्राप्त किया जाता है। ये जिंस, कीमती धातु, मुद्रा, बॉण्ड, स्टॉक, स्टॉक सूचकांक आदि हो सकती हैं।
  - फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन्स और स्वैप्स आदि डेरिवेटिव उपकरणों के सामान्य उदाहरण हैं।
- वायदा कारोबार वस्तुतः खरीदार और विक्रेता द्वारा किसी सहमत मूल्य पर भविष्य के किसी तय महीने में वित्तीय साधन या भौतिक वस्तु की एक निर्दिष्ट मात्रा के क्रय या विक्रय को संदर्भित करता है।

NCDEX के बारे में

- NCDEX **कृषि जिंस से संबंधित देश का एक अग्रणी एक्सचेंज** है, जो कृषि जिंसों की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए सेवाएं प्रदान करता है।
- यह कृषि वस्तुओं पर बेंचमार्क उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी उपलब्ध कराता है।
- यह अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से **खरीदारों और विक्रेताओं को एक मंच प्रदान करता है।**

6.3.3.2. BSE ई-एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड {BSE E-Agricultural Markets Ltd. (BEAM)}

- **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)** ने अपनी सहायक कंपनी **बी.एस.ई. इन्वेस्टमेंट्स** के माध्यम से कृषि उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म **"बीएसई ई-एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड (BEAM)"** को प्रारंभ किया है।
- यह प्लेटफ़ॉर्म प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप एकल बाजार के निर्माण हेतु एक **राष्ट्रीय, संस्थागत, इलेक्ट्रॉनिक तथा पारदर्शी कमोडिटी स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करेगा।
  - यह प्लेटफॉर्म संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (जिसमें उत्पादक, बिचौलिए, सहायक सेवाएं और उपभोक्ता शामिल हैं) में कृषि उत्पादों के स्पॉट लेन-देन की सुविधा को बनाए रखने में मदद करेगा।
  - यह प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से किसानों, व्यापारियों और हितधारकों को अनुकूलित समाधान प्रदान कर विभिन्न कृषि उत्पादों के जोखिम मुक्त एवं बाधारहित खरीद तथा बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा।
- BEAM के सहयोग से, **एक राज्य के किसान दूसरे राज्यों के बाजारों तक पहुंच स्थापित कर सकेंगे,** और अपनी उपज की नीलामी कर सकेंगे।
  - इससे न केवल किसानों और किसान संगठनों को गुणवत्ता के आधार पर अपनी उपज के लिए सर्वोत्तम मूल्य खोजने में मदद मिलेगी, बल्कि राज्य के बाज़ारों से खरीद करने वाले बिचौलियों, संसाधकों और निर्यातकों की क्षमता निर्माण में भी सहायता मिलेगी।

स्पॉट मार्केट (हाजिर बाजार) के बारे में

- **स्पॉट मार्केट या हाजिर बाजार** वह स्थान होता है, जहाँ तत्काल डिलिवरी के लिए वित्तीय साधनों का आदान-प्रदान किया जाता है, जैसे कि वस्तुएं, मुद्राएं और प्रतिभूतियां।
- स्पॉट कमोडिटी उस वस्तु को संदर्भित करती है, जिसे खरीदार को तुरंत (कुछ ही वक़्त बाद या केवल कुछ दिनों के भीतर) वितरित किए जाने के इरादे से बेचा (हाजिर बाजार पर) जाता है।

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

6.3.3.3. कपास के लिए ब्रांड और लोगो (Brand and Logo for Cotton)

- भारत की **उन्नत किस्म की कपास** को विश्व कपास व्यापार में **कस्तूरी कॉटन** के रूप में जाना जाएगा।
  - कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, आभा, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा।

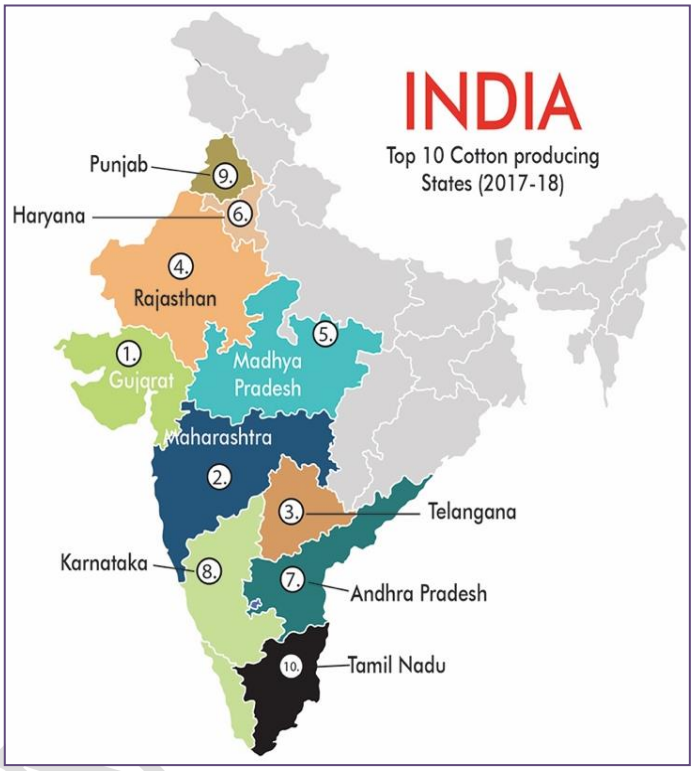

- **भारत में कपास की सभी चार किस्मों** अर्थात् गोसिपियम आरबोरियम, गोसिपियम हरबेसियम (एशियाई कपास), गोसिपियम बारबेडेंस (इजिप्शन कॉटन) और गोसिपियम हिरसुटम (अमेरिकी उच्च भूमि कपास) की कृषि की जाती है।
- कपास **खरीफ** की एक फसल है और दक्कन के पठार की उच्च जलधारण क्षमता से युक्त **काली कपासी मृदा (black cotton soil)** में भलीभांति बढ़ती है।
  - इसके विकास के लिए **20-28 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान** और **55-110 से.मी. वर्षा** की आवश्यकता होती है। इसके विकास के लिए **न्यूनतम 180 पाला रहित दिन** आवश्यक होते हैं।
- **भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** (विश्व कपास का 23% उत्पादन) और सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
  - भारत विश्व के कुल **जैविक कपास (organic cotton)** उत्पादन का लगभग **51%** उत्पादित करता है।
  - इससे लगभग **6 मिलियन कपास किसानों को आजीविका** प्राप्त होती है।
- भारतीय कपास निगम (Cotton Corporation of India: CCI) ने मौसम की स्थिति, फसल की स्थिति और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप **कॉट-एलाई (Cott-Ally)** विकसित किया है।
  - CCI, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। **इसकी प्रमुख भूमिका कपास के लिए मूल्य समर्थन सुनिश्चित करना है।**

6.4. कृषि निर्यात (Agricultural Exports)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **15वें वित्त आयोग** द्वारा गठित **कृषि निर्यात पर उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह (High-Level Expert Group: HLEG)** ने आयोग के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

कृषि निर्यात में भारत की स्थिति

- भारत वर्ष 2018 में **विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक** देश था और भारत के पास सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है।
- वर्ष 2019 में भारत ने **भारतीय कृषि उत्पादन का लगभग 7%** निर्यात किया।
- **दूध, केला और आम में अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद कृषि निर्यात में भारत का स्थान 13वां है।**
  - उत्पादन और निर्यात रैंक के मध्य इस विसंगति का मुख्य कारण लगभग 1.30 अरब लोगों द्वारा की जाने वाली **वृहद घरेलू मांग** है।
- वर्ष 2009 से 2011 के मध्य हुई प्रभावशाली वृद्धि की अपेक्षा वर्ष 2013 से 2018 के मध्य धीमी गति से वृद्धि हुई।
  - **निर्यात 10% चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) तक कम हो गया है। इसका कारण वैश्विक प्रणाली में गिरावट** और वर्ष 2014, 2015 और 2016 में लगातार होने वाला सूखा था।

- भारत अपने निर्यात की **70% वस्तुओं और कृषि उत्पादों को भौगोलिक रूप से निकटवर्ती देशों में भेजता है। इसमें मध्य-पूर्व, अफ्रीका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देश सम्मिलित हैं।** केवल 30% वस्तुओं और कृषि उत्पादों का निर्यात यूरोप और अमेरिका में किया जाता है जो निम्न कृषि बाजार विविधता को प्रदर्शित करता है।
- भारत ने वर्ष 2018 में एक **कृषि निर्यात नीति** की घोषणा की थी। यह नीति कृषि निर्यात आधारित उत्पादन, निर्यात प्रोत्साहन, किसानों को बेहतर प्रतिलाभ तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में समन्वय पर बल देते हुए बनाई गई है।

कृषि निर्यात नीति, 2018

- इसका कार्यान्वयन **वाणिज्य विभाग** (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन) द्वारा किया जा रहा है।
- इसका लक्ष्य कृषि निर्यात को **वर्ष 2022 तक 30+ बिलियन अमेरिकी डॉलर से 60+ बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंचा कर दोगुना करना और उसके कुछ वर्षों बाद ही इसे 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचाना है।
- यह **नूतन, स्वदेशी, जैविक, विशिष्ट, परंपरागत और गैर-परंपरागत कृषि उत्पादों** के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।
- यह बाजार उपलब्धता बढ़ाने, बाधाओं से निपटने तथा स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एक **संस्थागत तंत्र** उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।
- इसमें **रणनीतिक (strategic) और परिचालन (operational) दोनों तत्व समाविष्ट हैं:**
    - **रणनीतिक तत्वों** में सामान्य और वस्तु विशिष्ट उपाय, अवसंरचना और संभार तंत्र (लॉजिस्टिक), कृषि निर्यात में राज्य सरकारों और कई मंत्रालयों की बृहद भागीदारी सम्मिलित हैं।
    - **परिचालन तत्वों** में क्लस्टर पर फोकस करना, “ब्रांड इंडिया” की मार्केटिंग करना और बढ़ावा देना, प्रभावी गुणवत्तापूर्ण शासन की स्थापना, कृषि-स्टार्ट-अप फंड का सृजन आदि सम्मिलित हैं।

6.4.1. चावल निर्यात संवर्धन फोरम (Rice Export Promotion Forum: REPF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा **“कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Foods Export Promotion Development Authority: APEDA)”** के तत्वावधान में **चावल निर्यात संवर्धन फोरम (REPF)** की स्थापना की गई है।

चावल निर्यात संवर्धन फोरम (REPF) के विषय में

- इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में निर्यातों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए **चावल के निर्यात की संपूर्ण उत्पादन/आपूर्ति श्रृंखला में** हितधारकों की पहचान करना, विवरणों का दस्तावेज़ीकरण करना और उन तक पहुंचना है।
    - यह चावल के उत्पादन और निर्यात से संबंधित घटनाक्रमों की निगरानी, पहचान और पूर्वानुमान करेगी और **आवश्यक नीतिगत उपायों की अनुशंसा करेगी।**
    - यह **चावल उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य संबंधित हितधारकों से** संपर्क स्थापित करेगी तथा उनकी समस्याओं की पहचान और उनका समाधान करने हेतु समर्थन एवं सहायता प्रदान करेगी।
- इसमें चावल उद्योग, निर्यातकों, APEDA, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के अधिकारियों एवं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि जैसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के कृषि निदेशकों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

APEDA के बारे में

- **APEDA को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985** के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
- यह **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के अधीन कार्यरत है।
- इसे फलों, सब्जियों, मांस, पॉल्ट्री, डेयरी उत्पादों, पुष्पकृषि, अल्कोहलिक और गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ जैसे **उत्पादों के निर्यात संवर्धन एवं विकास की ज़िम्मेदारी का अधिदेश प्राप्त है।**
    - **APEDA, कृषि निर्यात संवर्धन योजना** के तहत इसके उप-घटकों - बाजार विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और परिवहन सहायता के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- APEDA को **चीनी के आयात की निगरानी** का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

भारत में चावल का उत्पादन

- भारत, **विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है** तथा वर्ष 2011 में गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति मिलने के बाद से चावल का **सबसे बड़ा निर्यातक रहा है।**

© Vision IAS

- चावल की अत्यधिक कृषि **खरीफ ऋतु** में ही की जाती है, जबकि कृषि सिंचाई की सुविधा वाले कुछ क्षेत्रों में रबी के मौसम में भी इसकी खेती की जाती है।
- **भारत में चावल उत्पादन** वर्ष 2010-11 में लगभग 96 मिलियन टन था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 117.47 मिलियन टन (22 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया।

6.5. मत्स्य पालन क्षेत्र (Fisheries Sector)

परिचय

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र

- मत्स्य पालन भारत में **भोजन, पोषण, रोजगार** और **आय** का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
  - यह क्षेत्रक प्राथमिक स्तर पर लगभग 16 मिलियन मछुआरों और मत्स्य पालकों को रोजगार प्रदान करता है और लगभग दोगुना लोगों को मूल्य श्रृंखला में रोजगार प्रदान करता है।
  - कृषि GDP में इस क्षेत्रक की लगभग **6.6 प्रतिशत** की हिस्सेदारी है।
- **समुद्री मत्स्यन निर्यात** भारत के कुल निर्यात का लगभग 5 प्रतिशत और कृषि निर्यात का लगभग 19 प्रतिशत (वर्ष 2017-18) है।
- हाल के वर्षों में, भारत में मत्स्यन उत्पादन में **7 प्रतिशत से अधिक की दर से वार्षिक वृद्धि हुई है।**
- भारत मत्स्य उत्पादन के मामले में **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** देश है।
- भारत में मत्स्य पालन के दो क्षेत्र हैं - **अंतर्देशी जल मत्स्य पालन और समुद्री मत्स्य पालन।** कुल मत्स्य उत्पादन में **अंतर्देशी क्षेत्र का हिस्सा लगभग 65 प्रतिशत** है और शेष हिस्सा समुद्री मत्स्य पालन का है।
- **मत्स्य पालन राज्य सूची का एक विषय है,** इसलिए राज्य द्वारा मत्स्य पालन अभिशासन में निर्णायक भूमिका निभाई जाती हैं।
  - जहाँ अंतर्देशी मत्स्य पालन का संपूर्ण प्रबंधन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, वहीं समुद्री मत्स्य पालन का प्रबंधन केंद्र और तटीय राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों का साझा उत्तरदायित्व है।
  - तटीय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र समुद्री जल में 12 नॉटिकल मील (22 कि.मी.) समुद्री सीमा के भीतर मत्स्य पालन के विकास, प्रबंधन और विनियमन के लिए उत्तरदायी हैं।

केंद्र सरकार, EEZ जलीय क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक विकास, प्रबंधन और विनियमन के लिए उत्तरदायी है।

फिश क्रायोबैंक (Fish Cryobanks)

- **पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय** ने फिश क्रायोबैंक स्थापित करने की घोषणा की है। यह विश्व में पहली बार होगा जब किसी "फिश क्रायोबैंक" की स्थापना की जाएगी।
- यह मछुआरों को हर समय उनकी पसंदीदा मछलियों के 'शुक्राणुओं' की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- इससे देश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा जिससे मछुआरे भी समृद्ध होंगे।
- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (National Fisheries Development Board) द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (National Bureau of Fish Genetic Resources) के सहयोग से फिश क्रायोबैंक को स्थापित किया जाएगा।

6.5.1. विश्व व्यापार संगठन में मत्स्यन सब्सिडी पर भारत का प्रस्ताव (India's proposal on Fisheries Subsidy at WTO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने मत्स्यन सब्सिडी के मामले में विकासशील देशों के लिए **विशेष और विभेदक उपचार (Special and Differential Treatment: S&DT)** हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तत्वावधान में जारी वार्ता के बारे में

- WTO के सदस्य **अवैध, गैर-सूचित और अनियमित मत्स्यन (illegal, unreported and unregulated) के लिए सब्सिडी को समाप्त करने** तथा **अधिक्षमता एवं अति-दोहन को बढ़ावा देने वाली मत्स्यन सब्सिडी के कुछ स्वरूपों को प्रतिबंधित करने** के लिए नियमों को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु वार्ता कर रहे हैं।
  - ज्ञातव्य है कि इन वार्ताओं की शुरुआत वर्ष 2001 में **दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** के दौरान हुई थी।

- हानिकारक सब्सिडियों का **14-20.5 बिलियन डॉलर वार्षिक होने का अनुमान** लगाया गया है।

विकासशील देशों की मांग

- सम्मेलन में, विकासशील देशों ने **मत्स्यन करने वाले छोटे समुदायों की सुरक्षा** के लिए **विशेष एवं विभेदित उपचार** की मांग की है।
  - S&DT विशेष प्रावधान हैं, जो **विकासशील देशों को विशेष अधिकार** प्रदान करते हैं तथा अन्य सदस्यों को उनके साथ **अधिक अनुकूल व्यवहार करने की अनुमति** देते हैं।
  - **S&DT प्रावधान विकासशील देशों को कई प्रकार की लोचशीलता प्रदान करते हैं,** जैसे कि समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए अधिक या अतिरिक्त समय, प्रतिबद्धताओं का निम्न स्तर और व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने के उपाय।
- **भारत की स्थिति: भारत के प्रस्ताव के अनुसार एक विकासशील देश छूट के लिए पात्र नहीं होगा, यदि-**
  - उसकी **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income: GNI) लगातार तीन वर्षों तक 5,000 डॉलर से अधिक** है।
  - उसकी वैश्विक **समुद्री मत्स्यन में 2 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी** है।
  - उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में **कृषि, वानिकी और मत्स्यन** क्षेत्रों की हिस्सेदारी **10 प्रतिशत से कम** है।
- भारत अपनी मत्स्यन सब्सिडी को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि ईंधन, जाल और नौकाओं के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडियों में कटौती करने से **निर्धन मछुआरों की आजीविका प्रभावित** हो सकती है।
- भारत सहित विकासशील देशों ने अपना यह मत प्रस्तुत किया है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार, **एक प्रभावी S&DT** विश्व व्यापार संगठन के स्तर पर जारी मत्स्यन सब्सिडी का एक अभिन्न अंग है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने विकासशील देशों के लिए S&DT का विरोध** किया है, क्योंकि इससे कुछ बड़े विकासशील देशों (विशेष रूप से चीन) को लाभ प्राप्त होगा।

6.6. पशुपालन (Animal Husbandry)

6.6.1. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund: AHIDF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति** ने **15,000 करोड़ रुपये** के **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि** को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund: AHIDF) के बारे में

- **उद्देश्य:** दुग्ध और मांस प्रसंस्करण क्षमता तथा उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने के लिए बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान करना, निर्यात और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना आदि।
- AHIDF **डेयरी, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्रों तथा पशुधन से संबंधित उद्यमों** में अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इसके अतिरिक्त, यह निजी क्षेत्र में मूल्यवर्धित बुनियादी ढांचे एवं पशु चारा संयंत्रों की स्थापना में निवेश की सुविधा प्रदान करेगा।
- **पात्र संस्थाएं:** किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organizations: FPOs), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small, and Medium Enterprises: MSMEs), गैर-लाभकारी कंपनियां, निजी कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी।
- **वित्त-पोषण:** परियोजना की कुल लागत का 10% हिस्सा लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और शेष 90% हिस्सा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- **ब्याज अनुदान:** पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत का **ब्याज अनुदान (interest subvention)** भी प्रदान किया जाएगा तथा

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

- शुरू के 2 वर्षों तक ऋण चुकाने से छूट मिलेगी। हालांकि, लाभार्थियों को इस अवधि के पश्चात् अगले 6 वर्षों में ऋण चुकाने होंगे।

- **क्रेडिट गारंटी फंड:** भारत सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपये के एक **क्रेडिट गारंटी फंड** की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन **नाबार्ड** अर्थात् **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development: NABARD)** करेगा। क्रेडिट गारंटी उन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए दी जाएगी, जो **MSME** के तहत परिभाषित होंगी।
- इसकी उद्घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई थी।

6.6.2. डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज में छूट की योजना (Interest subvention on Working Capital Loans for Dairy sector Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के दौरान **डेयरी गतिविधियों में संलग्न डेयरी सहकारी समितियों तथा किसान उत्पादक संगठनों के समर्थन हेतु** एक नई योजना का शुभारंभ किया है।

डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज में छूट की योजना योजना के बारे में

- ऋण की किस्तों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के मामले में प्रदान की जाने वाली 2% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त छूट के साथ-साथ, यह योजना **2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज में भी छूट** प्रदान करती है।
- यह 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य **संरक्षित वस्तुओं और अन्य दुग्ध उत्पादों में दुग्ध के रूपांतरण के लिए सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) द्वारा** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) / सहकारी बैंकों / वित्तीय संस्थानों से **लिए गए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर** लागू है।

डेयरी उत्पादों के निर्यात हेतु आरोग्यता प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता (Health Certificate Must for Dairy Exports)

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दुग्ध और दुग्ध उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण तथा अनुवीक्षण) नियम, 2020 को अधिसूचित किया गया है।
  - यह आदेश दुग्ध उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण तथा अनुवीक्षण) नियम, 2000 को प्रतिस्थापित करता है।
- **नए नियमों के अनुसार:**
  - दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के निर्यातकों को पोत लदान के लिए एक सरकारी एजेंसी से निर्यात योग्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के निर्यात से पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों मानकों को पूरा करना होगा।

6.6.3. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (National Beekeeping and Honey Mission: NBHM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के लिए "राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM)" नामक केंद्रीय क्षेत्रक की एक नई योजना को स्वीकृति प्रदान की है।

इस मिशन के बारे में

- NBHM वैज्ञानिक रीति के तहत **मधुमक्खी पालन और गुणवत्ता युक्त शहद (मधु) तथा अन्य मधुमक्खी (छत्ते से निष्कर्षित) उत्पादों** के उत्पादन के **समग्र संवर्धन एवं विकास** हेतु केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- इसे मधुमक्खी पालन के महत्व और **मीठी क्रांति** के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया है।
- इसके निम्नलिखित **3 घटक** हैं:
  - परागण के माध्यम से विभिन्न फसलों के **उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना।**
  - **मधुमक्खी पालन/मधुमक्खी उत्पादों के संचयन के उपरांत प्रबंधन।**
  - विभिन्न कृषि-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के लिए अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी निर्माण।
  - इसके अंतर्गत **राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड** द्वारा 30 लाख किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

भारत में मधुमक्खी पालन

- कृषि एवं खाद्य संगठन (FAO) के अनुसार, **मधु उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है।**
- मधुमक्खी पालन **अत्यधिक अविकसित और असंगठित क्षेत्र में** अधिकांशत: ग्रामीण एवं जनजातीय जनसंख्या के मध्य प्रचलित है।
- मधुमक्खी पालन को अपनाने से **बेरोजगार महिलाओं और जनजातीय जनसंख्या की आजीविका में वृद्धि हो सकती है।**

6.7. चीनी उद्योग (Sugar Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गन्ना एवं चीनी उद्योग पर गठित **नीति आयोग** के एक **कार्यबल** ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

भारत में चीनी उद्योग का विकास

- चीनी क्षेत्रक को नियंत्रण मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम वर्ष 1998 में नई चीनी मिलों के लिए **लाइसेंसिंग की आवश्यकता को समाप्त करके** उठाया गया था।
- लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति से चीनी क्षेत्रक की क्षमता में **वर्ष 1990-91 से 1997-98 के मध्य 3.3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि** की तुलना में **वर्ष 1998-99 से 2011-12 के मध्य लगभग 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि** हुई थी।
- लाइसेंस समाप्ति का चीनी उद्योग के **संरचनात्मक परिवर्तन** में भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। वर्ष 1997-98 तक, चीनी उद्योग में चीनी सहकारी निगमों का वर्चस्व था, जबकि वर्ष 2011-12 में इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ और कुल स्थापित क्षमता में निजी क्षेत्रक की हिस्सेदारी सर्वाधिक हो गई है।
- यद्यपि लाइसेंस समाप्ति से चीनी क्षेत्रक में कुछ कानून समाप्त हो गए, तथापि अन्य कानून (अर्थात् मूल्य निर्धारण नीति, अनिवार्य जूट पैकेजिंग आदि) यथावत ही बने रहे।

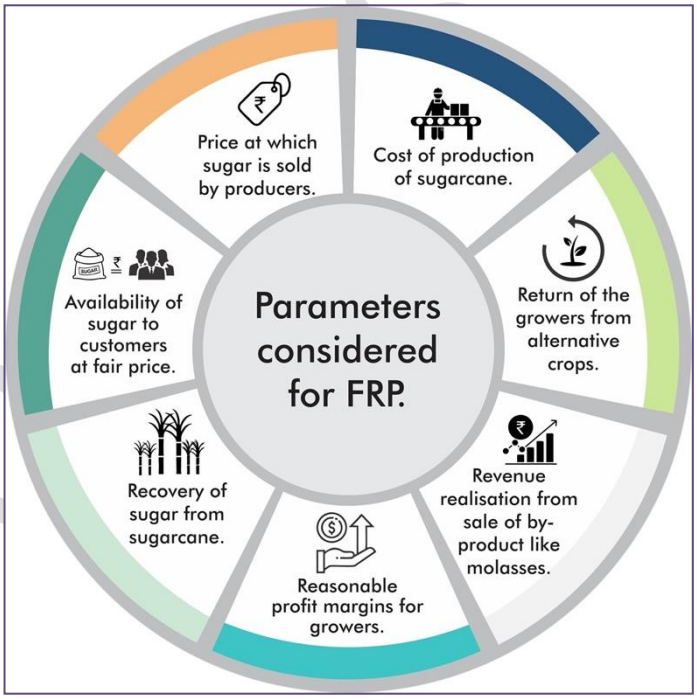

भारत में गन्ने का मूल्य-निर्धारण

भारत में गन्ने का मूल्य-निर्धारण **आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1995** के अंतर्गत निर्गत **गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966** के वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है।

उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price: FRP)

- यह **कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices: CACP) की अनुशंसाओं** के आधार पर, राज्य सरकारों और चीनी उद्योग संघों से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा घोषित गन्ने का मूल्य है।
- FRP, **मिल मालिकों द्वारा किसानों को भुगतान** किया जाने वाला न्यूनतम मूल्य होता है।
- इसके द्वारा पूर्व के **वैधानिक न्यूनतम मूल्य (Statutory Minimum Price: SMP)** प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
- FRP प्रणाली के अधीन, किसानों को मौसम समाप्त होने तक या चीनी मिलों अथवा सरकार द्वारा लाभों से संबंधित किसी घोषणा तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- किसानों को देय प्रीमियम के साथ उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को चीनी की मूल रिकवरी दर से सम्बद्ध किया गया है।

राज्य परामर्शित मूल्य (State Advised Price: SAP): उत्पादन लागत में अंतर, उत्पादकता स्तरों और कृषक समूहों के दबाव के परिणामस्वरूप कुछ राज्य सरकारों द्वारा राज्य विशिष्ट गन्ना मूल्य की घोषणा की जाती है, जिसे **राज्य परामर्शित मूल्य (SAP)** कहा जाता है। यह प्रायः FRP से अधिक होता है।

© Vision IAS

चीनी के मूल्य-निर्धारण की नीति

- चीनी का मूल्य बाजार द्वारा परिचालित होता है तथा चीनी की माँग एवं आपूर्ति पर निर्भर करता है। फिर भी, किसानों के हितों की रक्षा के दृष्टिकोण से, **न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP)** की अवधारणा की शुरुआत की गई हैं, ताकि उद्योगों को कम से कम चीनी के उत्पादन की न्यूनतम लागत प्राप्त हो सके और वे किसानों को गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान करने में सक्षम हो सकें।
- **FRP के घटकों** और सर्वाधिक दक्ष मिलों की **न्यूनतम रुपांतरण लागत** को ध्यान में रखते हुए चीनी का MSP निर्धारित किया गया है।

सरकार द्वारा उठाए गए कुछ हालिया कदम

- **प्रभार शुल्क में परिवर्तन:** आयात शुल्क में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जबकि निर्यात शुल्क में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है।
- **शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (Duty Free Import Authorisation: DFIA) योजना:** इसके अंतर्गत निर्यातकों को तीन वर्ष तक शून्य शुल्क पर चीनी आयात करने की अनुमति दी गई है।
- **निर्यात की अनुमति:** सरकार ने 2017-18 के विपणन वर्ष के अंत तक दो मिलियन टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी, ताकि अधिशेष स्टॉक को कम किया जा सके और गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए मिल मालिकों की नकदी प्रवाह में सुधार किया जा सके।
- **चीनी मिलों की भंडारण सीमा:** जून 2018 से केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक महीने में घरेलू बिक्री/प्रेषण के लिए सफेद/रिफाइंड चीनी की प्रत्येक मिल हेतु मात्रा निर्धारित करने का विचार व्यक्त किया गया था।
  - इसके अंतर्गत, सरकार ने **अधिकतम मासिक चीनी बिक्री कोटा** और **न्यूनतम एक्स-मिल चीनी बिक्री मूल्य** निर्धारित किया है।
- **30 लाख टन क्षमता के चीनी भंडार के बफ़र का निर्माण:** इससे चीनी मिलों की बड़ी इन्वेंटरी में कटौती के साथ-साथ स्वीटनर के मूल्यों में थोड़ी कमी आएगी और मिल मालिकों के मार्जिन में वृद्धि करने में सहायता प्राप्त होगी।
- **अन्य सब्सिडी:** सरकार ने उत्पादन सब्सिडी, परिवहन सब्सिडी और 50 लाख टन निर्यात कोटा भी प्रदान किया है।
- **इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम:** केंद्र सरकार ने देश भर में पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल के मिश्रण को अनिवार्य कर दिया है।
  - **नई जैव-ईंधन नीति 2018,** चीनी मिल/डिस्टिलरी को गन्ने के रस, गुड़, अनाज, आलू आदि से इथेनॉल बनाने की अनुमति प्रदान करती है। यह वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल और डीजल में 5 प्रतिशत बायो-डीजल के मिश्रण के सांकेतिक लक्ष्य की भी परिकल्पना करती है।

मंत्रिमंडल ने देश में इथेनॉल आसवन क्षमता (distillation capacity) को बढ़ाने हेतु योजना को स्वीकृति

- मंत्रिमंडल ने **प्रथम पीढ़ी (1G)** की इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कच्चे माल के रूप में गन्ने का उपयोग करने वाली आसवनियों (distilleries) के अतिरिक्त, अन्य फसलों का प्रयोग करने वाली आसवनियों के लिए भी **ब्याज अनुदान को विस्तारित** कर दिया है। ज्ञातव्य है कि चावल, मक्का, सोरगम, गेहूं, जौ और चुकंदर जैसी फसलें भी इथेनॉल उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं।
  - अब तक, **केवल गन्ने से इथनॉल बनाने वाली आसवनियों के लिए ही बाजार दर से कम ब्याज पर ऋण सुविधाएं (सॉफ्ट लोन स्कीम/सुलभ ऋण योजना)** उपलब्ध थीं।
- सरकार भी **मक्का के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास उपलब्ध चावल से इथेनॉल का उत्पादन** करने के लिए आसवनियों को प्रोत्साहित कर रही है।
  - सरकार ने **मक्का और चावल से निर्मित इथेनॉल के लाभकारी मूल्य (remunerative price) को भी निर्धारित** करने का प्रयास किया है।
- **इथेनॉल सम्मिश्रण के बारे में:**
  - बायो इथेनॉल एक अल्कोहल है जिसे कार्बोहाइड्रेट और फसलों तथा अन्य पौधों एवं घास की सेलुलोसी सामग्री (cellulosic material) के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है।
  - पेट्रोल के लिए इथेनॉल सम्मिश्रण का वर्तमान स्तर लगभग 5% है।

6.8. प्रमुख अवधारणाएं और सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News)

प्रशुल्क दर कोटा योजना {Tariff Rate Quota (TRQ) Scheme}	• हाल ही में, केंद्र ने TRQ योजना के तहत, **15 प्रतिशत के रियायती सीमा शुल्क की दर पर 5 लाख टन मक्का के आयात के लिए** मानदंडों को अधिसूचित किया है। ○ देशों के मध्य संपन्न व्यापार समझौतों के माध्यम से TRQ की स्थापना की जाती है। • TRQ योजना, **विशिष्ट उत्पादों की एक निर्धारित मात्रा को निम्न या शून्य प्रशुल्क दर पर आयात करने की अनुमति प्रदान करती** है। ○ **इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने निम्नलिखित चार उत्पादों के आयात की अनुमति प्रदान की है:** मक्का (कॉर्न); "पाउडर या रवा वाले दूध और क्रीम"; सूरजमुखी के कच्चे बीज या कुसुम का तेल; और परिष्कृत सफेद सरसों, कोल्ज़ा या सरसों का तेल।
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (RKA)	• राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (RKA) द्वारा **'गौ विज्ञान' (गाय विज्ञान)** पर एक देशव्यापी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। • RKA, **पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत** एक स्थायी व शीर्ष परामर्शदात्री निकाय है। यह आयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए अधिदेशित है: ○ **आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन** को बढ़ावा देना। ○ **गाय की प्रजनन क्षमता में सुधार करना और सुधार के लिए कदम** उठाना। ○ **गायों तथा बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं और मवेशियों के वध के निषेध** की दिशा में कार्य करना। • यह **राष्ट्रीय गोकुल मिशन के एक अभिन्न अंग के रूप में** कार्य करता है। यह मिशन गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत एक परियोजना है।
कृतज्ञ हैकाथॉन (KRITAGYA Hackathon)	• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने **राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (National Agricultural Higher Education Project: NAHEP)** के अंतर्गत **कृतज्ञ (कृषि-तकनीक-ज्ञान) हैकाथॉन** की घोषणा की है। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए अनुकूल उपकरणों पर विशेष बल देते हुए कृषि मशीनीकरण और संभावित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देना है। ○ **NAHEP** का उद्देश्य आधारभूत संरचना, संकाय और छात्र उन्नति के लिए संसाधनों और तंत्र को विकसित करना, तथा कृषि विश्वविद्यालयों के बेहतर प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए साधन उपलब्ध कराना है। यह परियोजना **विश्व बैंक और भारत सरकार के मध्य 50:50 लागत साझाकरण के आधार पर प्रस्तावित है।** इसे शिक्षा प्रभाग, ICAR, नई दिल्ली में कार्यान्वित किया गया है। • विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से जुड़े **विद्यार्थी, संकाय-सदस्य और नवप्रवर्तक (innovators) या उद्यमी** एक समूह के रूप में इस कार्यक्रम हेतु आवेदन कर सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं।

VISION IAS

7. उद्योग और संबद्ध मुद्दे (Industry and Associated Issues)

7.1. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 {Companies (Amendment) Act, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 पारित किया गया।

पृष्ठभूमि

- **कंपनी कानून समिति (Company Law Committee: CLC)** की अनुशंसाओं के आधार पर "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020" को पारित किया गया है। सितंबर 2019 में **श्री इंजेती श्रीनिवास** की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था।
- CLC का गठन **कई मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने** तथा कॉर्पोरेट व अन्य हितधारकों को **सरकार के कोविड-19 राहत पैकेज के हिस्से के रूप में कारोबार में सुगमता प्रदान करने** (इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) के उद्देश्य से किया गया था।

"कंपनी अधिनियम, 2013" के बारे में

- यह कानून एक **कंपनी के निगमीकरण, कंपनी के दायित्वों, निदेशकों**, कंपनी के विघटन आदि को विनियमित करता है।
- इसने बड़ी कंपनियों के लिए अनिवार्य **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR)** योगदान का शुभारंभ किया था।
- **राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority: NFRA)** तथा **राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (National Company Law Tribunal: NCLT)** इसी अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं।

इस अधिनियम के माध्यम से किए गए प्रमुख संशोधन

- **कुछ कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना (Decriminalising offenses):** यह संशोधन ऐसे 9 अपराधों के लिए दंड एवं कारावास को समाप्त करता है, जो **NCLT के आदेशों का अनुपालन न करने से संबंधित** हैं, तथा कुछ मामलों में दंड स्वरूप देय राशि को भी कम करता है।
  - हालांकि, गंभीर अपराधों के लिए कोई रियायत नहीं दी गयी है। गंभीर अपराधों में धोखाधड़ी तथा **"सार्वजनिक हित को आघात पहुंचाने वाले कार्य या कपटपूर्ण अपराध"** सम्मिलित हैं।
  - इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के अंतर्गत, **एकल-व्यक्ति कंपनी (one-person companies) या छोटी कंपनियों** को उनके द्वारा किए गए कुछ अपराधों के लिए दंड का मात्र 50 प्रतिशत तक का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।
    - यह संशोधन सभी **उत्पादक कंपनियों (producer companies) एवं स्टार्ट-अप कंपनियों (start-up companies)** के लिए इस प्रावधान का विस्तार करता है।
- **कुछ कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनियों की सूची से बाहर करना (Exclusion from listed companies):** यह संशोधन केंद्र को सेबी (SEBI) के परामर्श से निर्दिष्ट वर्गों की प्रतिभूतियों को जारी करने वाली कंपनियों को "सूचीबद्ध कंपनी" की परिभाषा से बाहर करने का अधिकार देता है।
- **उत्पादक कंपनियां (Producer companies):** वर्ष 2013 के अधिनियम के अंतर्गत, **कंपनी अधिनियम, 1956** के कुछ प्रावधानों को उत्पादक कंपनियों पर भी लागू किया गया था। इनमें उनकी सदस्यता, बैठकों के संचालन एवं खातों के रखरखाव से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं।
  - यह संशोधन इन **प्रावधानों को समाप्त** करता है तथा उत्पादक कंपनियों के लिए समान प्रावधानों के साथ अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़ता है, जो **किसान उत्पादक कंपनियों (Farmers Producer companies)** को विशेष रूप से लाभान्वित करेगा।

- **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR):** वर्ष 2013 के कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत भारत में CSR गतिविधियों के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। यह **500 करोड़ रुपये के निवल मूल्य (net worth) या 1,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर अथवा 5 करोड़ रुपये के निवल लाभ (net profit) वाली प्रत्येक कंपनी** (चाहे निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी) को अपने तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ (average net profit) का **कम से कम 2%** CSR गतिविधियों पर व्यय करने का अनिवार्य प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी कंपनियों के लिए **CSR समितियों का गठन** करना अनिवार्य है।
  - अब, इस संशोधन द्वारा CSR गतिविधियों पर 50 लाख रुपये तक खर्च करने वाली कंपनियों को CSR समितियों के गठन से छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, CSR प्रावधान के अंतर्गत पात्र कंपनियों को किसी विशेष वित्तीय वर्ष में **अपने CSR खर्च दायित्व (CSR spending obligation) से अधिक खर्च की गई किसी भी राशि** को **आगे के वित्तीय वर्षों में इस तरह के दायित्व के लिए खर्च में भरपाई करने** की अनुमति दी गयी है।
- **NCLAT की न्यायपीठ:** इस संशोधन द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal: NCLAT) की न्यायपीठों (benches) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- **गैर-कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक (Remuneration to non-executive directors):** यह संशोधन कंपनी को किसी वर्ष में **अपर्याप्त या कोई लाभ न होने की स्थिति में** उसके गैर-कार्यकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए विशेष प्रावधानों का विस्तार करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 {Factoring Regulation (Amendment) Bill, 2020}

- हाल ही में, फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।
- यह विधेयक फैक्टरिंग (आढ़त) व्यवसाय में संलग्न हो सकने वाली कंपनियों के दायरे में विस्तार करने के उद्देश्य से **फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011** में संशोधन करता है।
- इस प्रकार यह विधेयक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) की सहायता करना चाहता है। ज्ञातव्य है कि **MSMEs** व्यापार प्राप्य छूट/बट्टाकरण प्रणाली (Trade Receivables Discounting System: TReDS) के माध्यम से अपने लिए अतिरिक्त वित्त जुटाते हैं। इस विधेयक के पारित होने के बाद MSMEs के लिए वित्त जुटाना सरल ही जाएगा। दूसरे शब्दों में, यह विधेयक MSMEs को TReDS के माध्यम से अपने लिए अतिरिक्त वित्त जुटाने का अवसर प्रदान करता है।
  - **TReDS** वस्तुतः विभिन्न वित्त-प्रदाताओं के माध्यम से MSMEs की व्यापार प्राप्य राशियों के वित्तपोषण तथा छूट/बट्टाकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म है।
    - ये प्राप्य राशियां सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कॉर्पोरेट्स तथा अन्य खरीदारों द्वारा देय हो सकती हैं।
    - हालांकि इस उद्देश्य के लिए रिसीवेबल इक्स्चेन्ज ऑफ़ इंडिया को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा वर्ष 2016 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में स्थापित किया गया था।
- **फैक्टर विनियम अधिनियम, 2011,** फैक्टरों के प्राप्तव्यों के समनुदेशन का विनियमन और फैक्टर कारबार चलाने वाले फैक्टरों के रजिस्ट्रीकरण तथा प्राप्तव्यों के समनुदेशन की संविदा के पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
  - **फैक्टरिंग कारबार** एक प्रकार का व्यवसाय है जिसके तहत किसी इकाई (जिन्हे फैक्टर के रूप में संदर्भित किया जाता है) द्वारा धन के लिए किसी अन्य इकाई {समनुदेशक (Assignor) के रूप में संदर्भित} की प्राप्तव्यों (Receivables) का अधिग्रहण किया जाता है।
  - **प्राप्तव्य (Receivables)** वह कुल राशि है, जो किसी भी वस्तु, सेवाओं या सुविधा के उपयोग के एवज में ग्राहकों द्वारा (जिसे यहाँ ऋणी के रूप में संदर्भित किया जाता है) समनुदेशक (Assignor- अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी प्राप्तव्य का स्वामी है) को देय होती है।
  - **फेक्टर (Factor):** बैंक, पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी कंपनी फेक्टर हो सकती है।

© Vision IAS

7.2. व्यवसाय सुधार कार्य योजना - व्यवसाय करने में सुगमता रैंकिंग (Business Reform Action Plan- Ease of Doing Business Ranking)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **व्यवसाय सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan: BRAP)** के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की गयी। ज्ञातव्य है कि **विश्व बैंक** के सहयोग से **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department of Industrial Promotion and Internal Trade: DPIIT)** इस रैंकिंग को जारी करता है।

TABLE: EASE OF DOING BUSINESS RANK, TOP 10 IN 2019

STATE	2015	2016	2017	2018
Andhra Pradesh	2	1	1	1
Uttar Pradesh	10	14	12	2
Telangana	13	1	2	3
Madhya Pradesh	5	5	7	4
Jharkhand	3	7	4	5
Chhattisgarh	4	4	6	6
Himachal	17	17	16	7
Rajasthan	6	8	9	8
West Bengal	11	15	10	9
Gujarat	1	3	5	10

BRAP के बारे में

- वर्ष 2015 में BRAP का शुभारंभ किया गया था तथा यह इसका चौथा वार्षिक संस्करण है। इसका विकास DPIIT ने **राज्यों में समग्र व्यावसायिक परिवेश में सुधार करने के लिए** किया है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है और इसी आधार पर उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। इसे दो कारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है: मापनीयता (Measurability) और तुलनीयता (Comparability) अर्थात् राज्यों के रैंकिंग की गणना और उनके प्रदर्शन की तुलना।
- BRAP के अंतर्गत, DPIIT ने नियमों के अनुपालन के संदर्भ में व्यवसायों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को कम करने और विभिन्न विभागों का चक्कर लगाने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए अनुशंसाओं का एक समुच्चय (set of recommendations) प्रदान किया है। ये हैं:
  - सभी राज्यों में **एकल खिड़की प्रणाली** होनी चाहिए, जिसके द्वारा व्यवसाय आरंभ करने के लिए आवश्यक परमिट और लाइसेंस के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी।
  - **लाइसेंस की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए** या उन्हें स्व-प्रमाणन या तृतीय पक्ष सत्यापन के आधार पर **स्वचालित रूप से नवीनीकृत** किया जाना चाहिए।
  - यदि किसी राज्य में विभिन्न अवरोधक विनियम (जैसे- जटिल श्रम या पर्यावरण कानून) मौजूद नहीं हैं, तो उस राज्य को **पुरस्कृत** भी किया जाएगा।
- BRAP का उद्देश्य रैंकिंग की प्रणाली के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तत्व का सूत्रपात करके **प्रत्येक राज्य में निवेश और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) को बढ़ावा देना** है।
  - इस संदर्भ में राज्यों को रैंकिंग प्रदान करने से निवेश आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रत्येक राज्य में EoDB में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

BRAP रिपोर्ट: वर्ष 2018-19

- DPIIT द्वारा जारी इस रिपोर्ट (अर्थात् वर्ष 2018-19 के लिए BRAP रिपोर्ट) में **12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्रों,** जैसे- सूचना तक पहुंच, सिंगल विंडो सिस्टम (एकल खिड़की प्रणाली), श्रम, पर्यावरण आदि को शामिल करने वाले 180 सुधार बिंदु शामिल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राज्यों द्वारा 180 बिंदुओं से संबंधित सुधारात्मक उपायों अपनाया जाना है।
  - वर्ष 2015 में इसका शुभारंभ होने के बाद से, पहली बार **इस रैंकिंग को पूरी तरह से व्यवसायों (जिनके लिए ये सुधार किए गए थे) से प्राप्त फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है।**
- राज्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे DPIIT के EoDB पोर्टल पर अपने द्वारा किए गए प्रत्येक सुधार का प्रमाण प्रस्तुत करें और उन सुधारों के उपयोगकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करें।
- **यह रैंकिंग राज्यों को अग्रलिखित आधारों पर वर्गीकृत करती है:** शीर्ष अचीवर्स (Top Achievers) (95 प्रतिशत से अधिक अनुपालन); अचीवर्स (Achievers) (90 - 95 प्रतिशत अनुपालन); फास्ट मूवर्स (Fast Movers) (80 - 90 प्रतिशत अनुपालन) तथा आकांक्षी (Aspirers) (80 प्रतिशत से कम अनुपालन)।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- **नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य** सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में विशेषकर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) और आईटी सक्षम सेवाओं (ITES) की **व्यवसाय करने में सुगमता (ease of doing business) में सुधार करना है।**
- **अन्य सेवा प्रदाता (OSPs) वस्तुतः एप्लीकेशन सर्विसेज, ITES या अन्य प्रकार की आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं होती हैं, जो प्रायः सेवाओं की प्रदायगी हेतु टेलीकॉम संसाधनों का उपयोग करती हैं।** OSP पदावली का प्रयोग BPOs, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (KPOs), कॉल सेंटर्स आदि हेतु किया जाता है।
- **नए दिशा-निर्देशों के अनुसार:**
  - भारत में OSP केंद्रों के लिए **किसी भी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।**
  - डेटा से संबंधित कार्यों में संलग्न BPO उद्योग को OSP विनियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
  - OSPs को भारत में **कहीं से भी (Work From Anywhere) या घर से कार्य (Work From Home) के आधार पर** संचालित किया जा सकता है।
- इससे BPOs और ITES फर्मों को **स्थान संबंधी लागतों में कटौती करने, परिसर के लिए किराए और अन्य अनुषंगी लागतों व अनुपालन बोझ को कम करने आदि में सक्षम बनाने के साथ-साथ BPOs एवं KPOs में निवेश के लिए भारत को एक अधिमानी गंतव्य बनाने में सहायता प्राप्त होगी।**

7.3. सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, 2017 में संशोधन (Amendments To Public Procurement Order, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को अधिक वरीयता देने के लिए **सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 {Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017}** में संशोधन किया गया। **सार्वजनिक अधिप्राप्ति का तात्पर्य सरकारी खरीद से है।**

इस संशोधित आदेश के प्रमुख बिंदु

- इसके माध्यम से नोडल मंत्रालयों/विभागों को सक्षम बनाया गया है कि वे **वर्ग-I एवं वर्ग-II** के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए न्यूनतम 'स्थानीय सामग्री' (local content) की सीमा को बढ़ाने हेतु अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
  - इससे पहले, **50 प्रतिशत या अधिक** स्थानीय सामग्री वाले स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वर्ग-I के रूप में परिभाषित किया गया था, तथा **20 से 50 प्रतिशत** तक स्थानीय सामग्री वाले आपूर्तिकर्ताओं को वर्ग-II के रूप में परिभाषित किया गया था।
  - **स्थानीय सामग्री** का तात्पर्य **किसी वस्तु के कुल मूल्य से उसमें प्रयुक्त आयातित सामग्री के मूल्य को घटाने के पश्चात शेष बचे मूल्य** से है।
- जिस दस्तावेज़ के माध्यम से बोली (bid document) लगायी जा रही है, उसमें विदेशी प्रमाण-पत्रों / तर्कहीन तकनीकी विशेषताओं / ब्रांड्स / मॉडल के उल्लेख को प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इसे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार माना जाता है।
  - हालांकि, विदेशी प्रमाणन को केवल संबंधित विभाग के सचिव के **अनुमोदन के पश्चात् ही** अंकित किया जाएगा।
- **जिन देशों में भारतीय कंपनियों को सरकारी खरीद में भाग नहीं लेने दिया जाता है, उन देशों की कंपनियों को भारत में सार्वजनिक अधिप्राप्ति में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गयी है।** हालांकि, कुछ मामलों में केवल संबंधित नोडल मंत्रालय या विभाग से अनुमति लेने के पश्चात् ही उन्हें इसमें भाग लेने की अनुमति दी गयी है। लेकिन, वे केवल उन अधिसूचित वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं, जिनके लिए मंत्रालय या विभाग ने अनुमति प्रदान की है।
- वे सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग जो **एक वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद** करते हैं, अगले 5 वर्षों के लिए अपने अनुमानित खरीद के बारे में अपनी वेबसाइट्स पर अधिसूचना जारी करेंगे।

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

- **सरकारी खरीद के लिए एक ऊपरी सीमा (अर्थात् मूल्य)** को अधिसूचित किया जाएगा। इससे ऊपर की खरीद के लिए विदेशी कंपनियां एक भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम गठित कर सरकारी निविदाओं में भाग ले सकेंगी।

सार्वजनिक अधिप्राप्ति अर्थात् सरकारी खरीद में स्थानीय आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य उपाय

- **"सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSEs) आदेश, 2018" के संदर्भ में सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति:**
  - इसे **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006)** के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।
  - इसके अंतर्गत, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक उपक्रम को यह आदेश दिया गया था कि वे MSEs से अपनी वार्षिक अधिप्राप्ति के **25 प्रतिशत हिस्से की खरीदारी** करेंगे।
  - 25 प्रतिशत के इस लक्ष्य में से **SC/ST एवं महिला उद्यमियों** के स्वामित्व वाले MSMEs से क्रमशः **4 प्रतिशत व 3 प्रतिशत की खरीद का उप-लक्ष्य** भी निर्धारित किया गया है।
- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM):**
  - वर्ष 2016 में GeM का शुभारंभ किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों एवं स्थानीय निकायों द्वारा अपने सामान्य उपयोग की वस्तुओं व सेवाओं की खरीद की जाती है।
  - यह पोर्टल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, इसे केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से एकीकृत खरीद प्रणाली (Unified Procurement System: UPS) की ओर अग्रसर है।
  - इसका उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देना तथा अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
  - GeM के माध्यम से सरकारी खरीद को वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है।

"सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017" के बारे में

- इसे सरकारी खरीद में घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के लिए **सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 (General Financial Rules 2017)** के अंतर्गत जारी किया गया था।
- जून 2020 में इसमें एक संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार, **200 करोड़ रुपये से कम मूल्य** वाली खरीद {वस्तुओं, सेवाओं या निर्माण कार्य (works) की खरीद} के लिए **केवल वर्ग-I एवं वर्ग-II के स्थानीय आपूर्तिकर्ता** ही बोली लगाने के लिए पात्र हैं।
  - 200 करोड़ रुपये से कम की खरीद के मामले में, **सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से वैश्विक निविदा (टेंडर) की जांच की जा सकती है।**
- **वस्तुओं, सेवाओं एवं निर्माण कार्यों (टर्न-की निर्माण कार्यों सहित) की अधिप्राप्ति के लिए** यह आदेश केवल केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और उनसे संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त निकायों, सरकारी कंपनियों और उनके संयुक्त उद्यमों एवं विशेष प्रयोजन वाहनों पर लागू होता है।
- स्थानीय सामग्री के सत्यापन के लिए **स्व-प्रमाणन** (self-certification) को अनिवार्य बनाया गया है। नोडल मंत्रालय ऐसी स्व-घोषणाओं के स्वतंत्र सत्यापन के लिए आंतरिक व बाह्य सदस्यों से मिलकर बनी समितियों का गठन कर सकते हैं।
- **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)** की एक समिति इस आदेश के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।

7.4. औद्योगिक गलियारा (Industrial Corridor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने दक्षिण भारत में औद्योगिक गलियारे के नोड्स तथा उत्तर-प्रदेश में लॉजिस्टिक हब को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- CCEA ने चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे (CBIC) के तहत **आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम** और **कर्नाटक के तुमकुरू** में **औद्योगिक गलियारा नोड्स** के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है।
- औद्योगिक गलियारों के भीतर रणनीतिक स्थानों पर औद्योगिक नोड्स को विकसित करने का प्रस्ताव निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित है:
  - संधारणीय, "प्लग एन प्ले" (उपयोग के लिए पूर्णतया तैयार), सूचना-प्रौद्योगिकी कुशल इकाइयों से युक्त **ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहरों का निर्माण करना।**
  - विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करने के लिए **तत्काल विकसित भूखंडों का आवंटन करना।**
  - ये ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर विश्वसनीय विद्युत् और गुणवत्तापूर्ण सामाजिक अवसंरचना के साथ बंदरगाहों एवं लॉजिस्टिक हब्स से तथा वहां तक माल ढुलाई के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों, सड़क व रेल संपर्क के साथ पूर्णतया आत्मनिर्भर होंगे।

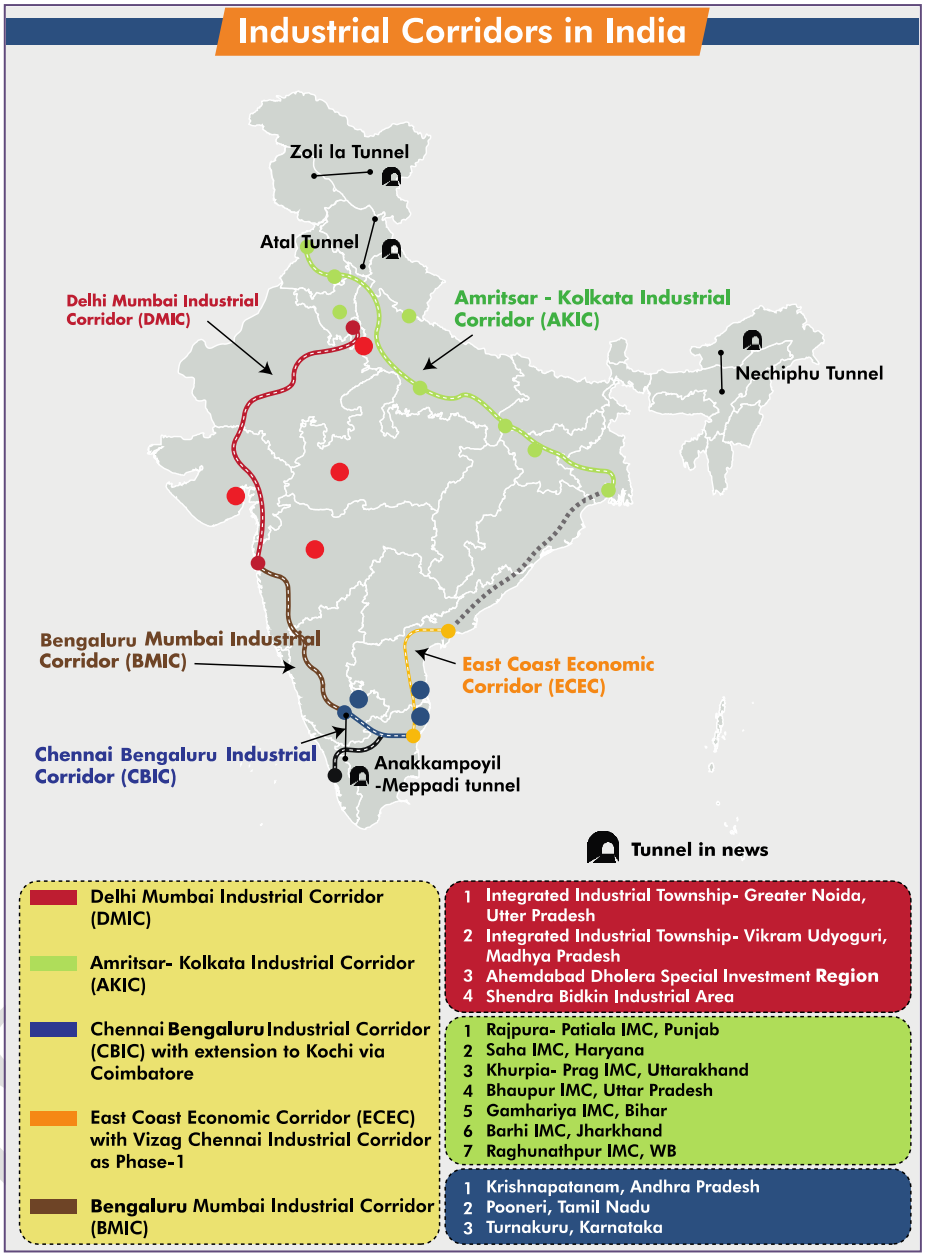

- चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (CBIC) वस्तुतः प्रत्येक CBIC राज्यों (जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश) की क्षमता और प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित होते हुए **बुनियादी ढाँचे में मौजूद अवरोधों का निवारण करने में सहायता करेगा।**
- इसके अतिरिक्त, **ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (MMLH) और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH)** को भारत के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से अनुमोदित किया गया है।

7.5. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना में 10 क्षेत्रकों को शामिल करने की घोषणा की है।

उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked Incentive: PLI) क्या है?

- **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन से तात्पर्य उत्पादकों को दी जाने वाली छूट** से है। इस छूट की गणना उत्पादक की बिक्री के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है (इसमें उल्लिखित बिक्री, कुल बिक्री या वृद्धिशील बिक्री हो सकती है)। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक के लिए PLI योजना ने विनिर्माता की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% की छूट प्रदान की है।

© Vision IAS

भारत में सरकारी घोषणा और PLI योजना

इस घोषणा से पहले ही, केंद्र द्वारा PLI योजना को **मोबाइल विनिर्माण और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों, महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री (Critical Key Starting materials)/ औषधि मध्यवर्तियों और सक्रिय औषधि सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients: API)** तथा **चिकित्सीय उपकरणों के विनिर्माण के लिए आरंभ किया जा चुका है।**

इस घोषणा के साथ, सरकार ने 5 वर्ष की अवधि में 2 लाख करोड़ रूपए के प्रोत्साहन के साथ 10 और क्षेत्रकों के लिए इस योजना का विस्तार किया है। अतिरिक्त क्षेत्रक हैं:

- उन्नत रासायनिक सेल (Advance Chemistry Cell) वाली बैटरी
- इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद
- ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक
- औषध क्षेत्रक की औषधि (Pharmaceuticals drugs)
- दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद
- वस्त्र (Textile) उत्पाद: मानव निर्मित रेशे और तकनीकी वस्त्र
- खाद्य उत्पाद
- उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स
- व्हाइट गुड्स (ACs तथा LED)
- विशेषीकृत इस्पात (Specialty Steel)

वैयक्तिक क्षेत्रकों के लिए PLI के अंतिम प्रस्तावों का **व्यय वित्त समिति (Expenditure Finance Committee: EFC)** द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। यदि किसी अनुमोदित क्षेत्रक की PLI से कोई बचत हो तो उस बचत को अन्य अनुमोदित क्षेत्रक का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। **PLI के लिए किसी भी नए क्षेत्रक को मंत्रिमंडल द्वारा नए सिरे से अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता होगी।** योजना की प्रकृति के संबंध में, निम्नलिखित को PLI की प्रमुख विशेषताओं के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है-

- यह **योजना परिणाम आधारित है,** जिसका अर्थ है कि उत्पादन होने के बाद ही प्रोत्साहनों का वितरण किया जाएगा।
- इसके तहत प्रोत्साहन की गणना उच्च वृद्धि दर से **वृद्धिशील उत्पादन पर आधारित होती है।**
- इस योजना के तहत प्रतिभागियों का चयन उनके आकार और व्यापकता के आधार पर किया जाता है ताकि वे अधिक मात्रा में माल का वितरण कर सकें।
- **इसके तहत क्षेत्रकों का चयन,** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को कवर करने वाले, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के लिए क्षेत्रकों, रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से घनिष्ठ रूप से संबद्ध क्षेत्रकों के प्रति **अत्यधिक उन्मुख रहते हुए किया जाता है।**
- साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पहले की PLI योजना की अभिकल्पना में समर्थन की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से निर्यातों या मूल्यवर्धन से जुड़ी नहीं थी ताकि यह **विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं के अनुकूल हो सके।**

7.6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक (MSME Sector)

भारत में MSME क्षेत्रक

- भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को संयंत्र और मशीनों / उपकरणों में निवेश तथा कुल वार्षिक कारोबार के **एक समग्र मानदंड के अनुसार वर्गीकृत** किया गया है (तालिका देखें)।

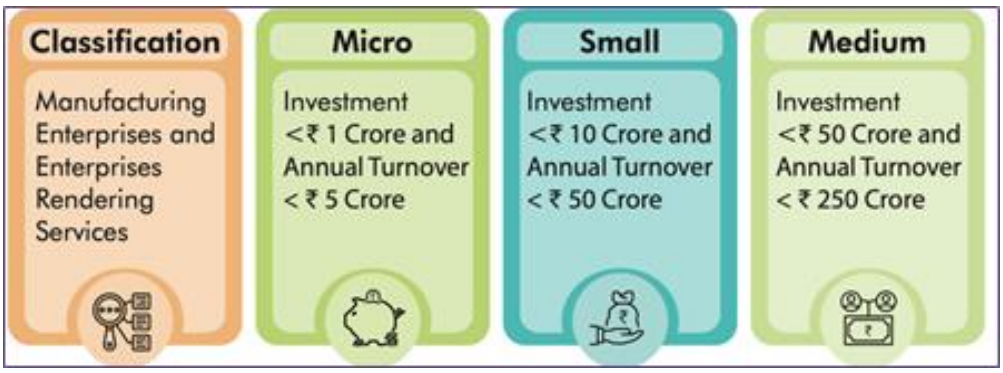

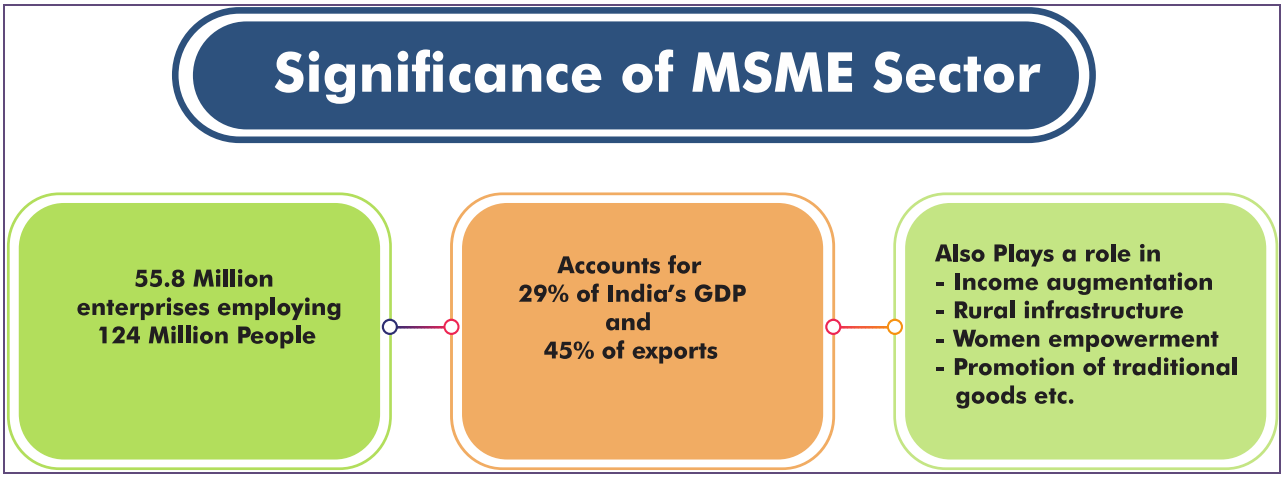

आत्मानिर्भर भारत पैकेज के तहत MSMEs क्षेत्र की वित्तीय सहायता के लिए सरकारी पहलें

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme: ECLGS): इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (National Credit Guarantee Trustee Company Limited: NCGTC) द्वारा पात्र MSMEs तथा इच्छुक मुद्रा (MUDRA) उधारकर्ताओं को **3 लाख करोड़ रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण (बिना किसी संपार्श्विक के प्रदान किया जाने वाला ऋण)** पर **गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (Guaranteed Emergency Credit Line: GECL)** सुविधा के रूप में 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) को अब "उद्यम" (Udyam) के नाम से जाना जाएगा (MSME will be known as Udyam)

- हाल ही में, **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** ने MSMEs के वर्गीकरण और पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देशों के रूप में एक समेकित अधिसूचना (consolidated notification) जारी की है।
- **इसके अतिरिक्त, उद्यम का पंजीकरण अब स्व-घोषणा के आधार पर ऑनलाइन कराया जा सकता है।** इसके लिए किसी दस्तावेज, कागजात, प्रमाण-पत्र या साक्ष्य (Proof) को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- GECL एक ऐसा ऋण है जिसके लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (Member Lending Institutions: MLIs) को 100% गारंटी प्रदान की जाएगी।
- विस्तार वाले संभावित MSMEs की सहायता के लिए MSME क्षेत्रक में **50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी के निवेश के लिए फण्ड ऑफ़ फंड्स बनाया गया है।**
- **उप-ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt: CGSSD):** इसके तहत प्रमोटरों को 20,000 करोड़ रुपये का गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा, जो अपने संकटग्रस्त MSME में आगे इक्विटी के रूप में निवेश करने के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  - इसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises : CGTMSE) द्वारा संचालित किया जा रहा है। CGTMSE, बैंकों द्वारा प्रदत्त 90% अधीनस्थ ऋण की गारंटी प्रदान करेगा, शेष 10% को उधारकर्ता द्वारा सौंपे गए जमानत या संपार्श्विक के माध्यम से कवर किया जाएगा।

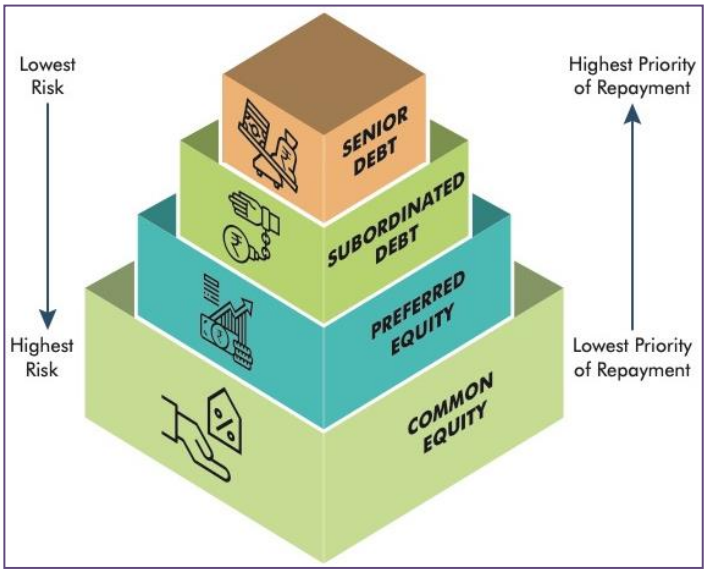

© Vision IAS

- सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए MSMEs को सक्षम करने हेतु 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं के लिए **वैश्विक निविदाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।**
- **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communications Technology: ICT)- आधारित 'चैंपियंस (CHAMPIONS)' पोर्टल:** इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह पोर्टल MSMEs को प्रारंभिक सहायता प्रदान करेगा, नए व्यावसायिक अवसरों को प्राप्त करने तथा अंततः राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने की दिशा में मार्ग-दर्शन प्रदान करेगा।
    - इसे पूरी तरह से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System: CPGRAMS) व सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय के अपने अन्य वेब-आधारित तंत्रों के साथ एकीकृत किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

ANIC-ARISE चैलेंज (लघु और मध्यम उद्यमों हेतु एप्लाइड रिसर्च और इनोवेशन में अटल न्यू इंडिया चैलेंज) नामक पहल का शुभारंभ किया गया

- यह **अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारतीय स्टार्ट-अप एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि** करने हेतु अटल नवाचार मिशन द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है।
    - इसके अंतर्गत प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान और/या उत्पाद के त्वरित विकास के लिए **50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता** प्रदान की जाती है।
- इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) तथा चार मंत्रालयों, यथा- रक्षा मंत्रालय; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय व संबंधित उद्योगों द्वारा संचालित किया जाएगा।

भारत क्राफ्ट पोर्टल (Bharat Craft Portal)

- यह देश में MSMEs द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन के लिए विगत वर्ष सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ई-कॉमर्स पोर्टल है।
- हालाँकि, व्यवसाय योजना की कमी, प्रौद्योगिकी भागीदार की अनुपलब्धता और धन के अभाव के कारण इसे अभी प्रारंभ नहीं किया जा सका है।

7.7. वस्त्र उद्योग से संबद्ध पहल (Textile Industry Initiatives)

7.7.1. तकनीकी वस्त्र (Technical Textile)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वस्त्र मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों (Technical Textiles) के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (Export Promotion Council: EPC) के गठन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसका उद्देश्य **तकनीकी वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है।**
    - वर्तमान में, तकनीकी वस्त्रों के अधिकांश निर्यातक अन्य उत्पादों के लिए EPCs द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।
- तकनीकी वस्त्रों के लिए समर्पित EPCs इस वर्ष आरंभ किए गए **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission: NTTM) के घटकों में से एक है।**
    - NTTM की शुरुआत देश को तकनीकी वस्त्रों में विश्व में अग्रणी बनाने के लिए की गई है।
    - इसका लक्ष्य **वर्ष 2024 तक तकनीकी वस्त्रों के घरेलू बाजार के आकार को 40-50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए 15-20 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर प्राप्त करना है।**
- तकनीकी वस्त्र ऐसी **वस्त्र सामग्री एवं उत्पाद हैं, जिन्हें मुख्य रूप से सौंदर्य और सजावटी विशेषताओं के बजाए तकनीकी प्रदर्शन** तथा कार्यात्मक गुणों के लिए विनिर्मित किया जाता है।

- इन वस्त्रों को **एकल रूप से या** इनके कार्यात्मक गुणों को बढ़ाने के लिए **किसी अन्य उत्पाद के घटक/भाग के रूप में** उपयोग किया जाता है।
- उन्हें **12 प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है** (इन्फोग्राफिक देखें)।
- भारत के **कुल वस्त्र और परिधान बाजार में** तकनीकी वस्त्रों की भागीदारी **लगभग 13 प्रतिशत** है तथा भारत के **सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 0.7 प्रतिशत** है।

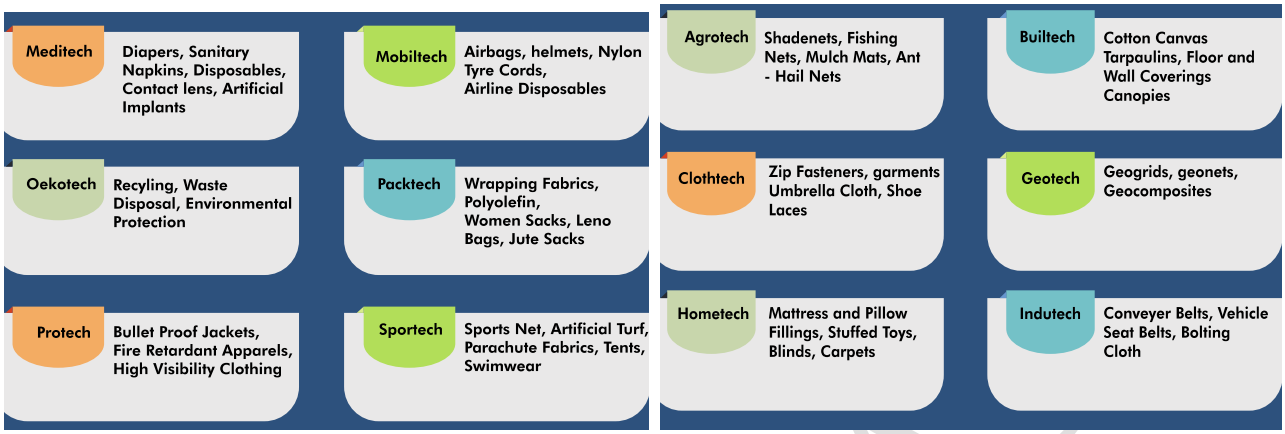

7.8. इस्पात उद्योग (Steel Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार, आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक व्यापक इस्पात नीति के निर्माण की योजना बना रही है।

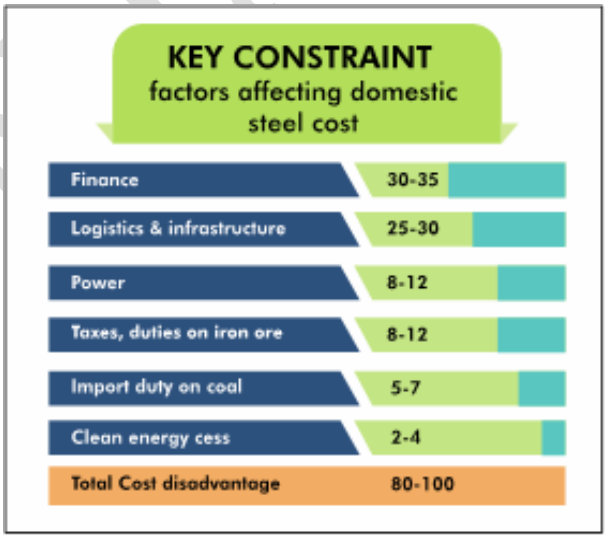

अन्य संबंधित तथ्य

- इस कदम का उद्देश्य **आयात पर निर्भरता में कमी** करना तथा आत्म-निर्भरता की दिशा में इस्पात क्षेत्रक का और अधिक विकास करना है।
  - **भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक और उपभोक्ता देश है** तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इस क्षेत्रक की भागीदारी **2.3%** है।
- **विभिन्न सुझावों में शामिल हैं:**
  - सरकार, इस्पात के आयात पर **सीमा समायोजन कर (Border Adjustment Tax: BAT)** आरोपित करने का परीक्षण कर रही है।
  - **BAT,** आयातित वस्तुओं पर पोर्ट ऑफ़ एंट्री (वस्तुओं के बंदरगाह में प्रवेश के दौरान) पर लगने वाले सीमा शुल्क के अतिरिक्त आरोपित एक शुल्क है। यह घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है।
  - विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियम निम्नलिखित शर्तों के अधीन **सीमा पर कुछ प्रकार के आंतरिक करों के समायोजन की अनुमति प्रदान करते हैं:**
    - कर को आयातित वस्तुओं और उसी प्रकार के घरेलू उत्पादों पर समान रूप से आरोपित किया जाना चाहिए।
    - कर एक उत्पाद पर आरोपित किया जाना चाहिए तथा यह प्रत्यक्ष कर नहीं होना चाहिए।
    - कर को निर्यातों पर सब्सिडी के रूप में लागू नहीं होना चाहिए।

Trends in india's Steel exports and imports

Year	Exports	Imports
FY17	10.9	7.9
FY18	11.7	8.2
FY19	8.4	8.8
FY20 (April-July)	1.5	2.5

© Vision IAS

इस्पात उद्योग के लिए आरंभ की गई पहलें

- **मिशन पूर्वोदय (Mission Purvodaya):** इसे इस्पात मंत्रालय द्वारा कोलकाता में **एकीकृत इस्पात केंद्र के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)** और **संयुक्त संयंत्र समिति (Joint Plant Committee)** की साझेदारी में आरंभ किया गया था।
  - इसमें ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग शामिल होगा।
  - इसका उद्देश्य **लागत और गुणवत्ता दोनों के मामले में तेजी से क्षमता बढ़ाना** और **इस्पात निर्माताओं की समग्र प्रतिस्पर्धा में सुधार** करना है।
- **DMI&SP नीति** को वर्ष 2017 में **घरेलू इस्पात उद्योग के विकास और वृद्धि को प्रोत्साहित करने** तथा सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में **निम्न गुणवत्ता युक्त एवं अल्प लागत वाले आयातित इस्पात के बढ़ते उपयोग को कम करने हेतु** प्रारंभ किया गया था।
  - DMI&SP के अंतर्गत वे **लौह और इस्पात उत्पाद सम्मिलित हैं, जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones: SEZs)** सहित भारत में पंजीकृत एवं स्थापित **संस्थाओं द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं।**
  - यह सरकार के **सभी मंत्रालयों और विभागों पर लागू है।**
  - यह 25 करोड़ रुपये से अधिक के कुल अनुमानित मूल्य वाले लौह और इस्पात उत्पादों की आपूर्ति पर लागू है।
- जून 2020 में, चीन, वियतनाम और दक्षिण कोरिया के कुछ इस्पात उत्पादों के **आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क आरोपित किया गया था।**
- वर्ष 2017 में, **राष्ट्रीय इस्पात नीति (National Steel Policy)** को वर्ष 2030 तक भारत की इस्पात विनिर्माण क्षमता को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।

अन्य तथ्य

रेल मंत्रालय ने बोगियों (Rake) के आवंटन और लौह-अयस्क के परिवहन के नियमन हेतु "लौह-अयस्क नीति 2021" जारी की है

- इसका उद्देश्य **लौह-अयस्क के ग्राहकों की अयस्क की परिवहन संबंधी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।**
  - **घरेलू विनिर्माण से संबद्ध गतिविधियों के लिए** लौह अयस्क की ढुलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
  - घरेलू और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए **इस्पात उद्योग को संपूर्ण लॉजिस्टिक सहायता प्रदान** की जाएगी।
  - अर्थव्यवस्था के **कोर क्षेत्रक को प्रोत्साहन प्रदान** करना और देश की आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना।
- रेलवे के कुल माल परिवहन में **लौह अयस्क (इस्पात के साथ) दूसरा सबसे प्रमुख माल है, प्रथम कोयला** है।
  - **भारत चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है।**
- इससे पूर्व, **फ्रेट इक्वलाइज़ेशन पॉलिसी (FEP) 1952** के अंतर्गत, लंबी-दूरी के परिवहन में लोहा, इस्पात, सीमेंट और इसी प्रकार के खनिजों को केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की गई थी।
  - इस नीति का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्वितरण करना था, ताकि सभी को इन संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान की जा सके।
  - हालांकि, इसने **बिहार (विभाजन के पूर्व) व ओडिशा जैसे संसाधन अधिशेष राज्यों को औद्योगिक विकास से वंचित कर दिया।** अंततः भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के उपरांत वर्ष 1993 में इसे समाप्त कर दिया गया।

PT 365 - अर्थव्यवस्था

7.9. भारत में सौर विनिर्माण (Solar Manufacturing in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत को **10 गीगावाट सौर उपकरण विनिर्माण क्षमता** की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

सौर विनिर्माण की वर्तमान क्षमता

- **अक्षय (या नवीकरणीय) ऊर्जा उत्पादन क्षमता** (वर्तमान में 136 गीगावाट क्षमता है, जो कुल क्षमता का 36 प्रतिशत है) **के संदर्भ में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है।** यह सभी प्रमुख देशों के मध्य अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है।
- भारत की **लगभग 9 गीगावाट वार्षिक सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता एवं लगभग 3 गीगावाट वार्षिक सौर सेल उत्पादन** क्षमता है।
  - **सौर सेल,** सौर मॉड्यूल की **मूल निर्माण इकाई होता है।**
- भारत को अपनी सौर विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और इसके समक्ष मौजूद चुनौतियों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है।
- **प्रधान मंत्री ने तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो (Renewable Energy Investment Meeting and Expo: Global RE-INVEST)** के उद्घाटन के अवसर पर यह रेखांकित किया कि सौर ऊर्जा के लिए भारत की मांग वार्षिक आधार पर 20 बिलियन डॉलर के बाजार का अवसर सृजित कर रही है।
  - **वैश्विक RE-INVEST** विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं के सहयोग से **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** द्वारा आयोजित **नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो (renewable energy investors Meet & Expo)** है।

सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख प्रौद्योगिकियां

- **सौर फोटोवोल्टायिक (PV):** यह फोटोवोल्टायिक प्रभाव पर आधारित होती है, जिसकी सहायता से एक विशिष्ट सामग्री से बने पृष्ठ से टकराने वाला फोटॉन (प्रकाश की मूल इकाई) इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है।
- **संकेंद्रित सौर ऊर्जा (Concentrating Solar Power: CSP):** इसमें किसी तरल पदार्थ (विशेष प्रयोग के अनुसार, यह जल अथवा कोई अन्य तरल पदार्थ हो सकता है) को गर्म करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

सेज़-आधारित सौर उपकरण विनिर्माताओं द्वारा मूल सीमा शुल्क का विरोध किया गया

- सौर उपकरणों के आयात पर मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty: BCD) लागू करने के केंद्र के निर्णय से घरेलू सौर उपकरण विनिर्माताओं के वृहद समूह के मध्य व्यापक असंतोष उत्पन्न हो गया है।
  - विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के सौर उपकरण विनिर्माताओं का कहना है कि यदि सरकार SEZs में स्थित स्थानीय सौर कारख़ानों को एक समान अवसर प्रदान किए बिना **सौर सेल और मॉड्यूल के आयात पर BCD का उद्ग्रहण करती** है, तो इन विनिर्माण इकाइयों **को बंद करना होगा।**
  - यदि BCD आरोपित किया जाता है, तो इन SEZ इकाइयों से सोलर सेल और मॉड्यूल खरीदने वाले घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र के खरीदारों को SEZ अधिनियम, 2005 के तहत शुल्क का भुगतान करना होगा।
  - **BCD** एक प्रकार का शुल्क या कर है। इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) के तहत अधिरोपित किया जाता है।

750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना (एशिया का सबसे बड़ा एकल-स्थल सौर ऊर्जा संयंत्र)

- रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा विकसित, यह देश में **ग्रिड समता अवरोध** (grid parity barrier) को समाप्त करने वाली पहली सौर परियोजना है।
  - **ग्रिड समता तब स्थापित होती है** जब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों (जैसे- सौर ऊर्जा) से प्राप्त ऊर्जा की लागत पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (जैसे- कोयले) से प्राप्त ऊर्जा की लागत की तुलना में कम या बराबर होती है।
- भारत में वार्षिक सौर सेल विनिर्माण क्षमता लगभग 4 GW है जबकि औसत वार्षिक मांग 10-15 GW है।

7.10. प्रमुख अवधारणाएं और सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News)

सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि {Software Product Development Fund (SPDF)}	• **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(MeitY)** द्वारा प्रस्तावित **SPDF** का लक्ष्य **भारत में सॉफ्टवेयर उत्पादों के पारिस्थितिकी तंत्र में घरेलू पूंजी को निवेशित करना** है, क्योंकि अर्थव्यवस्था दो माह के लॉकडाउन के उपरांत पुनः संचालित हुई है।

© Vision IAS

	○ SPDF की घोषणा प्रथम बार **सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति (NPSP), 2019** में की गई थी। ○ यह 5,000 करोड़ रुपये का एक कोष होगा, जिसमें सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपये और शेष योगदान उद्योग क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। ○ **SPDF:** ▪ इसकी बाजार में बिक्री हेतु तैयार सॉफ्टवेयर उत्पादों में वृद्धि करने के लिए जोखिम पूंजी उपलब्ध करवाने हेतु उद्यम निधि (venture fund) में भागीदारी होगी। ▪ यह **प्रौद्योगिकी और ज्ञान-आधारित सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्ट-अप उद्यमों** की पूंजीगत आवश्यकताओं तथा **बैंकों** जैसे पारंपरिक संस्थागत ऋणदाताओं से उपलब्ध निधि के मध्य के अंतराल को समाप्त करेगी। • भारत को एक **सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र** के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से NPSP, 2019 की घोषणा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित 5 मिशन प्रस्तावित हैं: ○ बौद्धिक संपदा (IP) द्वारा संचालित **सतत भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग** का सृजन, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार के हिस्से में दस गुना वृद्धि हो सके। ○ टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में ऐसे 1,000 प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप के साथ 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप का निधियन, ताकि **वर्ष 2025 तक 3.5 मिलियन रोज़गार सृजित** हो सके। ○ सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए **प्रतिभा पूल का निर्माण।** ○ ICT अवसंरचना, विपणन, इन्क्यूबेशन, परामर्श सहायता आदि के साथ **क्लस्टर आधारित नवाचार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र** का निर्माण। ○ सरकार, शैक्षणिक समुदाय और उद्योग जगत की भागीदारी के साथ **राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन** आरंभ करना।
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council: NPC)	• NPC भारत में **उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। • यह **सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के समान प्रतिनिधित्व वाला** एक त्रि-पक्षीय गैर-लाभकारी संगठन है। • NPC को भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा, ISO **17020: 2012 प्रत्यायन प्रदान किया गया है।** NPC को यह प्रत्यायन **खाद्य सुरक्षा लेखापरीक्षण के क्षेत्र में और कृषिगत उत्पादों के वैज्ञानिक रीति से भंडारण में उल्लेखनीय निरीक्षण व लेखापरीक्षण** कार्यों हेतु दिया गया है। ○ यह NPC को खाद्य व्यवसाय संचालकों का स्वतंत्र **तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षण (Third-Party Audits)** करने में सक्षम बनाएगा।
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (Apparel Export Promotion Council: AEPC)	• AEPC **भारत में परिधान निर्यातकों का एक आधिकारिक निकाय है।** यह भारतीय निर्यातकों के साथ-साथ उन आयातकों / अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं को भी सहायता प्रदान करता है, जो वस्त्रों के निर्यात/आयात/खरीद के लिए भारत को वरीयता प्रदान करते हैं। ○ इसका उद्देश्य **भारतीय परिधान उद्योग** को उसके प्रतिस्पर्धी लाभ और वैश्विक स्थिति में वृद्धि करने हेतु **प्रोत्साहन, समर्थन एवं सुविधा प्रदान करना** है। • यह **वस्त्र मंत्रालय** के अधीन कार्यरत है।
सीमित दायित्व भागीदारी (Limited Liability Partnership: LLP)	• यह एक **वैकल्पिक कॉर्पोरेट व्यवसाय साधन** है, जो एक कंपनी को सीमित दायित्व का लाभ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह कंपनी के सदस्यों को एक पारस्परिक रूप से सहमति प्राप्त समझौते के आधार पर अपने आंतरिक प्रबंधन को व्यवस्थित करने की सुविधा भी देता है, जैसा कि एक साझेदारी फर्म में होता है। ○ LLP, **सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008** के प्रावधानों द्वारा शासित किया

	जाता है। • LLP एक पृथक विधिक इकाई है। यह अपनी परिसंपत्ति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है किंतु भागीदारों का दायित्व LLP में उनके द्वारा सहमत योगदान तक सीमित है। ○ जहां तक सिविल मामलों का संबंध है, यह भागीदारों की देयता को सीमित करता है। ○ ऐसी साझेदारी में, भागीदारों को दूसरे के कदाचार या लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
खेल को उद्योग का दर्जा (Industry Status to Sports)	• **मिजोरम** खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। • इससे खेलों में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और मूल्य वृद्धि करने का अनुमान है।
ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन {Automotive Solutions Portal for Industry, Research and Education (ASPIRE)}	• इसे अंतर्राष्ट्रीय मोटर वाहन (ऑटोमोटिव) प्रौद्योगिकी केन्द्र (International Centre of Automotive Technology: ICAT) द्वारा विकसित किया गया है। ○ ICAT वस्तुतः **राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project: NATRiP)** के तत्वावधान में एक मोटर वाहन (ऑटोमोटिव) परीक्षण, प्रमाणन और अनुसंधान एवं विकास सेवा प्रदाता है। ○ यह **भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (Department of Heavy Industry , Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises: HI&PE) की एक पहल है।** • **इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य** भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत विभिन्न संबद्ध क्षेत्रों के हितधारकों को एकजुट करके नवाचार और वैश्विक प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों को अंगीकृत करने में सहायता प्रदान की जाएगी।

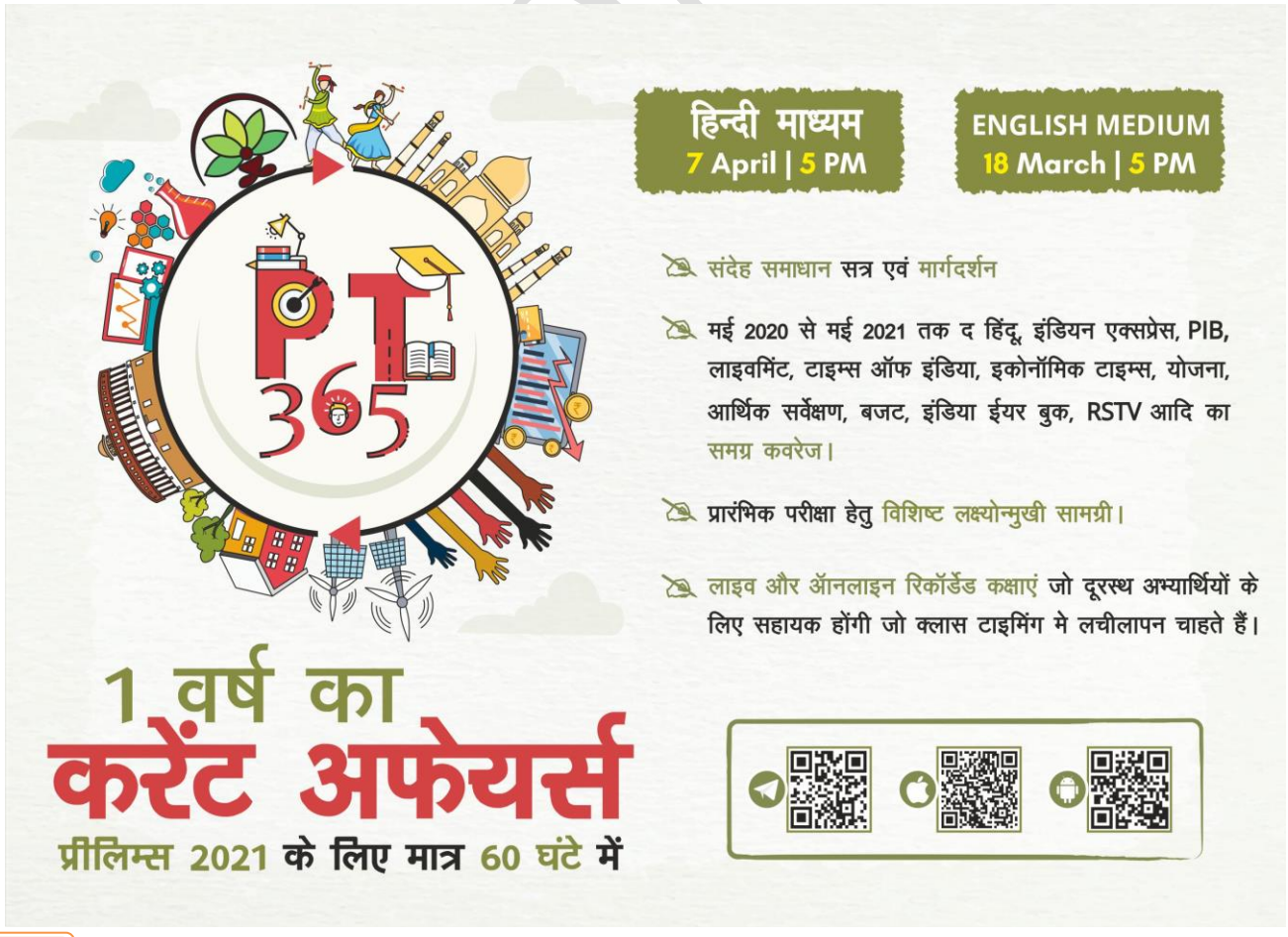

© Vision IAS

8. अवसंरचना क्षेत्रक (Infrastructure Sector)

8.1. हालिया अवसंरचना पहलें (Recent Infrastructure Initiatives)

8.1.1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline: NIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त मंत्रालय द्वारा **"वर्ष 2019-2025 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्य बल की रिपोर्ट"** को पब्लिक डोमेन में रखा गया।

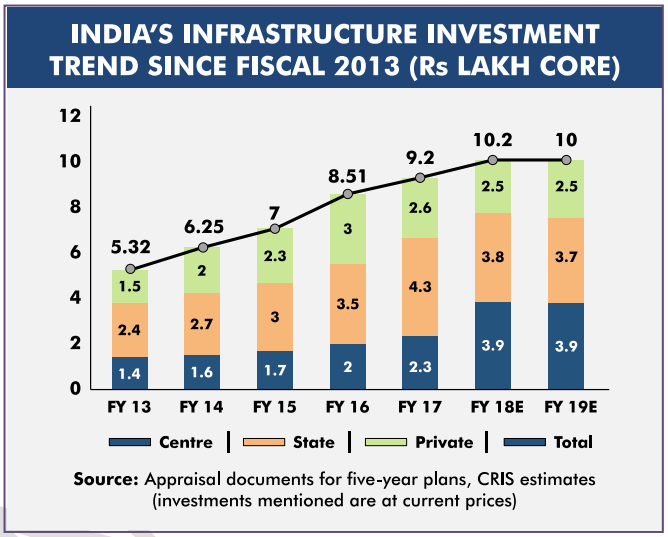

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत में **अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से जुड़ी अद्यतन (अपडेटेड) जानकारी** को सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु एक वन स्टॉप समाधान के रूप में इस ऑनलाइन डैशबोर्ड की परिकल्पना की गई है।
- इस ऑनलाइन डैशबोर्ड को **इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड (IIG)** पर होस्ट किया जा रहा है। IIG एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह देश में निवेश अवसरों के बारे में अद्यतन और वास्तविक समय पर जानकारी देता है।
  - IIG वस्तुतः **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) तथा **इन्वेस्ट इंडिया** (नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी) की एक पहल है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के बारे में

- भारत को अपनी संवृद्धि दर बनाए रखने के लिए वर्ष 2030 तक अवसंरचना पर **4.5 ट्रिलियन डॉलर** व्यय करने की आवश्यकता है।
  - सरकार ने वर्ष 2025 तक 102 लाख करोड़ रुपये की अवसंरचना परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की घोषणा की है।
- **NIP** द्वारा इसे कुशल तरीके से क्रियान्वित और सुव्यवस्थित किया जाएगा।
  - **NIP** की रूपरेखा निर्मित करने के लिए, **अवसंरचना की सामंजस्यपूर्ण मास्टर लिस्ट** के अनुसार सभी **आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना** परियोजनाओं पर बल देते हुए इन परियोजनाओं की पहचान की गई है।

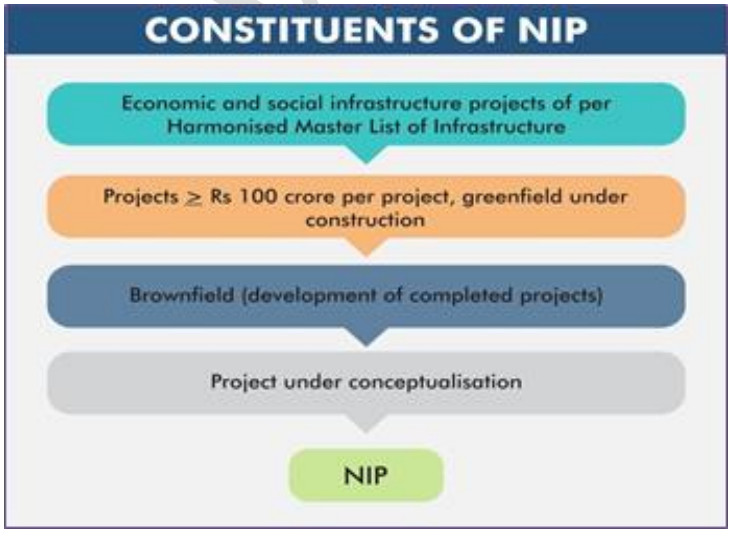

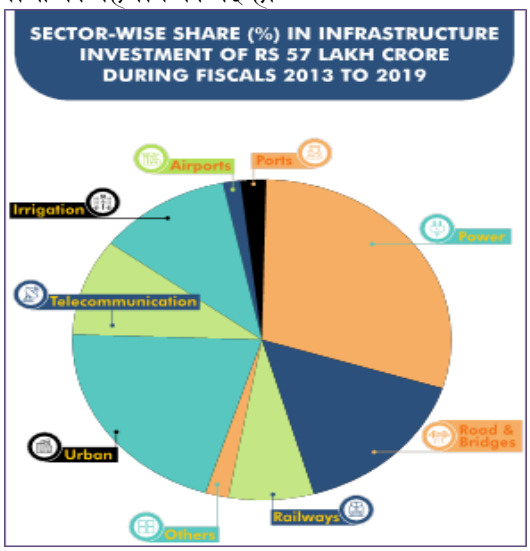

8.1.2. राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप (National Program and Project Management Policy Framework: NPMPF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग (NITI Aayog)** और **भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India: QCI)** द्वारा **राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप (NPMPF)** का शुभारंभ किया गया है। यह भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को निष्पादित करने के तरीके में महत्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना करता है।

- NPMPF, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को प्रभावित किए बिना **उच्च गुणवत्तायुक्त अवसंरचना व सुदृढ़ प्रशासन की व्यवस्था** करेगा तथा **लागत और अपशिष्ट पदार्थों को कम करने में सहायता** करेगा।
- NPMPF एक सुसंगत निष्पादन दृष्टिकोण प्रदान करेगा, जो परियोजनाओं के **पोर्टफोलियो और उनके घटक रणनीतिक विषयों (component strategic disciplines) के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का निर्माण करेगा,** ताकि परियोजनाओं का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारत को अपनी आर्थिक संवृद्धि को बनाए रखने के लिए **आधारभूत अवसंरचना के विकास हेतु वर्ष 2040 तक लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता** होगी।
- **NPMPF निम्नलिखित के लिए एक कार्य योजना प्रदान करती है:**
  - अवसंरचना विकास के लिए एक **कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन दृष्टिकोण (program and project management approach)** का अंगीकरण।
  - **कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन के पेशे को संस्थागत बनाना** और बढ़ावा देना तथा इससे संबंधित पेशेवरों के कार्यबल का निर्माण करना।
  - पेशेवरों की संस्थागत **क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि** करना।

8.2. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक (Logistics Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत का प्रथम मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) असम के **जोगीघोपा** में स्थापित किया जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- MMLP, लॉजिस्टिक पार्क का एक परिष्कृत रूप है। इसमें **रेल/सड़क आधारित परिवहन के अतिरिक्त विभिन्न मूल्य वर्धित सेवाएं भी** उपलब्ध कराई जाती हैं।
- इस MMLP को **भारतमाला परियोजना के तहत विकसित** किया जाएगा तथा यह पार्क लोगों को प्रत्यक्ष हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग संपर्क प्रदान करेगा।
  - इससे पूर्व वर्ष 2017 में, **देश भर में 35 MMLPs विकसित करने** के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था।
  - **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) के प्रारूप** में भी MMLPs के विकास पर बल दिया गया है।

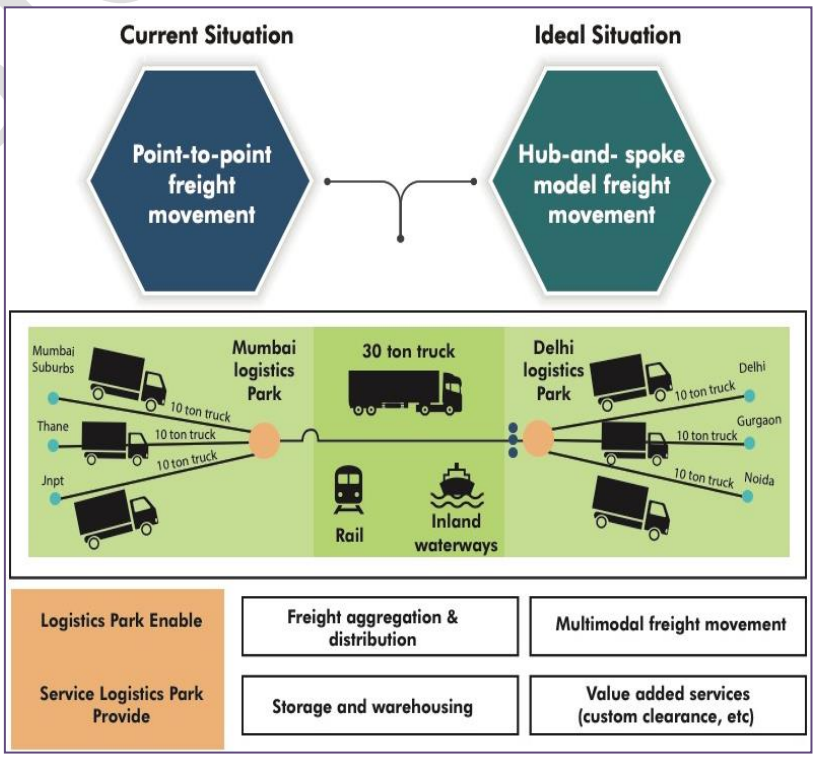

© Vision IAS

- सामरिक स्थलों पर MMLPs का विकास, भारत में **लॉजिस्टिक्स लागत** को **तर्कसंगत बनाने** में सहायता करेगा और इसकी **प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार** भी करेगा।
    - देश में लॉजिस्टिक्स लागत, **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 13-14 प्रतिशत है,** जो 7-8 प्रतिशत के वैश्विक मापदंड से बहुत अधिक है।
- **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत के कारण:**
    - **परिवहन के एक ही वर्ग का अधिक उपयोग:** भारत में, 60 प्रतिशत माल ढुलाई सड़कमार्ग से होती है, जो कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक है।
    - **अविकसित सामग्री प्रबंधन अवसंरचना।**
    - टोल संग्रह, अंतर्राज्यीय माल आवाजाही आदि से संबंधित **प्रक्रियात्मक जटिलताएं।**
- **MMLPs से लाभ:**
    - ये पार्क्स **निर्बाध मल्टीमॉडल माल स्थानांतरण** को सक्षम बनाए रखने की दिशा में आधारभूत संरचना को स्थापित करने में सहायता कर सकते हैं।
    - ये **मशीनीकृत भंडारगृह** और कोल्ड स्टोरेज जैसे विशेष भंडारण समाधान को स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं।
    - ये **मूल्य-वर्धित सेवाओं,** जैसे- सीमा शुल्क समाशोधन, संगरोध क्षेत्रों (quarantine zones), परीक्षण सुविधाओं और भंडारण प्रबंधन सेवाओं के संदर्भ में सहायता प्रदान कर सकते हैं।
    - यहाँ **अंतिम चरण की विनिर्माण गतिविधियाँ,** जैसे- श्रेणीकरण (grading), पृथक्करण (sorting), लेबलिंग (labeling), पैकेजिंग (packaging) आदि संपन्न की जा सकती हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

भारत सरकार लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को व्यवस्थित करने हेतु नए कानून के निर्माण पर विचार कर रही है।

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा **माल बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993 (Multimodal Transportation of Goods Act, 1993)** को प्रतिस्थापित करने हेतु **'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स दक्षता और उन्नयन पूर्वानुमेयता एवं सुरक्षा कानून' (National Logistics Efficiency and Advancement Predictability and Safety Act: NLEAPS)** नामक एक नए कानून को निर्मित करने पर विचार किया जा रहा है।
- ऐसे कानून के माध्यम से **सरकार का लक्ष्य** है:
    - लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के **विभिन्न प्रतिभागियों को परिभाषित करना** और **एक सरल विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना।**
    - **लॉजिस्टिक्स लागत** को वर्तमान में GDP के 14% से घटाकर **10% से भी कम करना,** क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू वस्तुओं की कीमतें अधिक हो जाती हैं।
    - **लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (Logistic Performance Index: LPI)** में भारत की रैंकिंग में सुधार करना।
        - भारत का LPI रैंकिंग (विश्व बैंक द्वारा जारी) में **44वां स्थान (वर्ष 2018)** है।

8.3. सड़क परिवहन (Roadways)

8.3.1. निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण मॉडल के लिए मॉडल रियायत समझौता (Model Concession Agreement For BOT Model)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक **अंतर-मंत्रालयी समूह (Inter-Ministerial Group: IMG)** ने मॉडल रियायत समझौते (Model Concession Agreement: MCA) में आमूल चूल परिवर्तनों को स्वीकृति प्रदान की है। **निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण (Build-Operate-Transfer: BOT)** मॉडल के आधार पर **निजी निवेशकों के वित्त से निर्मित राजमार्गों** के लिए MCA का उपयोग किया जाता है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2011-12 में **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India: NHAI) की लगभग 96 प्रतिशत परियोजनाओं** के लिए BOT टोल मॉडल को उचित माना गया था, जिसका उपयोग विगत 2 वित्त वर्षों में कम होकर लगभग शून्य तक पहुंच गया है। इसका कारण **BOT (टोल) परियोजनाओं** के लिए वर्तमान MCA से जुड़े विभिन्न मुद्दे या विवाद हैं।
- इसने NHAI को **इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (Engineering, Procurement and Construction: EPC) मॉडल** तथा **हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM)** को अपनाने हेतु प्रेरित किया है। **(बॉक्स देखें)**
- EPC और HAM पर अतिनिर्भरता NHAI की **आय को विपरीत रूप से प्रभावित कर रही है।** अत: निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए **BOT** मॉडल में नए परिवर्तनों को प्रस्तावित किया गया है।
- चूँकि सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान तरलता की समस्या (liquidity issues) का सामना कर रही है, इसलिए NHAI आधी से अधिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए निजी क्षेत्रक पर निर्भर रहेगी।

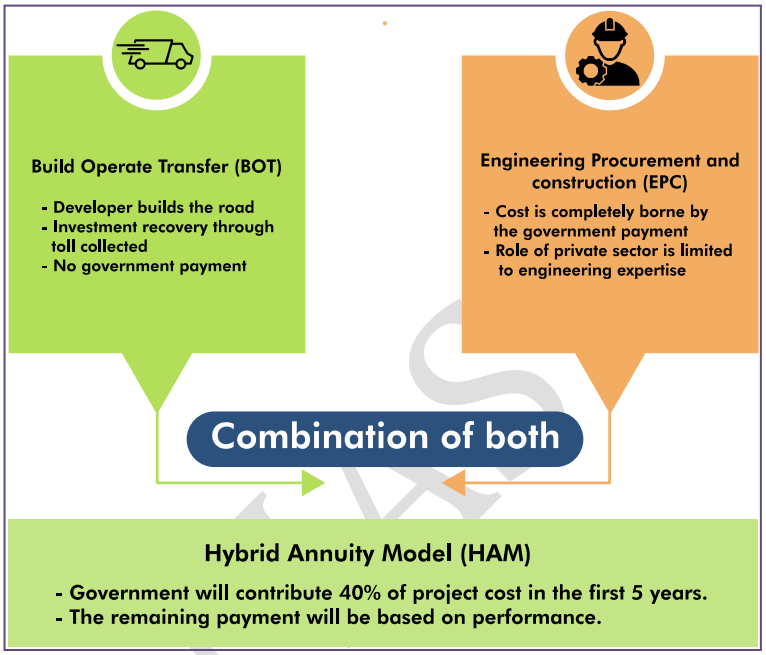

संशोधित MCA की प्रमुख विशेषताएं और अपेक्षित लाभ

- **संशोधित राजस्व आकलन:** इसमें यह प्रावधान किया गया है कि, रियायत अवधि के दौरान किसी परियोजना की राजस्व क्षमता का पुन:आकलन प्रत्येक पांच वर्ष (वर्तमान में 10 वर्ष) के पश्चात् किया जाएगा। इसलिए, यदि आवश्यकता हुई तो अनुबंध के पहले ही छूट को बढ़ाया जा सकता है। इससे नकदी-प्रवाह में बढ़ोतरी हो सकती है।
- **भूमि अधिग्रहण:** राजमार्ग परियोजनों के निर्माण के लिए कार्य आदेश तभी जारी किया जाएगा जब 90 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पूर्ण कर लिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और इसकी स्वीकृति में विलम्ब परियोजना की पूर्णता में अत्यधिक देरी का कारण बनता है और यह लागत के अत्यधिक बढ़ जाने का भी प्रमुख कारण बनता है।
- **विवाद समाधान बोर्ड (Dispute Resolution Board: DRB):** इसमें एक **DRB** के गठन का भी प्रावधान किया गया है। यह बोर्ड एक **विवाद समाधान प्रणाली** के रूप में कार्य करेगा और 90 दिन के अंदर विवाद का समाधान प्रदान करेगा। अत: यह एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि **मध्यस्थता प्रक्रिया वर्षों तक लंबित रहती है,** जिससे विकासकर्ताओं का धन अवरुद्ध हो जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

टोल ऑपरेट ट्रांसफर (Toll Operate Transfer: TOT) मॉडल

- TOT परिचालनरत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए एक मॉडल है। यहाँ निवेशक दीर्घकालिक टोल संग्रह अधिकारों के बदले एकमुश्त राशि का भुगतान करते हैं। इसे सुदृढ़ टोल टैक्स (पथ कर) संग्रह प्रणाली द्वारा समर्थन प्राप्त होता है।
- TOT के तहत, उच्चतम बोलीदाता 30 वर्षों के लिए परिचालनरत सड़क परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव का अधिकार प्राप्त करता है। इस अवधि के दौरान उसे इन परिसंपत्तियों से टोल राजस्व को प्राप्त करने का अधिकार होता है।
- यह मॉडल निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक है, क्योंकि इन्हें शून्य से अवसंरचना परियोजना विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- TOT मॉडल, BOT मॉडल में विद्यमान गंभीर जोखिम-साझाकरण संबंधी अक्षमताओं को दूर करता है और नियमित रूप से निवेश के लिए नवीन निधियां संग्रहित करता है।

© Vision IAS

8.3.2. मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश (Motor Vehicle Aggregator Guidelines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने **मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश 2020** जारी किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **एग्रीगेटर** का आशय एक डिजिटल मध्यस्थ या मार्केट प्लेस (बाजार के स्थान) से है। एक एग्रीगेटर की सहायता से ही यात्री कहीं आने जाने (अर्थात् परिवहन सुविधा) के लिए चालक (ड्राइवर्स) से संपर्क करते हैं। ओला, उबर, मेरु कैब्स आदि भारत के कुछ लोकप्रिय कैब एग्रीगेटर हैं।
- **इन दिशा-निर्देशों को जारी करने के उद्देश्य हैं:**
  - साझा गतिशीलता (shared mobility) को विनियमित करना तथा यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करना, तथा
  - व्यापार करने में सुगमता (ease of doing business), ग्राहक सुरक्षा और ड्राइवर्स के कल्याण संबंधी उपायों को प्रोत्साहित करना।
- **इन दिशा-निर्देशों के अनुसार:**
  - एग्रीगेटर्स को अपने **व्यवसायों को चलाने हेतु राज्य सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य** है।
  - एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जा सकता है।
  - ये **दिशा-निर्देश राज्य सरकारों की ओर से एग्रीगेटर्स के लिए एक विनियामक ढांचा स्थापित करते हैं** ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एग्रीगेटर्स अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार हैं।
  - प्रस्तावित दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित को सुनिश्चित किया गया है: **एग्रीगेटर्स का विनियमन,** एग्रीगेटर ऐप और वेबसाइट के संबंध में अनुपालन शर्तें, किराया विनियमन का तरीका, ड्राइवरों का कल्याण, नागरिकों को सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करना आदि।

8.3.3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India: NHAI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा SEBI के पास एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें InvIT मॉडल के तहत 35,000 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाएं प्रारंभ करने की योजना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- दिसंबर 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NHAI को **सेबी (इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट) रेगुलेशन, 2014** के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत **InvIT की स्थापना करने की स्वीकृति** प्रदान की थी।
- InvITs के माध्यम से, **NHAI का उद्देश्य अपनी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना है।** मुद्रीकरण के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग सड़क क्षेत्रक में आगामी निवेश हेतु किया जाएगा।
- InvITs वस्तुतः म्यूचुअल फंड्स की भांति एक निवेश योजना है, जो **अवसंरचना परियोजनाओं में व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को निवेश की अनुमति** प्रदान करता है। ऐसे निवेश के एवज में निवेशकों को प्रतिलाभ (रिटर्न) के रूप में आय का एक हिस्सा प्राप्त होता है।
  - यह सड़क और अवसंरचना क्षेत्रक में सार्वजनिक खर्च को बढ़ावा देने हेतु **वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों का दोहन करने के लिए सरकार की योजनाओं** का हिस्सा है।
  - **InvITs के लाभ:** यह निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक होता है, क्योंकि यह अधिक लचीलापन प्रदान करता है। इससे विशेषज्ञ O&M (संचालन और रखरखाव) रियायतग्राहियों (concessionaires) की एक पीढ़ी तैयार होती है तथा दीर्घकालिक निवेशकों को आकर्षित करने की संभावना बढ़ जाती है।
  - **InvIT भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पहला परिसंपत्ति मुद्रीकरण मॉडल होगा।** इससे पूर्व NHAI ने अपनी परियोजनाओं के लिए टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) मॉडल को अपनाया था।

VISION IAS

- InvIT के विपरीत, TOT मॉडल के अंतर्गत O&M का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के बारे में

- संसद द्वारा निर्मित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के तहत वर्ष 1988 में NHAI का गठन किया गया था। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। हालांकि, इस प्राधिकरण ने वर्ष 1995 से अपना परिचालन आरंभ किया।
- भारत सरकार द्वारा सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए NHAI को एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया है।
- इस प्राधिकरण में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 6 से अनधिक पूर्णकालिक सदस्य एवं 6 से अनधिक अंशकालिक सदस्य होते है। अंशकालिक सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

अन्य तथ्य

डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर

यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा आरंभ किया गया **क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)** से संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है।

- इसे आरंभ करने के साथ, NHAI 'पूर्णतः डिजिटल' होने वाला निर्माण क्षेत्रक का प्रथम संगठन बन गया है।
- सभी परियोजनाओं से संबंधित प्रलेखन, अनुबंध संबंधी निर्णय और अनुमोदन अब केवल इस पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं।
- इससे विलंब संबंधी समस्या का समाधान होगा। साथ ही, त्वरित निर्णय लेने में भी सहायता प्राप्त होगी। इससे रिकॉर्ड (अभिलेख) के गुम होने का संभावना नहीं रहेगी एवं यह कहीं से भी/कभी भी कार्य करने की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ पारदर्शिता में सुधार आदि जैसे लाभ भी प्रदान करेगा।

8.4. रेलवे (Railways)

8.4.1. समर्पित मालभाड़ा गलियारा (Dedicated Freight Corridors)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **न्यू भाऊपुर - न्यू खुर्जा खंड** और **पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे के परिचालन नियंत्रण केंद्र (Operation Control Centre)** का उद्घाटन किया।

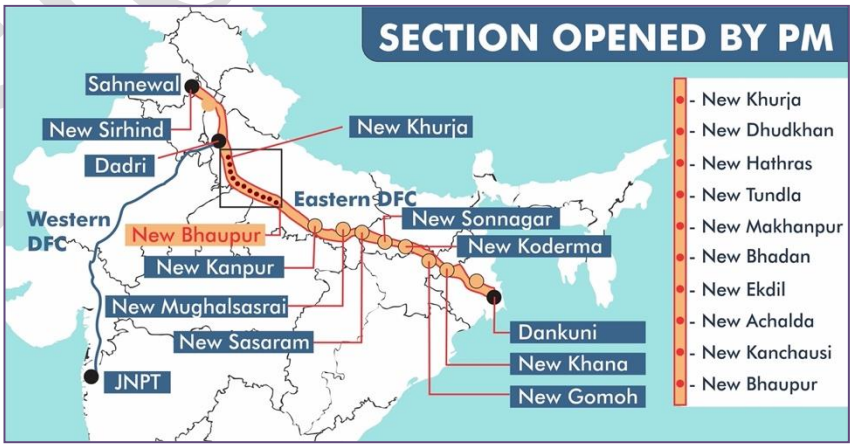

अन्य सबंधित तथ्य

ज्ञातव्य है कि **न्यू भाऊपुर - न्यू खुर्जा खंड,** उत्तर प्रदेश में खुर्जा और भाऊपुर के बीच 351 किलोमीटर का एक खंड है। जबकि, पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे (Eastern Dedicated Freight Corridor: EDFC) का अत्याधुनिक **परिचालन नियंत्रण केंद्र, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)** में स्थित है।

समर्पित मालभाड़ा गलियारे (Dedicated Freight Corridors: DFCs) के बारे में

- DFC वस्तुतः उच्च गति और उच्च क्षमता से युक्त रेलवे कॉरिडोर है। इसे विशेष रूप से माल (वस्तुओं और जिंसों) के परिवहन के हेतु निर्मित किया जा रहा है। इसे **प्रति ट्रेन अधिकतम माल परिवहन** और **माल ढुलाई बाजार में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी** प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्मित किया जा रहा है।
- **वर्तमान DFCs के तहत माल परिवहन हेतु दो विशिष्ट एवं समर्पित रेलवे मार्गों का विकास किया जा रहा है।** ये हैं- पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारा और पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा।

© Vision IAS

- इसके अतिरिक्त, **चार और उप-गलियारों (Sub-Corridors)** का भी विकास किया जाना है। ये हैं- ईस्ट-कोस्ट या पूर्वी तट (खड़गपुर-विजयवाड़ा); ईस्ट-वेस्ट या पूर्व-पश्चिम (कोलकाता-मुंबई); नॉर्थ-साउथ या उत्तर-दक्षिण (दिल्ली-चेन्नई); तथा सदर्न या दक्षिणी (चेन्नई-गोवा) उप-गलियारा।

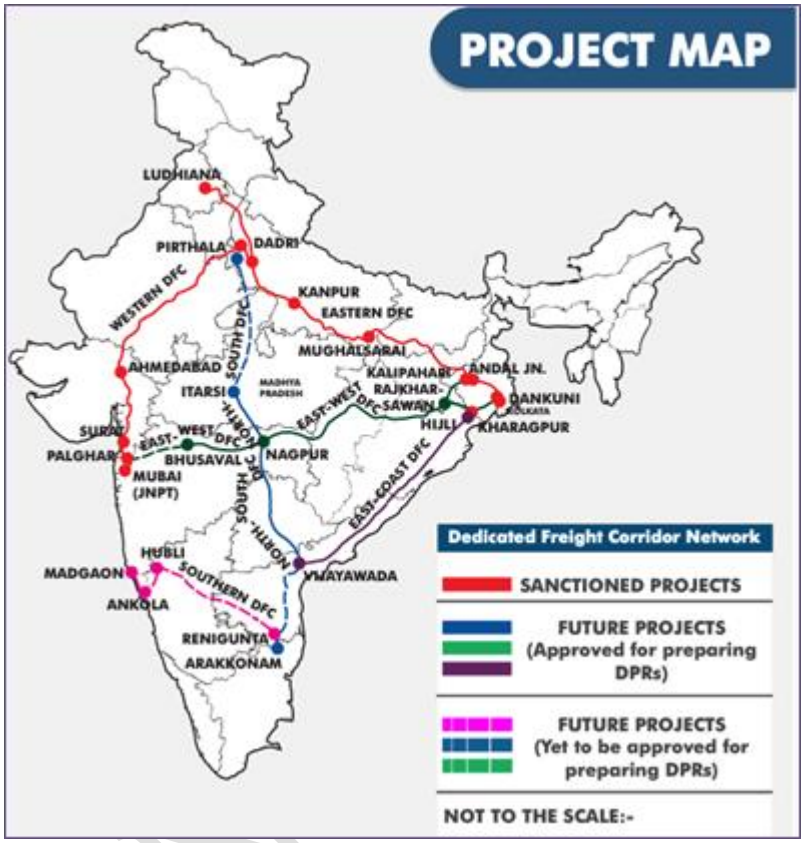

- **पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारा (Eastern Dedicated Freight Corridor: EDFC):**
  - EDFC वस्तुतः पंजाब में **लुधियाना** के निकट स्थित **साहनेवाल** से पश्चिम बंगाल के **दनकुनी** तक **1,856 किलोमीटर** लंबा एक मार्ग होगा, जिसमें दोहरे विद्युतीकृत रेल पथ होंगे। यह छह राज्यों से होकर गुजरेगा।
  - इस गलियारे को विभिन्न प्रकार के माल परिवहन को ध्यान में रखकर निर्मित किए जाने की परिकल्पना की गई है-
    - उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे उत्तरी क्षेत्र के कुछ भागों में स्थित विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु **पूर्वी कोयला क्षेत्रों से जोड़ना,**
    - **राजस्थान** से परिष्कृत इस्पात, खाद्यान्न, सीमेंट, उर्वरक, चूना पत्थर का भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित इस्पात संयंत्रों तक परिवहन करने के लिए, और सामान्य वस्तुओं का परिवहन करने हेतु।
  - इसके तहत **उत्तर प्रदेश के कानपुर और पंजाब के लुधियाना** में लॉजिस्टिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership: PPP) के माध्यम से एक उप-SPV का गठन कर विकसित किया जाएगा।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) के बारे में

- इसे वर्ष 2006 में **कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। इसे समर्पित मालभाड़ा गलियारों के लिए योजना बनाने और उनके विकास, वित्तीय संसाधनों को जुटाने, DFCs का रखरखाव एवं संचालन करने हेतु निगमित किया गया है।
- इस प्रकार DFCCIL वस्तुतः समर्पित मालभाड़ा गलियारों को वास्तविकता में परिणत करने के लिए एक समर्पित एजेंसी है। **DFCCIL के निम्नलिखित मिशन हैं:**
  - उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सहायता से समर्पित मालभाड़ा गलियारों का निर्माण करना, ताकि भारतीय रेलवे के लिए माल परिवहन में अपनी भागीदारी को पुन: प्राप्त करना संभव हो सके।
  - DFCs के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को समाविष्ट करने वाले लॉजिस्टिक पार्कों की स्थापना करना।
  - पारिस्थितिक संधारणीयता की दिशा में की जाने वाली सरकार की पहलों को समर्थन प्रदान करना।

- **पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा (Western Dedicated Freight Corridor: WDFC):**
  - यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित **दादरी** (उत्तर प्रदेश) को मुंबई के **जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPT)** से जोड़ेगा। यह छह राज्यों से होकर गुजरेगा और इसे **दादरी में पूर्वी गलियारे से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।**
  - इसके लिए मुंबई, गुजरात, जयपुर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्कों की स्थापना की जाएगी।

- भारतीय रेलवे, **ओडिशा और आंध्र प्रदेश के प्रमुख पत्तनों** के माध्यम से **देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों** को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए लगभग 4,000 किलोमीटर लंबे DFC के निर्माण की योजना बना रहा है। ये DFC हैं:
  - **पूर्वी तट गलियारा (East Coast corridor) (1,115 कि.मी.):** खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) से विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) तक।
  - **पूर्व-पश्चिम गलियारा (East-West corridor) (1,673 कि.मी.):** इसमें भुसावल-नागपुर-खड़गपुर-दनकुनी (कोलकाता के पास) मार्ग, और राजखरवासन-कालीपहाड़ी-अंदल (पश्चिम बंगाल) मार्ग शामिल हैं।
  - **उत्तर दक्षिण उप-गलियारा (North South sub-corridor) (975 कि.मी.):** विजयवाड़ा-नागपुर-इटारसी (मध्य प्रदेश) मार्ग।
- समर्पित मालभाड़ा गलियारा (DFC) परियोजना को विकसित करने के लिए उत्तरदायी **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL)** ने हाल ही में घोषणा की है कि भारतीय रेलवे वर्ष 2021 तक कॉरिडोर के 40 प्रतिशत पर अपनी माल गाड़ियों का परिचालन करेगा।

8.4.2. रेलवे में निजी भागीदारी (Private Participation in Railways)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रेल मंत्रालय ने 151 आधुनिक ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 109 मार्गों (routes) पर आरंभिक बिंदु से लेकर गंतव्य स्थल (Origin Destination: OD) तक **यात्री ट्रेन सेवाओं** के परिचालन हेतु **निजी क्षेत्रक को आमंत्रित** किया गया है।

हालिया पहल के बारे में

- भारतीय रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों के संचालन हेतु निजी निवेश आधारित यह प्रथम पहल होगी तथा इसके तहत 30,000 करोड़ रुपए के निवेश होने एवं वर्ष 2023 तक इसके प्रारम्भ होने की संभावना है।
  - प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे। ट्रेनों को अधिकतम 160 कि.मी. प्रति घंटे की गति के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।
- **मेक इन इंडिया नीति** के अंतर्गत इनविटेशन {जिसे आधिकारिक रूप से अर्हता संबंधी अनुरोध (Request for Qualification: RFQ) के रूप में जाना जाता है} जारी किया गया है। इसके तहत कोचों/डिब्बों का विनिर्माण भारत में किया जाएगा और नीति में निर्दिष्ट विकल्पों के अनुसार स्थानीय घटकों का उपयोग किया जाएगा।
- **निजी संस्थाओं की जिम्मेदारी:**
  - ये ट्रेनों के वित्त-पोषण, खरीद, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी।
  - निजी संस्था द्वारा ट्रेनों के संचालन में **समयबद्धता, विश्वसनीयता, ट्रेनों के रखरखाव** जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का अनुपालन किया जाएगा।
  - **निजी कंपनियों** को ट्रेनों के किराए और उनके ठहराव स्थल (stoppages) तथा इन ट्रेनों में प्रस्तावित सेवाओं के समूह को भी निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।
- **भारतीय रेलवे की जिम्मेदारी:**
  - **ट्रेनों के चालक और गार्ड रेलवे के अधिकारी होंगे** जो इन ट्रेनों को संचालित करेंगे और ट्रैक के बुनियादी ढांचे के रखरखाव आदि कार्य करेंगे।
  - ट्रेनों को सुरक्षा संबंधी अनुमति प्रदान करने का कार्य भारतीय रेलवे द्वारा ही किया जाएगा।
- सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करने के लिए निश्चित ढुलाई शुल्क और ऊर्जा शुल्क के रूप में भुगतान के अतिरिक्त अर्जित राजस्व हिस्सेदारी प्रदान करने के बदले **निजी क्षेत्रक को 35 वर्ष की अवधि के लिए इन ट्रेनों के संचालन** की अनुमति प्रदान की जाएगी।

© Vision IAS

8.4.3. रेलवे से संबंधित अन्य विकासक्रम (Other Developments with regard to Railways)

राष्ट्रीय रेल योजना (National Rail Plan: NRP)	• NRP को **रेलवे और व्यवसाय के आदर्श सहभाजन में सुधार और क्षमता संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया है।** • **NRP की मुख्य विशेषताएं:** ○ **विज़न 2024** को (NRP के हिस्से के रूप में) कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं, यथा- वर्ष 2024 तक 100% विद्युतीकरण, भीड़भाड़ वाले मार्गों की मल्टी ट्रैकिंग, परिवहन गति का उन्नयन आदि के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रारंभ किया गया है। ○ वर्ष 2024 के उपरांत, ट्रैक और सिग्नलिंग में भावी परियोजनाओं की पहचान की गई है। साथ ही, इनके कार्यान्वयन के लिए निश्चित समय सीमा भी निर्धारित की गई है। ▪ **तीन समर्पित मालवाहक गलियारे (Dedicated Freight Corridors),** यथा- पूर्वी तट, पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण की पहचान की गई है। ○ रोलिंग स्टॉक (रेल के डिब्बे और इंजन) आदि के संचालन एवं स्वामित्व जैसे विषयों में **निजी क्षेत्रक की सतत भागीदारी पर बल दिया गया है।**
वर्ष 2030 तक हरित रेलवे (Green Railways by 2030)	• रेल मंत्रालय का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे को हरित रेलवे में रूपांतरित करना है। • भारतीय रेलवे ने निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पहलों की शुरुआत की है: ○ दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज पर सभी मार्गों का **विद्युतीकरण।** ○ **स्वच्छ ऊर्जा** को बढ़ावा देने और भारतीय रेलवे के **ईंधन बोझ को कम करने** के लिए आरंभ की गयी पहलें- ▪ भारतीय रेलवे ने अपनी भूमि का उपयोग करते हुए, विभिन्न भवनों के छतों पर **100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों** की स्थापना की है, जिससे अनेक ट्रेनों को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। ▪ इसके अतिरिक्त, 103 मेगावाट क्षमता के **पवन ऊर्जा संयंत्र** पहले ही आरंभ हो चुके हैं। ○ ईंधन (डीजल) की बचत हेतु, 505 जोड़ी ट्रेनों को **हेड ऑन जेनरेशन (HOG)** में परिवर्तित किया गया है। ▪ HOG में, पावर जनरेटर कारों का उपयोग करने के बजाय ओवरहेड इलेक्ट्रिक आपूर्ति से विद्युत प्राप्त की जाती है।
रोल ऑन रोल ऑफ (रो-रो) ट्रेन सेवाएं {Roll On Roll Off (RORO) train services}	• **दक्षिण पश्चिम रेलवे ने अपनी पहली रो-रो सेवा की शुरूआत की है {नेलमंगला (बेंगलुरु के निकट) से बेल (सोलापुर के समीप) तक }।** ○ भारतीय रेलवे में रो-रो ट्रेन सेवाओं को प्रथम बार वर्ष 1999 में कोंकण रेलवे द्वारा प्रारंभ किया गया था। • रोल ऑन रोल ऑफ (रो-रो) विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क पर गमन करने वाले वाहनों को खुले समतल रेलवे वैगनों पर ले जाने की एक अवधारणा है। • **रो-रो सेवा के लाभ:** इससे माल और आवश्यक वस्तुओं की तीव्र आवाजाही सुनिश्चित होगी; ट्रकों के गंतव्य स्थल तक पहुंचने में लगने वाले समय में कमी आएगी; इससे सड़कों पर भीड़ कम होगी; कीमती ईंधन की बचत होगी और अल्प कार्बन उत्सर्जन होगा।
किसान रेल (Kisan Rail)	• भारतीय रेलवे द्वारा अनंतपुर और नई दिल्ली के बीच एक किसान रेल शुरू की गई है। • यह दक्षिण भारत की प्रथम एवं भारत की द्वितीय किसान रेल हैं। ○ इस तरह की प्रथम "किसान रेल (अगस्त 2020)" देवलाली (महाराष्ट्र) से दानापुर (बिहार) तक प्रारंभ की गई है। • फ्रोज़न कंटेनरों से युक्त यह ट्रेन सब्जियों, फलों जैसे **शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों**

	को न्यूनतम समय में बाजार तक पहुँचाने में सहायता करेगी। • इसका उद्देश्य **किसानों की आय को दोगुना करने में सहायता प्रदान करना है।**
विशेष पार्सल ट्रेन (special parcel train)	• **यह प्रथम बार है** जब भारतीय रेलवे ने **देश की सीमा से बाहर** एक विशेष मालगाड़ी (parcel) से ढुलाई की है। • इस ट्रेन दवात **आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले (Guntur District) से बांग्लादेश के बेनापोल (Benapole) तक सूखी मिर्च** का परिवहन किया गया। ○ आंध्र प्रदेश का गुंटूर और इसके आस-पास के क्षेत्र मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने स्वाद और ब्रांड में विशिष्टता के कारण इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है।

8.5. पत्तन एवं जहाजरानी (Ports and Shipping)

8.5.1. भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 का मसौदा (Draft Indian Ports Bill, 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** ने **भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 के मसौदे को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया हैं।**

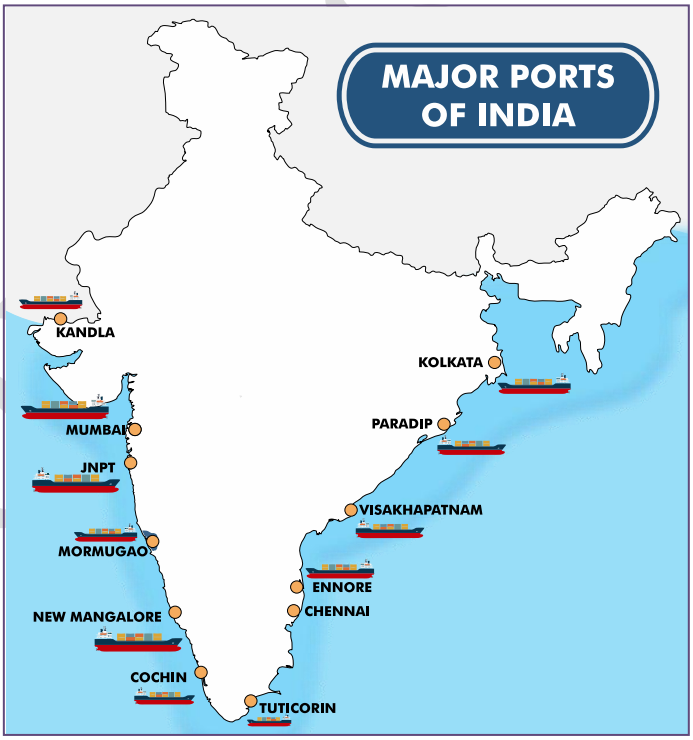

इस मसौदा विधेयक के विषय में

- यह भारत में पत्तन क्षेत्रक की वृद्धि और निरंतर विकास के लिए सक्षमकारी माहौल निर्मित करने हेतु **भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 को निरस्त और प्रतिस्थापित करेगा।**
- **इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं:**
  - इस विधेयक में एक **समुद्री पत्तन नियामक प्राधिकरण (Maritime Port Regulatory Authority)** के गठन का प्रावधान है। यह प्राधिकरण निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करेगा:
    - केंद्र सरकार को **राष्ट्रीय पत्तन नीति और योजना** से संबंधित मामलों पर परामर्श प्रदान करना।
    - **पत्तन क्षेत्रक के विकास के लिए अल्पकालिक और परिप्रेक्ष्यात्मक योजना** (पर्सपेक्टिव प्लान अर्थात् दीर्घकालिक योजना) तैयार करना।
    - राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित को पूर्ण करने के लिए भारत की तटरेखा के इष्टतम उपयोग हेतु **नियोजन एजेंसियों (planning agencies) की गतिविधियों का समन्वय करना।**
  - तटीय राज्य सरकारों, राज्य समुद्री बोर्डों और अन्य हितधारकों के परामर्श से **राष्ट्रीय पत्तन नीति और राष्ट्रीय पत्तन योजना** का निर्माण करना।
  - किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर अंकुश लगाने तथा त्वरित एवं वहनीय शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए **समुद्री पत्तन अधिकरण** और **समुद्री पत्तन अपीलीय अधिकरण** जैसे विशेष न्यायनिर्णायक अधिकरणों का गठन।

8.5.2. महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 (Major Port Authorities Bill, 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक सभा द्वारा **महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 (Major Port Authorities Bill, 2020)** पारित किया गया।

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

इस विधेयक के बारे में

- इस विधेयक में **प्रमुख पत्तनों (या महापत्तनों) के नियमन, संचालन और नियोजन के लिए प्रावधान** शामिल किए गये हैं। साथ ही, यह विधेयक इन बंदरगाहों को **अधिक स्वायत्तता प्रदान** करने का प्रयास भी करता है। यह विधेयक अधिनियम बनने के उपरांत **महापत्तन न्यास अधिनियम,1963** को **प्रतिस्थापित** करेगा।
  - विधेयक का उद्देश्य **विकेंद्रीकृत निर्णयन** और **महापत्तनों के अभिशासन में व्यावसायिकता (professionalism)** को बढ़ावा देना है।
- **इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं:**
  - प्रत्येक प्रमुख पत्तन के लिए **महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड (Board of Major Port Authority: BPA)** का गठन किया जाएगा, जिसमें ऐसे बंदरगाहों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की शक्तियां निहित होंगी। यह बोर्ड मौजूदा **बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट** को प्रतिस्थापित करेगा।
  - महापत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण (Tariff Authority) की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया गया है। BPA को प्रशुल्क निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के उद्देश्यों हेतु एक **संदर्भ (मानक) प्रशुल्क (reference tariff)** होगा।
  - विधेयक का प्रयोजन प्रमुख बंदरगाहों में **सुशासन मॉडल (governance model) को वैश्विक अभ्यास के अनुरूप भू-स्वामी बंदरगाह मॉडल (landlord port model)** के रूप में पुन: प्रस्तुत करना है।
  - **लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल** में, **बंदरगाह का स्वामित्व बंदरगाह प्राधिकरण के पास** रहता है। अवसंरचना को **निजी फर्मों को पट्टे (lease)** पर दिया जाता है, जो कार्गो के प्रबंधन के लिए अपने स्वयं की अधिरचना (superstructure) प्रदान करते हैं और अपने स्वयं के उपकरण स्थापित करते हैं। इसके बदले **लैंडलॉर्ड पोर्ट** को निजी संस्था से राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होता है।

	महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020	**महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963**
महापत्तन प्राधिकरण	• प्रत्येक महापत्तन के लिए एक महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड बनाया जाएगा। • ये बोर्ड मौजूदा पत्तन न्यास की जगह लेंगे।	इस अधिनियम के तहत सभी प्रमुख पत्तन संबंधित बोर्ड ऑफ़ पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किए जाते थे तथा इसके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते थे।
बोर्ड की संरचना	• बोर्ड में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष शामिल होंगे, दोनों को एक चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। • **अन्य सदस्य:** ○ संबंधित राज्य सरकार (जहाँ प्रमुख पत्तन स्थित है), रेलवे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, और सीमा शुल्क विभाग प्रत्येक में से एक सदस्य। ○ इस बोर्ड में दो से चार स्वतंत्र सदस्य और प्रमुख पत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य शामिल होंगे।	**बोर्ड ऑफ़ पोर्ट ट्रस्ट (न्यासी बोर्ड) की संरचना:** • केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष। • एक या एक से अधिक उपाध्यक्ष। • अन्य सदस्य: उतने व्यक्ति जितना केंद्र सरकार समय-समय पर वाणिज्यिक समुद्री विभाग, सीमा शुल्क विभाग, रक्षा सेवाओं में से विनिर्दिष्ट करे।
बोर्ड की शक्तियाँ	• यह विधेयक प्रमुख पत्तनों के विकास के लिए संबंधित बोर्ड को उसकी संपत्ति, आस्तियों और निधि का उपयोग करने की अनुमति देता है। • बोर्ड निम्नलिखित के बारे में नियम भी बना सकता है: ○ पत्तन संबंधी गतिविधियों और सेवाओं के लिए पत्तन की आस्तियों की उपलब्धता की घोषणा करना। ○ नए पत्तनों, जैट्टियों (jetties) को स्थापित करने जैसी अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना।	• ऋण लेने की शक्ति। • कर्मचारियों के संदर्भ में विनियमन बनाने की शक्ति। • कार्य निष्पादित करने और साधित्रों (appliances) का प्रबंधन करने की शक्ति। • लैंडिंग स्थलों और स्नान घाटों के संदर्भ में शक्ति। • समुद्र में जाने वाले जलपोतों को डॉक,

	○ किसी माल या जलयानों पर किसी भी प्रभार के भुगतान से छूट या परिहार प्रदान करना।	घाटों, आदि का उपयोग करने का आदेश देने की बोर्ड की शक्ति।
दरों का निर्धारण	• न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त बोर्ड या समितियां पत्तनों पर उपलब्ध संपत्ति और सेवाओं के लिए दरों का निर्धारण करेंगी। • दरों का ऐसा निर्धारण पूर्वव्यापी (retrospective) प्रभाव के साथ नहीं होगा।	• वर्तमान में, वर्ष 1963 के अधिनियम के तहत गठित महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, पत्तनों पर उपलब्ध संपत्ति और सेवाओं के लिए दरों को निर्धारित करता है।
बोर्ड की वित्तीय शक्तियां	• बोर्ड भारत के अंदर किसी भी अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थान या भारत के बाहर किसी वित्तीय संस्थान से ऋण ले सकता है। • हालांकि, अपने पूंजी भंडार के 50% से अधिक ऋण के लिए, बोर्ड को केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।	• बोर्ड को कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती थी।
न्यायनिर्णायक बोर्ड (Adjudicatory Board)	• यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा एक न्यायनिर्णायक बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है।	• इस भूमिका के लिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का गठन किया गया था।
दंड	• कोई भी व्यक्ति जो इस विधेयक के किसी प्रावधान या नियमों या विनियमों का उल्लंघन करता है, उसे एक लाख रूपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।	• अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए विभिन्न दंड थे।
सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership: PPP) परियोजनाएं	• यह विधेयक PPP परियोजनाओं को ऐसी परियोजनाओं के रूप में परिभाषित करता है, जिनका बोर्ड द्वारा छूट अनुबंध के माध्यम से भार संभाला गया है। • ऐसी परियोजनाओं के लिए, बोर्ड शुरुआती बोली उद्देश्यों के लिए प्रशुल्क निर्धारित कर सकती है।	
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility)	• बोर्ड अपनी निधियों का उपयोग सामाजिक उद्देश्यों के लिए कर सकता है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करना सम्मिलित है।	

8.5.3. पत्तनों के संबंध में अन्य विकासक्रम (Other Developments in Relation to Ports)

सरोद-पोर्ट्स (SAROD-PORTS)	• सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स (विवादों के किफायती समाधान हेतु समिति) - पोर्ट्स (सरोद-पोर्ट्स) वस्तुतः समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह एवं सहायता प्रदान करेंगे, जिसके तहत प्रमुख पत्तन और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर-प्रमुख पत्तन, पोर्ट तथा शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं। • इसकी स्थापना **सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860)** के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है: ○ न्यायपूर्ण रीति से विवादों का किफायती और समयबद्ध समाधान करना। ○ मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ **विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन करना आदि।** • यह प्राधिकरण और लाइसेंसधारी/रियायत प्राप्तकर्ता/ठेकेदार के मध्य विवादों को कवर करेगा तथा लाइसेंसधारी/रियायत प्राप्तकर्ता और उनके ठेकेदारों के मध्य होने वाले विवाद भी इसमें शामिल होंगे।

© Vision IAS

वेसल ट्रैफ़िक सेवाएँ और वेसल्स ट्रैफ़िक मॉनिटरिंग सिस्टम {Vessel traffic services (VTS) and Vessels Traffic Monitoring Systems (VTMS)}	• हाल ही में, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा VTS और VTMS के लिए एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान का ई-शुभारंभ किया गया है। ○ **यह इस मुद्दे पर विदेशी मुद्रा के व्यय को कम करेगा** तथा VTS सॉफ्टवेयर के लिए विदेशी समर्थन पर निर्भरता को भी न्यून करेगा। • VTS और VTMS सॉफ्टवेयर **बंदरगाह या जलमार्ग पर पोत की स्थिति, अन्य यातायात की अवस्था या मौसम संबंधी खतरे की चेतावनी और यातायात के व्यापक प्रबंधन** को निर्धारित करता है। • VTMS, **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कन्वेंशन (International Maritime Organization Convention)** एस.ओ.एल.ए.एस. (Safety of Life at Sea: SOLAS) के तहत अनिवार्य है।
ट्रांसशिपमेंट पत्तन (Transshipment Ports)	• वर्तमान समय में भारत में दो ट्रांसशिपमेंट पत्तन कार्यरत हैं, यथा- **कोचीन में वल्लारपदम (Vallarpadam) पत्तन** और **त्रिवेंद्रम में विजिंजम (Vizhinjam) पत्तन।** प्रस्तावित **एनायम (Enayam) पत्तन** तीसरा प्रमुख ट्रांसशिपमेंट पत्तन होगा। • एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल एक ऐसे हब की तरह कार्य करता है, **जहाँ छोटे फीडर जहाज (vessels) कार्गो (माल) लाने का कार्य करते हैं, जिसे फिर अंतिम गंतव्य तक परिवहन हेतु बड़े जहाजों में लादा (load) जाता है।** ○ यह एक ऐसा पत्तन होता है, **जो आरंभिक (origin) और गंतव्य (destination) बिंदु से जुड़ा होता है।** ○ बड़े जहाजों के कारण **इकोनॉमी ऑफ़ स्केल (आकारिक मितव्ययिता) की प्राप्ति होती है** तथा ये संचालन संबंधी लागतों (जैसे- निर्यातकों और आयातकों के लिए माल ढुलाई की दरों में कमी) को कम करते हैं। • 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत, **पोत परिवहन मंत्रालय** कंटेनर कार्गो को भेजने और प्राप्त करने के लिए **विदेशी हब पर भारत की निर्भरता को समाप्त करने हेतु** ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में पत्तन विकसित करने की योजना बना रहा है।
नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल- मरीन {National Logistics Portal (NLP-Marine)}	• पोत परिवहन मंत्रालय (Ministry of Shipping) **निर्यातकों, आयातकों एवं सेवा प्रदाताओं के दस्तावेज़ों के निर्बाध विनिमय तथा पारदर्शी और त्वरित तरीके से व्यवसाय संचालन** में सहायता के लिए एक **NLP- मरीन** पोर्टल विकसित करने की योजना बना रहा है। ○ इसके लिए वर्तमान **बंदरगाह सामुदायिक प्रणाली (Port Community System: PCS 1x)** को विस्तारित करने की योजना है। • यह पोर्टल **शिपमेंट (लदान) की घरेलू स्तर पर निगरानी, स्वत: सीमा शुल्क समाशोधन** और **संरक्षकों के साथ ऑनलाइन लेन-देन** इत्यादि जैसी गतिविधियाँ संपन्न करेगा। • इसे **व्यवसाय करने में सुगमता (ease of doing business) को सुविधाजनक बनाने** और भारत को **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में सर्वाधिक लागत प्रभावी व प्रतिस्पर्धी** देशों में से एक बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है।

8.5.4. सुर्ख़ियों में रहे पत्तन (Ports in news)

वधावन पत्तन (Vadavan Port)	चिदंबरनार पत्तन (Chidambaranar Port)	कोलकाता पत्तन (Kolkata Port)	पारादीप पत्तन (Paradip Port)
• हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र में वधावन पत्तन की स्थापना को स्वीकृति दी है। • वधावन पत्तन को **कंपनी अधिनियम के तहत एक कॉर्पोरेट पत्तन** के रूप में स्थापित किया	• चिदंबरनार पत्तन पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री (DPE) की सुविधा आरंभ की गई है। • DPE सुविधा 24x7 आधार पर **औद्योगिक माल से भरे हुए ई-सील कंटेनरों के निर्यात**	• चट्टोग्राम पत्तन से होते हुए कोलकाता बंदरगाह से अगरतला तक प्रथम कंटेनर पोत रवाना किया गया। • यह भारत एवं बांग्लादेश के मध्य	• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **पारादीप बंदरगाह में बड़े आकार (cape size) के पोतों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए पश्चिमी गोदी (डॉक) के विकास सहित** बंदरगाह

जाएगा। • इसे एक लैंडलॉर्ड पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें पत्तन कंपनी द्वारा मूलभूत पत्तन अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा, जबकि निजी कंपनियों द्वारा सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (PPP) प्रणाली के तहत बर्थ, टर्मिनल और संबद्ध सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।	**की स्वीकृति** को सुनिश्चित करेगी, जिसके परिणामस्वरूप माल निर्यात के लिए **त्वरित और लागत प्रभावी स्वीकृति को बढ़ावा मिलेगा।** • **वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट, तमिलनाडु में स्थित है**, जिसे पहले तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था। यह **भारत के 12 प्रमुख पत्तनों में से एक** है।	संपन्न उस समझौते के अंतर्गत हुआ है, जिसके तहत भारत के **पारगमन (transit) कार्गो की आवाजाही** के लिए **चट्टोग्राम और मोंगला पत्तनों** के उपयोग की अनुमति दी गयी है। • यह बांग्लादेश के माध्यम से **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने के लिए वैकल्पिक और लघुतम मार्ग (shorter route)** प्रदान करेगा।	की आंतरिक सुविधाओं को मजबूत और उन्नत बनाने के लिए परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। • यह परियोजना **बंदरगाह पर कार्यभार को कम करने तथा समुद्री मालवहन में कमी करने में** सहायता प्रदान करेगी। इससे कोयले का आयात सस्ता होगा और साथ ही, रोज़गार के अवसरों का भी सृजन होगा।

8.5.5. अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा तीन वर्षों के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क (Waterways Usage Charges: WUC) को माफ किया गया है।

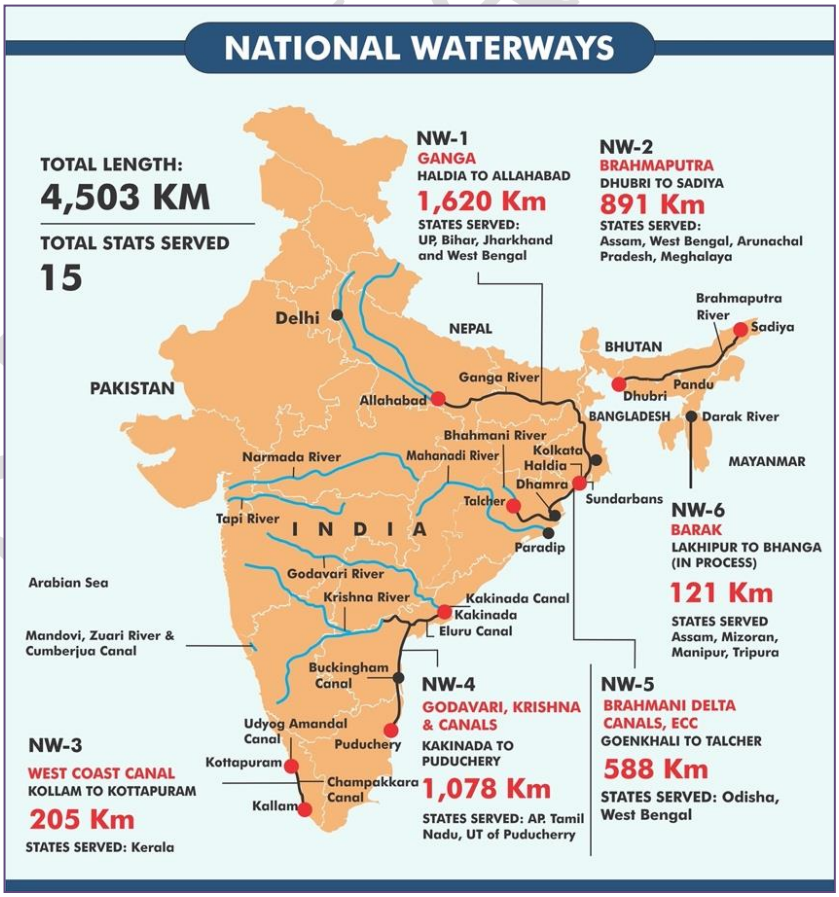

अन्य संबंधित तथ्य

- अंतर्देशीय जलमार्गों को एक **पूरक, पर्यावरण-अनुकूल और परिवहन के वहनीय माध्यम के रूप में** प्रोत्साहित करने की केंद्र सरकार की नीति के तहत WUC को माफ किया गया है।
  - वर्तमान में, **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India: IWAI)** द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय मालवाहक पोतों के संचालन पर WUC अधिरोपित किया जाता है। हालांकि, यह **ट्रैफिक मूवमेंट (मालवाहक पोतों की आवाजाही) के प्रशासन और यातायात डेटा के संग्रह** में बाधक के रूप में कार्य करता है।
  - IWAI भारत में जलमार्गों का प्रभारी **सांविधिक प्राधिकरण** है।

अंतर्देशीय जलमार्गों के बारे में

- भारत में **नौगम्य (navigable) जलमार्गों** की कुल लंबाई लगभग **14,500 कि.मी.** हैं, जिनमें नदियाँ, नहरें, पश्चजल (backwater), क्रीक आदि शामिल हैं।

- **राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (National Waterways Act 2016)** के अंतर्गत भारत सरकार ने देश में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में **111 जलमार्ग** घोषित किए हैं। ये जलमार्ग नदियों या नदी खंडों, क्रीक्स व ज्वारनदमुखों आदि से मिलकर बने हैं।
- भारत के परिवहन क्षेत्रक में अंतर्देशीय जल परिवहन की हिस्सेदारी **केवल 0.5 प्रतिशत** है, जबकि यह नीदरलैंड में 42 प्रतिशत, चीन में 8.7 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका में 8.3 प्रतिशत और यूरोप में 7 प्रतिशत है।

8.6. प्रमुख अवधारणाएं एवं सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News)

हस्तांतरणीय विकास अधिकार {Transferable Development Rights (TDR)}	• TDR शहरी सड़क विकास, सेटेलाइट टाउन और मेट्रो रेल जैसे बुनियादी ढांचे के विकास हेतु **भूमि के शीघ्र अधिग्रहण की सुविधा के लिए एक तंत्र** है। • TDR व्यवस्था के तहत सरकार विकास अधिकारों के प्रतिफल में **भूस्वामियों से भूमि का अधिग्रहण** करती है। इन अधिकारों को भूस्वामियों को हस्तांतरित किया जाता है। ○ इस प्रकार के **'विकास अधिकार (development rights)'**, जो **विकास अधिकार प्रमाण-पत्र (DRC)** के रूप में जारी किए जाते हैं, स्वामियों को अतिरिक्त **फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR)** प्रदान करते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा तय किया जाता है।
CITIIS (सिटी इन्वेस्टमेंटस टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन) कार्यक्रम {CITIIS (City Investments to Innovate, Integrate and Sustain) program}	• इसका उद्देश्य भारतीय शहरों को **एकीकृत, नवाचार संचालित और संधारणीय शहरी अवसरंचना परियोजनाओं** को लागू करने में सहायता प्रदान करना है। ○ यह कार्यक्रम **अनुदान रूपी वित्तीय सहायता के माध्यम से चयनित शहरों को ऋण और तकनीकी सहायता** प्रदान करेगा। • इस परियोजना को **नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ अर्बन अफेयर्स (NIUA)** के अधीन कार्यरत, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा समन्वित और प्रबंधित किया जा रहा है। • CITIIS, **आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoUHA), फ्रांसीसी विकास एजेंसी (French Development Agency: AFD) और यूरोपीय संघ (EU) द्वारा समर्थित है।**
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो {Bureau of Civil Aviation Security (BCAS)}	• **BCAS,** नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए एक विनियामक प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है। • इसका मुख्य उत्तरदायित्व भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमान पत्तनों पर **नागरिक उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए** मानकों एवं उपायों का निर्धारण करना है। • इसकी अध्यक्षता **महानिदेशक (नागर विमानन ब्यूरो)** द्वारा किया जाता है। • इसे **पांडे समिति की अनुशंसाओं** के आधार पर स्थापित किया गया था।
विमानन क्षेत्र के लिए निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ {Investment Clearance Cell (ICC) for Aviation Sector}	• नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) ने घरेलू विमानन उद्योग में **निवेश को आकर्षित करने** और विभिन्न निवेश प्रस्तावों में तीव्रता लाने के लिए **एकल-खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु ICC की स्थापना** की है। ○ 10-सदस्यीय ICC की अध्यक्षता MoCA के संयुक्त सचिव **अंबर दुबे** द्वारा की जाएगी। ○ ज्ञातव्य है कि ICC की घोषणा वर्ष 2020-2021 के केंद्रीय बजट में की गई थी।

9. उर्जा क्षेत्रक (Energy Sector)

9.1. विद्युत: उपभोग एवं विपणन (Electricity: Consumption and Marketing)

9.1.1. चौबीस घंटे अर्थात् राउंड द क्लॉक विद्युत आपूर्ति हेतु मिश्रित (बंडलिंग) योजना {Bundling Scheme For Round-The-Clock (RTC) Power Supply}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विद्युत मंत्रालय ने एक मिश्रित योजना (Bundling Scheme) के माध्यम से **वितरकों को चौबीसों घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदान करने के लिए नए दिशा-निर्देश** जारी किए हैं, जो विश्व में अपनी तरह की प्रथम योजना है।

भारत में ऊर्जा खपत परिदृश्य

- 2017-18 में 553.9 मिलियन टन तेल समतुल्य (Mtoe) की कुल ऊर्जा खपत के साथ, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व में **तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता** देश था।
- **भारत विश्व में ऊर्जा खपत की वृद्धि दर के संदर्भ में भी उच्चतम स्थान पर है।**
- भारत की ऊर्जा खपत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान है और वर्ष 2040 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में 11% हिस्सेदारी होगी।

मिश्रित (बंडलिंग) योजना के बारे में

- मिश्रित (बंडलिंग योजना) योजना वस्तुतः **नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy: RE) और तापीय विद्युत (Thermal Power) के मिश्रण** के विक्रय की एक योजना है, ताकि अंतिम उपयोगकर्ताओं को विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
    - राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रथम चरण में **ग्रिड से जुड़ी हुई सौर ऊर्जा** की सुविधा वाली इस प्रकार की योजना के लिए व्यवस्था की गई थी।
- यह **RE के स्रोतों से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को चौबीस घंटे विद्युत** उपलब्ध कराएगी। विद्युत आपूर्ति में कमी को कोयला आधारित तापीय ऊर्जा से पूरा किया जाएगा।
- यह योजना नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि तथा विद्युत वितरण कंपनियों के **नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation: RPO)** की आवश्यकता को पूर्ण करने की सुविधा प्रदान करेगी।
- यह उपभोक्ता हित में **प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विद्युत की खरीद,** परियोजना प्रोमोटरों द्वारा ऋण के भुगतान में सुधार तथा निवेशकों को उचित लाभ सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगी।

नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation: RPO) के बारे में

- RPO वस्तुतः कुछ इकाइयों पर कानून द्वारा आरोपित बाध्यताओं को संदर्भित करता है, कि या तो वे 'हरित' (ग्रीन) स्रोतों से उत्पन्न विद्युत की खरीद करें, या फिर बाजार से **नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र** क्रय करें।
    - ऐसी बाध्यता वाली कंपनियों में **विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स), ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स (Open Access Consumers)** और कैप्टिव विद्युत उत्पादक (Captive power producers) सम्मिलित हैं।
- RPO को **सौर एवं गैर-सौर RPO के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।**
- **विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003)** तथा **राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, 2006 (National Tariff Policy, 2006)** के अंतर्गत RPO का प्रावधान किया गया है।

- यह योजना अंतरराज्यीय/अंत:राज्यीय, दीर्घकालिक, विद्युत की खरीद-बिक्री के लिए एक एग्रीगेटर/व्यापारी के रूप में **मध्यस्थ उपार्जन करने वाली रूपरेखा** उपलब्ध कराएगी।
- **इन दिशा-निर्देशों के अनुसार:**
    - विद्युत उत्पादकों को, वार्षिक और व्यस्ततम समय (peak hours), दोनों के दौरान **कम से कम 85 प्रतिशत विद्युत की उपलब्धता** सुनिश्चित करनी होगी।
    - बोलीदाताओं (Bidders) को **कम से कम 51 प्रतिशत विद्युत की आपूर्ति नवीकरणीय स्रोतों** से करनी होगी। बोलीदाता अपनी नवीकरणीय परियोजनाओं के साथ **लघु तापीय परियोजनाओं को संयोजित** कर सकते हैं।
        - नवीकरणीय ऊर्जा घटक में **सौर और गैर-सौर स्रोत,** जैसे- पवन, जलविद्युत या इनका कोई संयोजन शामिल हो सकता है।
    - बोलीदाताओं को विद्युत आपूर्ति में किसी भी कमी की स्थिति में कटौती के **25 प्रतिशत के समतुल्य जुर्माना** देना होगा।

© Vision IAS

9.1.2. विद्युत क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट (Real Time Market in Electricity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विद्युत् क्षेत्र में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट (RTM) की शुरुआत की गई है।

विद्युत क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट के बारे में

- रियल टाइम मार्केट एक **संगठित बाजार मंच** है, जो खरीदारों और विक्रेताओं को वास्तविक समय में ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत के क्रय-विक्रय में समर्थ बनाता है।
- इसके अंतर्गत एक दिन में **48 नीलामी सत्र** (हर आधे घंटे पर) आयोजित किए जाते हैं।
- इसे अग्रलिखित दो प्लेटफॉर्मों के माध्यम से संचालित किया जाता है: **इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) और पॉवर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (PXIL)।**
- **पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (POPSOCO)** द्वारा क्षेत्रीय लोड प्रेषण केंद्रों की सहायता से विद्युत को आपूर्ति स्रोतों से खपत वाले स्थानों तक पारेषित किया जाएगा।
- **रियल टाइम मार्केट** को कार्यान्वित करने के लिए पॉवर मार्केट रेगुलेशन, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (Indian Electricity Grid Code: IEGC) विनियम और ओपन एक्सेस इन इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन विनियम में संशोधन किए गए हैं।

पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (POSOCO)

- यह **विद्युत मंत्रालय** के अंतर्गत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला एक उपक्रम है।
- यह थोक विद्युत बाजार को प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने में तथा निपटान प्रणाली के प्रशासन में सहायता प्रदान करता है।
- **विश्वसनीयता, मितव्ययिता और निरंतरता** के साथ नेशलन पॉवर सिस्टम के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने हेतु इसके अंतर्गत 5 **क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र (Regional Load Despatch Centres: RLDCs)** और एक **राष्ट्रीय लोड डिस्पैच केंद्र (National Load Despatch Centre: NLDC)** को शामिल किया गया है।

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) के बारे में

- IEX **भारत का पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज** है। यह विद्युत के भौतिक वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वचालित व्यापार मंच उपलब्ध कराता है।
- IEX को **केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग** द्वारा विनियमित किया जाता है।
- IEX, भारत की दो पावर एक्सचेंजों में से एक है। {दूसरा है- पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (PXIL)}
- हाल ही में, **केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission: CERC)** ने देश में तीसरा ऊर्जा एक्सचेंज स्थापित करने के लिए BSE, PTC लिमिटेड और ICICI बैंक द्वारा प्रवर्तित कंपनी प्रानुज्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड के आवेदन को स्वीकृति प्रदान की है।

9.1.3. ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (Green Term Ahead Market: GTAM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission: CERC) ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) प्लेटफॉर्म पर **ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM)** अनुबंधों को मंजूरी प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह कदम **जून 2020 में पॉवर एक्सचेंज में रियल टाइम मार्केट (RTM) ट्रेडिंग को मंजूरी** मिलने के बाद उठाया गया।
- **IEX द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित मॉडल के माध्यम से व्यापार किया जाता है:**

डे अहेड मार्केट (Day Ahead Market: DAM)	अग्रिम में एक दिवस के लिए विद्युत के लेन-देन की अनुमति होती है;
टर्म अहेड मार्केट (Term Ahead Market: TAM)	विद्युत का व्यापार अग्रिम में उस दिन से लेकर आगामी अधिकतम 11 दिनों तक होता है;

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (Renewable Energy Certificate: REC)	• नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (REC) एक प्रकार का बाजार आधारित लिखत या साधन है। जब कंपनियां अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का उत्पादन करती हैं तो उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ये लिखत (इंस्ट्रूमेंट) प्रदान किए जाते हैं। ○ पात्र अक्षय ऊर्जा स्रोत से जब एक मेगावाट विद्युत का सृजन होता है तो उसके लिए एक REC का सृजन होता है। • ऐसे उत्पादक पारंपरिक विद्युत की तरह ही नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न विद्युत का विक्रय कर सकते हैं। साथ ही, ऐसे उत्पादक, नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य संस्थाओं को पृथक रूप से REC की बिक्री भी कर सकते हैं।
वास्तविक समय बाजार (Real time Market: RTM)	घंटों पर आधारित समय खंडों या टाइम ब्लॉक पर भी नीलामी सत्र का आयोजन होता है और व्यापार सत्र के बंद होने के एक घंटे बाद ही वितरण शुरू हो जाता है।

- यद्यपि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की पैठ बढ़ रही है, लेकिन **वर्तमान समय में DAM और TAM के संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी नगण्य (1% से भी कम) बनी हुई है।** इसका कारण यह है कि यहां परंपरागत विद्युत ऊर्जा और हरित ऊर्जा के बीच कोई अलगाव नहीं किया गया है। इसी समस्या से निपटने के लिए GTAM नामक एक वैकल्पिक और नए मॉडल को आरम्भ किया गया है।

GTAM के बारे में

- GTAM को इसलिए आरंभ किया गया है ताकि **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक** खुले बाजार में अपने द्वारा उत्पादित विद्युत को आसानी से बेच सकें। इसलिए, अब उन्हें दीर्घकालीन विद्युत खरीद समझौतों (Power Purchase Agreements: PPAs) में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी।
- दूसरी ओर, GTAM **नवीकरणीय ऊर्जा के अल्प-कालिक (शॉर्ट-टर्म) व्यापार के लिए एक अनन्य मंच** प्रदान करेगा।
- **GTAM की प्रमुख विशेषताएं:**
  - GTAM अनुबंध में शामिल अनुसूचित ऊर्जा की खरीद से, क्रेता अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligations: RPO) की पूर्ति कर सकेंगे।
    - इससे पहले, पवन या सौर ऊर्जा कंपनी से विद्युत खरीदने वाले क्रेता यह दावा नहीं कर सकते थे कि उन्होंने RPO अनुपालन को पूर्ण कर लिया है।
  - इसके अतिरिक्त, GTAM के माध्यम से होने वाले लेन-देन की प्रकृति द्विपक्षीय होगी, जिसमें संबंधित खरीदार और विक्रेता की स्पष्ट पहचान हो सकेगी। इस प्रकार, इससे RPO की गणना में कोई कठिनाई नहीं होगी।
  - सौर RPO और गैर-सौर RPO की पूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए **सौर एवं गैर-सौर ऊर्जा दोनों के लिए अलग-अलग अनुबंध** होंगे।
  - इसमें **ग्रीन इंट्राडे (Green Intraday)** (उसी दिन के लिए दस घंटे के अनुबंध), **डे अहेड कंटिंजेंसी (Day Ahead Contingency)** (अगले दिन के लिए प्रति घंटे के आधार पर होने वाले अनुबंध), **दैनिक** (एक दिन में सभी या घंटों का एक ब्लॉक) और **साप्ताहिक अनुबंध** (सोमवार से रविवार) शामिल होंगे।
  - मूल्य का निर्धारण निरंतरता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात् मूल्य अधिमान्य समय पर निर्धारित होंगे।

© Vision IAS

9.1.4. विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 {Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विद्युत मंत्रालय द्वारा **विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020** जारी किया गया, जो उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाओं तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के बारे में

- ये नियम **विद्युत अधिनियम, 2003** के अंतर्गत बनाए गए हैं, जिसका एक उपभोक्ता चार्टर है।
- ये नियम भारत में उपभोक्ताओं के लिए **गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत की निरंतर आपूर्ति उपलब्ध करवाकर** विद्युत उपभोक्ताओं को सशक्त बनाते हैं।
- ये **ऐसे अधिकारों का निर्धारण करते हैं, जो कि डिस्कॉम्स या विद्युत वितरण कंपनियों (Distribution Companies: DISCOMs)** को उपभोक्ताओं के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाते हैं।
- **ये अधिकार:**
  - **विद्युत उपभोक्ताओं** को सशक्त बनाएंगे तथा उनके जीवन-स्तर में सुधार सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इसका प्रभाव घरेलू उपयोग वाले उपकरणों पर होता है।
  - **उपभोक्ता की बचत** सुनिश्चित करेंगे। निम्न ऊर्जा लागत तथा प्रतिक्रियाशील विद्युत प्रशुल्क से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष बचत प्राप्त होती है। **अप्रत्यक्ष बचत** कुछ परिस्थितियों, जैसे कि उपकरणों की क्षति तथा समय-पूर्व उनका खराब हो जाना, उत्पादन की हानि अथवा डेटा व कार्य की हानि से बचकर प्राप्त की जाती है।
  - आगे देश भर में **कारोबार में सुगमता (ease of doing business)** सुनिश्चित करेंगे।

"विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम" में सम्मिलित प्रमुख बिन्दु:

- उपभोक्ताओं के अधिकार तथा वितरण लाइसेंस धारकों की बाध्यताएं;
- नया कनेक्शन प्रदान करना तथा विद्यमान कनेक्शन को परिवर्तित करना;
- मीटर संबंधी प्रबंधन;
- डिस्कनेक्शन तथा री-कनेक्शन के प्रावधान;
- आपूर्ति की विश्वसनीयता;
- प्रोज्यूमर (वे जो उपभोग के साथ-साथ ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं) के रूप में उपभोक्ता (Consumer as prosumer);
- लाइसेंस धारक के निष्पादन के मानक;
- मुआवजा तंत्र;
- उपभोक्ता सेवाओं के लिए कॉल सेंटर;
- शिकायत निवारण तंत्र।

9.2. डिस्कॉम्स का निजीकरण (Privatising DISCOMs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार, जनवरी 2021 तक संघ राज्यक्षेत्रों (UTs) में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) का निजीकरण करने की योजना बना रही है।

डिस्कॉम्स की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई अन्य पहलें:

- **अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 ट्रिलियन रूपये के प्रोत्साहन पैकेज के भाग के रूप में 90,000 करोड़ रूपये का बेलआउट पैकेज प्रदान किया गया है।**
- **प्रस्तावित वितरण सुधार योजना:** विद्युत क्षति को 12 प्रतिशत से नीचे लाने के उद्देश्य से अंतरिम रूप से **अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना (Atal Distribution System Improvement Yojana: Aditya)** को शुरू किया गया है। इस योजना के उद्देश्यों में विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना, राज्य द्वारा संचालित **विद्युत**

वितरण कंपनियों का निजीकरण करना आदि जैसे उपागमों को अपनाना और **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना** शामिल हैं।

- सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यीकरण और विद्युत वितरण कंपनियों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के क्रम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना को कार्यान्वयित करते हुए **विद्युत क्षेत्रक में सुधार किए गए हैं।**
- **विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2003** के मसौदे के तहत, सरकार ने विद्युत खरीद समझौतों को लागू करने के लिए विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (Electricity Contract Enforcement Authority) की स्थापना की है।
- **उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) के अंतर्गत कार्यशील पूंजी उधार सीमा में एकबारगी छूट की व्यवस्था की गई है।**
- उपभोक्ता अधिकारों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाली, उद्योगों को बढ़ावा देने वाली और इस क्षेत्रक की संधारणीयता को सुनिश्चित करने वाली **नई टैरिफ नीति** को शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

प्राप्ति अर्थात् भुगतान पुष्टि और उत्पादकों के चालान में पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत खरीद विश्लेषण (PRAAPTI - Payment Ratification and Analysis in Power procurement for bringing Transparency in Invoicing of generators)

- **प्राप्ति ऐप और वेब पोर्टल** को विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत उत्पादक कंपनियों एवं डिस्कॉम के मध्य **विद्युत खरीद संबंधी लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए** विकसित किया गया है।
- यह पोर्टल **विद्युत उत्पादक कंपनियों को किए जा रहे भुगतानों** के संदर्भ में उपभोक्ताओं को उनकी **विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन** करने में भी सक्षम बनाएगा।
- **प्राप्ति पोर्टल** के अनुसार, **विद्युत उत्पादकों का डिस्कॉम्स पर कुल बकाया** वर्ष दर वर्ष बढ़कर अगस्त 2020 में 37 प्रतिशत हो गया है, जो इस क्षेत्र में मौजूद तनाव को दर्शाता है।

9.3. उर्जा दक्षता (Energy Efficiency)

9.3.1. ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट (Energy Transition Index Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF)** ने **ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020** जारी किया है।

ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Energy Transition Index: ETI) के संबंध में

- **ETI** एक तथ्य आधारित रैंकिंग प्रणाली है, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं और व्यवसायों को सफल ऊर्जा संक्रमण का मार्ग तैयार करने में सक्षम बनाना है। यह 40 संकेतकों पर आधारित एक मिश्रित स्कोर है, जो 115 देशों का उनके ऊर्जा संक्रमण की **गति, दिशा और सुधार** के अवसरों की पहचान करने के आधार पर स्थान निर्धारित करता है।
- **ETI विश्व आर्थिक मंच की प्रभावी ऊर्जा संक्रमण प्रोत्साहन पहल** का भाग है।
  - यह वार्षिक ऊर्जा प्रणाली बेंचमार्किंग श्रृंखला की ही विस्तार है, जिसे पहले वर्ष 2013 से 2017 तक **एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स (EAPI)** श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया जाता था।
- ETI ढांचे के दो भाग हैं अर्थात **वर्तमान ऊर्जा प्रणाली का प्रदर्शन** और **ऊर्जा संक्रमण के लिए सक्षमकारी वातावरण**। (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

प्रभावी ऊर्जा संक्रमण प्रोत्साहन पहल (Fostering Effective Energy Transition Initiative)

- इसका उद्देश्य सुरक्षित, संधारणीय, वहनीय और समावेशी भविष्य की ऊर्जा प्रणाली में संक्रमण के लिए प्रभावी नीतियों, कॉर्पोरेट निर्णयों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की गति को तीव्र करना है।
- यह ऊर्जा संक्रमण, आवश्यक अनिवार्यता, बाजार और नीति प्रवर्तकों और परिणामी मानव प्रभाव की अंतिम स्थिति के संबंध में सभी हितधारक समूहों के मध्य एक सामान्य समझ स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

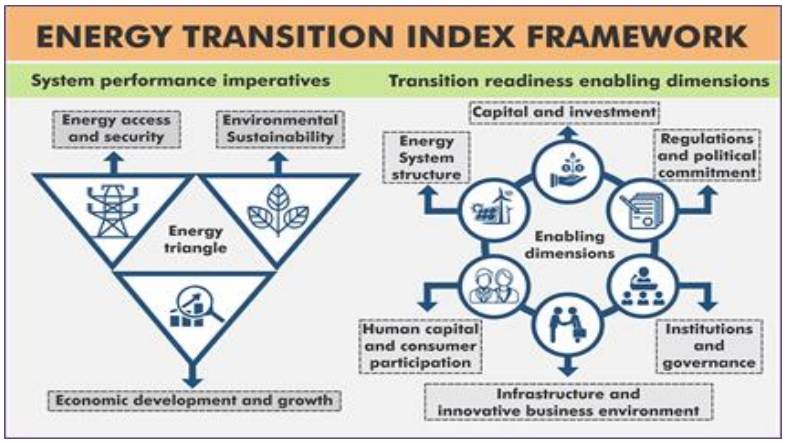

© Vision IAS

ETI 2020 के प्रमुख निष्कर्ष

- **ETI 2020 रैंकिंग:** स्वीडन (1), स्विट्जरलैंड (2), फिनलैंड (3), भारत (74), चीन (78)।
- शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देशों एवं अन्य देशों के मध्य **अंतराल** निरंतर कम हो रहा है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक प्रतिबद्धता का बढ़ता स्तर और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवेश के लिए पूंजीगत पहुंच में सुधार है।

9.3.2. वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव रिपोर्ट (Impact of Energy Efficiency Measures for the Year 2018-19 Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने "वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)

- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित BEE ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक **सांविधिक निकाय** है।
- इसका **मिशन भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा गहनता कम करने के प्राथमिक** उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढांचे के भीतर स्व-नियमन और बाजार सिद्धांतों पर बल देते हुए नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करना है।
- ऊर्जा गहनता का प्रति इकाई उत्पादन या गतिविधि (या सकल घरेलू उत्पाद) के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा से मापन किया जाता है।

इस रिपोर्ट के संबंध में अधिक जानकारी

- **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency: BEE)** ने एक वार्षिक अध्ययन किया है, जिसमें अनुमानित ऊर्जा खपत के साथ (यदि वर्तमान ऊर्जा दक्षता उपाय नहीं किए गए होते तो) वर्ष 2018-19 में वास्तविक ऊर्जा खपत की तुलना की गई है।
- **इस अध्ययन का समग्र उद्देश्य** बचाई गई कुल ऊर्जा और वर्ष 2018-19 में कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा में कमी के संदर्भ में भारत में **सभी ऊर्जा दक्षता योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन** करना था।

भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए प्रमुख कदम

- निम्न कार्बन रूपांतरण को बढ़ावा देने में ऊर्जा दक्षता के महत्व को देखते हुए भारत द्वारा वर्ष **2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम** लागू किया गया था।
- इसने **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** की स्थापना और तत्पश्चात **राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (National Mission for Enhanced Energy Efficiency: NMEEE)** आरंभ कर अपनी नीतियों के प्रभावी निष्पादन को बढ़ावा दिया गया था।
- BEE के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर अन्य संगठन भी मौजूद हैं जो अनेक योजनाओं को आरंभ करके ऊर्जा दक्षता में सहायता कर रहे हैं। ये योजनाएं ऊर्जा बचत की प्राप्ति के लिए क्रॉस कटिंग मेकनिज्म के साथ भारत में **ऊर्जा की खपत करने वाले प्रमुख क्षेत्रकों** जैसे कि उद्योग, वाणिज्यिक, आवासीय आदि क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- वर्तमान में भारत में कई ऊर्जा दक्षता योजनाएं/कार्यक्रम संचालित हैं। इनमें शामिल हैं:

बड़ा उद्योग	प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना
उद्योग- MSME	BEE SME कार्यक्रम, GEF - विश्व बैंक - BEE कार्यक्रम
घरेलू- प्रकाश और उपकरण	मानक और लेबलिंग (S&L), UJALA
घरेलू- बिल्डिंग	इको निवास संहिता, आवासीय लेबलिंग
वाणिज्यिक बिल्डिंग	ECBC- वाणिज्यिक भवन, BEE - स्टार रेटिंग कार्यक्रम, भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (Building Energy Efficiency Programme: BEEP)
कृषि- उपकरण (स्टार रेटेड पंप)	कृषि मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम (Agriculture Demand Side Management Programme: AgDSM) - (स्टार रेटेड पंप)
परिवहन- सड़क परिवहन	कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (Corporate Average Fuel Economy: CAFE), विद्युत वाहनों को तेजी से अपनाने और निर्माण की स्कीम (Faster Adoption & Manufacturing of Electric Vehicles: FAME)
नगरपालिका- प्रकाश और उपकरण	नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम (Municipal Demand Side Management Programme: MUDSM) - (SLNP और MEEP)

9.3.3. इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फ़ोरम (India Energy Modelling Forum: IEMF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के शासी-संरचना (governing structure) की घोषणा की गई है।

IEMF के बारे में

- IEMF को **संयुक्त राज्य अमेरिका - भारत रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी** (US–India Strategic Energy Partnership) के अंतर्गत नीति आयोग और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है।
- IMEF, **संयुक्त राज्य अमेरिका-इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप (SEP)** के **संधारणीय वृद्धि स्तंभ** का एक हिस्सा है।
  - SEP सहयोग के चार प्राथमिक स्तंभों में दोनों तरफ **अंतर-एजेंसी संबद्धता** सुनिश्चित करता है। ये स्तंभ हैं- विद्युत् और ऊर्जा दक्षता; तेल और गैस; नवीकरणीय ऊर्जा; और संधारणीय वृद्धि।
- IEMF का उद्देश्य प्रतिरूपण (Modelling) और दीर्घकालिक ऊर्जा योजनाओं के निर्माण हेतु **भारतीय शोधकर्ताओं,** ज्ञान संपदा के साझेदारों, थिंक टैंकों तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सरकारी एजेंसियों एवं विभागों की भागीदारी को एक मंच प्रदान करना है।
- IEMF की शासी संरचना में **एक अंतर-मंत्रालयी और एक संचालन समिति** शामिल होगी। इसमें सरकार, उद्योग संघों, शिक्षाविदों, नीति अनुसंधान संगठनों, विचार मंचों और फंडिंग एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

9.4. कोयला क्षेत्रक (Coal Sector)

9.4.1. वाणिज्यिक कोयला खनन (Commercial Coal Mining)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वाणिज्यिक उपयोग या खनन के लिए नीलाम किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों की पहली किश्त** (अर्थात् प्रथम दौर) के लिए हस्ताक्षर समारोह के दौरान कोयला खदानों के परिचालन को गति देने के लिए एक नया ऑनलाइन एकल-खिड़की मंजूरी (सिंगल-विंडो क्लीयरेंस) पोर्टल आरंभ किया गया।

भारत में कोयला

- भारत में **विश्व का पांचवा सबसे बड़ा कोयला भंडार** है, फिर भी यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक देश है।
  - वर्ष 2019 में, भारत ने मुख्य रूप से इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और रूस से लगभग 235 मिलियन टन कोयला (थर्मल और कोकिंग कोयला) आयात किया।
- वर्तमान में, भारत प्रति वर्ष लगभग 729 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है, जिसमें से **83% का उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)** द्वारा किया जाता है।
- भारत के **विद्युत उत्पादन** में कोयला-आधारित संयंत्रों का हिस्सा **72%** है।
- कोयला भंडार मुख्य रूप से इन राज्यों में अवस्थित हैं: **झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र।**
- भारत में मुख्य रूप से **लिग्नाइट और बिटुमिनस** प्रकार के कोयला भंडार हैं (अन्य दो प्रकार हैं- पीट और एन्थ्रेसाइट)।
- भारतीय कोयले का **ऊष्मीय मान** निम्न होता है और राख सामग्री उच्च होती है।

पृष्ठभूमि

- उल्लेखनीय है कि **कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 {Coal Mines Nationalisation (CMN) Act, 1973}** के माध्यम से सभी कोयला खदानों को सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया गया था।
  - **ज्ञातव्य है कि 1970 के दशक से पहले, कोयला क्षेत्र में अधिकांशतः निजी कोयला खदानें शामिल थीं।** श्रमिकों के काम करने और रहने की दयनीय स्थिति और अपर्याप्त सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता थी।
- **अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के पश्चात्, वर्ष 1993 में** विद्युत, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम क्षेत्रकों में निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों (Public Sector Undertakings: PSUs) द्वारा **स्वोपयोगी** (अपनी स्वयं की औद्योगिक इकाइयों में उपयोग के लिए) **खदानों के खनन की अनुमति के लिए CMN अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया।**

- **परंतु, इन खदानों के आवंटन को उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2014 में इस आधार पर रद्द कर दिया था,** कि उन्हें मनमाने तरीके से आवंटित किया गया था।
- इसलिए, **नीलामी के माध्यम से स्व-उपयोगी कोयला खनन** का मार्ग प्रशस्त करते हुए कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 {Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015} को पारित किया गया था।
- स्व-उपयोगी कोयला व्यवस्था को समाप्त करने और **वाणिज्यिक कोयला खनन की बाधाओं को दूर करने के लिए** खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 में संशोधन हेतु **खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 {Mineral Laws (Amendment) Act, 2020}** को अधिनियमित किया गया था।

कोयला क्षेत्रक में हाल ही में उठाए गए अन्य कदम

- कोयला खानों से उपभोक्ता तक कोयले की ढुलाई की दूरी को न्यूनतम करने के लिए **कोयला लिंकेज को युक्तिसंगत बनाया गया** है।
  - **कोयला लिंकेज नीति** के अंतर्गत, विद्युत उत्पादकों को कोयला उत्पादकों के साथ एकीकृत किया गया है। लिंकेज के अंतर्गत प्रतिबद्धताएं बाध्यकारी होती हैं तथा कोयले को अन्य उपभोक्ताओं को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
- हाल ही में, कोयला मंत्रालय ने उस ढांचे को और उदार बनाया है जिसके तहत देश में कोयला लिंकेज की अदला-बदली की जा सकती है।
- ताप विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति होने वाले कोयले की **अनिवार्य रूप से धुलाई किए जाने के प्रावधान को समाप्त करने के लिए** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है, क्योंकि इस प्रावधान के कारण उद्योग जगत कोयला के आयात को वरीयता देते थे। इसके स्थान पर, ताप विद्युत संयंत्रों को निर्देश दिया गया है कि वे राख सामग्री के निस्तारण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।
- **खनन योजना की तैयारी, प्रसंस्करण और अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देशों** को सरलीकृत कर इसे संशोधित किया गया है तथा **ऑनलाइन एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली विकसित करने** के लिए उपाय किए जा रहे हैं।
- **खनिज रियायत नियम, 1960 (Mineral Concession Rule, 1960)** में संशोधन किए गए हैं ताकि योजना एवं संचालन को अधिक उदार बनाया जा सके।
- **खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 {Mineral Laws (Amendment) Act, 2020}** द्वारा कोयला खनन क्षेत्र में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, जैसे- कोयले के अंतिम उपयोग पर प्रतिबंध को हटा दिया गया है, पूर्वेक्षण (prospecting) और खनन के लिए कंपोजिट (मिश्रित) लाइसेंस की व्यवस्था आदि।
- **आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भी अनेक घोषणाएं की गई हैं, जैसे-** कोयला निष्कर्षण और परिवहन के लिए अवसंरचना निर्माण पर 50,000 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा; समय से पहले उत्पादन, निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन और गैसीकरण में उपयोग किए जाने वाले कोयले के लिए, सरकार को देय **राजस्व हिस्सेदारी में छूट** दी गयी है आदि।

अन्य तथ्य

वाणिज्यिक कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश {Foreign Direct Investment (FDI) in Commercial Coal Mining}

- केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट किया है कि **भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश की किसी इकाई** से वाणिज्यिक कोयला खनन में कोई भी FDI को सरकार की स्वीकृति के पश्चात् ही अनुमति प्रदान की जाएगी।
- वर्तमान में, कोयला खनन गतिविधियों (संबंधित प्रसंस्करण अवसंरचना सहित) में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति प्राप्त है।
- इसके अंतर्गत, निजी क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन का मार्ग प्रशस्त करने और भारत में निवेश करने के लिए वैश्विक खनिकों को आकर्षित करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

9.5. गैस एवं उर्जा क्षेत्रक (Gas and Oil Sector)

9.5.1. इंडियन गैस एक्सचेंज (Indian Gas Exchange: IGX)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 'इंडियन गैस एक्सचेंज' (IGX) नामक भारत के प्रथम गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया। **इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX)** द्वारा IGX की स्थापना की गयी है। यह IEX के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है।

इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) के बारे में

- यह एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यह प्राकृतिक गैस के क्रेताओं तथा विक्रेताओं को आयातित प्राकृतिक गैस के लिए स्पॉट मार्केट (हाजिर बाजार) तथा फॉरवर्ड मार्केट (वायदा बाजार), दोनों में व्यापार के अवसर प्रदान करेगा। IGX अग्रलिखित तीन केन्द्रों के माध्यम से इसकी सुविधा प्रदान करेगा- दाहेज एवं हजीरा (गुजरात) तथा काकीनाडा (आंध्रप्रदेश)।
- आयातित **तरलीकृत प्राकृतिक गैस (Liquified Natural Gas: LNG)** को रिगैसीफायड कर इस एक्सचेंज के माध्यम से सीधे क्रेताओं को बेचा जाएगा। इस प्रकार क्रेताओं तथा विक्रेताओं को अब पहले से ही एक-दूसरे से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - बोली प्रक्रिया (Bidding) एक बेनामी तरीके से आयोजित की जाती है, जिसमें क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे से अवगत नहीं होते हैं।
- **देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस** की कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है तथा इसका विक्रय इस गैस एक्सचेंज के माध्यम से नहीं किया जाएगा।
  - प्राकृतिक गैस के वर्तमान घरेलू स्रोतों की उत्पादकता में कमी होने के कारण विगत दो वित्तीय वर्षों से गैस के घरेलू उत्पादन में गिरावट आई है।
  - वर्तमान में देश की प्राकृतिक गैस की कुल खपत के आधे से भी कम की आपूर्ति घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस के माध्यम से की जाती है, जबकि आधे से अधिक मांग की पूर्ति आयातित LNG द्वारा की जाती है। इसलिए, IGX द्वारा आयातित LNG के व्यापार को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- IGX पर अनुबंधित व्यापार अनिवार्य विशिष्ट भौतिक वितरण (compulsory specific physical delivery) के उद्देश्य से किए जाते हैं तथा व्यापार का निपटान इस शर्त के अधीन होता है कि ये अनुबंध गैर-हस्तांतरणीय हैं।

हाजिर और वायदा बाजार (Spot and Forward Market)

- **हाजिर बाजार** एक सार्वजनिक वित्तीय बाजार है, जिसमें वित्तीय उपकरणों या वस्तुओं के तत्काल वितरण के लिए कारोबार किया जाता है।
- **वायदा बाजार** एक ओवर-द-काउंटर मार्केटप्लेस है, जो भविष्य के व्यापार/ कारोबार के लिए किसी वित्तीय उपकरण या परिसंपत्ति की कीमतों को निर्धारित करता है।

9.5.2. प्राकृतिक गैस का विपणन (Natural Gas Marketing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए **'प्राकृतिक गैस विपणन सुधार'** को अनुमोदन प्रदान किया है।

प्राकृतिक गैस (Natural gas)

- प्राकृतिक गैस मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से मिलकर बनने वाली **हाइड्रोकार्बन से युक्त गैसों का मिश्रण** है।
- प्राकृतिक गैस भंडार कोयला और कच्चे तेल सदृश अन्य **ठोस और तरल हाइड्रोकार्बन अधस्तलों के निकट पृथ्वी की गहराई में पाए जाते हैं।**

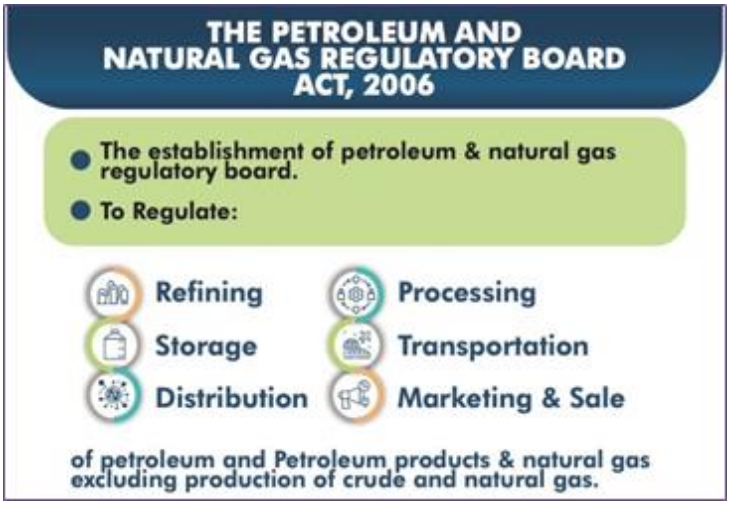

© Vision IAS

- इसे इसके मूल रूप में उपयोग नहीं किया जाता है; इसे संसाधित किया जाता है और उपभोग हेतु अपेक्षाकृत शुद्ध ईंधन में परिवर्तित किया जाता है।
- **इसका उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:** उर्वरकों के विनिर्माण के लिए फीडस्टॉक, विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन, घरों में खाना पकाने, वाहनों के लिए परिवहन ईंधन आदि।

भारत में प्राकृतिक गैस परिदृश्य

- भारत के प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी **लगभग 6.2% है, जो 24% के वैश्विक औसत से** काफी पीछे है।
- सरकार ने भारत के प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को **वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 15% करने** की योजना बनाई है।
- घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस, भारत में घरेलू गैस के उपभोग में केवल **48%** का योगदान करती है। इसकी आपूर्ति पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में स्थित तेल और गैस क्षेत्रों से की जा रही है, जैसे कि हजीरा बेसिन, मुंबई अपतटीय क्षेत्र और कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम और त्रिपुरा)।
- सरकार प्राकृतिक गैस की खपत को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक गैस के परिवहन की लागत में कटौती करने की योजना बना रही है। इसके तहत लंबी दूरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु निश्चित प्रशुल्क निर्धारित करके उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा।
  - वर्तमान में, गैस परिवहन के लिए संबंधी प्रशुल्क को 300 कि.मी. के ज़ोन (अर्थात् प्रथम जोन 300 कि.मी. के भीतर एवं द्वितीय ज़ोन 300 कि.मी. के दायरे से बहार) में विभाजित किया गया है, जिसमें गैस के प्रवेश बिंदु से दूर जाने के साथ-साथ प्रशुल्क में भी वृद्धि होती जाती है।

घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण

- **प्रशासित मूल्य तंत्र (Administered Price Mechanism: APM)**
  - मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा प्रत्येक छह माह में किया जाता है।
  - यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और रूस में प्रचलित मूल्यों का भारित औसत है।
  - वर्तमान में, यह 1.79 डॉलर प्रति मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, और आयातित द्रवीभूत प्राकृतिक गैस (LNG) के मूल्य से कहीं कम है।
  - यह मूल्य निर्धारण व्यवस्था, घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस के लगभग 80% भाग को शामिल करती है।
- **गैर-प्रशासित मूल्य तंत्र (Non-APM) या मुक्त बाजार गैस**
  - यह तंत्र, अनुबंधित समझौते (contractual agreements) पर आधारित गैस उत्पादन पर लागू है।
  - यह व्यवस्था घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस के केवल 20% भाग को शामिल करती है।
  - नया सुधार इस व्यवस्था में आने वाले लाभार्थियों को भी शामिल करेगा।

9.5.3. सिटी गैस वितरण (City Gas Distribution: CGD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2019 में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने 10वें CGD के लिए कार्य प्रारंभ किया था।

CGD के बारे में

- CGD वस्तुतः एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र (GA) में स्थित घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसरों और CNG स्टेशनों को **प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए पाइपलाइनों का एक परस्पर संबद्ध नेटवर्क है।**
  - **प्राकृतिक गैस** कोयला तथा अन्य तरल ईंधनों की तुलना में एक उन्नत ईंधन है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और सस्ता ईंधन है।
- CGD नेटवर्क को ट्रंक गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी या गैस स्रोतों और निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता की उपलब्धता के आधार पर विकसित किया जा रहा है।
- **CGD नेटवर्क के लाभ:** घरों में खाना पकाने के ईंधन की निर्बाध आपूर्ति, औद्योगिक प्रदूषण का मुकाबला, लागत संबंधी बचत, गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, कार्बन उत्सर्जन में कमी आदि।

9.5.4. भारत का आठवां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन (India's 8th Hydrocarbon Producing Basin)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) लिमिटेड ने **"बंगाल बेसिन"** से कच्चे तेल का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। इससे यह **भारत का आठवां उत्पादन बेसिन बन गया है।**

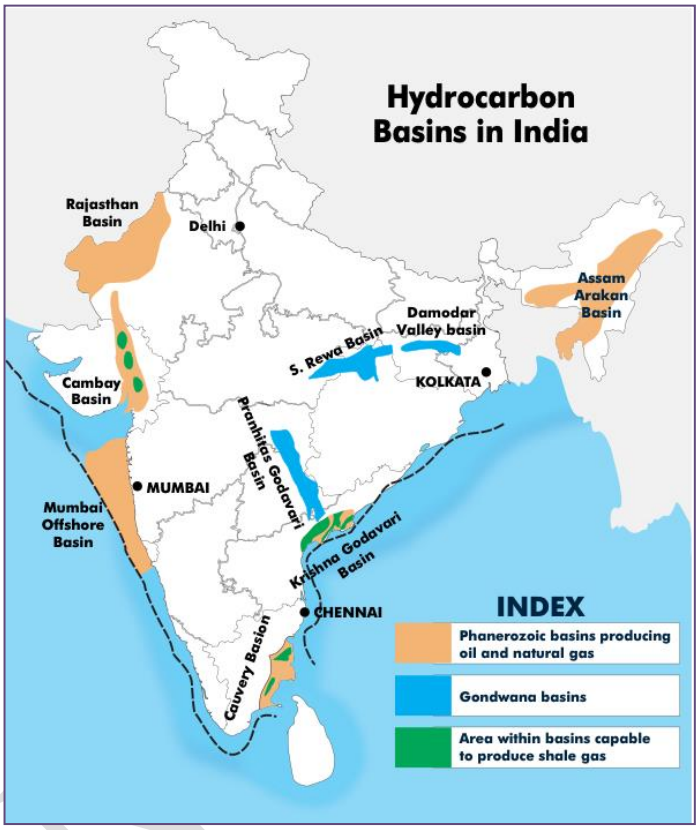

अन्य संबंधित तथ्य

- **अन्य बेसिन हैं:** कृष्णा-गोदावरी (KG), मुंबई अपतटीय क्षेत्र, असम शेल्फ, राजस्थान, कावेरी, असम-अराकान वलन पेटी और खंभात।
- हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार, **भारत में 26 अवसादी (sedimentary) बेसिन** हैं। इनमें से 16 स्थलीय बेसिन हैं, 7 स्थलीय और अपतटीय दोनों हैं और 3 पूर्णत: अपतटीय बेसिन हैं।

अन्य तथ्य

रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) और ब्रिटिश पेट्रोलियम (BP) ने कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6 (अर्थात् KG-D6) से गैस उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि पूर्वी समुद्री तट से दूर गहरे समुद्र (लगभग 2,000 मीटर की गहराई में अवस्थित) में यह सबसे गहरा गैस प्रोजेक्ट है।

- RILऔर BP ने **आर क्लस्टर (R Cluster) से उत्पादन आरंभ करने की घोषणा की है।**
- **यह एशिया में सर्वाधिक गहरा अपतटीय गैस क्षेत्र है,** जो 2,000 मीटर से अधिक गहराई में स्थित है।
- कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन वस्तुत: **एक विस्तृत डेल्टाई मैदान है।** यह **आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों द्वारा निर्मित है।** यह डेल्टा बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती क्षेत्रों में 50,000 वर्ग कि.मी. तक विस्तृत है। ज्ञातव्य है कि कृष्णा व गोदावरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (Petroleum Conservation Research Association: PCRA) के बारे में

- यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी है।
- यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में संलग्न है।
- यह पेट्रोलियम संरक्षण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में सरकार की मदद करता है और तेल की आवश्यकता पर देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करता है।

9.6. प्रमुख अवधारणाएं और सुर्ख़ियों में रही संस्थाएं (Key Concepts and Entities in News)

पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना {North Eastern Region Power System Improvement Project (NERPSIP)}	• हाल ही में, मंत्रिमंडल ने **NERPSIP** के संशोधित लागत अनुमान को स्वीकृति प्रदान की है। • इस परियोजना का कार्यान्वयन **पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL)** द्वारा किया जा रहा है। यह (PGCIL) विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इस परियोजना को **विश्व बैंक की सहायता से वित्त-पोषित** किया जा रहा है। • **NERPSIP** का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) का समग्र आर्थिक विकास करना और NER में **अंतर्राज्यीय पारेषण एवं वितरण अवसंरचना** को मजबूत करना है। ○ **लाभार्थी राज्य:** असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। • इस परियोजना के लागू होने के उपरांत एक **विश्वसनीय पावर ग्रिड की स्थापना** की जा सकेगी।

© Vision IAS

	साथ ही, भावी भार केंद्रों (विद्युत आवश्यकता वाली इकाइयों) के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता योजना को अनलॉक करना - उन्नति {UNlocking NATional Energy Efficiency potential (UNNATEE)}	• यह भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज है। यह ऊर्जा आपूर्ति-मांग परिदृश्यों और ऊर्जा दक्षता संबंधी अवसरों के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने के लिए एक सामान्य रूपरेखा और कार्यान्वयन रणनीति का वर्णन करता है। • यह राज्य स्तरों तक संबंधित मांग क्षेत्रकों के लिए ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से चित्रित करके ऐसा करता है।
सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (सतत) पहल {Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT) initiative}	• सतत एक पहल है, जिसका उद्देश्य संभावित उद्यमियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) को आमंत्रित करके कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करना और इसे बाजार में ऑटोमोटिव (मोटर वाहन) ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराना है। ○ इसके तहत वित्त वर्ष 2023-24 तक **5,000 CBG संयंत्रों की स्थापना** की परिकल्पना की गयी है। ○ इस पहल को वर्ष 2018 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा आरंभ किया गया था।
साथी पोर्टल (SAATHEE Portal)	• **साथी (ऊर्जा दक्षता पर वार्षिक लक्ष्य को लेकर राज्यवार कदम और प्रगति) (State-wise Actions on Annual Targets and Headways on Energy Efficiency: SAATHEE):** इस पोर्टल को विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य स्तर की गतिविधियों के प्रबंधन के क्रम में राज्य केंद्रित एजेंसी के रूप में आरंभ किया गया है। • यह एक **प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System: MIS)** पोर्टल है। इसे **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency: BEE)** द्वारा विकसित किया गया है, ताकि राज्य स्तर पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के कार्यान्वयन की प्रगति की वास्तविक समय पर निगरानी की जा सके।

10. विविध (Miscellaneous)

10.1. विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम (International Comparison Program of World Bank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक ने अपने 'अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम' के अंतर्गत **संदर्भ वर्ष 2017** के लिए नई **क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parities: PPP)** का प्रकाशन किया है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम (International Comparison Program: ICP) के बारे में

- ICP वस्तुतः **संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UN Statistical Commission)** के तत्वावधान में **विश्व बैंक** द्वारा प्रबंधित सबसे बड़ी विश्वव्यापी डेटा-संग्रह पहल है।
- ICP के तहत **PPPs, मूल्य स्तर सूचकांक (Price Level Indices: PLI) और GDP (सकल घरेलू उत्पाद) व्यय के संबंध में अन्य तुलनात्मक क्षेत्रीय समुच्चयों (aggregates) का प्रकाशन** किया जाता है।
- भारत, **वर्ष 1970 में इसके अस्तित्व में आने के बाद से ICP के विभिन्न राउंड्स (दौर) में भाग** लेता रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत में ICP के लिए एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है।
- वर्ष 2017 के ICP चक्र के लिए, भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर इसके **शासी बोर्ड** की **सह अध्यक्षता की थी।**
- अगला ICP चक्र **संदर्भ वर्ष 2021** के लिए आयोजित किया जाएगा।

संबंधित शब्दावलियां

- **वास्तविक व्यक्तिगत उपभोग (Actual individual consumption):** यह हाउसहोल्ड्स (घर-परिवारों) द्वारा वास्तव में उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है। इसमें उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष खरीदी जाने वाली उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं और व्यक्तिगत उपभोग के लिए गैर-लाभकारी संस्थानों तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं (जैसे- स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं) आदि सम्मिलित होती हैं।
- **सकल निर्दिष्ट पूंजी निर्माण (Gross fixed capital formation):** इसके अंतर्गत **उत्पादित/सृजित परिसंपत्तियों** का अधिग्रहण शामिल होता है। साथ ही, इसमें उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादित की जाने परिसंपत्तियों में से अचल संपत्तियों की बिक्री को घटाने पर प्राप्त परिमाणों को भी शामिल किया जाता है।
- **मूल्य स्तर सूचकांक (Price Level Indices: PLI):** यह PPP का इसके समतुल्य (corresponding) बाजार विनिमय दर के साथ अनुपात है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्थाओं के मध्य मूल्य स्तरों की तुलना करने के लिए किया जाता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था का मूल्य स्तर सूचकांक किसी अन्य अर्थव्यवस्था की तुलना में कम है, तो उसकी सामग्री/वस्तुएं या व्यय समुच्चय अन्य अर्थव्यवस्था की तुलना में कम महंगे होते हैं।

क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parities: PPPs)

- यह वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा को अन्य देशों में **समान वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए** दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।
- उदाहरण के लिए- यदि भारत में एक जोड़ी जूते की कीमत 2,500 रूपये है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी कीमत 50 डॉलर है, तब डॉलर और रुपये के मध्य PPP पर विनिमय दर का मान 50 (अर्थात् 1 रुपया = 1 डॉलर) होगा।
- **PPP मान का उपयोग:**
    - विभिन्न देशों में जीवन स्तर की तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
    - विश्व बैंक द्वारा वैश्विक निर्धनता के मापन में भी इसका उपयोग किया जाता है।
    - गैर-व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं, जैसे- टैक्सी की सवारी आदि की कीमत के आकलन के लिए यह प्रासंगिक है।
- PPP आधारित विनिमय दरें, **बाजार आधारित विनिमय दरों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होती** हैं।
- हालांकि, **बाजार आधारित विनिमय दरों की तुलना में** क्रय शक्ति समता का **मापन करना कठिन होता है** क्योंकि **ICP** एक व्यापक सांख्यिकीय कार्य है, और नवीन तुलनात्मक मूल्य एक आवधिक अंतराल पर ही उपलब्ध होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, **ICP सभी देशों को शामिल नहीं करता है,** जिसका अर्थ है कि शामिल न हो पाए देशों के डेटा के बारे में केवल अनुमान व्यक्त किया जा सकता है।
- **बाजार-आधारित विनिमय दर (Market-based exchange rate):** यह वह विनिमय दर है जिस पर एक मुद्रा का दूसरे विदेशी मुद्रा बाजार में आदान-प्रदान (विनिमय) किया जाता है। यह दर मुद्राओं की आपूर्ति और मांग कारकों द्वारा निर्धारित होती है।

© Vision IAS

10.1.1. भारत वर्ष 2020-2021 के लिए 'निम्न-मध्यम-आय' वाले राष्ट्र की श्रेणी में बरकरार (India stays lower-middle-income nation for 2020-2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को **चार आय समूहों** में वर्गीकृत करता है, यथा- **निम्न (low), निम्न-मध्यम (lower-middle), उच्च-मध्यम (upper-middle)** और **उच्च-आय (high-income)** वाले देश (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

अन्य संबंधित तथ्य

Group	July 1, 2020(new)	July 1, 2019(old)
Low income	< 1,036	< 1,026
Lower-middle income	1,036 - 4,045	1,026 - 3,995
Upper-middle income	4,046 - 12,535	3,996 - 12,375
High income	>12,535	>12,375

- इस वर्गीकरण को प्रत्येक वर्ष **1 जुलाई** को अपडेट किया जाता है। इस वर्गीकरण के लिए एटलस पद्धति का उपयोग किया जाता है तथा यह **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income: GNI)** पर आधारित है। इस हेतु GNI को वर्तमान में अमेरिकी डॉलर में व्यक्त किया जाता है।
- एक देश के लिए **प्रति व्यक्ति GNI** को उसके सकल राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है।
- **भारत 145वें स्थान पर (प्रति व्यक्ति GNI = 2130 डॉलर)** है, जबकि प्रथम स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है।
- **GNI वस्तुतः एक देश की आय का एक माप है।** इसमें एक देश के निवासियों व व्यवसायों द्वारा अर्जित सभी आय और विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय शामिल होती हैं।
  - GNI में **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एवं अनिवासी स्रोतों से प्राप्त प्राथमिक आय** (कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति और संपत्ति आय) की निवल प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।
  - इसके अंतर्गत **देश में स्थित गैर-निवासियों (अर्थात् विदेशियों) द्वारा अर्जित आय की गणना नहीं** की जाती है।
  - **GNI का उपयोग करने के लाभ:** यह जीवन की गुणवत्ता के अन्य गैर-मौद्रिक उपायों, जैसे- जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर और विद्यालय में नामांकन दर आदि के साथ निकट रूप से संबंधित है।
  - **GNI का उपयोग करने के दोष:** निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाएं अधिक अनौपचारिक होती हैं तथा वहां अधिकांश लोग निर्वाह गतिविधियों में संलग्न होते हैं। ऐसे में इन अर्थव्यवस्थाओं के लिए GNI का आकलन वास्तविकता से कम हो सकता है। पुनः GNI, आय वितरण में विषमता को भी नहीं दर्शाता है।

10.2. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्रियों पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को **नीलामी सिद्धांत (auction theory)** पर उनके कार्यों के लिए प्रदान किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- उन्हें नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसे वस्तुओं और सेवाओं (जैसे कि रेडियो आवृत्तियां) के विक्रय के लिए भी लागू किया जा सकता है, जिन्हें पारंपरिक नीलामी प्रारूपों के माध्यम से विक्रय करना कठिन होता है।
- इन आविष्कारों ने विश्व भर के विक्रेताओं, क्रेताओं और करदाताओं को लाभान्वित किया है।

नीलामी सिद्धांत क्या है?

- यह इष्टतम उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ बोलीदाता (bidders) को **मुक्त बाजार में संसाधनों या व्यवसाय की मदों के पारदर्शी आवंटन की अवधारणा** है।

- यह अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र (applied economics) की एक शाखा है और लेन-देन के लिए नियमों या अभिकल्पनाओं के भिन्न-भिन्न समूह निर्धारित करता है।
- मूलतः, यह इस संबंध में है कि नीलामी से कैसे वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। **नीलामी सिद्धांत अध्ययन करता है:**
  - नीलामी की अभिकल्पना कैसे की जाती है?
  - कौन-से नियम नीलामी को नियंत्रित करते हैं?
  - बोलीदाता नीलामी में कैसे व्यवहार करते हैं?
  - नीलामी के माध्यम से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं?

नीलामी क्या है?

- नीलामी एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके माध्यम से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को अधिकतम मूल्य अथवा बोली लगाने वालों को बेचा जाता है।
- किसी भी नीलामी में, संभावित खरीदार (बोली लगाने के लिए) या तो खुले या बंद प्रारूप में वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां लगाते हैं।
- सामान्यतः, किसी भी नीलामी में, निजी संस्थाएं अपना राजस्व अधिकतम करना चाहती हैं, जबकि सरकार राजस्व अधिकतम करने से भिन्न अन्य कारकों को प्राथमिकता दे सकती है।
- उदाहरण के लिए, उच्चतम बोलीदाता को स्पेक्ट्रम आवंटित करने की बजाय सरकार उस बोलीदाता को चुन सकती है जो दूरसंचार को निर्धनों के लिए सुलभ बनाए।
  - वास्तव में, नीलामी की प्रक्रिया को अपनाने के पहले सरकार अपने संसाधनों को उन निजी इकाईयों को लाइसेंसिंग के माध्यम से आबंटित करती थी, जो निर्धनों के लिए सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने का वादा करते थे।
  - हालांकि, इस दृष्टिकोण से लॉबिंग का प्रसार हुआ एवं भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला था।
- **मुख्य चर (कारक) जो नीलामी के आउटकम (परिणाम) का निर्धारण करते हैं:**
  - नीलामी के नियम;
  - नीलामी के लिए रखी वस्तु या सेवा से संलग्न मूल्य (व्यक्तिगत या व्यवसायिक); तथा
  - बोली लगाने में सम्मिलित अनिश्चितता।

व्यक्तियों का योगदान

- **विजेता का अभिशाप (Winners curse): रॉबर्ट विल्सन** ने सामान्य मूल्य सिद्धांत पर काम किया और मत व्यक्त किया कि एक तार्किक बोलीदाता **विजेता के अभिशाप** से बचने के लिए सामान्य मूल्य के अपने सर्वश्रेष्ठ अनुमान से कम बोली लगाता है।
  - विभिन्न कारणों से अधिक बोली (वास्तविक मूल्य 25 डॉलर के निकट रहने पर 50 डॉलर) लगाना संभव है, ऐसे मामलों में व्यक्ति नीलामी जीत जाता है, लेकिन वास्तविकता में वह हार जाता है।
- **बहु-चरण बोली (Multi stage bidding): पॉल मिलग्रॉम** ने मत व्यक्त किया कि निजी मूल्य एक बोलीदाता से दूसरे बोलीदाता के मामले में अलग-अलग होता है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि बोली के दौरान **बोलीदाताओं को एक दूसरे के अनुमानित मूल्य** (जो निजी के साथ-साथ सामान्य मूल्य दोनों पर निर्भर करता है) के संबंध में अधिक जानकारी हो जाने पर नीलामी प्रारूप विक्रेता को उच्च अपेक्षित राजस्व देगा।
  - इसलिए, बहु-चरण बोली की अनुमति देना अधिक मूल्य प्राप्त करने का अच्छा तरीका है क्योंकि प्रत्येक प्रतिभागी को पिछली उच्चतम बोली से मिलान करने/अधिक बोली लगाने के लिए अधिक समय मिलता है।
  - उन्होंने कई प्रसिद्ध नीलामी प्रारूपों में बोली लगाने की रणनीतियों का विश्लेषण किया, और यह प्रदर्शित किया कि बोली के दौरान बोलीदाताओं को एक-दूसरे की अनुमानित बोली के संबंध में अधिक पता चलने पर नीलामी प्रारूप विक्रेता को उच्च अपेक्षित राजस्व देगा।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

7 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2019

2 AIR
JATIN KISHORE

3 AIR
PRATIBHA VERMA

6 AIR
VISHAKHA YADAV

7 AIR
GANESH KUMAR BASKAR

8 AIR
ABHISHEK SARAF

9 AIR
RAVI JAIN

10 AIR
SANJITA MOHAPATRA

9 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2018

1 AIR
KANISHAK KATARIA

2 AIR
AKSHAT JAIN

3 AIR
JUNAID AHMAD

DELHI JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD LUCKNOW CHANDIGARH GUWAHATI

FOR DETAILED ENQUIRY, PLEASE CALL: +91 8468022022, +91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI /VISION_IAS VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /VISIONIAS_UPSC